



fofu; ksx ysl[ks

**2011-2012**

mRrj i ns k l j dkj

प्रस्तावना	( v )
विनियोग लेखे का सारांश	1-19
भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	21-23

## vuqku ; k fofu; kx dh I d; k rFk uke

1. आबकारी विभाग	25-27
2. आवास विभाग	28-30
3. उद्योग विभाग(लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	31-33
4. उद्योग विभाग(खानें और खनिज)	34-35
5. उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	36
6. उद्योग विभाग(हथकरघा उद्योग)	37
7. उद्योग विभाग(भारी एवं मध्यम उद्योग)	38-41
8. उद्योग विभाग(मुद्रण तथा लेखन-सामग्री)	42
9. ऊर्जा विभाग	43-46
10. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	47-48
11. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	49-62
12. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन)	63-64
13. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	65-72
14. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	73-77
15. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	78-81
16. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	82-83
17. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	84
18. कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	85-86
19. कार्मिक विभाग(प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	87-88
20. कार्मिक विभाग(लोक सेवा आयोग)	89
21. खाद्य तथा रसद विभाग	90-93
22. खेल विभाग	94-98
23. गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	99-101
24. गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	102-103
25. गृह विभाग (कारागार)	104-107
26. गृह विभाग (पुलिस)	108-120
27. गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	121-124
28. गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	125-128
29. गोपन विभाग(राज्यपाल सचिवालय)	129-130

30. गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	131
31. चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	132-135
32. चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	136-141
33. चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं युनानी चिकित्सा)	142-144
34. चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	145-147
35. चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	148-150
36. चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	151-152
37. नगर विकास विभाग	153-161
38. नागरिक उड्डयन विभाग	162-164
39. भाषा विभाग	165-166
40. नियोजन विभाग	167-172
41. निर्वाचन विभाग	173-175
42. न्याय विभाग	176-183
43. परिवहन विभाग	184-186
44. पर्यटन विभाग	187-189
45. पर्यावरण विभाग	190-191
46. प्रशासनिक सुधार विभाग	192-193
47. प्राविधिक शिक्षा विभाग	194-200
48. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	201-206
49. महिला एवं बाल कल्याण विभाग	207-210
50. राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	211-213
51. राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	214-216
52. राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)	217-221
53. राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	222-223
54. लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	224-225
55. लोक निर्माण विभाग (भवन)	226-230
56. लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	231
57. लोक निर्माण विभाग (संचार साधन सेतु)	232-234
58. लोक निर्माण विभाग (संचार साधन –सडकें)	235-243
59. लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	244-247
60. वन विभाग	248-250
61. वित्त विभाग(ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	251-260
62. वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	261-266
63. वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	267-270

65. वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)	271-273
66. वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	274
67. विधान परिषद सचिवालय	275-276
68. विधान सभा सचिवालय	277-279
70. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	280
71. शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	281-284
72. शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	285-292
73. शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	293-299
75. शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	300-303
76. श्रम विभाग(श्रम कल्याण)	304-306
77. श्रम विभाग(सेवायोजन)	307-308
78. सचिवालय प्रशासन विभाग	309-312
79. समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	313-316
80. समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	317-322
81. समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	323-328
82. सतर्कता विभाग	329-330
83. समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	331-350
84. सामान्य प्रशासन विभाग	351-352
85. सार्वजनिक उद्यम विभाग	353
86. सूचना विभाग	354-356
87. सैनिक कल्याण विभाग	357-359
88. संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	360
89. संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)	361-363
90. संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	364-365
91. संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	366-368
92. संस्कृति विभाग	369-371
94. सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	372-392
95. सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	393-394

## i f j f' k"V

i "B l a ; k

परिशिष्ट I- आकस्मिकता निधि से वर्ष 2011-12 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किये गये व्यय, जिनकी वर्ष के अन्त तक निधि में आपूर्ति नहीं की गयी, के ब्यौरे	395
परिशिष्ट II- वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हे व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया गया है, अनुदान वार विवरण	396-400
परिशिष्ट III- उचन्त लेन-देन, अनुदान संख्या 94- सिंचाई विभाग ( निर्माण कार्य) राजस्व प्रभाग	401
परिशिष्ट IV- निदेशन एवं प्रशासन और मशीनरी एवं उपस्कर संयंत्र प्रभार ( 2011-12)	402-405
परिशिष्ट V- उचन्त लेन-देन, अनुदान संख्या 94- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूंजीगत प्रभाग	406-407

## i Lrkouk

उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2011-12 के विनियोग लेखे के इस संकलन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित किये गये विनियोग अधिनियमों से संलग्न अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों से तुलना करते हुए, 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गयी राशियों के लेखे प्रस्तुत किये गये हैं।

इस लेखे में:-

“मूल” से तात्पर्य मूल अनुदान या विनियोग से है।

“पूरक” से तात्पर्य पूरक अनुदान या विनियोग से है।

“पुनर्वि०” से तात्पर्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत पुनर्विनियोगों, वापसियों अथवा अभ्यर्पणों से है।

प्रभारित विनियोग और व्यय तिरछे अंको में दर्शाये गये हैं।

fofu; ksx ys[ks dk I kj k k

vuqku ; k fofu; ksx dh I [; k vkj uke	dy vuqku ; k fofu; ksx	0; ;	dy vuqku@fofu; ksx dh rgyuk es 0; cpr	vf/kd 0; ;
			¼ gtkj ₹ es ½	
1. आबकारी विभाग— राजस्व—				
दत्तमत	1,15,74,01	1,00,64,96	15,09,05	..
प्रभारित	20,00	..	20,00	..
पूजीगत—				
दत्तमत	1,40,50	1,87,90	..	47,40
2. आवास विभाग— राजस्व—				(4739867)
दत्तमत	1,59,53,62	1,03,37,43	56,16,19	..
प्रभारित	4,49,60	4,49,59	1	..
पूजीगत—				
दत्तमत	11,38,64,19	9,43,61,55	1,95,02,64	..
प्रभारित	7,81,21	7,81,21	..	..
3. उद्योग विभाग(लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)— राजस्व—				
दत्तमत	1,11,31,70	1,03,52,41	7,79,29	..
प्रभारित	4,00	1,95	2,05	..
पूजीगत—				
दत्तमत	2,15,50	1,00,00	1,15,50	..
4. उद्योग विभाग(खानें और खनिज)— राजस्व—				
दत्तमत	19,06,82	17,98,78	1,08,04	..
पूजीगत—				
दत्तमत	7,00,00	5,05,55	1,94,45	..
5. उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)— राजस्व—				
दत्तमत	60,78,65	60,65,52	13,13	..
6. उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)— राजस्व—				
दत्तमत	38,95,80	35,91,23	3,04,57	..

(2)

	वृणकु ; k fofu; ksx dh l ; k vkj uke	dy vणकु ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vणकु@fofu; ksx dh rणुक es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;
				¼ g tkj ₹ ee ½	
7.	उद्योग विभाग(भारी एवं मध्यम उद्योग)– राजस्व–				
	दत्तमत	2,33,00,18	31,22,62	2,01,77,56	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	1,56,12,26	1,05,21,17	50,91,09	..
8.	उद्योग विभाग(मुद्रण एवं लेखन सामग्री)– राजस्व–				
	दत्तमत	1,16,79,21	1,15,87,32	91,89	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	50,00	49,87	13	..
9.	उर्जा विभाग– राजस्व–				
	दत्तमत	44,12,50,31	44,11,85,72	64,59	..
	प्रभारित	42,48,20	41,28,90	1,19,30	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	41,49,00,02	40,34,36,26	114,63,76	..
	प्रभारित	49,48,25	49,48,25	..	..
10.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)– राजस्व–				
	दत्तमत	1,52,77,19	1,41,02,14	11,75,05	..
	प्रभारित	1,04,54	1,03,37	1,17	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	2,13,50	2,13,49	1	..
11.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)– राजस्व–				
	दत्तमत	27,87,08,55	20,20,72,02	7,66,36,53	..
	प्रभारित	15,20	9,02	6,18	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	7,49,81,45	6,48,95,25	1,00,86,20	..



	वृषुतु ; क फुतु; कु दुतु ल ; क वकु उके	दुतु वृषुतु ; क फुतु; कु	0; ;	<u>दुतु वृषुतु@फुतु; कु दुतु तुतु सुतु</u> cpr	वुतु/कु 0; ;
				¼ तुतु ₹ सुतु ½	
12.	कृषुतु तुतु अनुतु सुतुदुतु वुतुतुग (तुतुतु वुतुतुस एतुं कुल सुतुसुधतुन)– रुकुसुव– दुतुतुतु	4,47,96,91	2,13,50,24	2,34,46,67	..
13.	कृषुतु तुतु अनुतु सुतुदुतु वुतुतुग (गुरतुतु वुतुतुस)– रुकुसुव– दुतुतुतु तुरतुतुतु तुतुतुगुतु– दुतुतुतु	21,97,87,61 13,00 14,63,99,01	20,63,56,29 14,12 12,72,15,67	1,34,31,32 .. 1,91,83,34	.. 1,12 (112281) ..
14.	कृषुतु तुतु अनुतु सुतुदुतु वुतुतुग (तुतुतुतुतुतु रुकु)– रुकुसुव– दुतुतुतु तुतुतुगुतु– दुतुतुतु	27,32,44,34 5,93,42,08	25,20,81,58 5,69,29,00	2,11,62,76 24,13,08	.. ..
15.	कृषुतु तुतु अनुतु सुतुदुतु वुतुतुग (तुतुतुधतुन)– रुकुसुव– दुतुतुतु तुरतुतुतु तुतुतुगुतु– दुतुतुतु	4,35,36,11 13,79 20,49,60	4,01,15,41 10,32 12,62,08	34,20,70 3,47 7,87,52	.. .. ..
16.	कृषुतु तुतु अनुतु सुतुदुतु वुतुतुग (दुतुधशुकलुक वुतुतुस)– रुकुसुव– दुतुतुतु तुरतुतुतु	41,31,10 10	39,54,61 ..	1,76,49 10	.. ..
17.	कृषुतु तुतु अनुतु सुतुदुतु वुतुतुग (तुतुतुसुतु)– रुकुसुव– दुतुतुतु	59,17,59	48,07,12	11,10,47	..

	vunpku ; k fofu; kx dh l d; k vkj uke	dy vunpku ; k fofu; kx	0; ;	<u>dy vunpku@fofu; kx dh rgyuk es 0;</u> cpr ¼ g tkj ₹ es ½	vf/kd 0; ;
18.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)– राजस्व– दत्तमत प्रभारित पूँजीगत– दत्तमत प्रभारित	4,23,18,43 3,92,74 6,00,00 10,62,00	4,04,23,58 3,92,98 6,00,50 9,70,78	18,94,85 .. .. 91,22	.. 24 (23793) 50 (50000) ..
19.	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)– राजस्व– दत्तमत पूँजीगत– दत्तमत	8,32,72 5,84,02	4,83,75 ..	3,48,97 5,84,02	.. ..
20.	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)– राजस्व– दत्तमत प्रभारित पूँजीगत– प्रभारित	1,72,17 31,49,29 5,00	1,71,69 31,47,44 5,00	48 1,85 ..	.. .. ..
21.	खाद्य तथा रसद विभाग– राजस्व– दत्तमत पूँजीगत– दत्तमत प्रभारित	41,97,61 87,74,33,82 12,00,04,00	43,40,14 69,62,55,37 10,90,00,00	.. 18,11,78,45 1,10,04,00	1,42,53 (14252813) .. ..
22.	खेल विभाग– राजस्व– दत्तमत पूँजीगत– दत्तमत	45,71,35 39,30,50	42,17,64 38,16,94	3,53,71 1,13,56	.. ..



	वृत्तगत ; क फोडु ; क्स दल लडु ; क वलुडु डुकु	दल वृत्तगत ; क फोडु ; क्स	0 ; ;	<u>दल वृत्तगत@फोडु ; क्स दल लडु डुकु</u> cpr % गतकु ₹ डल ड	वृ/कड 0 ; ;
23.	गनुनल वलकलस वलडुगल (गनुनल)– रलकसुव– दतुतडत डुरडलरलत	1,47,87,52 1,50	1,11,11,52 5,02	36,76,00 ..	.. 3,52
	डूकूकगत– दतुतडत	36,72,00	36,71,92	8	(351990) ..
24.	गनुनल वलकलस वलडुगल (कूनी उदुडुगल)– रलकसुव– दतुतडत	52,61,35	47,67,00	4,94,35	..
	डूकूकगत– दतुतडत	3,50,03,41	3,50,03,41	..	..
25.	गृह वलडुगल (कलरलगलर)– रलकसुव– दतुतडत	3,36,95,87	3,36,84,52	11,35	..
	डुरडलरलत	10,00	..	10,00	..
	डूकूकगत– दतुतडत	3,92,60,31	2,04,50,35	1,88,09,96	..
26.	गृह वलडुगल (डुललस)– रलकसुव– दतुतडत	73,30,42,75	72,75,69,24	54,73,51	..
	डुरडलरलत	75,00	35,29	39,71	..
	डूकूकगत– दतुतडत	8,74,55,72	3,86,19,78	4,88,35,94	..
27.	गृह वलडुगल (नलगरलक सुरकुषल)– रलकसुव– दतुतडत	3,88,35,77	3,81,62,29	6,73,48	..
	डूकूकगत– दतुतडत	15,11,82	3,99,34	11,12,48	..
28.	गृह वलडुगल (रलकनूतलक डेंशन तथल अनुड वुडुडु)– रलकसुव– दतुतडत	1,10,53,49	89,34,36	21,19,13	..
	डूकूकगत– दतुतडत	30,00	..	30,00	..

	vunpu ; k fofu; ksx dh l a; k vkj uke	diy vunpu ; k fofu; ksx	0; ;	<u>diy vunpu@fofu; ksx dh rgyuk es 0;</u> cpr ¼ g tkj ₹ es ½	vf/kd 0; ;
29.	गोपन विभाग(राज्यपाल सचिवालय)- राजस्व-				
	प्रभारित	7,97,86	7,88,80	9,06	..
30.	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)- राजस्व-				
	दत्तमत	3,42,94	3,32,70	10,24	..
31.	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा  राजस्व-				
	दत्तमत	9,58,60,96	9,47,70,25	10,90,71	..
	पूजीगत-				
	दत्तमत	5,41,91,05	5,12,69,66	29,21,39	..
32.	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)- राजस्व-				
	दत्तमत	25,51,84,61	24,06,14,71	1,45,69,90	..
	प्रभारित	20,00	11,34	8,66	..
	पूजीगत-				
	दत्तमत	4,91,57,00	3,44,43,25	1,47,13,75	..
33.	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)- राजस्व-				
	दत्तमत	3,82,43,14	3,64,45,85	17,97,29	..
	पूजीगत-				
	दत्तमत	32,22,70	29,68,52	2,54,18	..
34.	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)- राजस्व-				
	दत्तमत	1,72,26,23	1,68,94,34	3,31,89	..
	पूजीगत-				
	दत्तमत	1,81,29	1,39,48	41,81	..
35.	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)- राजस्व-				
	दत्तमत	14,33,47,44	13,98,67,35	34,80,09	..
	प्रभारित	15,00	11,12	3,88	..

	वृणकु ; k fofu; kx dh l ; k vkj uke	dy vणकु ; k fofu; kx	0; ;	<u>dy vणकु@fofu; kx dh rगुक es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;	
						¼ g tkj ₹ es ½
36.	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)– राजस्व– दत्तमत प्रभारित	3,98,12,71 1,00	3,45,53,30 ..	52,59,41 1,00	.. ..	
37.	नगर विकास विभाग– राजस्व– दत्तमत पूजीगत– दत्तमत	11,16,01,47 22,92,00,40	4,90,50,46 20,30,23,79	6,25,51,01 2,61,76,61	.. ..	
38.	नागरिक उडडयन विभाग– राजस्व– दत्तमत पूजीगत– दत्तमत	30,32,81 76,40,00	25,70,92 41,40,00	4,61,89 35,00,00	.. ..	
39.	भाषा विभाग– राजस्व– दत्तमत	10,89,43	10,27,25	62,18	..	
40.	नियोजन विभाग– राजस्व– दत्तमत पूजीगत– दत्तमत	4,87,33,72 14,07,41,88	1,21,87,54 7,47,89,82	3,65,46,18 6,59,52,06	.. ..	
41.	निर्वाचन विभाग– राजस्व– दत्तमत	1,04,65,03	1,02,07,94	2,57,09	..	
42.	न्याय विभाग– राजस्व– दत्तमत प्रभारित पूजीगत– दत्तमत प्रभारित	12,23,72,99 2,37,94,19 2,60,78,06 18,07,85	10,51,36,56 1,72,20,99 1,82,34,71 4,51,40	1,72,36,43 65,73,20 78,43,35 13,56,45	.. .. .. ..	

	vunpku ; k fofu; kx dh l d; k vkj uke	dy vunpku ; k fofu; kx	0; ;	<u>dy vunpku@fofu; kx dh rgyuk es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;	¼ g tkj ₹ es ½
43.	परिवहन विभाग— राजस्व— दत्तमत	83,72,02	82,62,14	1,09,88	..	
	पूजीगत— दत्तमत	47,90,99	47,69,43	21,56	..	
44.	पर्यटन विभाग— राजस्व— दत्तमत	20,75,18	15,97,74	4,77,44	..	
	पूजीगत— दत्तमत	66,69,02	42,03,84	24,65,18	..	
45.	पर्यावरण विभाग— राजस्व— दत्तमत	6,46,66	3,38,79	3,07,87	..	
46.	प्रशासनिक सुधार विभाग— राजस्व— दत्तमत	8,27,21	6,59,53	1,67,68	..	
	पूजीगत— दत्तमत	7,50,00	..	7,50,00	..	
47.	प्राविधिक शिक्षा विभाग— राजस्व— दत्तमत	3,51,08,76	3,16,13,49	34,95,27	..	
	प्रभारित	1,02	..	1,02	..	
	पूजीगत— दत्तमत	2,02,94,88	1,49,47,20	53,47,68	..	
48.	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग— राजस्व— दत्तमत	6,89,65,50	6,75,96,53	13,68,97	..	
	प्रभारित	2,05	1,70	35	..	
	पूजीगत— दत्तमत	5,24,80,68	1,51,44,95	3,73,35,73	..	
49.	महिला एवं बाल कल्याण विभाग— राजस्व— दत्तमत	40,16,17,57	33,80,06,69	6,36,10,88	..	
	प्रभारित	10	..	10	..	





	वृत्तगत ; क फोवु ; क्स द्वि ल [ ; क वृत्त उके	द्वि वृत्तगत ; क फोवु ; क्स	0 ;	<u>द्वि वृत्तगत@फोवु ; क्स द्वि रग्युक एस 0 ;</u> cpr	वृत्तगत 0 ; ;
				¼ गतक ₹ ए ½	
	पूजिगत-				
	दत्तमत	3,00,00	75,41	2,24,59	..
50.	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)-				
	राजस्व-				
	दत्तमत	4,73,19,41	4,40,57,08	32,62,33	..
	प्रभारित	17,00	4,22	12,78	..
	पूजिगत-				
	दत्तमत	1,01,40,00	97,18,98	4,21,02	..
51.	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)-				
	राजस्व-				
	दत्तमत	21,45,00,70	17,47,63,18	3,97,37,52	..
	पूजिगत-				
	दत्तमत	10,00,00	66,56	9,33,44	..
52.	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद तथा अन्य व्यय)-				
	राजस्व-				
	दत्तमत	17,10,51,68	16,40,62,18	69,89,50	..
	प्रभारित	18,78	12,08	6,70	..
	पूजिगत-				
	दत्तमत	18,43,79	16,71,92	1,71,87	..
	प्रभारित	10,51	..	10,51	..
53.	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग-				
	राजस्व-				
	दत्तमत	1,10,80	78,46	32,34	..
	पूजिगत-				
	दत्तमत	1,00	..	1,00	..
54.	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)-				
	राजस्व-				
	दत्तमत	12,19,34,89	9,80,81,18	2,38,53,71	..
	प्रभारित	4,00	66	3,34	..

	vunpu ; k fofu; kx dh l d; k vkj uke	dy vunpu ; k fofu; kx	0; ;	<u>dy vunpu@fofu; kx dh rnyuk es 0;</u> cpr ¼ g tkj ₹ es ½	vf/kd 0; ;
55.	लोक निर्माण विभाग (भवन)– राजस्व–				
	दत्तमत	36,89,00	39,36,66	..	2,47,66 (24765754)
	प्रभारित	2,65,37	2,44,75	20,62	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	50,92,00	1,05,46,88	..	54,54,88 (545487559)
	प्रभारित	1,53,63	1,39,87	13,76	..
56.	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)– पूजीगत–				
	दत्तमत	2,20,00,00	1,08,67,93	1,11,32,07	..
57.	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन–सेतु)– राजस्व–				
	दत्तमत	15,00,00	15,69,03	..	69,03 (6902716)
	पूजीगत–				
	दत्तमत	14,19,33,46	11,09,09,58	3,10,23,88	..
58.	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन –सडकें)– राजस्व–				
	दत्तमत	17,04,95,00	18,11,72,28	..	1,06,77,28 (1067728290)
	प्रभारित	5,00	..	5,00	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	33,93,38,45	44,62,04,28	..	10,68,65,83 (10686582770)
	प्रभारित	5,50,00	3,41,49	2,08,51	..
59.	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)– राजस्व–				
	दत्तमत	1,16,47,17	1,15,37,62	1,09,55	..
	पूजीगत–				
	दत्तमत	1,11,68,36	1,08,70,27	2,98,09	..

	vunpku ; k fofu; ksx dh l d; k vkj uke	dy vunpku ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vunpku@fofu; ksx dh rgyuk es 0;</u> cpr ¼ gtkj ₹ ee ½	vf/kd 0; ;
60.	वन विभाग— राजस्व— दत्तमत प्रभारित पूजीगत— दत्तमत	3,58,24,04 13,70 1,26,57,59	3,53,37,13 3,48	4,86,91 10,22 5,04,74	.. .. ..
61.	वित्त विभाग(ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)— राजस्व— दत्तमत प्रभारित पूजीगत— दत्तमत प्रभारित	58,17,10,48 2,34,62,69,18 5,19,00,50 1,72,09,85,94	57,57,37,45 2,37,90,97,84 1,17,22,42 72,10,60,70	59,73,03 .. 4,01,78,08 99,99,25,24	.. 3,28,28,66 (3282865579) .. ..
62.	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)— राजस्व— दत्तमत प्रभारित पूजीगत— दत्तमत	1,06,34,41,47 16,51,39 1,50,00,00	1,10,89,87,05 28,15,32 75,17,00	.. .. 74,83,00	4,55,45,58 (4554557806) 11,63,93 (116392729) ..
63.	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)— राजस्व— दत्तमत पूजीगत— दत्तमत	1,59,29,76 15,09,92	1,22,75,53 8,67,09	36,54,23 6,42,83	.. ..
65.	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत आदि)— राजस्व— दत्तमत पूजीगत— दत्तमत	1,48,37,27 4,00	1,42,68,63 2,31	5,68,64 1,69	.. ..

	वृणकु ; k fofu; ksx dh l [; k vkj uke	dy vृणकु ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vृणकु@fofu; ksx dh rgyuk es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;
				¼ g tkj ₹ es ½	
66.	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)–				
	राजस्व–				
	दत्तमत	2,53,23	2,50,39	2,84	..
	प्रभारित	1,55,84,35	1,51,29,20	4,55,15	..
67.	विधान परिषद सचिवालय–				
	राजस्व–				
	दत्तमत	27,51,94	23,84,02	3,67,92	..
	प्रभारित	53,69	27,59	26,10	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	14,00	..	14,00	..
68.	विधान सभा सचिवालय–				
	राजस्व–				
	दत्तमत	76,44,19	65,94,87	10,49,32	..
	प्रभारित	71,89	45,05	26,84	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	1,28,13	1,16,06	12,07	..
70.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग–				
	राजस्व–				
	दत्तमत	53,38,37	51,61,74	1,76,63	..
71.	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)–				
	राजस्व–				
	दत्तमत	1,96,78,39,78	1,87,90,40,00	8,87,99,78	..
72.	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)–				
	राजस्व–				
	दत्तमत	72,39,71,02	66,56,83,82	5,82,87,20	..
	प्रभारित	2,70	50	2,20	..
	पूँजीगत–				
	दत्तमत	1,61,82,34	33,96,22	1,27,86,12	..



	vunpu ; k fofu; ksx dh l d; k vkj uke	dy vunpu ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vunpu@fofu; ksx dh rgyuk es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;
				¼ gtkj ₹ ea ½	
73.	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)– राजस्व– दत्तमत प्रभारित पूँजीगत– दत्तमत	21,15,19,91  1,00  71,50,04	13,69,43,83  ..  52,22,45	7,45,76,08  1,00  19,27,59	..  ..  ..
75.	शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)– राजस्व– दत्तमत पूँजीगत– दत्तमत	1,03,97,25  10,04	68,07,36  ..	35,89,89  10,04	..  ..
76.	श्रम विभाग(श्रम कल्याण)– राजस्व– दत्तमत प्रभारित	5,38,01,28  10	1,81,18,99  ..	3,56,82,29  10	..  ..
77.	श्रम विभाग(सेवायोजन)– राजस्व– दत्तमत पूँजीगत– दत्तमत	47,18,04  26,25	46,58,30  35,23	59,74  ..	..  8,98 (898212)
78.	सचिवालय प्रशासन विभाग– राजस्व– दत्तमत पूँजीगत– दत्तमत	4,34,33,35  4,65,00	3,56,79,33  4,12,73	77,54,02  52,27	..  ..
79.	समाज कल्याण विभाग (विकलांग एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)– राजस्व– दत्तमत पूँजीगत– दत्तमत	14,15,35,86  97,57,75	14,06,80,84  83,75,72	8,55,02  13,82,03	..  ..

	vunpku ; k fofu; ksx dh l [ ; k vkj uke	dy vunpku ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vunpku@fofu; ksx dh rnyuk es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;
				¼ gtkj ₹ es ½	
80.	समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)– राजस्व– दत्तमत	34,55,81,43	33,25,75,42	1,30,06,01	..
	पूँजीगत– दत्तमत	2,00,00	1,77,00	23,00	..
81.	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)– राजस्व– दत्तमत	69,94,08	36,29,77	33,64,31	..
	प्रभारित	10	..	10	..
	पूँजीगत– दत्तमत	39,68,09	8,13,03	31,55,06	..
82.	सतर्कता विभाग– राजस्व– दत्तमत	29,86,38	25,92,06	3,94,32	..
	प्रभारित	2,92,81	2,99,66	..	6,85
	पूँजीगत– दत्तमत	13,00,00	13,00,00	..	(684875) ..
83.	समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)– राजस्व– दत्तमत	67,40,79,69	59,48,34,06	7,92,45,63	..
	पूँजीगत– दत्तमत	48,72,18,88	44,56,73,19	4,15,45,69	..
84.	सामान्य प्रशासन विभाग– राजस्व– दत्तमत	1,96,59,19	1,50,33,15	46,26,04	..
85.	सार्वजनिक उद्यम विभाग– राजस्व– दत्तमत	4,43,28	4,12,59	30,69	..
86.	सूचना विभाग– राजस्व– दत्तमत	1,44,80,92	83,66,52	61,14,40	..

	vunpku ; k fofu; kx dh l d; k vkj uke	dy vunpku ; k fofu; kx	0; ;	<u>dy vunpku@fofu; kx dh rgyuk es 0;</u> cpr	vf/kd 0; ;
				¼ g tkj ₹ es ½	
87.	सैनिक कल्याण विभाग—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	43,17,82	34,85,39	8,32,43	..
	प्रभारित	10	8	2	..
	पूजीगत—				
	दत्तमत	1,02,90	75,94	26,96	..
88.	संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	4,93,36	4,63,71	29,65	..
89.	संस्थागत वित्त विभाग (वाणिज्य कर)—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	4,45,45,88	4,42,39,83	3,06,05	..
	प्रभारित	88,17,57	88,07,00	10,57	..
	पूजीगत—				
	दत्तमत	8,94,88	8,48,40	46,48	..
90.	संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	77,22,57	69,95,08	7,27,49	..
91.	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	1,40,41,94	1,49,65,55	..	9,23,61 (92361297)
	प्रभारित	4	..	4	..
	पूजीगत—				
	दत्तमत	3,48,11	2,52,18	95,93	..
92.	संस्कृति विभाग—				
	राजस्व—				
	दत्तमत	34,33,35	30,22,13	4,11,22	..
	प्रभारित	5	..	5	..
	पूजीगत—				
	दत्तमत	33,35,35	3,07,24	30,28,11	..



vunqu ; k fofu; ksx dh l [; k vkj uke	dy vunqu ; k fofu; ksx	0; ;	<u>dy vunqu@fofu; ksx dh rnyuk es 0;</u>	
			cpr	vf/kd 0; ;
			¼ gtkj ₹ es ½	
94. सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)–				
राजस्व–				
दत्तमत	20,95,84,82	15,91,49,66	5,04,35,16	..
पूँजीगत–				
दत्तमत	33,17,96,54	25,83,10,90	7,34,85,64	..
प्रभारित	30,00,00	5,28,36	24,71,64	..
95. सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)–				
राजस्व–				
दत्तमत	20,14,25,67	19,96,22,95	18,02,72	..
प्रभारित	50,00	2,81	47,19	..

## dy jktLo&amp;

दत्तमत	10,88,28,51,38	10,02,58,00,03	91,46,57,04	5,76,05,69
			<u>-85,70,51,35</u>	
प्रभारित	2,40,62,47,00	2,43,28,22,19	74,29,13	3,40,04,32
			<u>2,65,75,19</u>	

## dy i thxr&amp;

दत्तमत	3,95,01,35,03	3,34,50,79,82	71,74,32,80	11,23,77,59
			<u>-60,50,55,21</u>	
प्रभारित	1,85,33,08,39	83,82,27,06	1,01,50,81,33	..
			<u>-1,01,50,81,33</u>	

egk; ksx&	<b>19,09,25,41,80</b>	<b>16,64,19,29,10</b>	<b>2,65,46,00,30</b>	<b>20,39,87,60</b>
			<u><b>-2,45,06,12,70</b></u>	

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

## ( jktLo Hkkx )

( i )	21	खाद्य तथा रसद विभाग	₹ 1,19,21,593
( ii )	62.	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	₹ 4,55,28,24,351
( iii )	91.	संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	₹ 9,21,85,687

## ( iwtHxr nRrer )

( i )	1.	आबकारी विभाग	₹ 47,39,867
( ii )	55.	लोक निर्माण विभाग (भवन)	₹ 51,54,98,830
( iii )	58.	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन –सडकें)	₹ 10,34,97,59,067

निम्नलिखित प्रभारित विनियोगों में अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

## ( jktLo nRrer )

( i )	13.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	₹ 1,12,281
( ii )	18.	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	₹ 23,793
( iii )	23.	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	₹ 3,51,990
( iv )	61.	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	₹ 3,25,21,84,568
( v )	62.	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	₹ 11,62,67,466
( vi )	82.	सतर्कता विभाग	₹ 6,84,875





विनियोग लेखे के सार में दिखाये गये व्यय में आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों से व्यय की गई ₹ 3,09,63,63 हजार की राशि शामिल नहीं है, जिसकी वर्ष की समाप्ति से पूर्व निधि को पूर्ति नहीं की गई, जिसका व्यौरा परिशिष्ट I में दिखाया गया है।

अनुदान और विनियोग व्यय हेतु आवश्यक सकल राशियों के रूप में होने के कारण उनके विरुद्ध दर्शाये गये आंकड़ों में वे वसूलियां (ब्योरे परिशिष्ट II में दिये गये हैं) सम्मिलित नहीं हैं जिनका समायोजन लेखाओं में व्यय में से कटौती करके किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं।

वर्ष 2011-12 के विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के वित्त लेखे में दिखाये गये कुल व्यय का समाधान नीचे दिया गया है:-

	i Hkkfjr		nRrer	
	jktLo	i wthxr	jktLo	i wthxr
	% gtkj ₹ ee ½			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	2,43,28,22,19	83,82,27,06	10,02,58,00,03	3,34,50,79,82
घटाइये-परिशिष्ट-II में दिखाई गई कुल वसूलियां	..	34,62,99	7,01,05,46	1,09,61,29,52
कुल-निवल व्यय	2,43,28,22,19	83,47,64,07	9,95,56,94,57	2,24,89,50,30
वित्त लेखे के विवरण संख्या 10 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय ( djkm+ ₹ ee )	2,43,28.22	83,47.64	9,95,56.95	2,24,89.50

## Hkkj r ds fu; æd&egkys[ kki jh{k d dk i æk.k i =

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है। वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे वर्ष की सरकार की प्राप्तियों और संवितरणों के लेखे के साथ वित्तीय स्थिति प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार मेरे पर्यवेक्षण में तैयार किये गये हैं तथा उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी कोषागारों, कार्यालयों, तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचरों, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय, तथा अथवा विभाग मुख्यतः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा परिशुद्धता के साथ-साथ इन लेखाओं तथा संव्यवहारों से संबन्धित लागू नियमों, मानदण्डों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संव्यवहारों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं को तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं को तैयार करने के लिये मेरे उत्तरदायित्व का निर्वहन महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें ) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार स्वतंत्र रूप से प्रधान महालेखाकार (जनरल एण्ड सोशल सेक्टर आडिटर) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संवर्ग, पृथक रिपोर्टिंग लाईनें तथा प्रबंधन ढांचा है।

लेखापरीक्षा सामान्यतः भारत में स्वीकृत लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार की गई थी। इन मानकों द्वारा यह अपेक्षा की जाती है कि हम योजना बनाएं और यथोचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा का निष्पादन करें कि लेखे तात्विक अयथार्थ कथन से मुक्त हैं। लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में राशियों एवं प्रकटनों से सुसंगत साक्ष्य के नमूना आधार पर जांच को शामिल किया जाता है।

मेरे अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, मैं अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित करता हूँ कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेखे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करते हैं।

इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई नमूना लेखापरीक्षा उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय 31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किये जाने वाले उत्तर प्रदेश सरकार पर मेरे प्रतिवेदनों में शामिल किए गए हैं।

fnukd%

ubl fnYyh

fu; æd&egkys[kki jh{k

( foukn jk; )

Hkkjr ds





वृत्तवार्षिक व्यय का विवरण

विवरण	वृत्तवार्षिक व्यय	अनुमानित व्यय	अनुमानित व्यय	अनुमानित व्यय
	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)
2039- राज्य उत्पाद शुल्क,				
2059- लोक निर्माण कार्य तथा				
2216- आवास				
<b>मूल</b>	1,15,74,01	1,15,74,01	1,00,64,96	-15,09,05
<b>पूरक</b>	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)				15,07,21
<b>मूल</b>	20,00	20,00	..	-20,00
<b>पूरक</b>	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)				19,61
4047- अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय				
<b>मूल</b>	1,40,50	1,40,50	1,87,90	+47,40
<b>पूरक</b>	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)				81,90

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 1,00,64.96 लाख में, ₹ 10.58 लाख वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2008-09 और 2009-10 के उच्चतम लेखे समाशोधन की धनराशि सम्मिलित हैं।
- (ii) अन्तिम बचत ₹ 15,19,63 लाख (₹ 15,09.05 लाख+₹ 10.58 लाख), में से मात्र ₹ 15,07.21 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

		2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
2039- राज्य उत्पाद शुल्क-					
001- निदेशन तथा प्रशासन-					
05- भट्टियां					
मूल	91,50.50	76,59.45	76,60.98		+1.53
पुनर्वि०	-14,91.05				
वास्तविक व्यय में ₹ 8.82 लाख वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2008-09 और 2009-10 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।					
₹ 14,91.05 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, ₹ 13,30.55 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः मितव्ययिता, अधीनस्थ कार्यालयों में भुगतान हेतु लम्बित बिलों के न होने तथा अल्प अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 3,76.50 लाख की कमी मितव्ययिता, कम खर्च, बेतन का भुगतान न होने के कारण हुई, और ₹ 2,16.00 लाख की वृद्धि वाहनो एवं कारतूसों के क्रय तथा लम्बित बिलों के भुगतान के कारण हुई।					
06- कम्प्यूटरीकरण एवं आन लाइन एक्साइज मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना -					
मूल	57.00	32.20	30.22		-1.98
पुनर्वि०	-24.80				
₹ 24.80 लाख की बचत के सापेक्ष ₹ 16.50 लाख की प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा कमी संश्लिदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति न होने तथा मितव्ययिता के कारण हुई। ₹ 8.30 लाख का अभ्यर्पण निधि के कम उपयोग के कारण हुआ।					

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2039- राज्य उत्पाद शुल्क-					
001- निदेशन तथा प्रशासन-					
03- अधीक्षण-					
मूल	22,01.41	22,03.38	22,04.57		+1.19
पुनर्वि०	1.97				
वास्तविक व्यय में ₹ 1.76 लाख वर्ष 2005-06 और 2008-09 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।					
₹ 1.97 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 3,81.06 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई वृद्धि संश्लिदा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति न होने, प्रशिक्षण हेतु कारतूसों के क्रय तथा बकाया का भुगतान तथा प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,18.06 लाख की कमी संश्लिदा के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति न होने तथा कम व्यय, तथा ₹ 1,61.03 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।					

'kh"KZ dly vupku okLrfod 0 ; ; vf/kd 0 ; ; \$  
cpr&  
( yk[k ₹ e)

04- जिला कार्यकारी अधिष्ठान-

मूल	1,30.10	]			
पुनर्वि०	7.12		1,37.22	1,34.85	-2.37

₹ 7.12 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 34.00 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में की गई वृद्धि बकाया अवशेष तथा प्रावधान में ₹ 20.00 लाख कमी तथा ₹ 6.88 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता के कारण हुआ।

i Hkkfjr&

(v) ₹ 20,00 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 19.61 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(vi) बचत(अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित)मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ dly fofu; ksx okLrfod 0 ; ; vf/kd 0 ; ; \$  
cpr&  
( yk[k ₹ e)

2039- राज्य उत्पाद शुल्क-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- जिला कार्यकारी अधिष्ठान-

मूल	20.00	]			
पुनर्वि०	-19.61		0.39	..	-0.39

₹ 19.61 लाख का अभ्यर्पण भुगतान लम्बित न रहने के कारण हुआ।

i thxr&

(vii) व्यय दत्तमत्त प्रावधान से ₹ 47,39,867 अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।

(viii) ₹ 47.40 लाख के अन्तिम व्ययाधिक्य को देखते हुए ₹ 81.90 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था, तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(ix) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"KZ dly vupku okLrfod 0 ; ; vf/kd 0 ; ; \$  
cpr&  
( yk[k ₹ e)

4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय

01- कार्यालय भवन

051-निर्माण

03-आबकारी विभाग के कार्यालय एवं गोदामों के निर्माण

हेतु एकमुश्त व्यवस्था

मूल	1,40.50	]			
पुनर्वि०	-81.90		58.60	1,87.90	+1,29.30

₹ 81.90 लाख का अभ्यर्पण निर्माण हेतु परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (जून 2012)।

vunqu l a[; k 2&vkokl foHkkx

ed[; 'kh'kZ

dy vunqu  
; k  
fofu; ksx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$  
cpr&

( g tkj ₹ ee)

jktLo&

2029- भू-राजस्व,

2049- ब्याज अदायगियां,

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,

2205- कला एवं संस्कृति,

2217- शहरी विकास तथा

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

nRrer&

मूल	1,59,53,60	]
पूरक	2	

1,59,53,62

1,03,37,43

-56,16,19

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

i Hkkfjr&

मूल	4,49,60	]
पूरक	..	

4,49,60

4,49,59

-1

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

i wthxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,

4202- शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर

पूंजीगत परिव्यय,

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,

6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण,

6216- आवास के लिये ऋण और

6217- शहरी विकास के लिये कर्ज

nRrer&

मूल	10,72,64,18	]
पूरक	66,00,01	

11,38,64,19

9,43,61,55

-1,95,02,64

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

'kh"kl	dy vuqku ; k fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
( g tkj ₹ e )			
i Hkkfjr&			
मूल	7,81,21		
पूरक	..	7,81,21	7,81,21
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			..
fVli f. k; ka , oa VhdK; &			..
jktLo&			
nRrer&			

- (i) ₹ 1,03,37.43 लाख के वास्तविक व्यय मे वर्ष 2001-02,2005-06,2007-08,2008-09 तथा 2010-11 उचन्त लेखे समाशोधन के ₹ 9.44 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 56,25.63 लाख की अन्तिम बचत ( ₹ 56,16.19 लाख+ ₹ 9.44 लाख) में से कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (iii) ₹ 56,25.63 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 0.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iv) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
( yk[k ₹ e )			

## 2217- शहरी विकास-

## 01- राज्य की राजधानी का विकास-

## 800- अन्य व्यय-

- 05- स्मारको, संग्रहालयो, संस्थाओं, पार्को व उपवनो आदि के प्रबन्धन, सुरक्षा एवं अनुरक्षण समिति के कार्मिकों के वेतन भत्ते आदि-

96,31.49	41,35.00	-54,96.49
----------	----------	-----------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

- (v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

## 2029- भू-राजस्व-

## 001- निदेशन एवं प्रशासन-

- 03- कलेक्टरों के कार्यालय ( नजूल)
- |       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 67.05 | 70.06 | +3.01 |
|-------|-------|-------|

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

lkwthxr&amp;

nRrer&amp;

- (vi) ₹ 1,95,02.64 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vii) ₹ 1,95,02.64 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए अगस्त 2011 में प्राप्त ₹ 66,00.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (viii) बचत (अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
		( yk[k ₹ e)	

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- राज्य की राजधानी का विकास-

051- निर्माण-

03- लखनऊ नगर का समग्र विकास 5,64,00.00 4,01,54.06 -1,62,45.94

07- अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान उत्तर प्रदेश का भवन निर्माण

1,21.20 35.49 -85.71

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

60- अन्य शहरी विकास योजनायें-

800- अन्य व्यय-

03- मान्यवर कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना-

मूल	2,75,00.00	] 2,75,00.01	2,43,29.06	-31,70.95
पूरक	0.01			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

vupku l a[; k 3&m | ksx foHkkx (y?kq m | ksx , oa fu; kR i kRl kgu )

eq[; 'kh"z dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$  
; k ; k cpr&  
fofu; ksx

( gtkj ₹ ea )

jktLo&

2851- ग्राम और लघु उद्योग,

2852- उद्योग और

3453- विदेश व्यापार तथा निर्यात संवर्धन

nRrer&

मूल	1,10,36,66	}	1,11,31,70	1,03,52,41	-7,79,29
पूरक	95,04				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)					7,92,54

iHkkfjr&

मूल	4,00	}	4,00	1,95	-2,05
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)					2,00

i wthxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत

परिव्यय और

4851- ग्राम एवं लघु उद्योगों पर

पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	2,15,50	}	2,15,50	1,00,00	-1,15,50
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)					31,87

fVlif.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 1,03,52.41 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2005-06 तथा 2010-11 उचन्त लेखे समाशोधन के ₹ 10.02 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 7,89.31 लाख ( ₹ 7,79.29 लाख+ ₹ 10.02 लाख ) की अन्तिम बचत को देखते हुए अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 95.04 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iii) ₹ 7,89.31 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 7,92.54 लाख का अभ्यर्पण न्याय संगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(iv) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत लघु व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	
			cpr&	
		( yk[[k ₹ e)		

2851- ग्राम एवं लघु उद्योग-

102- लघु उद्योग-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	8,36.18			
पूरक	95.04	23.56	22.40	-1.16
पुनर्वि०	-9,07.66			

₹ 9,07.66 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3,62.00 लाख की प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा कमी स्वीकृति निर्गत न होने तथा भारत सरकार से केन्द्रांश न मिलने के कारण हुआ।

₹ 5,45.66 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आधार पर भुगतान के कारण, अनुदान का आहरण न होने तथा सरकार द्वारा धनराशि फिज किए जाने के कारण हुआ।

20- उद्यमिता विकास संस्थान

को अनुदान-

मूल	27.00			
पुनर्वि०	-9.84	17.16	..	-17.16

प्रावधान में ₹ 9.84 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा कमी कम मांग तथा वास्तविक देय के आधार पर भुगतान के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

08- अवशेषों का भुगतान-

मूल	4,39.31			
पुनर्वि०	-38.03	4,01.28	3,93.34	-7.94

₹ 38.03 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आधार पर भुगतान के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2851- ग्राम एवं लघु उद्योग-

102- लघु उद्योग-

19- राज्य पूँजी उपादान-

पुनर्वि०	4.98	4.98	4.97	-0.01
----------	------	------	------	-------

प्रावधान में ₹ 4.98 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 37.72 लाख की वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन के कारण हुई और ₹ 4.98 लाख की वृद्धि अधिक मांग के कारण हुई।

₹ 37.72 लाख का अभ्यर्पण धनराशि का आहरण न होने के कारण हुआ।





वृत्तिका 1 अ; क 4&m | क्ख फोह्कख ( [क्का वक्श [क्फुत )

दृ; 'क्'क

द्व वृत्तिका क्लरफोद 0; ;

व्/क्द 0; ; \$  
cpr&

( gtkj ₹ e )

ज्क्लो&

2853- अलौह खनन तथा  
धातु कर्म उद्योग

nRrer&

मूल

19,06,82

19,06,82

17,98,78

-1,08,04

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)

1,08,32

i thxr&

4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर  
पूंजीगत परिव्यय—

nRrer&

मूल

7,00,00

7,00,00

5,05,55

-1,94,45

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)

1,94,45

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

ज्क्लो&

nRrer&

(i) ₹ 17,98.78 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 तथा 2010-11 उच्चत लेखे समाशोधन के ₹ 1.04 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

(ii) ₹ 1,09.08 लाख ( ₹ 1,08.04 लाख + ₹ 1.04 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 1,08.32 लाख अभ्यर्पित किये गये।

(iii) बचत(एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः

निम्न के अधीन हुई:-

'kh"lz

dy vupku okLrfod 0 ; ;

vf/kd 0 ; ; \$

cpr&

( yk[k ₹ e#)

2853- अलौह खनन तथा

धातु कर्म उद्योग-

02- खानों का विनियमन तथा विकास-

004- अनुसंधान तथा विकास-

06- खनिज विकास की योजनाये-

मूल

1,00.00

8.43

8.43

..

पुनर्वि०

-91.57

₹ 91.57 लाख की कुल बचत में से प्रावधान में ₹ 5.84 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा कमी बचत से हुई, तथा ₹ 85.73 लाख का अभ्यर्पण आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण हुआ।

i thxr&

nRrer&

(iv) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग पर

पूँजीगत परिव्यय-

01- खनिज अन्वेषण तथा विकास-

800- अन्य व्यय-

04- खनिज विकास की योजनाये-

मूल

7,00.00

5,05.55

5,05.55

..

पूरक

-1,94.45

₹ 1,94.45 लाख का अभ्यर्पण आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण हुआ।

वृत्तिका I अंक 5 & m | कस फोहकस ( [कनह , oa xkeks] कस )

एक; 'कह"कल द्य वृत्तिका okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$  
cpr&  
( gtkj ₹ e)

jktLo&

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण और

2851- ग्राम एवं लघु उद्योग

nRrer&

मूल	60,78,65	}	60,78,65	60,65,52	-13,13
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)					2,13

fVli f.k; ka , oa VhdK; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 13.13 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2.13 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।  
(ii) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'कह"कल द्य वृत्तिका okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$  
cpr&

( ykLk ₹ e)

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग-

105- खादी एवं ग्रामोद्योग-

21- मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार

योजना 12,50.00 12,39.00 -11.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

वृत्तिका I अ; क 6&m | क्ख फोहकक ( गफकज?क म | क्ख)

एक; 'क'कz दिय वृत्तिका कलरफोद 0; ; वफ/कद 0; ; \$  
cpr&

( gtkj ₹ e)

jktLo&

2851- ग्राम एवं लघु उद्योग

nRrer&

मूल	38,95,80	}	38,95,80	35,91,23	-3,04,57
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)					2,98,29

fVl i f. k; ka , oa Vhd k; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 3,04.57 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2,98.29 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'क'कz दिय वृत्तिका कलरफोद 0; ; वफ/कद 0; ; \$  
cpr&

( yk[k ₹ e)

2851- ग्राम एवं लघु उद्योग-

001- निदेशन और प्रशासन-

03- अधिष्ठान व्यय-हथकरघा

निदेशालय-

मूल	15,10.55	}	14,11.79	14,05.51	-6.28
पुनर्वि०	-98.76				

₹ 98.76 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

वृत्तवार्षिक लेखांकन विवरण (अनुसूची 1, भाग 1/2; एम 1/2)

विवरण: 'क' के अंतर्गत वृत्तवार्षिक लेखांकन विवरण; अंश 1/2; \$  
प्रति

( अंकित ₹ में )

विवरण

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें,  
2852- उद्योग तथा  
2885- उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय

विवरण

मूल	2,33,00,18	}	2,33,00,18	31,22,62	-2,01,77,56
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)					2,00,95,21

विवरण

4885- उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य  
पूंजीगत परिव्यय,  
6860- उपभोक्ता उद्योग के लिये कर्ज एवं  
6885- उद्योग और खनिज के लिये अन्य कर्ज

विवरण

मूल	1,54,30,01	}	1,56,12,26	1,05,21,17	-50,91,09
पूरक	1,82,25				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)					50,90,52

विवरण: क, भाग 1/2; अंश 1/2

विवरण

विवरण

(i) ₹ 31,22.62 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05,2006-07 तथा 2008-09 उच्चत लेखे  
समाशोधन के ₹ 0.03 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

(ii) ₹ 2,01,77.59 लाख की अन्तिम बचत ( ₹ 2,01,77.56 लाख + ₹ 0.03 लाख ) में से मात्र  
₹ 2,00,95.21 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।



'kh"KZ dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$  
cpr&

( yk[k ₹ ee)

10- भारी उद्योग निवेश नीति के अन्तर्गत

औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहन—

मूल 1,80,00.00

पुनर्वि० -1,80,00.00

₹ 1,80,00.00 लाख का अभ्यर्पण शासनादेश संख्या 1674/77-6-11-10 कर /04TC-12 दिनांक 18-11-2011 को राज्य सरकार द्वारा योजना निरस्त किए जाने के कारण हुआ। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

2852- उद्योग—

07- दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योग—

202- इलेक्ट्रानिक्स—

03- सरकारी कार्यालयों का आधुनिकीकरण

पुनर्वि० 21.00

21.00

21.00

प्रावधान में ₹ 21.00 लाख की वृद्धि मुख्य मंत्री कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण करने के कारण हुई।

i thxr&

nRrer&

(v) ₹ 50,91.09 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 50,90.52 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(vi) ₹ 50,91.09 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए अगस्त 2011 में प्राप्त ₹ 1,82.25 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई:—

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज—

01- वस्त्र उद्योग

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज—

07- आई० टी० आर० कम्पनी, बरेली का विविध प्रकीर्ण

व्यय हेतु ऋण—

पूरक 9.00

4.01

3.45

-0.56

पुनर्वि० -4.99

₹ 4.99 लाख का अभ्यर्पण कम व्यय के कारण हुआ।



'kh"KZ

dly vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$  
cpr&

( yk[k ₹ e)

6885- उद्योग तथा खनिज के लिये अन्य कर्ज-

01- औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं

को कर्ज-

190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों

को कर्ज-

04- प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन को

व्यापार कर आस्थागन की सुविधा प्राप्त रुग्ण

औद्योगिक इकाइयों को आस्थागन के स्थान पर

ब्याज रहित ऋण योजना के अन्तर्गत ऋण-

मूल

1,00.00

14.47

14.47

..

पुनर्वि०

-85.53

₹ 85.53 लाख का अभ्यर्पण कम मांग के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

वृत्तिका I अ; क 8&m | ksx foHkkx ( epz.k rFkk ys[ku I kexh )

ed; 'kh"z                      dgy vupku                      okLrfod 0; ;                      vf/kd 0; ; \$  
cpr&

( gtkj ₹ ee )

jktLo&

2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण

nRrer&

मूल	1,16,79,21	]	1,16,79,21	1,15,87,32	-91,89
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)                      91,57

i thxr&

4058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर  
पूजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	50,00	]	50,00	49,87	-13
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)                      13

fVli f.k; ka , oa VhdK; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 91.89 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 91.57 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

वृत्तगत व्यय का विवरण

विवरण	वृत्तगत व्यय	अनुमानित व्यय	अनुमानित व्यय	अनुमानित व्यय
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
( गत वर्ष के लिए )				
<b>व्यय</b>				
<b>व्यय</b>				
2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क,				
2049- ब्याज अदायगियां,				
2059- लोक निर्माण कार्य,				
2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति लाभ और				
2801- बिजली				
<b>व्यय</b>				
मूल	39,10,70,01			
पूरक	5,01,80,30			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)		44,12,50,31	44,11,85,72	-64,59
<b>व्यय</b>				
मूल	39,24,62			
पूरक	3,23,58			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)		42,48,20	41,28,90	-1,19,30
<b>व्यय</b>				
4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा				
6003- राज्य सरकार का आन्तरिक कर्ज				
<b>व्यय</b>				
मूल	41,49,00,02			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)		41,49,00,02	40,34,36,26	-1,14,63,76
<b>व्यय</b>				
मूल	7,85,56			
पूरक	41,62,69			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि		49,48,25	49,48,25	..
				..

fVli f. k; ka , oa VhdK; &  
jktLo&  
nRrer&

- (i) ₹ 44,11,85.72 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02,2002-03 तथा, 2008-09 उचन्त लेखे समाशोधन के ₹ 5.58 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 70.17 लाख की अन्तिम बचत ( ₹ 64.59 लाख + ₹ 5.58 लाख ) में से मात्र ₹ 70.10 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।
- (iii) अन्तिम बचत ₹ 70.17 लाख को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 5,01,80.30 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- (iv) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
		( yk[k ₹ ea)	

2801- बिजली-

05- संचरण एवं वितरण-

800- अन्य व्यय-

04- उ० प्र० पावर कारपोरेशन लि० को क्षतिपूर्ति अनुदान-

मूल	25,00,00.00	}	29,96,81.00	29,96,81.00	..
पूरक	5,00,00.00				
पुनर्वि०	-3,19.00				

प्रावधान में ₹ 3,19.00 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी, अपूर्ण प्रक्रिया के कारण धनराशि न स्वीकृति होने के कारण हुई।

(v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-

103- संग्रहण प्रभार-विद्युत शुल्क-

03- विद्युत सुरक्षा निदेशालय-

मूल	15,53.51	}	18,03.48	18,08.99	+5.51
पुनर्वि०	2,49.97				

वास्तविक व्यय मे वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2008-09 उचन्त लेखे समाशोधन के ₹ 5.58 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान मे ₹ 2,49.97 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 3.19.00 लाख की वृद्धि ए० सी० पी० के भुगतान एवं खाली पदों पर नियुक्ति के कारण हुई। ₹ 69.03 लाख का अभ्यर्पण ए० सी० पी० का लाभ प्राप्त न होने, आर्थिक मितव्ययिता, स्थानान्तरण न होने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के प्राप्त न होने के कारण हुआ।

## i Hkkfjr&amp;

(vi) ₹ 1,19.30 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुवे, अगस्त 2011 में प्राप्त ₹ 3,23.58 लाख का अनुपूरक विनियोग अधिक सिद्ध हुआ।

(vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"KZ	dy fofu; ks	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

( yk[k ₹ e)

2049- ब्याज अदायगियां-

01- आन्तरिक ऋण पर ब्याज-

200- अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज-

03- राजीव गान्धी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत ग्रामीण

विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज-

मूल	38,51.00	}	40,55.28	40,55.28	..
पूरक	3,23.58				
पुनर्वि०	-1,19.30				

₹ 1,19.30 लाख का अभ्यर्पण आर० ई० सी० नई दिल्ली द्वारा सम्पूर्ण धनराशि विद्युत वितरण निगम को जारी न किए जाने के कारण हुआ।

## i Hkkfjr&amp;

## nRrer&amp;

(viii) ₹ 1,14,63.76 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,14,63.74 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।

(ix) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः

निम्न के अधीन हुई:-

' kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

( yk[k ₹ e)

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

02- ताप विद्युतशक्ति उत्पादन-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-

08- उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम को 2x250

मेगावाट हरदुआगंज तापीय विस्तार योजना हेतु अंशपूंजी-

मूल	1,49,50.00	}	37,75.00	74,75.00	+37,00.00
पुनर्वि०	-1,11,75.00				

प्रावधान में ₹ 1,11,75.00 लाख की कमी आवश्यकता न होने के कारण हुई।



वृत्तिका 1 अ; क 10 & दफ्तर रफक वल; 1 ए) फोहक  
( वकसि कफुद , ओजस के फोहक )

ए; 'क'क	द्व वृत्तिका	कलरफद 0; ;	वफ/कद 0; ; \$
	; क		cpr &
	फोफु; कस		
		॥ गतक ₹ ए ॥	

**जकलो&**

2401- फसल कृषि-कर्म,  
2406- वानिकी तथा वन्य जीवन,  
2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा तथा  
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

**नरर&**

मूल	1,47,34,19	1,52,77,19	1,41,02,14	-11,75,05
पूरक	5,43,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				
..				

**िहकफ्र&**

मूल	97,04	1,04,54	1,03,37	-1,17
पूरक	7,50			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				
..				

**िथ्र&**

4401- फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत  
परिव्यय

**नरर&**

मूल	2,13,50	2,13,50	2,13,49	-1
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				
..				

वलि फ. क; का , ओ व्हक; &

**जकलो&**

**नरर&**

- (i) ₹ 1,41,02.14 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2008-09 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 0.50 लाख की धनराशि सम्मिलित है। ₹ 11,75.55 लाख (₹ 11,75.05 लाख + ₹ 0.50 लाख) की अन्तिम बचत में से कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।

(ii) ₹ 11,75.55 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 5,43.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
		½ yk[k ₹ ea ½	
2401- फसल कृषि-कर्म -			
111- कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	76.44	47.92	-28.52
119- बागवानी तथा वनस्पति फसलें-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	20,00.00	10,81.03	-9,18.97

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।



वृत्तिका I अ; क 11&df"क rFkk vU; I Ec) foHkkx ( df"क ½

eq[; 'kh"कZ	dqy vuqнку ;k fofu;ksx	okLrfod O;; ;k fofu;ksx	vf/kd O;; \$ cpr &	
¼ gtkj ₹ esa ½				
jktLo&				
2013- मंत्रि परिषद्,				
2401- फसल कृषि-कर्म,				
2402- मृदा तथा जल संरक्षण,				
2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा तथा				
2435- अन्य कृषि कार्यक्रम				
nRrer&				
मूल	24,86,58,10	27,87,08,55	20,20,72,02	-7,66,36,53
पूरक	3,00,50,45			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )				7,59,92,75
i Hkkfjr&				
मूल	15,20	15,20	9,02	-6,18
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )				5,14
i wthxr&				
4401- फसल कृषि-कर्म पर				
पूंजीगत परिव्यय तथा				
4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा				
पर पूंजीगत परिव्यय				
nRrer&				
मूल	6,87,71,61	7,49,81,45	6,48,95,25	-1,00,86,20
पूरक	62,09,84			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )				1,03,94,36

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 7,66,36.53 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 7,59,92.75 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) ₹ 7,66,36.53 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 3,00,50.45 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				¼ yk[k ₹ ea ½
2401- फसल कृषि-कर्म-				
102- खाद्यान्न फसलें-				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-				
मूल	1,18,31.20	79,93.45	79,31.63	-61.82
पुनर्वि०	-38,37.75			
₹ 38,37.75 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः कृषि निवेशों की उपलब्धता न होने, भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति न प्राप्त होने से पदों के रिक्त होने तथा केन्द्रांश कम प्राप्त होने के कारण हुआ।				
103- बीज-				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-				
मूल	16,43.19	7,65.40	7,65.76	+0.36
पुनर्वि०	-8,77.79			
₹ 8,77.79 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः केन्द्रांश कम प्राप्त होने तथा कृषि निवेशों की उपलब्धता न होने के कारण हुआ।				
04- प्रमाणित बीजों के लिए अनुदान-				
मूल	66,00.84	31,59.51	31,26.77	-32.74
पुनर्वि०	-34,41.33			
₹ 34,41.33 लाख का अभ्यर्पण आवश्यक बीजों की उपलब्धता न होने तथा संकर बीजों के लिए अलग अनुदान के कारण हुआ।				
05- संकर बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने की योजना-				
मूल	30,00.00	2,09.04	1,97.86	-11.18
पुनर्वि०	-27,90.96			
₹ 27,90.96 लाख का अभ्यर्पण योजना का अनुमोदन न होने तथा योजना लक्ष्य में वृद्धि न होने के कारण हुआ।				
105- खाद तथा उर्वरक-				
03- उर्वरक एवं कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशालायें-				
मूल	1,33.74	1,11.78	1,19.84	+8.06
पुनर्वि०	-21.96			
₹ 21.96 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।				

05- प्रदेश के कृषकों को अनुदानित				
दर पर जिंक सल्फेट का वितरण-				
मूल	22,76.77	11,58.25	11,53.22	-5.03
पुनर्वि०	-11,18.52			
₹ 11,18.52 लाख का अभ्यर्पण मैक्रो प्रबन्धन के लक्ष्य में वृद्धि न होने तथा एन० एस० एफ० एम० योजना के कारण हुआ।				
107- वनस्पति संरक्षण -				
03- पौध संरक्षण सेवा तथा				
कृषि रक्षा सेवा-				
मूल	63,18.53	62,05.90	61,65.41	-40.49
पुनर्वि०	-1,12.63			
₹ 1,12.63 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।				
04- विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों				
द्वारा कीट/रोग नियन्त्रण-				
मूल	42,90.00	25,60.27	25,45.90	-14.37
पुनर्वि०	-17,29.73			
₹ 17,29.73 लाख का अभ्यर्पण योजना लक्ष्य में कम होने के कारण हुआ।				
108- वाणिज्यिक फसलें-				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र				
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-				
मूल	1,04.77	81.75	80.96	-0.79
पुनर्वि०	-23.02			
₹ 23.02 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने तथा किसानों द्वारा योजना में रुचि न लेने के कारण हुआ।				
109- विस्तार तथा किसानों				
को प्रशिक्षण-				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र				
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-				
मूल	9,10.00	6,83.51	6,83.51	..
पुनर्वि०	-2,26.49			
₹ 2,26.49 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।				

## 110- फसल बीमा –

## 01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–

मूल	5,82.16
पुनर्वि०	-4,01.48

1,80.68

1,80.67

-0.01

₹ 4,01.48 लाख का अभ्यर्पण योजना का अनुमोदन देरी से प्राप्त होने के कारण हुआ।

## 04- फसल बीमा हेतु :

कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड

को प्रीमियम का भुगतान–

मूल	50,12.83
पुनर्वि०	-31,02.51

19,10.32

19,10.31

-0.01

₹ 31,02.51 लाख का अभ्यर्पण मांग कम होने तथा क्षतिपूर्ति के लिए कम दावा प्राप्त होने के कारण हुआ।

## 111- कृषि अर्थव्यवस्था तथा सांख्यिकी–

## 01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–

मूल	8,41.54
पुनर्वि०	-2,66.30

5,75.24

5,25.47

-49.77

₹ 2,66.30 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः मितव्ययिता तथा पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।

## 04- कृषि विभाग में कृषि सांख्यिकी

तथा प्रबन्ध व्यवस्था के सम्बन्ध

में कम्प्यूटराइजेशन का अध्ययन

एवं डिजाइन तैयार करना–

मूल	7,59.19
पुनर्वि०	-7,47.10

12.09

12.13

+0.04

₹ 7,47.10 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने तथा वित्त व्यय समिति से योजना की स्वीकृति न होने के कारण हुआ।

## 05- फसलों की उत्पादकता तथा

उत्पादन के आंकड़ों का

डाटा बैंक–

मूल	5,18.06
पुनर्वि०	-2,89.97

2,28.09

1,95.91

-32.18

₹ 2,89.97 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने तथा संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण हुआ।

## 112- दालों का विकास—

## 03- रबी दलहन उत्पादन

## कार्यक्रम—

मूल	56,52.55	}			
पुनर्वि०	-56,52.55			..	..

₹ 56,52.55 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 45,26.54 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः योजना विभाग से स्वीकृति प्राप्त न होने तथा प्रावधान में ₹ 11,26.01 लाख की कमी मांग न होने तथा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण की गयी।

## 04- दलहन/तिलहन उत्पादन के

## प्रोत्साहन हेतु अन्तः फसली

## खेती की योजना—

मूल	50,00.00	}			
पुनर्वि०	-50,00.00			..	..

₹ 50,00.00 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः योजना की प्राशासनिक स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

## 113- कृषि इंजीनियरी—

## 01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

## द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	18.60	}			
पुनर्वि०	-17.04			1.56	1.99

₹ 17.04 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा योजना का अनुमोदन न होने के कारण हुआ।

## 800- अन्य व्यय—

## 01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

## द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	1,18.44	}			
पुनर्वि०	-1,18.44			..	0.75

₹ 1,18.44 लाख का अभ्यर्पण भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत न होने के कारण हुआ।

## 03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—

मूल	4,79,00.03	}				
पूरक	2,52,00.00			4,68,77.36	4,81,73.69	+12,96.33
पुनर्वि०	-2,62,22.67					

₹ 2,62.22.67 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने तथा चुनाव आचार संहिता के लागू होने से स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

2402- मृदा तथा जल संरक्षण –

102- मृदा-संरक्षण –

03- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में वर्षा  
जल संचयन एवं सिंचाई  
की योजना–

मूल	61,73.66	] 7,58.39	7,43.39	-15.00
पुनर्वि०	-54,15.27			

₹ 54,15.27 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने तथा चुनाव आचार संहिता के लागू होने से टेन्डर की स्वीकृति न होने के कारण हुआ।

05- मृदा स्वास्थ्य का सदृढीकरण –

मूल	67,44.00	] 10,74.83	10,47.66	-27.17
पुनर्वि०	-56,69.17			

₹ 56,69.17 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति की स्वीकृति देरी से प्राप्त होने तथा कम समय होने पर संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति न होने के कारण हुआ।

11- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना–

मूल	1,20,00.00	] 1,08,60.30	93,73.02	-14,87.28
पुनर्वि०	-11,39.70			

₹ 11,39.70 लाख का अभ्यर्पण चुनाव आचार संहिता के कारण वित्तीय स्वीकृति निर्गत न होने के कारण हुआ।

12- मृदा सुधार योजना–

मूल	8,00.00	] 6,96.35	6,95.29	-1.06
पुनर्वि०	-1,03.65			

₹ 1,03.65 लाख का अभ्यर्पण सल्फर आवंटन के लिए स्वीकृति प्राप्त न होने तथा योजना की स्वीकृति देरी से होने के कारण हुआ।

103- भूमि सुधार तथा विकास–

06- मृदा में सूक्ष्म तत्व की कमी को  
दूर करने एवं भूमि सुधार  
हेतु जिप्सम का वितरण–

मूल	17,48.00	] 5,30.91	5,30.90	-0.01
पुनर्वि०	-12,17.09			

₹ 12,17.09 लाख का अभ्यर्पण मैक्रो प्रबन्धन के लक्ष्य में वृद्धि न होने तथा एन० एस० एफ० एम० योजना के कारण हुआ।

½ yk[k ₹ ea ½

## 97- बाह्य सहायतित योजनायें-

मूल	1,76,62.57	]	1,25,02.57	1,25,02.57	..
पुनर्वि०	-51,60.00				

₹ 51,60.00 लाख का अभ्यर्पण जिप्सम उपलब्ध न होने के कारण हुआ।

## 2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा-

## 01- फसल कृषि कर्म-

## 004- अनुसंधान-

## 03- उर्वरक नियंत्रण आदेश, बीज एवं कीट नाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिए गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला-

मूल	43.44	]	32.39	32.37	-0.02
पुनर्वि०	-11.05				

₹ 11.05 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

## 277- शिक्षा-

## 03- राजकीय कृषि विद्यालय-

मूल	4,27.70	]	3,14.52	3,14.50	-0.02
पुनर्वि०	-1,13.18				

₹ 1,13.18 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।

## 80- सामान्य-

## 120- अन्य संस्थाओं को सहायता-

## 10- कृषि विश्वविद्यालय में प्रसार योजना का सदृढीकरण -

मूल	45.93	]	31.53	31.53	..
पुनर्वि०	-14.40				

₹ 14.40 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

## 23- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों में शोध कार्यक्रम-

मूल	3,00.00	]	..	..	..
पुनर्वि०	-3,00.00				

₹ 3,00.00 लाख का अभ्यर्पण समुचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

24- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालयों  
में कृषि प्रसार योजना—

मूल	2,00.00	}			
पुनर्वि०	-2,00.00			..	..

₹ 2,00.00 लाख का अभ्यर्पण समुचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

25- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के  
सहयोग से संचालित योजनाएं—

मूल	8,00.00	}			
पुनर्वि०	-6,21.00			1,79.00	1,79.00

₹ 6,21.00 लाख का अभ्यर्पण समुचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

26- उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद में  
कृषि शोध सुविधाओं का सुदृढीकरण—

मूल	1,70.69	}			
पुनर्वि०	-1,70.69			..	..

₹ 1,70.69 लाख का अभ्यर्पण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

27- कृषि विश्वविद्यालय, बांदा  
की स्थापना—

मूल	10,25.81	}			
पुनर्वि०	-7,30.81			2,95.00	2,95.00

₹ 7,30.81 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 2,50.00 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः प्रस्ताव देरी से प्राप्त होने के कारण हुआ जबकि प्रावधान में ₹ 4,80.81 लाख की कमी मांग न होने के कारण की गई।

2435- अन्य कृषि कार्यक्रम—

01- विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण—

101- विपणन सुविधाएं—

04- बाजार विनियमन एवं

प्रशिक्षण केन्द्र	1,53.69	1,26.72	-26.97
-------------------	---------	---------	--------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।



(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kl	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				% yk[k ₹ ea %
2401- फसल कृषि-कर्म-				
001- निदेशन तथा प्रशासन-				
03- कृषि निदेशालय का सामान्य अधिष्ठान-				
मूल	24,39.24	25,86.50	25,78.98	-7.52
पुनर्वि०	1,47.26			
प्रावधान में ₹ 1,47.26 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 52.74 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः वास्तविक मांग कम होने तथा प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि वेतन का भुगतान, मंहगाई भत्ता तथा ए० सी० पी० स्वीकृति के कारण अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुई।				
05- जिला संगठन-				
मूल	48,55.68	51,39.95	51,12.23	-27.72
पुनर्वि०	2,84.27			
प्रावधान में ₹ 2,84.27 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 3,60.00 लाख की वृद्धि वेतन का भुगतान, मंहगाई भत्ता तथा ए० सी० पी० स्वीकृति के कारण अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुई। ₹ 75.73 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।				
103- बीज-				
03- प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र -				
मूल	23,02.49	23,62.40	23,55.51	-6.89
पुनर्वि०	59.91			
प्रावधान में ₹ 59.91 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 94.84 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः वास्तविक मांग कम होने तथा प्रावधान में ₹ 1,54.75 लाख की वृद्धि बजट कम होने तथा ए० सी० पी० के कारण हुई।				
109- विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण-				
03- कृषि प्रसार प्रायोजना तथा प्रदर्शनीयां (किसान सहायक, सहायक विकास अधिकारी तथा कृषि निरीक्षक अनुदान सं० 14 में स्थानांतरित )-				
मूल	1,67,91.10	1,69,48.14	1,69,13.53	-34.61
पुनर्वि०	1,57.04			
प्रावधान में ₹ 1,57.04 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 82.15 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने, प्रावधान में ₹ 2,93.43 लाख की वृद्धि बजट कम होने तथा ए० सी० पी० के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 54.24 लाख की कमी मांग न होने तथा स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।				

04- रहमान खेड़ा राज्य कृषि प्रबन्ध संस्थान—					
मूल	3,10.65	}	3,17.40	3,17.40	..
पुनर्वि०	6.75				
प्रावधान में ₹ 6.75 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 0.75 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने, प्रावधान में ₹ 7.50 लाख की वृद्धि बजट कम होने तथा ए० सी० पी० के कारण हुई।					
2402- मृदा तथा जल संरक्षण—					
101- मृदा—संरक्षण तथा परीक्षण—					
03- मृदा, सर्वेक्षण व परीक्षण—					
कार्यक्रम —					
मूल	1,49,50.02	}	1,52,63.52	1,52,66.24	+2.72
पुनर्वि०	3,13.50				
प्रावधान में ₹ 3,13.50 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 5.82 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने, प्रावधान में ₹ 3,19.32 लाख की वृद्धि बजट कम होने तथा ए० सी० पी० के कारण हुई।					
05- जैव उर्वरक उत्पादन प्रयोगशालाओं का सदृढीकरण/जैव उर्वरकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम—					
मूल	5,75.00	}	1,80.00	1,81.51	+1.51
पुनर्वि०	-3,95.00				
₹ 3,95.00 लाख का अभ्यर्पण चुनाव आचार संहिता के कारण टेन्डर स्वीकृत न होने के कारण हुआ।					
2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा—					
80- सामान्य—					
120- अन्य संस्थाओं को सहायता—					
04- उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर को अनुदान—					
मूल	20,64.97	}	38,87.28	39,06.03	+18.75
पूरक	18,22.31				
09- इलाहाबाद एग्रीकल्चरल इन्स्टीट्यूट को अनुदान—					
मूल	5,05.90	}	12,78.71	12,78.71	..
पूरक	5,32.00				
पुनर्वि०	2,40.81				
प्रावधान में ₹ 2,40.81 लाख की वृद्धि बजट कम होने के कारण हुई।					

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$  
cpr &

½ yk[k ₹ ea ½

12- कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,  
मोदीपुरम मेरठ की स्थापना—

मूल	7,05.97	]	14,36.13	14,17.38	-18.75
पूरक	4,90.16				
पुनर्वि०	2,40.00				

प्रावधान में ₹ 2,40.00 लाख की वृद्धि बजट कम होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i Hkkfjr&amp;

(v) ₹ 6.18 लाख की अन्तिम बचत में से , मात्र ₹ 5.14 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl

dy fofu; ks

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$  
cpr &

½ yk[k ₹ ea ½

2401- फसल कृषि—कर्म—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- कृषि निदेशालय का सामान्य  
अधिष्ठान—

मूल	15.00	]	10.06	9.02	-1.04
पुनर्वि०	-4.94				

₹ 4.94 लाख का अभ्यर्पण मांग कम होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

i wthxr&amp;

nRrer&amp;

(vii) ₹ 1,00,86.20 लाख की अन्तिम बचत में से, ₹ 1,03,94.36 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय में त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(viii) ₹ 1,00,86.20 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 62,09.84 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ix) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"KZ	dyj vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				¼ yk[k ₹ ea ½
4401- फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-				
103- बीज-				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-				
मूल	10,25.00			
पुनर्वि०	-10,25.00	..	..	..
₹ 10,25.00 लाख का अभ्यर्पण आगणन की स्वीकृति न होने के कारण हुआ।				
105- खाद तथा उर्वरक-				
04- आधारिक बीज भंडार-				
मूल	2,43.25			
पुनर्वि०	-2,43.25	..	..	..
₹ 2,43.25 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।				
107- वनस्पति संरक्षण-				
03- कीटनाशक औषधियों की खरीद की लागत जिसमें प्रासंगिक व्यय सम्मिलित है-				
मूल	40,00.00	21,31.46	21,40.45	+8.99
पुनर्वि०	-18,68.54			
₹ 18,68.54 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग कम होने के कारण हुआ।				
04- विभिन्न परिस्थितिकी संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण-				
मूल	5,00.00	9.08	9.08	..
पुनर्वि०	-4,90.92			
₹ 4,90.92 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः कार्ययोजना की स्वीकृति न होने के कारण हुआ।				
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-				
03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-				
मूल	10,00.00	1,05.66	4,52.17	+3,46.51
पुनर्वि०	-8,94.34			
₹ 8,94.34 लाख का अभ्यर्पण योजना की स्वीकृति न होने के कारण हुआ।				

800- अन्य व्यय—

03- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना—

मूल	16,00.00	}	35,24.37	35,24.37	..
पूरक	24,00.00				
पुनर्वि०	-4,75.63				

₹ 4,75.63 लाख का अभ्यर्पण योजना की स्वीकृति न होने के कारण हुआ।

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर

पूँजीगत परिव्यय —

80- सामान्य—

277- शिक्षा—

16- कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद  
में वी० आई० पी० गेस्ट हाउस  
का निर्माण—

मूल	2,18.96	}	..	..	..
पुनर्वि०	-2,18.96				

₹ 2,18.96 लाख का अभ्यर्पण प्रस्ताव का औपचारिकता पूर्ण पालन न होने के कारण हुआ।

24- कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद

में कृषि प्रयोगशाला केन्द्र  
निदेशालय सुदृढीकरण—

मूल	3,00.00	}	2,18.23	2,18.23	..
पुनर्वि०	-81.77				

₹ 81.77 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

27- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,

मोदीपुरम् मेरठ—

मूल	56,92.92	}	50,33.15	50,15.14	-18.01
पुनर्वि०	-6,59.77				

₹ 6,59.77 लाख का अभ्यर्पण कार्य पूर्ण न होने के कारण धनराशि का आहरण न होने तथा कार्य का तकनीकी परीक्षण न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

28- कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय,

फैजाबाद—

मूल	38,66.23	}	10,04.75	10,04.75	..
पुनर्वि०	-28,61.48				

₹ 28,61.48 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

½ yk[k ₹ ea ½

29- कृषि विश्वविद्यालय, बांदा-

मूल	96,73.77
पुनर्वि०	-21,86.76

74,87.01

74,87.01

..

प्रावधान में ₹ 21,86.76 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 11,86.76 लाख का अभ्यर्पण कार्य पूर्ण होने के कारण धनराशि का आहरण न होने, कार्य का तकनीकी परीक्षण न होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 10,00.00 लाख की कमी मांग न होने के कारण हुई।

(x) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर

पूँजीगत परिव्यय -

80- सामान्य-

277- शिक्षा-

11- कृषि विश्वविद्यालय बांदा की

स्थापना-

मूल	17,43.16
पुनर्वि०	6,66.46

24,09.62

24,09.62

..

प्रावधान में ₹ 6,66.46 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 3,33.54 लाख का अभ्यर्पण कार्य पूर्ण न होने के कारण धनराशि का आहरण न होने, कार्य का तकनीकी परीक्षण न होने के कारण हुआ तथा प्रावधान में ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि मांग न होने के कारण हुई।

वृत्तिका 12 (क) के अंतर्गत रकम का विवरण (ए) फॉलो करें  
 आर्थिक वर्ष 2012-13 के लिए

एक; 'क' के अंतर्गत वृत्तिका के अंतर्गत; ; ; \$  
 प्र. &  
 ₹ के अंतर्गत

**ज.क.ल.**

2501- ग्राम विकास के लिए विशेष  
 कार्यक्रम,

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम तथा

2705- कमान क्षेत्र विकास

न.क.ल.

मूल 4,47,96,91

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )

4,47,96,91

2,13,50,24

-2,34,46,67

1,90,99,50

विवरण; का, आ.क.ल. &

ज.क.ल.

न.क.ल.

- (i) ₹ 2,34,46.67 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध, ₹ 1,90,99.50 लाख की धनराशि ही अभ्यर्पित की गयी।  
 (ii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिव्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'क' के अंतर्गत वृत्तिका के अंतर्गत; ; ; \$  
 प्र. &  
 ₹ के अंतर्गत

2501- ग्राम विकास के लिए विशेष  
 कार्यक्रम-

05- बंजर भूमि विकास-

101- राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास  
 कार्यक्रम-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र  
 द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

35,00.01

12,02.92

-22,97.09

2705- कमान क्षेत्र विकास -

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र  
 द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 4,12,18.02

पूरक

पुनर्वि 0 -1,90,96.18

2,21,21.84

1,99,98.26

-21,23.58

₹ 1,90,96.18 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

' kh" kZ	dgY vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ ea ½	cpr &
2501- ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम-			
02- सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम-			
800- अन्य व्यय-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	0.01	76.52	+76.51

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।



वृत्तवर्ष 2011-12 के अंतर्गत राजस्व (अनुसूची 1) के विवरण (अनुसूची 1)

विवरण	2011-12	2010-11	2009-10	2008-09
<b>ग्राम विकास</b>				
2013- मंत्रि परिषद्,				
2215- जल पूर्ति तथा सफाई,				
2230- श्रम तथा रोजगार ,				
2501- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम,				
2505- ग्राम रोजगार,				
2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,				
2702- लघु सिंचाई तथा				
3054- सड़क तथा सेतु				
<b>मूल</b>	19,18,56,32	21,97,87,61	20,63,56,29	-1,34,31,32
<b>पूरक</b>	2,79,31,29			24,25,59
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )				
<b>ग्राम विकास</b>				
मूल	13,00	13,00	14,12	+1,12
पूरक	..			..
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				
<b>ग्राम विकास</b>				
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर				
पूंजीगत परिव्यय,				
4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय तथा				
5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय				
<b>मूल</b>	13,13,99,01	14,63,99,01	12,72,15,67	-1,91,83,34
<b>पूरक</b>	1,50,00,00			..
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				

- (i) ₹ 20,63,56.29 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के उच्चतम लेखे के समाशोधन के ₹ 5,25.12 लाख की धनराशि सम्मिलित है। ₹ 1,39,56.44 लाख (₹ 1,34,31.32 लाख + ₹ 5,25.12 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 24,25.59 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।

- (ii) ₹ 1,39,56.44 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 2,79,31.29 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	½ yk[k ₹ e½		
			cpr &
2215- जल पूर्ति तथा सफाई-			
01- जलपूर्ति-			
102- ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
मूल	4,72,25.00		
पूरक	1,70,00.00	6,17,99.41	6,17,99.41
पुनर्वि०	-24,25.59		..
₹ 24,25.59 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
2230- श्रम तथा रोजगार -			
01- श्रम -			
103- सामान्य श्रम कल्याण-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
मूल	1,31,00.00		
पुनर्वि०	-57,22.31	73,77.69	32,75.00
			-41,02.69
प्रावधान में ₹ 57,22.31 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
2501- ग्राम्य विकास के लिये विशेष कार्यक्रम-			
01- समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम-			
800- अन्य व्यय-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
मूल	96,03.22		
पूरक	10,00.00	1,06,03.22	76,51.49
			-29,51.73
2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-			
102- सामुदायिक विकास-			
08- अम्बेडकर रोजगार योजना	16,00.00	7,64.18	-8,35.82
800- अन्य व्यय-			
04- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना	2,71.12	2,10.56	-60.56

' kh" kZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ e ½	
05- महामाया सर्वजन आवास योजना	1,00,00.00	81,06.56	-18,93.44
2702- लघु सिंचाई-			
02- भू-जल-			
005- अन्वेषण-			
03- भू-गर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढीकरण-			
मूल	36,18.14		
पुनर्वि०	4,00.00		
	40,18.14	38,91.50	-1,26.64
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2009-10 तथा 2010-11 के उच्चत लेखे के समाशोधन की ₹ 10.63 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।			
प्रावधान में ₹ 4,00.00 लाख की वृद्धि कर्मचारियों को ए० सी० पी० की स्वीकृति तथा 381 कार्य प्रभारित मजदूरों का नियमितीकरण किये जाने के कारण हुई ।			
04- भूजल स्रोतों का मानचित्रीकरण एवं गहरे भूजल स्रोतों पर पैरामीटर टेस्ट	89.65	49.08	-40.57
80- सामान्य-			
800- अन्य व्यय-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	1,89.54	37.30	-1,52.24
3054- सड़क तथा सेतु-			
04- जिला तथा अन्य सड़कें-			
105- रख-रखाव तथा मरम्मत-			
03- उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण	40,00.00	30,00.00	-10,00.00
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।			
(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-			
2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-			
003- प्रशिक्षण-			
03- कर्मचारियों का प्रशिक्षण ( क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास )-			
मूल	24,80.55		
पुनर्वि०	2,03.49		
	26,84.04	26,19.13	-64.91
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, तथा 2006-07 के उच्चत लेखे के समाशोधन की ₹ 1.49 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।			
प्रावधान में ₹ 2,03.49 लाख की वृद्धि कर्मचारियों को ए० सी० पी० की स्वीकृति, मेंहगाई भत्ता की दर में वृद्धि तथा चिकित्सा मद के अन्तर्गत अधिक भुगतान के कारण हुई ।			

' kh" kZ

dly vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &amp;

½ yk[k ₹ e½

## 102- सामुदायिक विकास-

## 03- मुख्य अधिष्ठान-

मूल	4,04,11.17	}	4,22,23.85	4,23,49.41	+1,25.56
पुनर्वि०	18,12.68				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में उचन्त लेखे के समाशोधन की ₹ 1,23.68 लाख की धनराशि सम्मिलित है । प्रावधान में ₹ 18,12.68 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 18,13.50 लाख की वृद्धि बजट कम होने तथा वेतन आयोग के अवशेष बिल का भुगतान होने के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 1.82 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

## 04- दीन दयाल उपाध्याय, ग्राम

विकास प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान

बक्शी का तालाब लखनऊ-

मूल	3,98.95	}	4,93.21	4,81.83	-11.38
पुनर्वि०	94.26				

प्रावधान में ₹ 94.26 लाख की वृद्धि वित्तीय वर्ष के दौरान मॅहगाई भत्ता में वृद्धि होने तथा कर्मचारियों को ए० सी० पी० की स्वीकृति के कारण हुई।

## 06- संग्रहीत जिला कार्यालय-

मूल	74,33.24	}	80,77.83	80,10.15	-67.68
पुनर्वि०	6,44.59				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04 तथा 2010-11 के उचन्त लेखे के समाशोधन की ₹ 8.66 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।

प्रावधान में ₹ 6,44.59 लाख की वृद्धि बजट कम होने, छटे वेतन आयोग के अवशेष का भुगतान तथा वैट में वृद्धि होने के कारण हुई।

## 800- अन्य व्यय-

## 01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	0.01	}	25,66.29	25,63.28	-3.01
पुनर्वि०	25,66.28				

वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 के उचन्त लेखे के समाशोधन की ₹ 1.19 लाख की धनराशि सम्मिलित है। प्रावधान में ₹ 25,66.28 लाख की वृद्धि भारत सरकार द्वारा वित्तीय सर्वेक्षण का कार्य 31-12-2011 तक पूरा किये जाने हेतु निर्गमित निर्देशों के पालन के कारण हुई।



i Hkkfjr&

(vii) व्यय प्रभारित विनियोग से ₹ 1,12,281 अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।

i wthxr&

nRrer&

- (viii) ₹ 1,91,83.34 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ix) ₹ 1,91,83.34 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 1,50,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (x) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹ e½
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-			
102- सामुदायिक विकास-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
मूल 5,00,00.00	6,50,00.00	4,71,11.00	-1,78,89.00
पूरक 1,50,00.00			
4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-			
102- भू-जल-			
03- रिग मशीन एवं सहायक उपकरणों का क्रय	1,00.00	88.71	-11.29
04- रेन वाटर हार्वेस्टिंग/रिचार्जिंग	85.00	65.30	-19.70
800- अन्य व्यय-			
03- सामुदायिक ब्लास्ट वेल का निर्माण ( नाबार्ड पोषित )	1,10,00.00	56,63.66	-53,36.34
05- लघु सिंचाई के अन्तर्गत ग्राउन्ड वाटर चार्जिंग चेक डेमों का निर्माण (जिला योजना)	20,94.50	15,67.15	-5,27.35
09- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन	50,00.00	15,63.75	-34,36.25

'kh"kl

dly vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &amp;

¼ yk[k ₹ e9½

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—

04- जिला तथा अन्य सड़कें—

337- सड़क निर्माण कार्य—

04- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के

अन्तर्गत सेन्टेज चार्ज—

मूल 20.00 ]

12.35

..

-12.35

पुनर्वि० -7.65 ]

प्रावधान में ₹ 7.65 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कार्य की मानक पात्रता बदलने के कारण राज्य सरकार द्वारा कार्य का प्रस्ताव बिना स्वीकृत वापस किए जाने के कारण हुई। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(xi) व्याधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—

799- उचन्त—

03- भण्डार उचन्त

..

72,69.64

+72,69.64

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन—देन किया जाना अनियमित है। टिप्पणी संख्या ( xii ) में उचन्त लेन—देन के व्यौरे को जोड़ा गया है।

04- विविध कार्य अग्रिम

..

8,62.50

+8,62.50

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन—देन किया जाना अनियमित है। टिप्पणी संख्या ( xii ) में उचन्त लेन—देन के व्यौरे को जोड़ा गया है।

800- अन्य व्यय—

04- लघु सिंचाई कार्यक्रम के

अन्तर्गत बोरिंग गोदामों का

निर्माण (जिला योजना)

48.00

89.93

+41.93

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—

04- जिला तथा अन्य सड़कें—

337- सड़क निर्माण कार्य—

03- प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के

अन्तर्गत सड़कों का निर्माण—

मूल 0.01 ]

7.66

7.65

-0.01

पुनर्वि० 7.65 ]

प्रावधान में ₹ 7.65 लाख की वृद्धि क्षतिपूर्ति के भुगतान होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(xii) *mpllr yu&nu %*

अनुदान के व्यय में उचन्त के अधीन दर्ज किये गये ₹ 81.32 करोड़ सम्मिलित हैं। उचन्त लेन-देन का स्वरूप और उनकी लेखा प्रणाली की व्याख्या अनुदान संख्या 94-सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अधीन दी गई है।

2011-2012 के दौरान किये गये लेन-देन का विश्लेषण तथा आदि और अन्त शेषों का ब्योरा नीचे दिया गया है :-

mpllr 'kh"kl \*\*4702&y?kq fl pkbz ij i rthxr ifj0; ; \*\* ds vlr xr o"kl 2011-2012 ds nkjku fd; s x; s yu&nu dk foj . k %

' kh"kl	1 vi dy 2011 dks vkfn 'k\$ ( ukes + tek & )	ukes	tek	fuoy	31 ekpl 2012 dk vlr 'k\$ ( ukes + tek & )
<i>¼ yk[k ₹ ea ½</i>					
उचन्त स्टाक	+9,26.51 *	72,69.64	69,05.22	+3,64.42	+12,90.93
विविध निर्माण कार्य पेशगियां	+14,50.75 *	8,62.50	8,17.01	+45.49	+14,96.24
<b>; ksx</b>	<b>+23,77.26 *</b>	<b>81,32.14</b>	<b>77,22.23</b>	<b>+4,09.91</b>	<b>+27,87.17</b>

\* पूर्व वर्ष के आंकड़ों में संशोधन के पश्चात प्रोफार्मा परिवर्तन किया गया।



वृत्तवार्षिक 14 वें वित्त वर्ष के लिए ( 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ) का

विवरण

वृत्तवार्षिक व्यय ;

वृत्तवार्षिक ; \$  
प्रति &

1/4 गति ₹ सा 1/2

वृत्तवार्षिक

2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ,					
2204- खेल-कूद तथा युवा सेवाएँ,					
2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम तथा					
2575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम					
नवीकरण					
मूल	23,90,20,37	}	27,32,44,34	25,20,81,58	-2,11,62,76
पूरक	3,42,23,97				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )					27,03,79

वृत्तवार्षिक

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर					
पूँजीगत परिव्यय,					
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों					
पर पूँजीगत परिव्यय तथा					
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर					
पूँजीगत परिव्यय					
नवीकरण					
मूल	5,82,18,95	}	5,93,42,08	5,69,29,00	-24,13,08
पूरक	11,23,13				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )					18,00

वृत्तवार्षिक ; का , वा वित्त वर्ष ;

वृत्तवार्षिक

नवीकरण

- ₹ 25,20,81.58 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के उच्चतम लेखों के समाशोधन के ₹ 4,98.34 लाख की धनराशि सम्मिलित है। ₹ 2,16,61.10 लाख (₹ 2,11,62.76 लाख + ₹ 4,98.34 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 27,03.79 लाख का अभ्यर्पण किया गया।
- ₹ 2,16,61.10 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 3,42,23.97 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन

हुई :-

'kh"KZ

dy vupku okLrfod 0 ; ;

vf/kd 0 ; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ e½

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	52,00.00			
पूरक	20,00.00	41,44.29	41,38.44	-5.85
पुनर्वि०	-30,55.71			

₹ 30,55.71 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 25,51.71 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा प्रावधान में ₹ 5,04.00 लाख की कमी पी० आर० डी० जवानों के ड्यूटी भत्ता के लिए बजट प्रावधान अपर्याप्त होने के कारण अपरिहार्य परिस्थितियों में केद्रांश के अन्तर्गत उपलब्ध निधि से पुनर्विनियोग कर की गई।

04- प्रान्तीय रक्षक दल—

मूल	95.00			
पुनर्वि०	-58.90	36.10	35.66	-0.44

वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11के उचन्त लेखे के समाशोधन की ₹ 0.09 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 58.90 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2204- खेल-कूद तथा युवा सेवायें—

104- खेलकूद—

03- ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता

का आयोजन

(जिला योजना)—

मूल	56.00			
पुनर्वि०	-28.00	28.00	31.09	+3.09

वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 के उचन्त लेखे के समाशोधन की ₹ 0.74 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 28.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

800- अन्य व्यय—

03- राष्ट्र निर्माण एवं सामाजिक

कार्यक्रमों में युवाओं का योगदान—

मूल	54.00			
पुनर्वि०	-27.93	26.07	25.85	-0.22

₹ 27.93 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।



(iv) व्याधिव्य निम्न के अधीन हुआ :-

	व्यय	अन्तिम	व्यय	अन्तिम
2204- खेल-कूद तथा युवा सेवायें -				
104- खेल-कूद -				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	3,00.00	3,06.18		+6.18
वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 के उच्च लेखे के समाशोधन की ₹ 6.18 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।				
2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-				
101- पंचायती राज -				
09- उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि० की लम्बित देनदारियों के लिए अनुदान-				
पुनर्वि०	14.64	14.64	14.63	-0.01
प्रावधान में ₹ 14.64 लाख की वृद्धि उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि० की लम्बित देनदारियों के कारण हुई ।				
800- अन्य व्यय-				
04- जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों का लेखा संगठन	6,66.24	7,29.52		+63.28
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2008-09 तथा 2010-11 के उच्च लेखे के समाशोधन की ₹ 1,15.13 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।				
06- जिला परिषद् अनुश्रवण कोष्ठक	46.79	80.54		+33.75
वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 के उच्च लेखे के समाशोधन की ₹ 2.80 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।				
10- ग्रामीण स्थानीय निकायों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतन आदि के लिए व्यवस्था	1,89,36.35	1,90,33.17		+96.82

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिव्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

निम्न

व्यय

(v) ₹ 24,13.08 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध, मात्र ₹ 18.00 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी ।

(vi) ₹ 24,13.08 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया

₹ 11,23.13 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(vii) बचत ( एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				% yk[k ₹ ea½
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय –				
800- अन्य व्यय–				
03- ग्रामीण स्टेडियमों का निर्माण–				
मूल	18.00			
पुनर्वि०	-18.00			
		..	..	..
₹ 18.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–				
198- ग्राम पंचायतों को सहायता–				
03- बहुउद्देशीय पंचायत भवनों का निर्माण (जिला योजना)	10,00.00		..	-10,00.00
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय–				
02- पिछड़े क्षेत्र–				
192- नगर पालिकाओं / नगर पालिका परिषदों को सहायता–				
03- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम	56,22.96	48,59.34		-7,63.62
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।				
(viii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-				
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–				
101- पंचायती राज –				
05- सी० सी० रोड एवं के० सी० ड्रेन निर्माण–				
पूरक	11,23.13	11,23.13	14,83.13	+3,60.00
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय–				
02- पिछड़े क्षेत्र–				
196- जिला परिषदों / जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता–				
03- पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि पोषित कार्यक्रम	91,52.15	93,47.20		+1,95.05

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।



(iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl	clgy vupnku	okLrfod 0 ; ;	vf/kd 0 ; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	
2403- पशु पालन-			
101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
मूल	30,03.62		
पुनर्वि०	-13.95		
		29,89.67	8,00.61
			-21,89.06
₹ 13.95 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 1,50.06 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। प्रावधान ₹ 1,36.11 लाख की वृद्धि भारत सरकार द्वारा धनराशि निर्गत किये जाने तथा भारत सरकार द्वारा निगमित निर्देशों के अनुपालन के कारण हुई।			
04- पशु चिकित्सालयों एवं पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढीकरण (जिला योजना)	1,25.00	59.00	-66.00
102- पशु तथा भैंस विकास-			
11- उन्नतशील सांडों का उत्पादन	20.00	9.25	-10.75
103- कुक्कुट विकास-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	5,60.00	4,37.00	-1,23.00
107- चारा और चारागाह विकास-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
मूल	5,50.00		
पुनर्वि०	-1,36.11		
		4,13.89	..
			-4,13.89
प्रावधान में ₹ 1,36.11 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कुल कमी में से, ₹ 1,31.11 लाख की कमी केन्द्रांश शेयर प्राप्त न होने तथा प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
113- प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	2,70.41	1,94.52	-75.89

'kh"kl dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$  
cpr &  
% yk[k ₹ ea %

## 800- अन्य व्यय—

06- पंडित दीन दयाल पशु चिकित्सा

विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ

अनुसंधान संस्थान, मथुरा—

मूल	16,49.07	}
पूरक	4,40.00	
पुनर्वि०	1,50.06	

22,39.13

17,49.19

-4,89.94

प्रावधान में ₹ 1,50.06 लाख की वृद्धि मथुरा विश्वविद्यालय के शिक्षकों को छटे वेतनमान की संस्तुतियों के फलस्वरूप दिनांक 01-01-06 से 31-12-10 तक आने वाले अतिरिक्त वित्तीय व्ययभार के 20 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

i wthxr&amp;

nRrer&amp;

(iv) ₹ 7,87.52 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(v) ₹ 7,87.52 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 5,47.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत ( एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

## 4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय—

101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा

पशु स्वास्थ्य—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	90.00	}
पूरक	5,47.00	

6,37.00

5,76.72

-60.28

07- पशु सेवा केन्द्र/ 'द' श्रेणी पशु

औषधालय (जिला योजना)—

मूल	50.00	}
पुनर्वि०	-19.92	

30.08

29.58

-0.50

प्रावधान में ₹ 19.92 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी आवश्यकता न होने के कारण हुई।

09- बादलपुर, गौतमबुद्ध नगर में

पशु चिकित्सा पांलीक्लीनिक

की स्थापना

5,56.00

3,65.18

-1,90.82

104- भेड़ तथा ऊन विकास—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

5.00

..

-5.00



' kh"kl	dlg vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		% yk[k ₹ ea %	cpr &
107- चारा तथा चारागाह विकास-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	5,25.00	..	-5,25.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 ) ।

(vii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

4403- पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय-

101- पशु चिकित्सा सेवायें तथा  
पशु स्वास्थ्य-

03- पशु चिकित्सालयों का निर्माण  
(जिला योजना)-

मूल	1,37.00	] 1,56.92	1,51.41	-5.51
पुनर्वि०	19.92			

प्रावधान में ₹ 19.92 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा की गयी वृद्धि शासन के आदेश संख्या 2588/37-2-2011-1 (41)/05 दिनांक 20-09-2011 द्वारा निर्गत पुनरीक्षित अनुमान के लिए धनराशि ₹ 56.47 लाख की आवश्यकता के कारण हुई।



' kh"kl	dly vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹ ea½
191- सहकारी समितियां तथा अन्य निकायों को सहायता-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
मूल	6,00.00		
पुनर्वि०	-1,08.00	4,92.00	11.10
			-4,80.90

प्रावधान में ₹ 1,08.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 ) ।

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

2404- डेरी विकास-

191- सहकारी समितियों तथा अन्य  
निकायों को सहायता-

03- वर्तमान दुग्ध संघों के  
सुदृढीकरण एवं पुनर्जीवित  
करने की योजना के अन्तर्गत  
दुग्ध संघों को अनुदान  
( जिला योजना )

14,39.20

19,85.20

+5,46.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 ) ।

वृत्तिका I अ; क 17 & df" k r Fkk vU; I Ec) foHkkx ¼ eRL; ½

वृत्तिका; ' kh" kZ	द्वय वृत्तिका	अकलरफोद 0;;	वृत्तिका/कद 0;; \$
		¼ gtkj ₹ esa ½	cpr &
jktLo&			
2405- मछली पालन			
nRrer&			
मूल	59,17,59		
पूरक	..	59,17,59	48,07,12
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			-11,10,47
			..

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 11,10.47 लाख की अन्तिम बचत में से, कोर्द भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh" kZ	द्वय वृत्तिका	अकलरफोद 0;;	वृत्तिका/कद 0;; \$
		¼ yk[k ₹ ea ½	cpr &
2405- मछली पालन -			
109- विस्तार तथा प्रशिक्षण-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	57.65	..	-57.65
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	13,94.11	7,57.23	-636.88
800- अन्य व्यय-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	5,33.67	2,32.87	-3,00.80

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये नहीं किये गये हैं ( जून 2012 ) ।



- (ii) ₹ 18,94.85 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 2,25,52.69 लाख का अनुपूरक अनुदान अत्यधिक सिद्ध हुआ।
- (iii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	
2425- सहकारिता			
800- अन्य व्यय-			
05- रासायनिक उर्वरकों का			
अग्रिम भण्डारण योजना-			
मूल	71,65.00	52,89.22	52,89.22
पुनर्वि०	-18,75.78		
			..
₹ 18,75.78 लाख का अभ्यर्पण आपूर्तिकर्ता द्वारा लक्ष्य से कम उर्वरक की आपूर्ति करने के कारण हुआ।			

i Hkkfjr&

- (iv) व्यय प्रभारित विनियोग से रुपये 23,793 अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।

i wthxr&

nRrer&

- (v) लेखा शीर्ष 6425-800-04 के अन्तर्गत ₹ 50,000 का अन्तिम व्ययाधिक्य वर्ष 2001-02 के उच्चत लेखे के समाशोधन से सम्बन्धित है।

i Hkkfjr&

- (vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"KZ	dy fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-			
108- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से			
कर्ज-			
03- लिये गये ऋणों का प्रतिदान-			
मूल	8,34.52	7,43.31	7,43.31
पुनर्वि०	-91.21		
			..

₹ 91.21 लाख का अभ्यर्पण अनुमानित ऋण से कम माँग होने के कारण हुआ।

vupku l a[; k 19&dkfebd foHkkx %i f' k{k.k rFkk vU; 0; ; ½

eq[; 'kh"kz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr &
	%gtkj ₹ es		
jktLo&			
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें			
nRrer&			
मूल	8,32,72		
पूरक	..	8,32,72	4,83,75
			-3,48,97

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

i nRr&

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	5,84,02		
पूरक	..	5,84,02	..
			-5,84,02

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 3,48.97 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr &
	%gtkj ₹ es		
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-			
003- अन्य व्यय-			
07- प्रशिक्षण समन्वय कोष्ठक का गठन	45.87	34.00	-11.87
08- भारतीय प्रशासनिक सेवा के परवीक्षाधीन व्यक्तियों का प्रशिक्षण	74.16	39.75	-34.41
11- उत्तर प्रदेश प्रशासनिक एवं प्रबन्धन अकादमी, लखनऊ	6,51.85	3,89.70	-2,62.15
800- अन्य व्यय-			
04- सेन्टर फार गुड गवर्नेन्स	60.84	20.31	-40.53
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।			

i n t h x r &

(iii) ₹ 5,84.02 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(iv) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' k h " k z

d y v u n k u

o k L r f o d 0 ; ;

v f / k d 0 ; ; +

c p r &

₹ 5,84.02

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत

परिव्यय-

003- प्रशिक्षण-

03- उत्तर प्रदेश प्रशासनिक एवं प्रबंधन

अकादमी

5,84.02

..

-5,84.02

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।



वृत्तिका I अ; क 20 & अक्षर foHkkx ¼ykd I ok vk; ks½

अ; 'kh"z	वृत्तिका ; क fofu; ks	अक्षर 0; ; ¼gtkj ₹ e½	वृत्तिका 0; ; + cpr &
jktLo&			
2051- लोक सेवा आयोग			
nRrer&			
मूल	1,72,17	1,72,17	1,71,69
पूरक	..		-48
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			
..			
i Hkkfj r&			
मूल	27,29,50	31,49,29	31,47,44
पूरक	4,19,79		-1,85
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			
..			
i wthxr&			
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
i Hkkfj r&			
मूल	5,00	5,00	5,00
पूरक	..		..
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			
..			

vunpku l a[; k 21& [kk| rFkk j l n foHkkx

ef[; 'kh"KZ

dyj vunpku  
; k  
fofu; kx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +  
cpr &

%gtkj ₹ e#

jktLo&

2075- विविध सामान्य सेवायें,

3456- सिविल पूर्ति तथा

3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

nRrer&

मूल	41,64,01
पूरक	33,60

41,97,61      43,40,14      +1,42,53

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i wthxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,

4408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार

पर पूंजीगत परिव्यय तथा

6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण

nRrer&

मूल	87,70,58,16
पूरक	3,75,66

87,74,33,82      69,62,55,37      -18,11,78,45

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)

8,38,32

i Hkkfjr&

मूल	12,00,04,00
पूरक	..

12,00,04,00      10,90,00,00      -1,10,04,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) वास्तविक व्यय में उच्चतम लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, तथा 2008-09 के ₹ 23.31 लाख सम्मिलित हैं। व्यय दत्तमत प्रावधान से ₹ 1,19.22 लाख (₹ 1,42.53 लाख-₹ 23.31 लाख) अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।

(ii) ₹ 1,19.22 लाख के अन्तिम व्याधिव्य को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 33.60 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

(iii) व्ययाधिक्य (एक शीर्ष के अन्तर्गत लघु बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"KZ	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	
			cpr &	
				kyk[k ₹ e#

2075- विविध सामान्य सेवायें-

800- अन्य व्यय-

04- उत्तर प्रदेश सचिवालय खान-पान  
निगम-

मूल	5,73.47	}	5,87.83	8,87.83	..
पुनर्वि०	14.36				

प्रावधान में ₹ 14.36 लाख की वृद्धि दैनिक मजदूरों को स्थायी किये जाने के कारण हुआ।

3456- सिविल पूर्ति-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

06- उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत स्थापित  
राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का  
अधिष्ठान

14,46.33                      16,12.25                      +1,65.92

वास्तविक व्यय में ₹ 1.43 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, तथा 2004-05 के सम्मिलित हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i wthxr&

nRrer&

(iv) वास्तविक व्यय में ₹ 76.01 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2009-10, तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

₹ 18,12,54.46 लाख ( ₹ 18,11,78.45 लाख + ₹ 76.01 लाख ) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 8,38.32 लाख की धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।

(v) ₹ 18,12,54.46 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 3,75.66 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

60- अन्य भवन-

051- निर्माण-

04- राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग  
का भवन निर्माण-

मूल	2,27.66	}	..	..	..
पुनर्वि०	-2,27.66				

प्रावधान में ₹ 2,27.66 लाख की कमी उपशीर्ष 04 को 08 में बदलने के कारण हुआ।

4408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार  
पर पूंजीगत परिव्यय-

01- खाद्य-

101- अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-

03- अन्न पूर्ति योजना-

मूल	81,71,34.12	}	81,59,17.51	66,06,23.45	-15,52,94.06
पुनर्वि०	-12,16.61				

वास्तविक व्यय में ₹ 69.82 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2009-10 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 12,16.61 लाख की कमी मितव्ययिता के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

03- खाण्डसारी शक्कर योजना	4,60,00.00	2,09,24.63	-2,50,75.37
---------------------------	------------	------------	-------------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(vii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

60- अन्य भवन-

051- निर्माण-

03- जिला उपभोक्ता फोरम का भवन निर्माण-

पुनर्वि०	2,27.66	2,27.66	2,27.66	..
----------	---------	---------	---------	----

प्रावधान में ₹ 2,27.66 लाख की वृद्धि 27 जिला उपभोक्ता फोरम भवन का निर्माण वर्ष 2011-12 में पूर्ण करने तथा एक जिला उपभोक्ता फोरम का निर्माण होने के कारण हुई।

4408- खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार  
पर पूंजीगत परिव्यय-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- अधिष्ठान व्यय-

मूल	1,39,24.04	}	1,43,02.33	1,43,32.03	+29.70
पुनर्वि०	3,78.29				

वास्तविक व्यय में ₹ 6.19 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2011-12 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 3,78.29 लाख की शुद्धि वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 12,16.61 लाख की वृद्धि बजट प्रावधान से अधिक मांग होने के कारण हुई। ₹ 8,38.32 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i Hkkfjr&

(viii) ₹ 1,10,04.00 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ix) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dy fofu; kx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr &

kyk[k ₹ e#

6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-

107- भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से कर्ज-

03- खाद्यान्नों के क्रय के लिये प्राप्त

कर्ज का प्रतिदान

11,20,00.00

10,10,00.00

-1,10,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

वृत्तवार्षिक व्यय का विवरण

वर्ष 2010-11 के अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकती।

₹ लाखों में

विवरण

2013- मंत्रि परिषद्,

2059- लोक निर्माण तथा

2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें

मूल

42,73,93

45,71,35

42,17,64

-3,53,71

पूरक 2,97,42

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

विवरण

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत

परिव्यय तथा

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति

पर पूंजीगत परिव्यय

मूल

38,50,48

39,30,50

38,16,94

-1,13,56

पूरक 80,02

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

विवरण

विवरण

विवरण

- (i) वास्तविक व्यय में उच्चतम लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2009-10 तथा 2010-11 के ₹ 16.00 लाख सम्मिलित हैं। ₹ 3,69.71 लाख (₹ 3,53.71 लाख + ₹ 16.00 लाख) की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकती।

- (ii) ₹ 3,69.71 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 2,97.42 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	clj vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	cpr &
				vyk/k ₹ e#
2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें-				
104- खेलकूद-				
04- क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय (बालिकाओं हेतु)	60.80	43.91	-16.89	
वास्तविक व्यय में ₹ 0.33 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2007-08 के सम्मिलित हैं।				
05- भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता	30.00	23.09	-6.91	
06- क्रीड़ा छात्रावास के आवासीय खिलाड़ियों पर व्यय (बालकों हेतु)	3,28.95	2,72.16	-56.79	
वास्तविक व्यय में ₹ 2.60 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06 तथा 2007-08 के सम्मिलित हैं।				
10- विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार-				
मूल	6.00			
पुनर्वि०	-4.00	2.00	0.75	-1.25
प्रावधान में ₹ 4.00 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
21- राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था	34.00	22.41	-11.59	
22- प्रादेशिक क्रीडा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीडा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपकरणों के क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान-				
मूल	5.00			
पुनर्वि०	-4.00	1.00	..	-1.00
प्रावधान में ₹ 4.00 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
24- नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी इलाहाबाद के जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विदेशी प्रशिक्षक-				
पूरक	1,15.92	1,15.92	..	-1,15.92
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।				

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"lz	clj vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr &
		lyk/k ₹ e#	

2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें-

104- खेलकूद-

35- सैयद मोदी मेमोरियल आल इण्डिया

प्राइजमनी बैडमिन्टन कम्पटीशन हेतु सहायता

मूल	5.00	}	25.00	25.00	..
पुनर्वि०	20.00				

प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की वृद्धि सैयद मोदी मेमोरियल आल इण्डिया प्राइजमनी बैडमिन्टन कम्पटीशन की पुरस्कार धनराशि में वृद्धि के कारण थी।

i atx r&

nRr r&

(v) ₹ 1,13.56 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) ₹ 1,13.56 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 80.02 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

03- खेलकूद तथा युवा सेवा-

800- अन्य व्यय-

07- झांसी में वेटलिफ्टिंग हाल, जिम हाल, बास्केटबाल कोर्ट एवं लान टेनिस कोर्ट की फ्लड लाइट का निर्माण-

मूल	30.00	}	..	..	..
पुनर्वि०	-30.00				

प्रावधान में ₹ 30.00 लाख की कमी व्यय न होने के कारण हुई।

25- जिला योजना के अधूरे कार्यों के लिये

एकमुश्त व्यवस्था	4,50.00	3,86.81	-63.19
------------------	---------	---------	--------

33- फतेहपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम के अवशेष

कार्यों, बाउण्ड्रीवाल को अपग्रेड किये जाने तथा पिलर के सुदृढीकरण का कार्य	50.00	8.02	-41.98
---	-------	------	--------



'kh"Kz dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +  
cpr &

kyk/k ₹ e#

35- मुजफ्फरनगर स्टेडियम में नया ट्यूबवेल, पम्प हाउस, बहुउद्देशीय क्रीड़ा हाल पर नयी छत, बाउन्डीवाल, ड्रेसिंग रूम व चेन्ज रूम का निर्माण—  
मूल 70.00 ] 23.50 21.80 -1.70  
पुनर्वि० -46.50 ]

प्रावधान में ₹ 46.50 लाख की कमी व्यय न होने के कारण हुई।

73- जिमनास्टिक संघ, इलाहाबाद के जिमनास्टिक हाल का वातानुकूलन—  
मूल 5,00.00 ] 2,50.00 1,00.00 -1,50.00  
पूरक 50.00 ]  
पुनर्वि० -3,00.00 ]

प्रावधान में ₹ 3,00.00 लाख की कमी सी०एस०आई० साइट का नवीनीकरण करने हेतु निधि की आवश्यकता होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ—

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—

03- खेलकूद तथा युवा सेवा—

800- अन्य व्यय—

11- मिर्जापुर में स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण—

मूल 51.00 ] 60.00 60.00 ..  
पुनर्वि० 9.00 ]

प्रावधान में ₹ 9.00 लाख की वृद्धि कार्य पूरा करने के लिये निधि की आवश्यकता के कारण हुई।

30- सिविल सर्विसेज संस्थान, लखनऊ का वार्षिक/विशेष रख-रखाव—

मूल 52.40 ] 1,36.13 1,36.13 ..  
पुनर्वि० 83.73 ]

प्रावधान में ₹ 83.73 लाख की वृद्धि के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

31- गोरखपुर स्टेडियम में बाउन्डीवाल/दर्शकदीर्घा के ऊपर शेड का निर्माण—

मूल 70.00 ] 97.80 97.80 ..  
पुनर्वि० 27.80 ]

प्रावधान में ₹ 27.80 लाख की वृद्धि कार्य पूरा करने के लिये निधि की आवश्यकता के कारण हुई।

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	cpr &
%yK/k ₹ e#				
32- बलरामपुर स्टेडियम में चहारदीवारी का जीर्णोद्धार—				
मूल	13.00			
पुनर्वि०	7.13	20.13	20.13	..
प्रावधान में ₹ 7.13 लाख की वृद्धि कार्य पूरा करने के लिये निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
34- इलाहाबाद के मेयोहाल में ट्यूबवेल एवं टाइप-3 व 4 के आवासीय भवन का निर्माण—				
मूल	20.00			
पुनर्वि०	9.15	29.15	29.15	..
प्रावधान में ₹ 9.15 लाख की वृद्धि कार्य पूरा करने के लिये निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
36- कौशाम्बी स्टेडियम में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण—				
मूल	20.00			
पुनर्वि०	6.20	26.20	26.20	..
प्रावधान में ₹ 6.20 लाख की वृद्धि कार्य पूरा करने के लिये निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
39- गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ में निर्मित हाकी एस्ट्रोर्टफ की पुनर्स्थापना—				
मूल	75.00			
पुनर्वि०	16.75	91.75	91.75	..
प्रावधान में ₹ 16.75 लाख की वृद्धि कार्य पूरा करने के लिये निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
45- सिविल सर्विसेज इन्स्टीट्यूट कम्पाउन्ड राजभवन लखनऊ में अवरस्थापना सुविधाओं का विकास एवं सुदृढीकरण—				
मूल	70.21			
पुनर्वि०	2,16.27	2,86.48	2,86.48	..
प्रावधान में ₹ 2,16.27 लाख की वृद्धि के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
74- पश्चिमी उ०प्र० में कुश्ती, कबड्डी, वेटलिफ्टिंग हाल, वालीबाल, बास्केटबाल एवं बाक्सिंग हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाओं का विकास—				
पूरक	0.01	0.01	1,50.00	+1,49.99
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।				

vunpku l a[ ; k 23& xluuk fodkl foHkkx ¼ xluuk ½

ed[ ; 'kh"kl	clj vunpku ; k fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
		½gtkj ₹ e#	
<b>jktLo&amp;</b>			
2401- फसल कृषि कर्म			
<b>nRrer&amp;</b>			
मूल	1,47,87,52	1,47,87,52	1,11,11,52
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)			34,97,35
<b>i Hkkfjr&amp;</b>			
मूल	1,50	1,50	5,02
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)			76
<b>i wthxr&amp;</b>			
5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>nRrer&amp;</b>			
मूल	36,72,00	36,72,00	36,71,92
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)			22,05
<b>fVli f.k; ka , oa Vhdk; &amp;</b>			
<b>jktLo&amp;</b>			
<b>nRrer&amp;</b>			
(i) वास्तविक व्यय में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2009-10 के ₹ 0.11 लाख सम्मिलित हैं। ₹ 36,76.11 लाख (₹ 36,76.00 लाख + ₹ 0.11 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 34,97.35 लाख की धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।			
(ii) बचत (व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-			
'kh"kl	clj vunpku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr &
		½ytk[k ₹ e#	
2401- फसल कृषि कर्म-			
001- निदेशन एवं प्रशासन-			
03- गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान-			
मूल	7,38.81	6,30.68	6,41.87
पुनर्वि०	-1,08.13		
₹ 1,08.13 लाख का समर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, देयकों तथा दावों के न प्राप्त होने तथा			+11.19

मितव्ययिता के कारण हुआ।



उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i Hkkfj r&

- (iii) व्यय प्रभारित विनियोग से ₹ 3,51,990 अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।  
 (iv) ₹ 3.52 लाख के अन्तिम व्ययाधिक्य को देखते हुए, ₹ 0.76 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।  
 (v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kl	dy fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr &

lyk[k ₹ est

2401- फसल कृषि कर्म-

001- निदेशन एवं प्रशासन-

03- गन्ना आयुक्त का अधिष्ठान-

मूल	1.50	}	0.74	5.02	+4.28
पुनर्वि०	-0.76				

₹ 0.76 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i wthxr&

- (vi) ₹ 0.08 लाख के अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 22.05 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।  
 (vii) बचत (व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित)निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr &

lyk[k ₹ est

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

337- सड़क निर्माण कार्य-

03- कृषि विपणन सुविधाओं के लिए अन्तर्ग्रामीण सड़कों का निर्माण (जिला योजना)-

मूल	36,72.00	}	36,49.95	36,71.92	+21.97
पुनर्वि०	-22.05				

₹ 22.05 लाख का समर्पण मुख्यतः टेडर का मूल्य कम होने, मैक्सफोर्ड का मूल्य कम होने, कलवर्ट का निर्माण न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

वृत्तिका I अ; क 24 & खलुक फोदकल फोहकख ¼ पहुह म | कख ½

एड; 'कह"क

दय वृत्तिका

ओलरफोद 0; ;

वफ/कद 0; ; +

cpr -

१/ग्तक/ ₹ ए

जकतलो&

2401- फसल कृषि कर्म तथा

2852- उद्योग

nRrer&

मूल 52,61,35

पूरक ..

52,61,35

47,67,00

-4,94,35

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)

4,95,11

i wthxr&

6860- उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

nRrer&

मूल ..

पूरक 3,50,03,41

3,50,03,41

3,50,03,41

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

जकतलो&

nRrer&

(i) वास्तविक व्यय में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2006-07 तथा 2007-08 के ₹ 4.03 लाख सम्मिलित हैं।

₹ 4,98.38 लाख (₹ 4,94.35 लाख+₹ 4.03 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 4,95.11 लाख समर्पण के लिये प्रत्याशित किये जा सके।

(ii) बचत ( लघु व्यायाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'कह"क

दय वृत्तिका

ओलरफोद 0; ;

वफ/कद 0; ; +

cpr -

१/यक/क ₹ ए

2852- उद्योग-

08- उपभोक्ता उद्योग-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- चीनी आयुक्त का अधिष्ठान-

मूल 11,61.35

पुनर्वि० -2,05.26

9,56.09

9,56.87

+0.78

वास्तविक व्यय में ₹ 4.03 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2006-07 तथा 2007-08 के सम्मिलित हैं।

' kh" kZ

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +  
cpr -

lyk/k ₹ e#

₹ 2,05.26 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त रहने, बिलों के प्राप्त न होने, आवश्यकता न होने, निधि का प्रयोग न करने तथा मितव्ययिता के कारण हुआ।

201- चीनी-

04- उ0प्र0 के अभाव ग्रस्त शक्कर फैक्ट्रियों को गन्ने के मूल्य का भुगतान करने हेतु ऋण सहायता निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए उ0प्र0 शक्कर विशेष निधि समिति को भुगतान-

मूल	10,80.00	]	9,79.13	9,79.04	-0.09
पुनर्वि0	-1,00.87				

₹ 1,00.87 लाख का अभ्यर्पण छटा वेतन आयोग के लागू न होने के कारण हुआ।

05- उ0प्र0 कल्याण निधि के अनुरक्षण तथा प्रवर्तन के लिए विशेष शक्कर समिति उ0प्र0को भुगतान-

मूल	3,60.00	]	1,71.02	1,70.67	-0.35
पुनर्वि0	-1,88.98				

₹ 1,88.98 लाख का अभ्यर्पण धनराशि जारी न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।



वृत्तगत व्यय का विवरण 2011-12 के लिए

विवरण	वृत्तगत व्यय	अनुदान	अनुपूरक	कुल
जिला				
2056- जेलें				
नररर				
मूल	3,31,66,11			
पूरक	5,29,76			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि		3,36,95,87	3,36,84,52	-11,35
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..
महानगर				
मूल	10,00			
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि		10,00	..	-10,00
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..
ग्राम				
4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय,				
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा				
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय				
नररर				
मूल	3,90,10,31			
पूरक	2,50,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि		3,92,60,31	2,04,50,35	-1,88,09,96
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

- (i) वास्तविक व्यय में ₹ 18.74 लाख उच्चत लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2006-07 तथा 2008-09 के सम्मिलित हैं।  
₹ 30.10 लाख (₹ 11.35 लाख+ ₹ 18.75 लाख) की अन्तिम बचत के विरुद्ध, कोई भी धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 30.09 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 5,29.76 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	
			cpr &	
				lyk[k ₹ e#

2056- जेलें-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- मुख्य-

मूल	8,27.08			
पूरक	25.00	7,73.06	7,74.99	+1.93
पुनर्वि०	-79.02			

वास्तविक व्यय में ₹ 0.13 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2006-07 के सम्मिलित हैं।

₹ 79.02 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 81.02 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की वृद्धि अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुई। उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2056- जेलें-

101- जेलें-

03- समस्त कारागार-

मूल	3,16,70.70			
पूरक	4,90.76	3,22,40.44	3,22,31.12	-9.32
पुनर्वि०	78.98			

वास्तविक व्यय में ₹ 18.62 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2006-07 तथा 2008-09 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 78.98 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 81.02 लाख की वृद्धि अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुई तथा प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की कमी के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं। उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i Hkkfj r&

(v) ₹ 10.00 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि समर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	
			cpr &	
				lyk[k ₹ e#

2056- जेलें-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- मुख्य

10.00 .. -10.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i thxr&amp;

nrer&amp;

(vii) ₹ 1,88,09.96 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि समर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(viii) ₹ 1,88,09.96 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 2,50.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ix) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	cpr &
	lyk/k ₹ e#			
4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय-				
80- सामान्य-				
051- निर्माण-				
04- कारागारों में जलपूर्ति एवं स्वच्छता में सुधार-				
मूल	10,00.00			
पुनर्वि०	-13.65			
		9,86.35	5,55.51	-4,30.84
प्रावधान में ₹ 13.65 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-				
800- अन्य व्यय-				
08- कारागारों का निर्माण-				
मूल	3,50,00.00			
पुनर्वि०	-20,94.61			
		3,29,05.39	1,49,19.37	-1,79,86.02
प्रावधान में ₹ 20,94.61 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।				
13- कारागारों के लिये उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था-				
मूल	0.02			
पूरक	2,50.00			
		2,50.02	..	-2,50.02
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-				
01- सरकारी रिहायशी भवन-				
700- अन्य आवास-				
03- कारागार स्टाफ के लिए आवासों का निर्माण		10,00.00	9,05.52	-94.48
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।				



वृत्तवार्षिक 26 वें वित्त वर्ष के अंत में

वर्ष	मूल	पूरक	कुल	वृत्तवार्षिक 26 वें वित्त वर्ष के अंत में	वृत्तवार्षिक 26 वें वित्त वर्ष के अंत में	वृत्तवार्षिक 26 वें वित्त वर्ष के अंत में
2013- मंत्रि परिषद्,						
2055- पुलिस,						
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,						
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा						
2251- सचिवालय-सामाजिक सेवायें						
<b>कुल</b>	<b>69,89,52,56</b>	<b>3,40,90,19</b>	<b>73,30,42,75</b>	<b>72,75,69,24</b>	<b>-54,73,51</b>	
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि						..
<b>2014- मंत्रि परिषद्,</b>						
<b>2055- पुलिस,</b>						
<b>2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,</b>						
<b>2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा</b>						
<b>2251- सचिवालय-सामाजिक सेवायें</b>						
<b>कुल</b>	<b>75,00</b>	<b>..</b>	<b>75,00</b>	<b>35,29</b>	<b>-39,71</b>	
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि						..
<b>2015- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय,</b>						
<b>4070- अन्य प्रशासनिक सेवायें पर पूंजीगत परिव्यय तथा</b>						
<b>5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय</b>						
<b>कुल</b>	<b>6,04,20,65</b>	<b>2,70,35,07</b>	<b>8,74,55,72</b>	<b>3,86,19,78</b>	<b>-4,88,35,94</b>	
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि						..

अनुदान के राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत व्यय में आकस्मिता निधि से जनवरी 2012 में स्वीकृत अग्रिम में से व्यय किये गये किन्तु वर्ष के समाप्ति तक निधि में वापस न किये गये ₹ 2,18,95,90 हजार सम्मिलित नहीं हैं।

वित्त वर्ष 2012-13 के अंत में  
कुल  
कुल

(i) वास्तविक व्यय में ₹ 10,55.82 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।  
₹ 65,29.33 लाख (₹ 55,73.51 लाख+₹ 10,55.82 लाख) की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ii) ₹ 65,29.33 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 3,40,90.19 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-  
'kh"lz dly vumku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr &

kyk[k ₹ est

2055- पुलिस-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- शिक्षा और प्रशिक्षण (मुख्य)-

मूल	1,65,05.19			
पूरक	19,18.52	1,23,86.46	1,09,04.58	-14,81.88
पुनर्वि०	-60,37.25			

वास्तविक व्यय में ₹ 18.15 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2005-06, 2009-10 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

₹ 60,37.25 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 22,44.26 लाख की कमी मितव्ययिता, कम मांग होने तथा प्रावधान में ₹ 39,00.79 लाख की कमी तथा ₹ 1,07.80 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

101- आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता-

03- अभिसूचना अनुभाग-(मुख्य)-

मूल	1,47,83.04			
पूरक	5,60.82	1,33,85.53	1,32,38.10	-1,47.43
पुनर्वि०	-19,58.33			

वास्तविक व्यय में ₹ 21.28 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2009-10 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 1.50 लाख की कमी मुख्यतः मांग कम होने तथा मितव्ययिता होने के कारण हुई तथा प्रावधान में ₹ 19,56.83 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- अनुसंधान अनुभाग-

मूल	1,29,84.59			
पूरक	8,91.83	1,22,07.30	1,19,55.96	-2,51.34
पुनर्वि०	-16,69.12			

वास्तविक व्यय में ₹ 8.58 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2006-07, 2009-10 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

₹ 16,69.12 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 76.88 लाख की कमी मितव्ययिता तथा मांग कम होने का कारण हुई। प्रावधान में ₹ 10.70 लाख की वृद्धि मुख्यमंत्री आवास पर सी0सी0टी0वी0 कन्ट्रोल रूम की स्थापना के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 16,31.44 लाख की कमी तथा ₹ 28.50 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +  
cpr &

kyk[k ₹ e#

## 104- विशेष पुलिस-

## 06- इण्डिया रिजर्व वाहिनी का गठन-

मूल	28,58.95	] 23,29.81	23,14.70	-15.11
पूरक	35.10			
पुनर्वि०	-5,64.24			

प्रावधान में ₹ 5,64.24 लाख की कुल कमी में से, प्रावधान में ₹ 6.99 लाख की कमी मुख्यतः मांग कम होने तथा मितव्ययिता के कारण हुई तथा प्रावधान में ₹ 5,57.25 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

## 109- जिला पुलिस-

## 03- जिला पुलिस (मुख्य)-

मूल	43,97,58.38	] 45,85,24.43	45,65,73.82	-19,50.61
पूरक	1,82,12.74			
पुनर्वि०	5,53.31			

वास्तविक व्यय में ₹ 6,87.70 लाख उचन्त लेखे के समाशाधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 5,53.31 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 26,98.87 लाख की वृद्धि मांग से कम बजट प्रावधान होने, ए०सी०पी०, वेतन एव डी०ए० आदि की दर बढ़ने तथा प्रावधान में ₹13,36.50 लाख की कमी मितव्ययिता तथा मांग कम होने के कारण हुई तथा प्रावधान में ₹ 8,27.06 लाख की कमी तथा ₹ 18.00 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

## 06- वाराणसी में नदी पुलिस से सम्बन्धित

भारत सरकार द्वारा वहन किया जाने

वाला व्यय-

मूल	1,04.79	] 87.99	87.50	-0.49
पुनर्वि०	-16.80			

प्रावधान में ₹ 16.80 लाख की कुल कमी मितव्ययिता तथा मांग कम होने के कारण हुई।

## 08- जी०आर०पी० पुलिस स्टेशन-

पूरक	94.40	] 89.40	74.91	-14.49
पुनर्वि०	-5.00			

प्रावधान में ₹ 5.00 लाख की कमी मितव्ययिता तथा मांग कम होने के कारण हुई।

## 110- ग्राम पुलिस-

## 03- ग्राम पुलिस अधिष्ठान-

मूल	80,26.80	] 71,87.49	68,33.15	-3,54.34
पुनर्वि०	-8,39.31			

वास्तविक व्यय में ₹ 96.23 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02 तथा 2010-11 के

सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 8,39.31 लाख की कुल कमी मितव्ययिता तथा मांग कम होने के कारण हुई।

( 111 )

' kh"KZ	clj vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr &
<i>kyk[k ₹ e#</i>			
113- पुलिस कार्मिकों का कल्याण—			
05- खेलकूद निधि तथा खेलकूद समारोहों एवं टूर्नामेंट आदि के सम्बन्ध में व्यय	50.00	36.38	-13.62
09- पुलिस कल्याण के लिए विशिष्ट अनुदान—			
मूल	1,00.00		
पूरक	88.00	1,00.00	92.85
पुनर्वि०	-88.00		-7.15
प्रावधान में ₹ 88.00 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
114- बेतार और कम्प्यूटर—			
03- पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र—			
मूल	6,83.61		
पूरक	5,77.41	6,36.22	6,36.10
पुनर्वि०	-6,24.80		-0.12
प्रावधान में ₹ 6,24.80 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
800- अन्य व्यय—			
04- भारत सरकार की ओर से रखा गया पुलिस दल (जिला पुलिस)	79.59	68.90	-10.69
07- पुलिस सुधार आयोग—			
मूल	57.27		
पुनर्वि०	0.85	58.12	30.71
वास्तविक व्यय में ₹ 3.86 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2009-10 के सम्मिलित हैं। प्रावधान में ₹ 0.85 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
14- उत्तर प्रदेश पुलिस यातायात प्रबन्धन निधि से व्यय	1,00.00	82.54	-17.46
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—			
105- विशेष जाँच आयोग—			
03- राज्य आयोग और समितियाँ—			
मूल	1,68.92		
पुनर्वि०	-0.85	1,68.07	87.54
वास्तविक व्यय में ₹ 26.45 लाख उचन्त लेखे के समाशाधन के वर्ष 2004-05, 2008-09, 2009-10			



तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 0.85 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

'kh"KZ dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +  
cpr &

kyk[k ₹ e#

108- अग्नि से बचाव तथा नियन्त्रण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा  
पुरोनिधानित योजनायें

2,50.00 24.04 -2,25.96

03- प्रशासन-

मूल 1,80,61.38  
पूरक 17,81.97  
पुनर्वि० -15,15.01

1,83,28.34 1,80,62.31 -2,66.03

वास्तविक व्यय में ₹ 1,22.56 लाख उचन्त लेखे के समाशाधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

₹ 15,15.01 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 13,11.85 लाख की कमी तथा प्रावधान में ₹58.90 लाख की वृद्धि के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं। प्रावधान में ₹12,87.99 लाख की वृद्धि मांग कम होने तथा कम बजट प्रावधान होने, वेतन एव डी०ए० आदि की दर बढ़ने के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 15,50.05 लाख की कमी मितव्ययिता तथा मांग कम होने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

03- पुलिस सेवा भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड

25,70.21 15,53.18 -10,17.03

वास्तविक व्यय में ₹ 2.46 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2010-11 के सम्मिलित हैं।

04- राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन-

मूल 2,66.66  
पूरक 60.00  
पुनर्वि० 29.31

3,55.97 3,25.17 -30.80

प्रावधान में ₹ 29.31 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार परिषद

(यू० पी० एस० ए० सी०) 57.18 0.86 -56.32

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

04- असामाजिक तत्वों द्वारा मारे गये/घायल  
हुये व्यक्तियों के आश्रितों को अनुग्रह भुगतान-

मूल 10.00  
पुनर्वि० -9.80

0.20 0.20 ..

प्रावधान में ₹ 9.80 लाख की कमी मितव्ययिता तथा मांग कम होने के कारण हुई।

' kh"KZ

dgy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +  
cpr &

Nyk[k ₹ e#

05- पुलिस की हिंसा विरोधी कार्यवाही के फलस्वरूप मारे गये/घायल हुए गैर सरकारी व्यक्तियों को/आश्रितों को आर्थिक सहायता—

मूल 10.00

पुनर्वि० -10.00

प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की कमी मितव्ययिता तथा मांग कम होने के कारण हुई।

11- दंगा पीड़ितों को सहायता—

मूल 12,00.00

पुनर्वि० -5,95.97

प्रावधान में ₹ 5,95.97 लाख की कमी मितव्ययिता तथा मांग कम होने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय—

03- लोक व्यवस्था प्रभावित करने वाली

आतंकवादी घटनाएं, अग्निकाण्ड, आदि—

मूल 10,00.00

पुनर्वि० -6,60.00

प्रावधान में ₹ 6,60.00 लाख की कमी मितव्ययिता तथा मांग कम होने के कारण हुई।

2251- सचिवालय—सामाजिक सेवायें—

090- सचिवालय—

03- नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम

के कार्यान्वयन हेतु मशीनरी का

सुदृढीकरण—

मूल 4,72.52

पूरक 1,04.50

पुनर्वि० -96.69

वास्तविक व्यय में ₹ 3.33 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2009-10 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 29.74 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा

प्रावधान में ₹ 66.95 लाख की कमी मितव्ययिता तथा मांग कम होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(iv) व्याधिव्यय मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

' kh" kZ

dly vuqnu

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr &amp;

lyk[k ₹ e#

2055- पुलिस-

104- विशेष पुलिस-

03- राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी-मुख्य-

मूल	10,57,00.90			
पूरक	25,11.08	11,75,18.50	11,67,56.89	-7,61.61
पुनर्वि०	93,06.52			

वास्तविक व्यय में ₹ 17.21 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2006-07, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 93,06.52 लाख की कुल वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 68,80.40 लाख की वृद्धि मांग से कम बजट प्रावधान होने, ए०सी०पी०, वेतन एव डी०ए० आदि की दर बढ़ने तथा प्रावधान में प्रावधान में ₹ 24,26.12 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

07- उत्तर प्रदेश विशेष परिक्षेत्र सुरक्षा वाहिनी-

मूल	14,39.18			
पूरक	17.50	10,88.89	23,53.64	+12,64.75
पुनर्वि०	-3,67.79			

प्रावधान में ₹ 3,67.79 लाख की कुल कमी में से, प्रावधान में ₹ 88.73 लाख की कमी मुख्यतः मांग कम होने तथा मितव्ययिता के कारण हुई तथा प्रावधान में ₹ 2,79.06 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

108- राज्य मुख्यालय पुलिस-

03- राज्य पुलिस मुख्यालय-

मूल	23,95.55			
पूरक	2,62.83	27,23.80	26,72.97	-50.31
पुनर्वि०	64.90			

प्रावधान में ₹ 64.90 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 1,34.30 लाख की वृद्धि मुख्यतः वेतन एवं डी०ए० आदि की दर बढ़ने तथा प्रावधान में ₹ 54.10 लाख की कमी मुख्यतः मांग कम होने तथा मितव्ययिता के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 15.30 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

109- जिला पुलिस-

04- राज्य रेडियो अनुभाग-मुख्य-

मूल	1,75,21.86			
पूरक	17,25.84	2,11,00.48	2,13,97.04	+2,96.56
पुनर्वि०	18,52.78			

वास्तविक व्यय में ₹ 9.94 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2009-10 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 18,52.78 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 28,10.17 लाख की वृद्धि मुख्यतः वेतन, ए० सी० पी० एवं डी०ए० आदि की दर बढ़ने तथा बजट प्रावधान कम होने कारण हुई। प्रावधान में

₹ 9,29.89 लाख की कमी मुख्यतः मांग कम होने तथा मितव्ययिता के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 27.50 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

( 115 )

'kh"KZ dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +  
cpr &

₹ e#

05- मोटर परिवहन अनुभाग-मुख्य-

मूल	1,98,16.72	}	2,21,52.40	2,15,67.35	-5,85.05
पूरक	6,11.20				
पुनर्वि०	17,24.48				

वास्तविक व्यय में ₹ 5.74 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 17,24.48 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 17,63.98 लाख की वृद्धि मुख्यतः सीमित बजट होने तथा वेतन एवं डी०ए० की दर बढ़ने तथा प्रावधान में ₹ 39.50 लाख की कमी मुख्यतः मांग कम होने तथा मितव्ययिता के कारण हुई।

07- जिला पुलिस (थाना)-

मूल	29,36.46	}	46,84.06	43,66.88	-3,17.18
पूरक	14,16.90				
पुनर्वि०	3,30.70				

प्रावधान में ₹ 3,30.70 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 70.00 लाख की कमी मितव्ययिता तथा मांग कम होने के कारण हुई तथा प्रावधान में ₹ 4,78.30 लाख की कमी तथा प्राविधान में ₹ 8,79.00 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

111- रेलवे पुलिस-

03- मुख्य-

मूल	1,64,30.25	}	1,74,05.01	1,74,08.27	+3.26
पूरक	3,48.91				
पुनर्वि०	6,25.85				

वास्तविक व्यय में ₹ 1.32 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 6,25.85 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 6,29.10 लाख की वृद्धि मुख्यतः सीमित बजट होने तथा वेतन एवं डी०ए० की दर बढ़ने तथा प्रावधान में ₹ 3.25 लाख की कमी मुख्यतः मांग कम होने तथा मितव्ययिता के कारण हुई।

113- पुलिस कार्मिकों का कल्याण-

04- चिकित्सालय व्यय-

मूल	21,53.18	}	23,06.34	22,62.96	-43.38
पूरक	62.06				
पुनर्वि०	91.10				

वास्तविक व्यय में ₹ 3.84 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2005-06 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 91.10 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 1,48.81 लाख की वृद्धि मुख्यतः वेतन, ए० सी० पी० एवं डी०ए० आदि की दर बढ़ने तथा प्रावधान में ₹ 40.95 लाख की कमी मुख्यतः लघु

बचत, मांग कम होने तथा मितव्ययिता होने के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 16.76 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"KZ

dgy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +  
cpr &

kYk[k ₹ e#

## 115- पुलिस बल का आधुनिकीकरण-

03- राज्य सरकार द्वारा वहन किये  
जाने वाला व्यय-

मूल	35,51.51	}	38,41.97	36,62.65	-1,79.32
पूरक	88.66				
पुनर्वि०	2,01.80				

वास्तविक व्यय में ₹ 0.14 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2005-06 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 2,01.80 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 2,02.05 लाख की वृद्धि मुख्यतः वेतन एवं ए०सी०पी० तथा डी०ए० आदि की दर बढ़ने तथा प्रावधान में ₹ 0.25 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

## 116- न्यायालयिक विज्ञान-

## 03- विधि विज्ञान प्रयोगशालायें-

मूल	9,36.97	}	9,74.73	10,21.50	+46.77
पूरक	62.38				
पुनर्वि०	-24.62				

₹ 24.62 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 30.02 लाख की कमी तथा प्रावधान में ₹ 5.40 लाख वृद्धि के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

## 800- अन्य व्यय-

## 05- लोक सभा निर्वाचन

पूरक	24,33.00	24,33.00	38,34.68	+14,01.68
------	----------	----------	----------	-----------

## 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
कार्यक्रम-

## 200- अन्य कार्यक्रम-

03- कर्त्तव्य पालन के दौरान मारे गये/  
घायल हुये पुलिस/अग्नि शमन  
सेवा के कर्मचारियों के परिवारों को  
अनुग्रह भुगतान-

मूल	1,80.00	}	4,76.80	7,52.77	+2,75.97
पूरक	44.00				
पुनर्वि०	2,52.80				

वास्तविक व्यय में ₹ 0.30 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2004-05 के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 2,52.80 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि अनुग्रह राशि का भुगतान करने के कारण हुई तथा प्रावधान में ₹ 0.25 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।





'kh"KZ dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +  
cpr &  
kyk[k ₹ e#

10- पुलिस द्वारा मानवाधिकार हनन के प्रकरणों में मृतक/घायलों के आश्रितों/पीड़ितों को आर्थिक सहायता—

मूल	2,00.00	}	3,00.00	3,79.04	+79.04
पुनर्वि०	1,00.00				

वास्तविक व्यय में ₹ 0.50 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2010-11 के सम्मिलित हैं। प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि अपर्याप्त बजट होने के कारण हुई।

800- अन्य व्यय—

04- लावारिस शवों के अंतिम संस्कार हेतु व्यवस्था—

मूल	10.00	}	25.00	23.27	-1.73
पूरक	5.00				
पुनर्वि०	10.00				

प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की वृद्धि किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i Hkkfjr&

- (v) ₹ 39.71 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।  
(vi) बचत (अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई—

'kh"KZ dly fofu; ksx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +  
cpr &  
kyk[k ₹ e#

2055- पुलिस—

109- जिला पुलिस—

03- जिला पुलिस (मुख्य)	70.00	35.29	-34.71
------------------------	-------	-------	--------

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

108- अग्नि से बचाव तथा नियन्त्रण—

03- प्रशासन	5.00	..	-5.00
-------------	------	----	-------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।



in the  
nRr&

- (vii) वास्तविक व्यय में ₹ 7.63 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2010-11 सम्मिलित हैं।  
₹ 4,88,43.57 लाख (₹ 4,88,35.94 लाख+₹ 7.63 लाख) की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि  
अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 4,88,43.57 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया  
₹ 2,70,35.07 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (ix) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के  
अधीन हुई:-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr &
			kyk[k ₹ e#
4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-			
207- राज्य पुलिस-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
मूल	89,00.00		
पूरक	0.01		
	89,00.01	8,30.48	-80,69.53
04- पुलिस विभाग का आधुनिकीकरण-			
मूल	91,55.00		
पूरक	39,44.71		
	1,30,99.71	52,46.94	-78,52.77
05- पुलिस बल की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत अनावासीय भवनों का निर्माण-			
मूल	60,00.00		
पूरक	25,00.00		
	85,00.00	25,41.65	-59,58.35
07- पुलिस विभाग के भवनों का निर्माण	47,50.00	..	-47,50.00
08- एस टी एफ के कमाण्डरों सेन्टर का निर्माण /विस्तार	70,00.00	24,84.30	-45,15.70
09- एस टी एफ मुख्यालय के अनावासीय भवनों का निर्माण	12,00.00	5,97.34	-6,02.66
211- पुलिस आवास-			
05- पुलिस विभाग की आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत आवासीय भवनों का निर्माण	64,00.00	20,56.67	-43,43.33
06- पुलिस विभाग के आवासीय भवनों का निर्माण	20,00.00	3,49.38	-16,50.62



'kh"KZ	clg vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr &
		kyk[k ₹ e#	
07- केन्द्रीय पुलिस बल (आर0ए0एफ0/ सी0आर0पी0एफ0)/राज्य पुलिस बल के भवनों के लिए भूमि क्रय आदि	40,00.00	1,50.99	-38,49.01
08- नव सृजित जनपदों में पुलिस के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का निर्माण	25,00.00	11,34.04	-13,65.96
09- अग्निशमन केन्द्र के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण—			
मूल 25,00.00	65,00.00	49,00.80	-15,99.20
पूरक 40,00.00			
10- राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी के प्रयोगार्थ वाहनों का क्रय—			
मूल 7,50.00	25,59.80	16,48.86	-9,10.94
पूरक 18,09.80			
11- पुलिस विभाग के प्रयोगार्थ वाहनों का क्रय—			
मूल 12,50.00	41,87.50	28,57.28	-13,30.22
पूरक 29,37.50			
800- अन्य व्यय—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	2,00.00	..	-2,00.00
06- विधान सभा चुनाव—			
पूरक 26,40.92	26,40.92	11,08.39	-15,32.53
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय—			
800- अन्य व्यय—			
05- अग्नि शमन सेवाओं का सुदृढीकरण	5,00.00	1,17.83	-3,82.17
5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय—			
800- अन्य व्यय—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	2,00.00	58.62	-1,41.38
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।			

(x) व्ययधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"z	dgj vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +
			cpr &
		½yK[k ₹ e#	
4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-			
207- राज्य पुलिस-			
06- पुलिस विभाग के अनावासीय भवनों का निर्माण-			
मूल	15,00.00		
पूरक	88,33.00	1,03,33.00	1,06,29.23
			+2,96.23

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

वृत्तवार्षिक 27 वें वित्त वर्ष के लिए वित्त बजट का सारांश

वर्ष	प्रशासनिक सेवाएँ	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	वित्त बजट	वित्त बजट	वित्त बजट
2010-11	2010-11	2010-11	2010-11	2010-11	2010-11
अनुपूर्व	अनुपूर्व	अनुपूर्व	अनुपूर्व	अनुपूर्व	अनुपूर्व
मूल	3,73,85,77		3,88,35,77	3,81,62,29	-6,73,48
पूरक	14,50,00				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि					..
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय तथा					
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय					
मूल	13,61,81		15,11,82	3,99,34	-11,12,48
पूरक	1,50,01				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि					..
(i) वास्तविक व्यय में ₹ 70.95 लाख उच्चतम लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।					
₹ 7,54.43 लाख (₹ 6,73.48 लाख + ₹ 70.95 लाख) की अन्तिम बचत को देखते हुए, कोई भी धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।					
(ii) ₹ 7,54.43 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 14,50.00 लाख का अनुपूर्व अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।					
(iii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-					
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ-					
106- सिविल रक्षा-					
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-					
मूल	40.60		4,90.60	2,38.97	-2,51.63
पूरक	4,50.00				

'kh"KZ dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +  
cpr &

kyk[k ₹ ed

05- राज्य मुख्यालय स्थापना—				
मूल	1,41.37	1,43.10	1,30.81	-12.29
पुनर्वि०	1.73			

05- प्रभागीय तथा जिला मुख्यालय (25% भा०स० द्वारा प्रतिपूर्ति)—				
मूल	8,95.96	8,94.23	7,57.13	-1,37.10
पुनर्वि०	-1.73			

वास्तविक व्यय में ₹ 4.56 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2008-09 के सम्मिलित हैं।

107- होमगार्ड्स—

08- नागर निकाय चुनाव—				
मूल	21,69.36	..	..	..
पुनर्वि०	-21,69.36			

प्रावधान में ₹ 21,69.36 लाख की कमी नगर निकाय चुनाव 2011 स्थगित होने के कारण हुई।

09- महाकुम्भ मेला—

मूल	7,22.70	..	..	..
पुनर्वि०	-7,22.70			

प्रावधान में ₹ 7,22.70 लाख की कमी चालू वित्तीय वर्ष में कुम्भ मेला का आयोजन न होने के कारण हुई।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा  
कल्याण कार्यक्रम—

200- अन्य कार्यक्रम—

03- ड्यूटीरत होमगार्ड स्वयं सेवकों के  
बीमा हेतु बीमा कम्पनी को प्रीमियम  
की अदायगी—

मूल	89.90	60.06	60.06	..
पुनर्वि०	-29.84			

प्रावधान में ₹ 29.84 लाख की कमी होमगार्डों की बीमा प्रीमियम की बचत के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।



(iv) व्याधिकाय मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	
			cpr &	
				lyk/k ₹ es

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-

107- होमगार्ड्स-

06- विधान सभा चुनाव-

मूल	0.05	}	18,17.07	17,74.83	-42.24
पुनर्वि०	18,17.02				

प्रावधान में ₹ 18,17.02 लाख की वृद्धि होमगार्डों की प्रतिस्थापना के लिए 2011-12 में बजट उपलब्ध नहीं होने के कारण हुआ।

07- पंचायत चुनाव-

मूल	0.04	}	20,43.72	20,14.82	-28.90
पूरक	6,04.76				
पुनर्वि०	14,38.92				

वास्तविक व्यय में ₹ 21.95 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2010-11 के सम्मिलित हैं। प्रावधान में ₹ 14,38.92 लाख की वृद्धि होमगार्डों की प्रतिस्थापना के लिए 2011-12 में बजट उपलब्ध नहीं होने तथा पंचायत चुनाव 2010 के होमगार्ड्स के लम्बित देयकों का भुगतान होने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

03- अवशेषों का भुगतान-

मूल	10.00	}	27.54	27.47	-0.07
पुनर्वि०	17.54				

प्रावधान में ₹ 17.54 लाख की वृद्धि छटा वेतन आयोग के अवशेषों के भुगतान करने के कारण हुआ। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i wthxr&amp;

nRrer&amp;

(v) ₹ 11,12.48 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, कोई भी धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) ₹ 11,12.48 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 1,50.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vii) बचत (व्याधिकाय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई:-

4059- लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें-

पूरक	1,50.00	1,50.00	..	-1,50.00
------	---------	---------	----	----------

'kh"KZ dty vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +  
cpr &

kyk[k ₹ ed

60- अन्य-

051- निर्माण-

03- शहीद धनसिंह कोतवाल जिला प्रशिक्षण  
केन्द्र, होमगार्ड्स, मेरठ-

मूल	0.01	}	1,00.00	97.00	-3.00
पुनर्वि०	99.99				

प्रावधान में ₹ 99.99 लाख की वृद्धि शहीद धनसिंह कोतवाल जिला प्रशिक्षण केन्द्र मेरठ का निर्माण होने से हुआ।

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत  
परिव्यय-

800- अन्य व्यय-

04- होमगार्ड विभाग के कार्यालय भवनों  
का निर्माण

4,00.00 2,46.17 -1,53.83

05- होमगार्ड विभाग की आधुनिकीकरण  
योजना के अन्तर्गत अनावासीय भवनों  
का निर्माण-

मूल	7,48.77	}	6,48.78	..	-6,48.78
पुनर्वि०	-99.99				

प्रावधान में ₹ 99.99 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुई।

06- होमगार्ड्स विभाग की आधुनिकीकरण  
योजना(केन्द्राश 60/ राज्य 40,

के+रा) 2,13.04 56.17 -1,56.87

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

vupku l a[; k 28& x'g foHkkx ¼ jktuf'rd idku rFkk vU; 0; ; ½

eq[; 'kh"kZ

dgy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr &

jktLo&

¼gtkj ₹ e½

2014- न्याय प्रशासन,

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें,

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,

2251- सचिवालय-सामाजिक सेवायें तथा

3055- सड़क परिवहन

nRrer&

मूल	1,07,83,62
पूरक	2,69,87

1,10,53,49

89,34,36

-21,19,13

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

iWthxr&

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	30,00
पूरक	..

30,00

..

-30,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) वास्तविक व्यय में ₹ 1,48.84 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2009-10 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं।

₹ 22,67.97 लाख (₹ 21,19.13 लाख + ₹ 1,48.84 लाख) की अन्तिम बचत को देखते हुए, कोई भी धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ii) ₹ 22,67.97 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 2,69.87 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kZ

dgy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr &

¼ytk[k ₹ e½

2014- न्याय प्रशासन-

114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-

03- उत्तर प्रदेश अभियोजन निदेशालय

59,81.64

51,80.99

-8,00.65

'kh"kz	clg vupnku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr &
%yk[k ₹ ed			
2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-			
091- संलग्न कार्यालय-			
03- अवशेषों का भुगतान	1,36.52	1,21.63	-14.89
04- जिला पासपोर्ट प्रकोष्ठों के लिये अनुषांगिक व्यय	24.54	19.29	-5.25
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-			
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, कार्यक्रम-			
107- स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना-			
03- स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को पेंशन-			
मूल	45,00.00		
पुनर्वि०	-46.98		
	44,53.02	31,72.22	-12,80.80
वास्तविक व्यय में ₹ 1,26.18 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2009-10 तथा 2010-11 के सम्मिलित हैं। प्रावधान में ₹ 46.98 लाख की कमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संख्या में कमी के कारण हुई।			
2251- सचिवालय-सामाजिक सेवायें-			
092- अन्य कार्यक्रम-			
03- उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् से सम्बन्धित अधिष्ठान मुख्यालय-			
मूल	60.30		
पुनर्वि०	0.50		
	60.80	47.11	-13.69
प्रावधान में ₹ 0.50 लाख की वृद्धि लम्बित बिलों का भुगतान करने के कारण हुई।			
200- अन्य योजनाएं-			
03- स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन-			
मूल	50.69		
पुनर्वि०	-0.50		
	50.19	43.65	-6.54
प्रावधान में ₹ 0.50 लाख की कमी मितव्ययिता के कारण हुई। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)			

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

		0; ;	0; ; +	
2235-	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-			
60-	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, कार्यक्रम-			
800-	अन्य व्यय-			
03-	आपातकालीन अवधि में मीसा एवं डी आई आर में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि का भुगतान	0.01	4.50	+4.49
	वास्तविक व्यय में ₹ 4.50 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2009-10 के सम्मिलित हैं।			
2251-	सचिवालय-सामाजिक सेवायें-			
200-	अन्य योजनाएं-			
04-	उत्तर प्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सहायता संस्थान-			
	मूल	16.67		
	पुनर्वि0	16.65		
	प्रावधान में ₹ 16.65 लाख की वृद्धि अवशेषों का भुगतान करने के कारण हुई।	33.32	33.20	-0.12
3055-	सड़क परिवहन-			
190-	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-			
03-	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को भुगतान-			
	मूल	5.25		
	पुनर्वि0	30.33		
	प्रावधान में ₹ 30.33 लाख की वृद्धि परिवहन निगम के लम्बित बिलों का भुगतान करने के कारण हुई।	35.58	35.51	-0.07
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।			

i wthxr&

nRrer&

(v) ₹ 30.00 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, कोई भी धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) बचत निम्न के अधीन हई:-

'kh"KZ	dgY vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr &
		kyk[k ₹ e	
4050-	अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-		
800-	अन्य व्यय-		
03-	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संस्थान द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के स्मारकों/ स्तम्भों के निर्माण तथा जन्म शताब्दी आदि के लिए सहायक अनुदान	30.00	.. -30.00
	उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।		

वृत्तवार्षिक 2011-12 का वार्षिक वित्तीय विवरण का सारांश

एक करोड़ रुपये के अंश में व्यय के विवरण के अनुसार व्यय के विवरण का सारांश

वर्ष 2011-12

विवरण

2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल,  
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

विवरण

मूल	7,77,97	7,97,86	7,88,80	-9,06
पूरक	19,89			

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

विवरण

विवरण

विवरण

- ₹ 9.06 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, कोई भी धनराशि समर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 9.06 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 19.89 लाख का अनुपूरक विनियोग अधिक सिद्ध हुआ।
- बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

एक करोड़ रुपये के अंश में व्यय के विवरण के अनुसार व्यय के विवरण का सारांश

वर्ष 2011-12

2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल,  
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-

03- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक-

103- पारिवारिक सीपना-

03- कर्मचारीवर्ग-

मूल	84.58	79.77	74.79	-4.98
पूरक	1.44			
पुनर्वि०	-6.25			

विनियोग में ₹ 6.25 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

105- चिकित्सा सुविधायें-

03- चिकित्सा सम्बन्धी व्यय-

मूल	46.32	41.07	40.33	-0.74
पुनर्वि०	-5.25			

विनियोग में ₹ 5.25 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh" kZ

dy; fofu; ksx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr &amp;

lyk[k ₹ e#

800- अन्य व्यय—

04- राजभवन में स्वच्छता—

मूल	45.19	}	44.19	36.71	-7.48
पुनर्वि०	-1.00				

विनियोग में ₹ 1.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ—

2012- राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल,  
संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक—03- राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के  
प्रशासक—

090- सचिवालय—

03- अधिष्ठान व्यय—

मूल	5,30.51	}	5,57.56	5,53.36	-4.20
पूरक	12.00				
पुनर्वि०	15.05				

प्रावधान में ₹ 15.05 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 16.74 लाख की वृद्धि मंहगाई भत्ते की दरें बढ़ना, बेकार गाड़ी को बदलना, पेट्रोल में कम बजट प्रावधान तथा यात्रा भत्ते मार्च 2012 के लम्बित देयकों के कारण की गई तथा प्रावधान में ₹ 0.49 लाख की कमी के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

108- दौरा खर्च—

03- दौरा खर्च—

मूल	14.09	}	15.00	23.14	+8.14
पूरक	0.91				

800- अन्य व्यय—

03- अवशेषों का भुगतान—

पूरक	0.01	}	0.16	6.43	+6.27
पुनर्वि०	0.15				

₹ 0.15 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 6.74 लाख का अभ्यर्पण माननीय राज्यपाल द्वारा बेकार गाड़ी बदलने के कारण तथा प्रावधान में ₹ 6.59 लाख विनियोग में की गयी कमी के कारण नहीं सूचित किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।



वृत्तिका 1 अ; क 30 & xsi u foHkkx ¼ jktLo foF'k"V vfHkl ipuk  
funS'kky; rFkk vU; 0; ; ½

ed; 'kh"z

dy vutku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr &

½gtkj ₹ e#

jktLo&

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें

2053- जिला प्रशासन तथा

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें

nRrer&

मूल	3,42,94	}	3,42,94	3,32,70	-10,24
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)					5,00

अनुदान के राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत व्यय में आकस्मिता निधि से अगस्त 2011 में स्वीकृत अग्रिमों में से व्यय किये गये किन्तु वर्ष के समाप्ति तक निधि में वापस न किये गये ₹ 2,01 हजार सम्मिलित नहीं हैं।

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 10.24 लाख के अन्तिम बचत को देखते हुए, मात्र ₹ 5.00 लाख ही अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित किये जा सके।



'kh"KZ dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$  
cpr&  
( yk[k ₹ ea)

105- एलोपैथी-

04- प्रशिक्षण 3,01.86 2,84.08 -17.78

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

15-मेडिकल कालेज/सम्बद्ध अस्पताल-

मूल	98,71.90	}	1,00,49.90	1,07,30.13	+6,80.23
पूरक	1,78.00				

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012) ।

i thxr&

nRrer&

(v) ₹ 29,21.39 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।

(vi) ₹ 29,21.39 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 61,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ ।

(vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर

पूँजीगत परिव्यय-

03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण

तथा अनुसंधान-

105- एलोपैथी-

03- संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान

लखनऊ को अनुदान 75,00.00 62,05.43 -12,94.57

05- रुरल इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज,

सैफई, इटावा में मेडिकल कालेज की

स्थापना 6,00.00 4,26.22 -1,73.78

07- सेन्टर आफ बायोमेडिकल मैग्नेटिक

रेजोनेन्स, लखनऊ 5,08.00 3,78.76 -1,29.24

' kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		( yk[k ₹ ee)	cpr&
22- जे0के0इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर—			
मूल	80.00		
पूरक	3.85	83.85	30.00
			-53.85
29- सरोजनी नायडू चिकित्सालय सम्बद्ध चिकित्सालय, आगरा	15.00	..	-15.00
39- गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर—			
मूल	3,10.00		
पूरक	4,03.50	7,13.50	5,36.96
			-1,76.54
46- जे0के0इन्स्टीट्यूट आफ रेडियोलोजी एण्ड कैंसर रिसर्च कानपुर में एडवांस एण्टी कैंसर नैदानिक एवं उपचार सुविधाओं का विकास	1.00	..	-1.00
52- राजकीय मेडिकल कालेजों के पुस्तकालयों में इंटर नेट सुविधा मेडलार सिस्टम	1,25.00	1,05.52	-19.48
54- राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर—			
मूल	1,36,38.75		
पूरक	3,00.00	1,39,38.75	1,20,14.57
			-19,24.18
57- पैरा मेडिकल कालेज, झांसी	11,50.00	10,00.00	1,50.00
58- डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए स्थापित कालेज आफ नर्सिंग	18.00	..	-18.00
6075- विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज—			
800- अन्य कर्ज—			
03- एस0 जी0 पी0 जी0 आई0 में राज्य कर्मचारियों की चिकित्सा के लिए रिवाल्विंग फण्ड—			
पूरक	5,00.00	5,00.00	..
			-5,00.00
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।			

(viii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

<p>'kh"KZ</p> <p>4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूजीगत परिव्यय-</p> <p>03- चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-</p> <p>105- एलोपैथी-</p> <p>53- राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज सहारनपुर</p>	<p>dy vupku okLrfod 0; ;</p> <p>( yk[k ₹ e)</p> <p>11,50.00</p>	<p>vf/kd 0; ; \$</p> <p>cpr&amp;</p> <p>29,23.10</p>	<p>+17,73.10</p>
--	---	--	------------------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

वृत्तवार्षिक 2013-14 के लिए व्यय ( , यकी ढक)

वर्ष ; 'क"क	वृत्तवार्षिक व्यय ; क ; क ; क	अनुमानित व्यय ; क	अनुमानित व्यय ; क	अनुमानित व्यय ; क
( गती ढक )				
<b>कतलक</b>				
2013- मंत्रि परिषद् तथा				
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य				
<b>नररक</b>				
मूल	25,51,84,61	25,51,84,61	24,06,14,71	-1,45,69,90
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..				
<b>ककककक</b>				
मूल	20,00	20,00	11,34	-8,66
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..				
<b>ककककक</b>				
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर				
पूंजीगत परिव्यय और				
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय				
<b>नररक</b>				
मूल	4,91,57,00	4,91,57,00	3,44,43,25	-1,47,13,75
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ..				

वर्षीय व्यय ; क , ककककक

कतलक

नररक

- (i) ₹ 1,45,69.90 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ii) बचत( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl dly vunku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

( yk/k ₹ ea)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- निदेशन-

मूल	26,06.95	}	26,26.95	22,46.26	-3,80.69
पुनर्वि०	20.00				

प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान हेतु अनुदान के आवंटन के कारण हुई।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

04- एलोपैथी एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय-

मूल	11,36,50.10	}	10,69,76.33	9,88,92.82	-80,83.51
पुनर्वि०	-66,73.77				

प्रावधान में ₹ 66,73.77 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 12,06.81 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा वृद्धि कर्मचारियों की नियुक्ति, उपकरणों के क्रय करने तथा मुख्य मंत्री के निर्देशों का पालन करने के कारण हुई, तथा प्रावधान में ₹ 78,80.58 लाख की कमी कम मांग के कारण हुई।

10- जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में

विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें 7,08.50 4,97.92 -2,10.58

97- बाह्य सहायतित परियोजनायें-

मूल	34,92.44	}	12,92.44	1,82.11	-11,10.33
पुनर्वि०	-22,00.00				

प्रावधान में ₹ 22,00.00 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा की गई कमी के कारण सूचित नहीं किए गये हैं।





' kh"kl dly vupku okLrfod 0 ; ; vf/kd 0 ; ; \$  
cpr&

( yk[k ₹ ee)

800- अन्य व्यय—

03- चिकित्सालयों और औषधालयों को अनुदान—

मूल	25,66.44	}	18,38.22	13,82.78	-4,55.44
पुनर्वि०	-7,28.22				

₹ 7,28.22 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 7,28.80 लाख कमी तथा प्रावधान में ₹ 0.58 लाख वृद्धि के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—एलोपैथी—

110- अस्पताल तथा औषधालय—

14- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की  
स्थापना ( जिला योजना)—

मूल	5,11.02	}	..	..	..
पुनर्वि०	-5,11.02				

प्रावधान में ₹ 5,11.02 लाख की कमी होने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं।

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

06- आरोग्य निधि की

स्थापना	5,00.00	..	-5,00.00
---------	---------	----	----------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i Hkkfjr&

(iii) ₹ 8.66 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(iv) बचत निम्न के अधीन हुई—

' kh"kl dly fofu; ksx okLrfod 0 ; ; vf/kd 0 ; ; \$  
cpr&

( yk[k ₹ ee)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें—एलोपैथी—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- निदेशन	20.00	11.34	-8.66
------------	-------	-------	-------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

in the  
 nRr&

- (v) ₹ 1,47,13.75 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकती।
- (vi) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

( yk[k ₹ ee)

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य  
 पर पूंजीगत परिव्यय-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-

110- अस्पताल तथा औषधालय-

04- क्षय रोग रूजालय ( क्लीनिक) भवन

निर्माण	5,00.00	3,83.62	-1,16.38
---------	---------	---------	----------

08- 100 शय्यायुक्त बाल रोग चिकित्सालय

भवन का निर्माण	15,00.00	2,81.09	-12,18.91
----------------	----------	---------	-----------

09- ट्रामा सेन्टर तथा ट्रामा एण्ड मास कैजुयलिटी

प्रबंधन योजना	2,00.00	79.98	-1,20.02
---------------	---------	-------	----------

10- चीरघर का निर्माण

	10,00.00	6,54.16	-3,45.84
--	----------	---------	----------

17- मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं

अधीनस्थ कार्यालय/अपर

निदेशक कार्यालय भवन का

निर्माण-

मूल	30,00.00	] 25,14.17	22,45.89	-2,68.28
-----	----------	------------	----------	----------

पुनर्वि0	-4,85.83
----------	----------

प्रावधान में ₹ 4,85.83 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा की गई कमी के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किए गये हैं।

19- प्लास्टिक सर्जरी एवं बर्न यूनिट का

भवन निर्माण	30,00.00	3,34.37	-26,65.63
-------------	----------	---------	-----------

42- जिला पुरुष/महिला चिकित्सालय में सुधार,

विस्तार एवं नवीनीकरण	50,00.00	41,23.16	-8,76.84
----------------------	----------	----------	----------

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

( yk[k ₹ ee)

46- डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल चिकित्सालय, लखनऊ में अति आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं की स्थापना	10.00	..	-10.00
56- शहरी क्षेत्रों के चिकित्सालयों एवं औषधालयों में लघु निर्माण कार्य	7,87.50	7,67.53	-19.97
64- जिला/संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें—			
मूल 95,00.00	85,00.00	19,70.44	-65,29.56
पुनर्वि0 -10,00.00			
प्रावधान में ₹ 10,00.00 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा की गई कमी के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किए गये हैं।			
67- जनपद कौशाम्बी में 100 शैय्यायुक्त संयुक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण	30.00	..	-30.00
72- 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना—			
मूल 60,00.00	52,59.62	38,06.54	-14,53.08
पुनर्वि0 -7,40.38			
प्रावधान में ₹ 7,40.38 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा की गई कमी के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किए गये हैं।			
76- जिला चिकित्सालय, उन्नाव के निर्माण हेतु रक्षा विभाग की ली गयी भूमि के भू-प्रतिकर का भुगतान	10.00	..	-10.00
02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—			
104- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—			
09- ग्रामीण क्षेत्र के चिकित्सालयों/औषधालयों में लघु निर्माण कार्य	3,67.50	69.99	-2,97.51

' kh" kZ	dly vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
( yk/k ₹ ee)			
110- अस्पताल तथा औषधालय-			
09- तरवां जनपद आजमगढ़ में 100 शैय्या चिकित्सालय भवन का निर्माण	50.00	..	-50.00
11- बकेवर जनपद इटावा में 100 शैय्या चिकित्सालय भवन का निर्माण	50.00	..	-50.00
800- अन्य व्यय-			
97- वाह्य सहायतित परियोजनायें	5,00.00	..	-5,00.00
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण अप्रयुक्त प्रावधान के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जून 2012)।			
(vii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-			
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-			
110- अस्पताल तथा औषधालय-			
06- मण्डल मुख्यालयों पर 300 शैया संयुक्त चिकित्सालयों की स्थापना -			
मूल	15,96.00	30,81.83	30,81.83
पुनर्वि०	14,85.83		
प्रावधान में ₹ 14,85.83 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा वृद्धि, जनता को एक छत के नीचे घटी दरों पर स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए की गयी।			
13- जिला पुरुष/महिला चिकित्सालयों में रोगी आश्रय स्थल का निर्माण	2,00.00	3,42.67	+1,42.67
32- कन्नौज में 100 शैयायुक्त संयुक्त चिकित्सालय का भवन निर्माण-			
मूल	10.00	2,71.74	2,71.74
पुनर्वि०	2,61.74		
प्रावधान में ₹ 2,61.74 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा वृद्धि, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान करने के लिए की गयी।			
68- जनपद बागपत में 100 शैयायुक्त संयुक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण-			
मूल	1,45.00	6,23.64	6,23.64
पुनर्वि०	4,78.68		
प्रावधान में ₹ 4,78.64 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा वृद्धि के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।			

वृत्तिका I अ; क 33&fpldRI क foHkkx (vk; plnd , oa ; wkuh)

ed; 'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
	( gtlj ₹ ee)		
jktLo&			
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
nRrer&			
मूल	3,81,26,52	3,82,43,14	3,64,45,85
पूरक	1,16,62		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)			17,91,68

iwtlxr&

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
nRrer&			
मूल	31,22,70	32,22,70	29,68,52
पूरक	1,00,00		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)			2,45,45

fVli f. k; ka , oa VhdK; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 17,97.29 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 17,91.68 लाख की धनराशि अभ्यर्पण करने हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 17,97.29 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए अगस्त 2011 में प्राप्त ₹ 1,16.62 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
	( yk[k ₹ ee)		

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य

चिकित्सा पद्धतियां-

101- आयुर्वेद-

03- निदेशन तथा प्रशासन-

मूल	16,65.06	12,64.82	12,63.84
पुनर्वि0	-4,00.24		

प्रावधान में ₹ 4,00.24 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 2,53.81 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा कमी के विशेष कारण सूचित नहीं किये गए। ₹ 1,46.43 लाख का अभ्यर्पण

बचत के कारण हुआ।

'kh"KZ dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$  
cpr&

( yk[k ₹ e)

05- अस्पताल तथा औषधालय-

मूल	62,99.55	}	57,59.01	57,55.99	-3.02
पुनर्वि०	-5,40.54				

प्रावधान में ₹ 5,40.54 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 2,80.92 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा कमी के विशेष कारण सूचित नहीं किये गए। ₹ 2,59.62 लाख का अभ्यर्पण राज्य सरकार द्वारा व्यय हेतु अनुमोदन न मिलने के कारण हुआ।

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

103- यूनानी-

03- अस्पताल तथा रुजालय-

मूल	30,49.62	}	22,73.73	22,83.90	+10.17
पुनर्वि०	-7,75.89				

प्रावधान में ₹ 7,75.89 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 2,05.68 लाख की पुनर्विनियोग द्वारा कमी के विशेष कारण सूचित नहीं किये गए। ₹ 5,70.21 लाख का अभ्यर्पण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

inthr&

nRrer&

(iv) ₹ 2,54.18 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2,45.45 लाख की धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।

(v) ₹ 2,54.18 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए अगस्त 2011 में प्राप्त ₹ 1,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

पर पूंजीगत परिव्यय-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-

800- अन्य व्यय-

06- यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल-

मूल	61.00	}	1,00.00	1,00.00	..
पूरक	1,00.00				
पुनर्वि०	-61.00				

₹ 61.00 लाख का अभ्यर्पण योजना का समय से अनुमोदन न होने के कारण हुआ।

' kh"z

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&amp;

( yk[k ₹ ea)

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-

800- अन्य व्यय-

04- राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी कालेजों के

भवनों/छात्रावासों का निर्माण

(चालू कार्य)

8,61.70

6,82.72

-1,78.98

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (जून 2012)।



vunpku l a[ ; k 34&fpfdRI k foHkkx ( gkE; ks \$Fkd fpfdRI k)

ef[ ; 'kh"kl dgy vunpku okLrfod 0 ; ; vf/kd 0 ; ; \$  
cpr&  
( gtkj ₹ ea)

jktLo&

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

nRrer&

मूल	1,72,26,23	]	1,72,26,23	1,68,94,34	-3,31,89
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

iRthxr&

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर

पूँजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	1,81,29	]	1,81,29	1,39,48	-41,81
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 3,31.89 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण करने हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई—

'kh"kl

dgy vunpku okLrfod 0 ; ; vf/kd 0 ; ; \$  
cpr&

( yk[k ₹ ea)

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—

02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें—

अन्य चिकित्सा पद्धतियां—

102- होम्योपैथी—

03- निदेशन और प्रशासन 1,50.09 1,22.73 -27.36

06- होम्योपैथिक औषधि निर्माणशाला/

परीक्षणशाला 89.88 .. -89.88

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किय गये हैं (जून 2012)।

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

' kh" kZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
		( yk[k ₹ e)	

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-  
अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

102- होम्योपैथी-

04- अस्पताल और औषधालय 18,30.37 18,65.20 +34.83

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i thxr&

nRrer&

(iv) ₹ 41.81 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(v) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर

पूँजीगत परिव्यय-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-

800- अन्य व्यय-

03- राजकीय नेशनल होम्योपैथी मेडिकल कालेज,  
लखनऊ, राजकीय पं० जवाहर लाल नेहरू  
होम्योपैथी मेडिकल कालेज, कानपुर तथा राजकीय  
लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथी मेडिकल कालेज,  
इलाहाबाद के भवनों का निर्माण

1,29.53 79.53 -50.00

05- होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों के  
कार्यालय भवन का निर्माण

10.00 .. -10.00

08- होम्योपैथी चिकित्सालय

10.50 .. -10.50

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-

800- अन्य व्यय-

04- होम्योपैथी चिकित्सालय

11.26 .. -11.26

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(vi) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kl	dlg vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
		( yk[k ₹ ee)	

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर  
पूँजीगत परिव्यय-

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें-

800- अन्य व्यय-

09- राजकीय होम्योपैथी मेडिकल

कालेज और अस्पताल

20.00

59.95

+39.95

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

वृत्तगत व्यय; क 35 & फंडों के व्यय ( विवरण सं. 1 )

विवरण	वृत्तगत व्यय	अनुमानित व्यय	अनुमानित व्यय	अनुमानित व्यय
	( रु. )	( रु. )	( रु. )	( रु. )
2211- परिवार कल्याण				
मूल	14,33,47,44	14,33,47,44	13,98,67,35	-34,80,09
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( जून 2012 )।				22,89,12
मूल	15,00	15,00	11,12	-3.88
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( जून 2012 )।				2,09

- (i) ₹ 34,80.09 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 22,89.12 लाख की धनराशि अभ्यर्पण करने हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

विवरण	वृत्तगत व्यय	अनुमानित व्यय	अनुमानित व्यय	अनुमानित व्यय
	( रु. )	( रु. )	( रु. )	( रु. )
2211- परिवार कल्याण-				
003- प्रशिक्षण-				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें				
मूल	21,71.31	15,01.08	13,91.10	-1,09.98
पुनर्वि०	-6,70.23			
₹ 6,70.23 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता के कारण हुआ।				

'kh"lz dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$  
cpr&

( yk[k ₹ ee)

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	3,95,00.01	}	3,95,00.00	2,14,84.39	-1,80,15.61
पुनर्वि०	-0.01				

₹ 0.01 लाख का अभ्यर्पण मितव्ययिता के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012)।

(iii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुई—

2211- परिवार कल्याण—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें

मूल	40,85.28	}	37,01.37	39,61.81	+2,60.44
पुनर्वि०	-3,83.91				

₹ 3,83.91 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकतानुसार व्यय के आधार पर हुआ।

101- ग्रामीण परिवार कल्याण सेवायें—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	4,74,46.52	}	4,69,18.24	6,01,16.10	+1,31,97.86
पुनर्वि०	-5,28.28				

₹ 5,28.28 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकतानुसार व्यय के आधार पर हुआ।

102- शहरी परिवार कल्याण सेवायें—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	39,73.42	}	36,86.75	42,99.76	+6,13.01
पुनर्वि०	-2,86.67				

₹ 2,86.67 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकतानुसार व्यय के आधार पर हुआ।

' kh"lz dly vuqku okLrfod 0 ; ; vf/kd 0 ; ; \$ cpr&

( yk[k ₹ ee)

103-मातृ तथा बाल स्वास्थ्य-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	2,10,99.35	}	2,06,79.33	2,27,01.45	+20,22.12
पुनर्वि०	-4,20.02				

₹ 4,20.02 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकतानुसार व्यय के आधार पर हुआ।

200- अन्य सेवायें तथा पूर्तियां-

03-प्रसवोत्तर कार्यक्रम 47,25.18 48,54.10 +1,28.92

04- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थित

ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र 1,99,96.37 2,07,43.08 +7,46.71

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

jktLo&

i Hkkfjr&

(iv) ₹ 3.88 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2.09 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।

वृत्तवार्षिक 36 मासों के फल ( एकल लोक )

वर्ष : ' 2011-12 ' के लिए वृत्तवार्षिक 36 मासों के फल ( एकल लोक )

( गति ₹ में )

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

मूल

3,97,65,74

पूरक 46,97

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

मूल

1,00

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

विवरण

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

मूल

(i) ₹ 52,59.41 लाख की अंतिम बचत के सापेक्ष, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ii) ₹ 52,59.41 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त ₹ 46.97 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' 2011-12 '

वृत्तवार्षिक 36 मासों के फल

वर्ष : ' 2011-12 '

वर्ष : ' 2011-12 '

वर्ष : ' 2011-12 '

( गति ₹ में )

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-

06- लोक स्वास्थ्य-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- अधिष्ठान व्यय

6,96.80

5,12.81

-1,83.99

003- प्रशिक्षण-

04- सम्भागीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

प्रशिक्षण केन्द्र

5,52.30

4,30.68

-1,21.62

' kh"kZ

dly vuŋku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&amp;

( yk/k ₹ ee)

101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण—

03- स्वास्थ्य, खाद्य एवं औषधि  
नियन्त्रण

3,53,41.10

3,06,13.87

-47,27.23

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

03- न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम

3,35.35

2,52.53

-82.82

06- खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण—

पूरक

24.97

24.97

..

-24.97

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।



वृत्तवार्षिक 37वें वित्त वर्ष का प्रारंभिक बजट

विवरण	वित्त वर्ष 2011-12	वित्त वर्ष 2012-13	वित्त वर्ष 2013-14	वित्त वर्ष 2014-15
<b>वित्त वर्ष 2011-12</b>				
2015- निर्वाचन,				
2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें,				
2053- जिला प्रशासन,				
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,				
2215- जलपूर्ति तथा सफाई,				
2217- शहरी विकास तथा				
2230- श्रम तथा रोजगार				
<b>मूल</b>	11,12,10,30	11,16,01,47	4,90,50,46	-6,25,51,01
<b>पूरक</b>	3,91,17			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..
<b>वित्त वर्ष 2012-13</b>				
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,				
4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,				
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,				
4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय तथा				
6215- जलपूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज				
<b>मूल</b>	16,82,00,40	22,92,00,40	20,30,23,79	-2,61,76,61
<b>पूरक</b>	6,10,00,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )				2,79,28
<b>वित्त वर्ष 2013-14</b>				
<b>वित्त वर्ष 2014-15</b>				

- (i) वास्तविक व्यय में ₹38.38 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के सम्मिलित है। ₹ 6,25,89.39 लाख ( ₹ 6,25,51.01 लाख + ₹ 38.38 लाख ) की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

- (ii) ₹ 6,25,89.39 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 3,91.17 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

dy vupku      okLrfod 0; ;      vf/kd 0; ; \$  
cpr &  
½ yk[k ₹ es ½

## 2015- निर्वाचन-

## 800- अन्य व्यय-

## 04- स्थानीय निकायों के

## निर्वाचन हेतु-

मूल	25,00.00	}	24,26.50	19,04.50	-5,22.00
पुनर्वि०	-73.50				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 73.50 लाख की कमी नगर निकाय निर्वाचन 2011 हेतु अवमुक्त धनराशि में बचत के कारण हुई।

## 2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं-

## 800- अन्य व्यय-

## 03- राज्य सफाई कर्मचारी आयोग

22.76

17.08

-5.68

वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 9.67 लाख सम्मिलित है।

## 04- उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय

## संसाधन विकास बोर्ड-

पूरक	61.16	61.16	5.19	-55.97
------	-------	-------	------	--------

## 2217- शहरी विकास-

## 04- मलिन बस्तियों का सुधार-

## 800- अन्य व्यय-

## 03- इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम

## डेवलपमेंट प्रोग्राम-

मूल	2,43,00.00	}	2,23,72.75	87,86.00	-1,35,86.75
पुनर्वि०	-19,27.25				

₹ 19,27.25 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,04.00 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई तथा पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 18,23.25 लाख की अवशेष धनराशि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	
05- अन्य शहरी विकास योजनायें—			
800- अन्य व्यय—			
03- जे०एन०एन०यू०आर०एम० के उपघटक, बेसिक सर्विसेज फार अरबन पुअर ( के० 50/रा० 50 )—			
मूल 3,28,00.00			
पुनर्वि० -55,99.07	2,72,00.93	61,68.10	-2,10,32.83
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 55,99.07 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।			
07- नगरीय परिवहन निदेशालय	1,00.00	50.00	-50.00
08- राजीव आवास योजना ( आर० ए० वाई० )	7,33.17	..	-7,33.17
80- सामान्य—			
191- नगर निगमों को सहायता—			
03- तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान	1,71,14.00	67,52.80	-1,03,61.20
192- नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता—			
03- तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान	1,71,14.00	67,52.80	-1,03,61.20
193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता—			
03- तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अनुदान	85,57.00	33,76.40	-51,80.60
800- अन्य व्यय—			
04- प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ( के० 100/रा० 0 )	75.00	61.95	-13.05
06- आई०आर०एम०ए० ( इरमा ) ( के० 100/रा० 0 )	75.00	53.11	-21.89

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 ) ।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &amp;

% yk[k ₹ ea ½

2053- जिला प्रशासन-

094- अन्य स्थापनाएं-

04- कुम्भ मेला, इलाहाबाद-

पुनर्वि०	38.50	38.50	20.09	-18.41
----------	-------	-------	-------	--------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 38.50 लाख की वृद्धि मेला अधिकारी, कुम्भ मेला को वेतन तथा भत्ते आदि के भुगतान के कारण हुआ।

2217- शहरी विकास-

04- मलिन बास्तियों का सुधार-

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 5.00

10,66.67

10,66.66

-0.01

पुनर्वि० 10,61.67

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 10,61.67 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- अन्य शहरी विकास योजनायें-

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

पूरक 0.01

3,43.01

1,04.00

-2,39.01

पुनर्वि० 3,43.00

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 3,43.00 लाख की वृद्धि प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

2230- श्रम तथा रोजगार-

02- रोजगार सेवाएं-

101- रोजगार सेवाएं-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 12,55.25

73,76.90

73,74.32

-2.58

पुनर्वि० 61,21.65

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 61,21.65 लाख की वृद्धि मुख्यतः पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 ) ।

in the  
order

- (v) वास्तविक व्यय में ₹14.00 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02 के सम्मिलित है।  
₹ 2,61,90.61 लाख ( ₹ 2,61,76.61 लाख+₹ 14.00 लाख ) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 2,79.28 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (vi) ₹ 2,61,90.61 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 6,10,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- (vii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर  
पूँजीगत परिव्यय-

01- जलपूर्ति-

101- शहरी जल पूर्ति-

97- वार्ड सहायतित योजनायें-

मूल 5,00,00.00

पुनर्वि० -16,39.71

4,83,60.29

..

-4,83,60.29

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 16,39.71 लाख की कमी पलरा से आगरा तक 130 कि०मी० पाइप लाइन संविदा को अन्तिम रूप न दिये जाने के कारण हुई।

02- मल-जल तथा सफाई-

192- नगर पालिकाओं/नगर पालिका  
परिषदों को सहायता-

03- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास  
निधि से व्यय-

मूल 40,00.00

पूरक 6,67.00

पुनर्वि० -30,00.00

16,67.00

1,17.82

-15,49.18

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 30,00.00 लाख की कमी नगर पंचायतों आदि में सीवर व्यवस्था न होने के कारण हुई।

193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र  
समितियों या उनके समतुल्य  
निकायों को सहायता-

03- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास  
निधि से व्यय

30,00.00

3,49.48

-26,50.52

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र  
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

25,00.00

10,29.28

-14,70.72

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
% yk[k ₹ ea %			
4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-			
03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों			
का समेकित विकास-			
191- नगर निगमों को सहायता-			
03- अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट			
स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम			
टाउन्स ( केन्द्र 80 /राज्य 10 )-			
मूल 25,00.00	70,21.73	28,88.42	-41,33.31
पूरक 45,21.73			
192- नगर पालिकाओं / नगर पालिका			
परिषदों को सहायता-			
03- अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट			
स्कीम फार स्माल एण्ड मीडियम			
टाउन्स ( केन्द्र 80 /राज्य 10 )-			
मूल 1,25,00.00	1,59,78.27	1,37,34.89	-22,43.38
पूरक 34,78.27			
193- नगर पंचायतों / अधिसूचित क्षेत्र			
समितियों या उनके समतुल्य			
निकायों को सहायता-			
04- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास			
निधि से व्यय			
मूल 35,00.00	30,90.00	22,93.91	-7,96.09
पुनर्वि० -4,10.00			
<p>₹ 4,10.00 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 2,25.00 लाख की कमी नगर पंचायत से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई। ₹ 1,85.00 लाख का अभ्यर्पण नगर पंचायत जुंगीपुर उमरी ( जालौन ), राजापुर ( चित्रकूट ), रुद्रपुर ( देवरिया ) द्वारा औपचारिकताएं पूर्ण न किये जाने के कारण हुआ।</p>			
800- अन्य व्यय-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत / केन्द्र			
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	10,00.00	..	-10,00.00
60- अन्य शहरी विकास योजनायें-			
191- नगर निगमों को सहायता-			
04- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों			
का कार्यान्वयन	31,25.00	..	-31,25.00

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
% yk[k ₹ ea %			
192- नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-			
03- जे०एन०एन०यू०आर०एम० योजना को सहायता (केन्द्र 50/राज्य 20)-			
मूल 50,00.00	55,55.56	44,14.14	-11,41.42
पूरक 5,55.56			
6215- जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज-			
02- मल-जल तथा सफाई-			
191- नगर निगमों को सहायता-			
03- मा० कांशीराम जी नगर विकास योजना-			
मूल 1,12,00.00	3,05,93.93	1,81,42.31	-1,24,51.62
पूरक 1,93,93.93			
193- नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समतुल्य निकायों को सहायता-			
03- मा० कांशीराम जी नगर विकास योजना	14,00.00	7,03.25	-6,96.75
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 ) ।			

(viii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

4215- जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-

01- जलपूर्ति-

192- नगर पालिकाओं/नगर पालिका परिषदों को सहायता-

04- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास निधि से व्यय-

मूल 20,00.00	33,33.33	34,88.49	+1,55.16
पूरक 13,33.33			

'kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &amp;

¼ yk[k ₹ ea ½

02- मल-जल तथा सफाई-

106- मल-जल सेवाएं-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र  
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

पूरक 30,00.00

पुनर्वि० 16,39.71

46,39.71

65,66.56

+19,26.85

प्रावधान में ₹ 16,39.71 लाख की वृद्धि राष्ट्रीय गंगा रीवर बेसिन प्राधिकरण के अन्तर्गत नगर विकास के बजट में चालू वित्तीय वर्ष में धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

191- नगर निगमों को सहायता-

03- उत्तर प्रदेश व्यापार विकास  
निधि से व्यय-

मूल 18,00.00

पूरक 13,33.00

पुनर्वि० 30,00.00

61,33.00

77,10.15

+15,77.15

प्रावधान में ₹ 30,00.00 लाख की वृद्धि नगर निगम, गाजियाबाद में साहिबाबाद ज़ेन हेतु धनराशि की आवश्यकता होने के कारण हुई।

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-

60- अन्य शहरी विकास योजनायें-

191- नगर निगमों को सहायता-

03- जे०एन०एन०यू०आर०एम० योजना  
को सहायता (केन्द्र 50/राज्य 20)-

मूल 4,50,00.00

पूरक 1,44,44.44

5,94,44.44

9,93,48.84

+3,99,04.40

6215- जल पूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज-

02- मल-जल तथा सफाई-

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य  
उपक्रमों को कर्ज-04- शहरी स्थानीय निकायों के  
रिवाल्विंग सुविधाओं के विस्तार  
और विकास के लिए ब्याज

मुक्त कर्ज

..

24.00

+24.00

वास्तविक व्यय में ₹14.00 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02 के सम्मिलित है।

05- मा० कांशीराम जी नगर

विकास योजना

..

7.57

+7.57



' kh" kZ

dly vuqku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &amp;

¼ yk[k ₹ ea ½

192- नगर पालिकाओं/नगर पालिका

परिषदों को सहायता—

03- मा० कांशीराम जी नगर

विकास योजना—

मूल	22,33.00	}	28,39.07	1,34,40.02	+1,06,00.95
पूरक	6,06.07				

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य तथा बिना प्रावधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 ) ।

वृत्तवर्ष 2011-12 के अंतर्गत म.प्र. सरकार के विभागों के व्यय

वर्ष	वृत्तवर्ष 2011-12	वृत्तवर्ष 2010-11	वृत्तवर्ष 2009-10	वृत्तवर्ष 2008-09
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ,				
2203- तकनीकी शिक्षा तथा				
3053- नागर विमानन				
मूल	30,32,81	30,32,81	25,70,92	-4,61,89
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )				4,67,99
5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय				
मूल	76,40,00	76,40,00	41,40,00	-35,00,00
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )				35,00,00

वृत्तवर्ष 2011-12 के अंतर्गत म.प्र. सरकार के विभागों के व्यय

वृत्तवर्ष

वृत्तवर्ष

- ( i ) ₹ 25,70.92 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के उच्चतम लेखे के समाशोधन के ₹ 6.17 लाख सम्मिलित है। ₹ 4,68.06 लाख ( ₹ 4,61.89 लाख + ₹ 6.17 लाख ) की अन्तिम बचत को देखते हुए; मात्र ₹ 4,67.99 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	dly vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
% yk[k ₹ ea ½				
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,				
114- वाहन का क्रय तथा रख रखाव-				
03- नागरिक उड्डयन निदेशालय-				
मूल	28,25.72	23,93.43	23,99.40	+5.97
पुनर्वि०	-4,32.29			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 6.04 लाख सम्मिलित हैं।				

₹ 4,32.29 लाख का अभ्यर्पण वेतन अवशेषों के भुगतान के बाद बचत, आर्थिक मितव्ययिता, शासन से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

2203- तकनीकी शिक्षा-

105- बहुशिल्प विद्यालय-

03- एयरक्राफ्ट मेन्टीनेन्स ट्रेनिंग संस्था

का सुदृढीकरण-

मूल	1,87.09	1,51.45	1,51.55	+0.10
पुनर्वि०	-35.64			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 0.10 लाख सम्मिलित हैं।				

₹ 35.64 लाख का अभ्यर्पण लेक्चरर तथा अन्य कार्मिकों की नियुक्ति न होने, मानदेय स्वीकृति न होने, आर्थिक मितव्ययिता आदि के कारण हुआ।

i wthxr&

nRrer&

( iii ) बचत ( एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) निम्न के अधीन हुई:-

5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

03- हेलीकाप्टर/वायुयान का क्रय-

मूल	35,00.00	..	..	..
पुनर्वि०	-35,00.00			

₹ 35,00.00 लाख का अभ्यर्पण वायुयान का क्रय न होने के कारण हुआ।

( iv ) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

'kh"kl	day vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

5053- नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय—

02- विमान पत्तन—

800- अन्य व्यय—

13- डा0 अम्बेडकर हवाई पट्टी,  
मेरठ का विस्तार—

पुनर्वि०	1,33.35	1,33.35	..	-1,33.35
----------	---------	---------	----	----------

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,33.35 लाख की वृद्धि डा० भीम राव अम्बेडकर हवाई-पट्टी के बाउन्ड्री  
वाल निर्माण हेतु नवीन व्यय/योजना होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

vunku I d; k 39&Hkk"kk foHkkx

ed; 'kh"KZ

dy vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$  
cpr &

¼ g tkj ₹ ea ½

jktLo&

2058- लेखन-सामग्री तथा मुद्रण,

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें तथा

2202- सामान्य शिक्षा

nRrer&

मूल 9,91,54

पूरक 97,89

10,89,43

10,27,25

-62,18

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )

35

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

(i) ₹ 62.18 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 0.35 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) ₹ 62.18 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 97.89 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत ( एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ

dy vunku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$  
cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

2058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण-

105- सरकारी प्रकाशन-

03- विभागीय मैनुअलों एवं नियमावलियों

आदि का संकलन तथा प्रकाशन

18.96

9.13

-9.83

2202- सामान्य शिक्षा-

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

104- अराजकीय कालेजों और संस्थानों

को सहायता-

07- उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान

को संस्कृत पंडितों को पुरस्कृत

करने हेतु अनुदान-

मूल 16.00

14.65

..

-14.65

पुनर्वि० -1.35

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1.35 लाख की कमी उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान में संस्कृत पंडितों को पुरस्कृत करने हेतु धनराशि अवमुक्त न किये जाने के कारण हुई।

'kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0 ; ;

vf/kd 0 ; ; \$

cpr &amp;

¼ yk[k ₹ ea ½

05- भाषा विकास—

102- आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा  
साहित्य का संवर्धन—05- उत्तर प्रदेश सिन्धी अकादमी  
को अनुदान—

मूल	36.88	}	29.65	28.90	-0.75
पुनर्वि०	-7.23				

₹ 7.23 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 6.88 लाख की कमी उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी में उपाध्यक्ष को मानदेय का भुगतान न किये जाने के कारण हुई। ₹ 0.35 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ—

2202- सामान्य शिक्षा—

05- भाषा विकास—

102- आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा  
साहित्य का संवर्धन—04- उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी  
को अनुदान—

मूल	3,45.57	}	3,58.39	3,58.39	..
पुनर्वि०	12.82				

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 12.82 लाख की वृद्धि उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन तथा भत्तों, पेंशन तथा मानदेय का भुगतान किये जाने के कारण हुई।

वृत्तवार्षिक 40 वें वित्त वर्ष का सार

विवरण

वृत्तवार्षिक

वित्त वर्ष ;

₹ करोड़ ;

क्र. सं.

₹ लाख

विवरण

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,

2402- मृदा तथा जल संरक्षण,

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,

2575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम,

2810- अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत,

3451- सचिवालय-आर्थिक सेवायें तथा

3454- जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

विवरण

मूल 4,86,09,57 ]

4,87,33,72

1,21,87,54

-3,65,46,18

पूरक 1,24,15 ]

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )

3,39,73

विवरण

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,

4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों

पर पूंजीगत परिव्यय तथा

4575- अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों

पर पूंजीगत परिव्यय

विवरण

मूल 10,50,55,59 ]

14,07,41,88

7,47,89,82

-6,59,52,06

पूरक 3,56,86,29 ]

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )

10,00,00

विवरण

विवरण

विवरण

- ₹ 3,65,46.18 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 3,39.73 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 3,65,46.18 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 1,24.15 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ ea½	cpr &
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-			
02- सामाजिक कल्याण-			
800- अन्य व्यय-			
03- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन	1,18,00.00	..	-1,18,00.00
2402- मृदा तथा जल संरक्षण-			
103- भूमि सुधार तथा विकास-			
04- राज्य भूमि उपयोग परिषद्	1,71.07	1,28.89	-42.18
2575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम-			
02- पिछड़े क्षेत्र-			
800- अन्य व्यय-			
03- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें	1,49,98.56	46.93	-1,49,51.63
04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें	1,00,01.44	30,73.90	-69,27.54
06- बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम-			
101- सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम-			
03- सोलर लाइट/सोलर पम्प/सोलर पावर फेन्सिंग के लिए एकमुश्त व्यवस्था	2,00.00	1,30.20	-69.80
102- डेरी विकास परियोजनायें-			
03- समितियों का गठन/उपकरण मशीन/साज-सज्जा के लिए एकमुश्त व्यवस्था	50.00	21.20	-28.80
800- अन्य व्यय-			
04- समीक्षा, प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन हेतु एकमुश्त व्यवस्था	40.00	16.56	-23.44
2810- नये और नवीनीकृत ऊर्जा-			
01- बायो-ऊर्जा-			
800- अन्य व्यय-			
03- बायो एनर्जी मिशन सेल	7.00	1.28	-5.72



' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		okLrfod 0; ;	cpr &
		4 yk[k ₹ ea ½	
3451- सचिवालय-आर्थिक सेवायें-			
092- अन्य कार्यालय-			
03- राज्य नियोजन संस्थान ( नवीन प्रभाग )	10,77.75	9,48.33	-1,29.42
07- राज्य नियोजन संस्थान ( मूल्यांकन प्रभाग ) द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन की प्रक्रिया में विशेषज्ञों की सेवाओं के उपयोग हेतु व्यवस्था-			
मूल 50.00	49.36	21.02	-28.34
पुनर्वि० -0.64			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 0.64 लाख की कमी आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुई।			
101- योजना आयोग/योजना बोर्ड-			
03- राज्य योजना आयोग-			
मूल 6,32.80	4,93.04	4,94.09	+1.05
पुनर्वि० -1,39.76			
₹ 1,39.76 लाख आर्थिक मितव्ययिता तथा ए०सी०पी० स्वीकृत न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।			
04- मण्डल/जिला स्तर पर नियोजन प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण-			
मूल 10,85.31	8,85.34	8,85.49	+0.15
पुनर्वि० -1,99.97			
₹ 1,99.97 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, देयक प्राप्त न होने, आर्थिक मितव्ययिता, कर्मचारियों की नियुक्ति न होने तथा वाहन स्वीकृति न होने के कारण हुआ।			
3454- जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-			
02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
03- अर्थ एवं संख्या निदेशालय	69,81.25	50,63.10	-19,18.15
04- स्टेट स्ट्रेटेजिक स्टेटिस्टिकल प्लान	2,00.00	0.80	-1,99.20
06- जिला योजना की संरचना ( जिला योजना समिति )	18.00	8.28	-9.72



' kh"kZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ ea ½	cpr &
06- बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम-			
101- पशु चिकित्सा सेवार्ये तथा पशु स्वास्थ्य-			
03- पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्रों का निर्माण/विस्तार के लिए एकमुश्त व्यवस्था	50.00	44.61	-5.39
102- ग्रामीण जलपूर्ति-			
03- जलापूर्ति कार्यक्रमों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	2,00.00	55.23	-1,44.77
106- ग्रामीण विद्युतीकरण-			
03- ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये एकमुश्त व्यवस्था	50.00	..	-50.00
207- राज्य पुलिस-			
03- भारत नेपाल सीमा पर स्थित जनपदों में बैरक, सीमा चौकी आदि के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	60.00	..	-60.00
800- अन्य व्यय-			
03- सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप केन्द्रों के भवन निर्माण/ विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था	70.00	3.00	-67.00
05- वन रक्षक चौकी एवं वन दरोगा आवास हेतु एकमुश्त व्यवस्था	50.00	42.28	-7.72
06- आंगनबाड़ी केन्द्रों के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	50.00	25.20	-24.80
07- सामुदायिक भवनों का निर्माण	2,00.00	34.20	-1,65.80
09- सी०सी०रोड एवं के०सी० ड्रेन निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था	10,00.00	7,66.91	-2,33.09
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।			
(vii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-			
4575- अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-			
02- पिछड़े क्षेत्र-			
800- अन्य व्यय-			
06- जनपद मिर्जापुर के लिये एकीकृत कार्य योजना-			
पुनर्वि०	30,00.00	30,00.00	30,00.00
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹30,00.00 लाख की वृद्धि भारत सरकार से धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।			..

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				₹ ea ½
07- चन्दौली के लिए एकीकृत कार्य योजना—				
पुनर्वि०	30,00.00	30,00.00	30,00.00	..
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹30,00.00 लाख की वृद्धि भारत सरकार से धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।				
06- बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम—				
201- बेसिक शिक्षा—				
03- विद्यालय का भवन/विस्तार/ बाउन्ड्रीवाल के निर्माण के लिए एकमुश्त व्यवस्था		50.00	85.90	+35.90
337- सड़क निर्माण कार्य—				
03- सड़कों के लिए एकमुश्त व्यवस्था—				
मूल	10,00.00	26,86.29	32,71.18	+5,84.89
पूरक	16,86.29			
800- अन्य व्यय—				
04- होम्योपैथी चिकित्सालय केन्द्रों के भवन निर्माण/विस्तार के लिए एकमुश्त व्यवस्था		30.00	43.40	+13.40
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।				

वृत्तिका 41: वृत्तिका 41

वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
2015- निर्वाचन				
मूल	1,04,62,92			
पूरक	2,11			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )		1,04,65,03	1,02,07,94	-2,57,09
अनुदान के राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत आकस्मिकता निधि से जनवरी 2012 में स्वीकृत अग्रिमों में से व्यय किये गये किन्तु वर्ष के समाप्ति तक निधि में वापस न किये गये ₹ 90,65,71 हजार सम्मिलित नहीं हैं।				8,16,38

वृत्तिका 41: वृत्तिका 41

वृत्तिका

वृत्तिका

- ₹ 1,02,07.94 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05 तथा 2008-09 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 4.73 लाख की धनराशि सम्मिलित है।  
₹ 2,61.82 लाख ( ₹ 2,57.09 लाख + ₹ 4.73 लाख ) की अन्तिम बचत में से, ₹ 8,16.38 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था
- ₹ 2,61.82 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 2.11 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिव्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
2015- निर्वाचन-				
103- निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-				
04- विधान परिषद्-				
मूल	5.50			
पुनर्वि०	-5.38			
₹ 5.38 लाख का अभ्यर्पण जनपदों द्वारा मांग न होने के कारण हुआ।		0.12	0.12	..



(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"lz	dgy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
¼ yk[k #i ; ka ea ½				
2015- निर्वाचन-				
103- निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण-				
03- विधान सभा एवं संसद-				
मूल	30,00.00	29,90.67	30,23.59	+32.92
पुनर्वि०	-9.33			
₹ 9.33 लाख का अभ्यर्पण जनपदों द्वारा मांग न होने के कारण हुआ।				
05- निर्वाचन अधिष्ठान व्यय-				
मूल	19,67.63	25,21.98	25,30.97	+8.99
पुनर्वि०	5,54.35			
₹ 5,54.35 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 2,46.19 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, मांग प्राप्त न होने, आर्थिक मितव्ययिता, क्रय कम होने, कार्मिकों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का उपभोग न किये जाने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 59.75 लाख की कमी जनपदों में आउट सोर्सिंग द्वारा डाटा इन्ट्री आपरेटर की नियुक्ति न होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 8,60.29 लाख की वृद्धि मुख्यतः नयी मशीन क्रय किये जाने, मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा मीटिंग में सम्मिलित होने, मानदेय तथा टेलीफोन बिल का भुगतान किये जाने, पी0 आर0 डी0 जवान को पारिश्रमिक का भुगतान आदि के कारण हुई।				
105- संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार-				
03- सामान्य निर्वाचन-				
मूल	0.06	73.67	65.15	-8.52
पुनर्वि०	73.61			
₹ 73.61 लाख की कुल वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 73.74 लाख की वृद्धि मानदेय का भुगतान, वाहनों की मरम्मत, वीडियोग्राफी तथा स्क्रीन प्रोजेक्टर के भुगतान, वाहन क्रय किये जाने, लोक सभा सामान्य निर्वाचन में जनपदों की मांग के लिए धनराशि की आवश्यकता, टेलीफोन बिल का भुगतान के कारण हुई। ₹ 0.13 लाख का अभ्यर्पण सांकेतिक प्रावधान के कारण हुआ।				

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

वृत्तवार्षिक व्यय विवरण, 2012-13

विवरण	अनुमानित व्यय	व्यय	अनुमानित व्यय	व्यय
2014- न्याय प्रशासन,				
2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें,				
2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हितलाभ तथा				
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
<b>मूल</b>	11,47,72,99	12,23,72,99	10,51,36,56	-1,72,36,43
<b>पूरक</b>	76,00,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )				1,65,09,68
<b>मूल</b>	1,87,94,19	2,37,94,19	1,72,20,99	-65,73,20
<b>पूरक</b>	50,00,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )				66,54,32
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,				
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा				
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय				
<b>मूल</b>	2,10,78,06	2,60,78,06	1,82,34,71	-78,43,35
<b>पूरक</b>	50,00,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )				78,35,36
<b>मूल</b>	18,07,85	18,07,85	4,51,40	-13,56,45
<b>पूरक</b>	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )				13,79,51



fVli f.k; ka , oa Vhdk; &  
jktLo&  
nRrer&

- (i) ₹ 1,72,36.43 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 1,65,09.68 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 1,72,36.43 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 76,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"lz	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½

2014- न्याय प्रशासन-

102- उच्च न्यायालय-

03- उच्च न्यायालय-

पुनर्वि०	59.28	59.28	..	-59.28
प्रावधान में ₹ 59.28 लाख की वृद्धि लिफ्ट क्रय किये जाने, माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच में इन्टर-काम हेतु प्रबन्ध तथा आडियो-विजुअल की स्थापना के कारण हुई।				

105- सिविल और सेशन न्यायालय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	5,00.02			
पुनर्वि०	-5,00.02			
₹ 5,00.02 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।				

09- पारिवारिक न्यायालय-

मूल	8,59.58			
पुनर्वि०	-1,88.99	6,70.59	6,65.66	-4.93
₹ 1,88.99 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।				

10- तेरहवें वित्त आयोग की

संस्तुतियों का क्रियान्वयन-

मूल	86,38.00			
पुनर्वि०	-75,68.32	10,69.68	10,60.21	-9.47
₹ 75,68.32 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा आर्थिक मितव्ययिता, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर तथा न्यायालय द्वारा अधिसूचना विलम्ब से जारी किये जाने के कारण हुआ।				

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½		
95- ग्यारहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन—				
मूल	49,02.51	2,85.41	2,11.08	-74.33
पुनर्वि०	-46,17.10			
₹ 46,17.10 लाख की कुल बचत में से, ₹ 11,92.58 लाख का अभ्यर्पण न्यायालय के निरन्तरता में वृद्धि न होने के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 34,24.52 लाख की कमी त्वरित न्यायालय समाप्त होने, त्वरित न्यायालय की निरन्तरता में विस्तार न किये जाने, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर तथा वास्तविक व्यय के कारण हुई।				
106- लघुवाद न्यायालय—				
03- अधिष्ठान—				
मूल	14,38.29	10,62.10	10,46.48	-15.62
पुनर्वि०	-3,76.19			
₹ 3,76.19 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।				
108- दण्ड न्यायालय—				
03- नियमित अधिष्ठान—				
मूल	1,10,00.87	97,83.91	98,84.33	+1,00.42
पुनर्वि०	-12,16.96			
₹ 12,16.96 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।				
04- रेलवे मजिस्ट्रेटों का अधिष्ठान—				
मूल	5,38.69	3,60.91	3,76.81	+15.90
पुनर्वि०	-1,77.78			
₹ 1,77.78 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।				
800- अन्य व्यय—				
07- राज्य विधि आयोग—				
मूल	1,69.85	1,37.79	1,37.69	-0.10
पुनर्वि०	-32.06			
₹ 32.06 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।				
09- लोक सेवा अधिकरण—				
मूल	8,34.60	6,93.95	6,93.95	..
पुनर्वि०	-1,40.65			
₹ 1,40.65 लाख का अभ्यर्पण कुछ पदों के रिक्त रहने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।				

' kh"kl	clj vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½		
10- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन—				
मूल 19,73.00	14,25.01	14,57.48	+32.47	
पुनर्वि० -5,47.99				
₹ 5,47.99 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—				
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—				
200- अन्य कार्यक्रम—				
06- अधिवक्ता कल्याण निधि से सम्बन्धित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति का अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अन्तरण—				
मूल 5,00.00	3,85.35	3,77.36	-7.99	
पुनर्वि० -1,14.65				
₹ 1,14.65 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।				
10- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन—				
मूल 8,44.74	1,46.76	1,43.21	-3.55	
पुनर्वि० -6,97.98				
₹ 6,97.98 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।				
(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—				
2014- न्याय प्रशासन—				
102- उच्च न्यायालय—				
04- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का क्रियान्वयन	..	4.46	+4.46	
114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता ( काउन्सिल )—				
03- महाधिवक्ता—				
मूल 2,10.01	2,12.27	2,12.55	+0.28	
पुनर्वि० 2.26				

₹ 2.26 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 44.13 लाख की वृद्धि वरिष्ठ अधीक्षक का पे-बैंड उच्चीकरण किये जाने तथा सितम्बर/अक्टूबर/नवम्बर 2011 के विलम्बित देयकों के भुगतान के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 2.13 लाख की कमी के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

₹ 39.74 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

'kh"kl	dly vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				¼ yk[k ₹ es ½
800- अन्य व्यय—				
06- विभागीय आवासीय भवनों के अनुरक्षण हेतु प्रावधान—				
मूल	50.00			
पुनर्वि०	1,70.45	2,20.45	1,52.54	-67.91
प्रावधान में ₹ 1,70.45 लाख की वृद्धि उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों के बंगलों/चैम्बर की मरम्मत हेतु बजट में अपर्याप्त प्रावधान होने के कारण हुई।				
12- अवशेषों का भुगतान—				
मूल	1,05,80.90			
पुनर्वि०	22,48.09	1,28,28.99	1,32,02.47	+3,73.48
₹ 22,48.09 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 24,90.00 लाख की वृद्धि लोअर कोर्ट के विधिक अधिकारियों/कार्मिकों के वेतन अवशेष के भुगतान आदि तथा प्रावधान में ₹ 2,08.90 लाख की कमी वेतन हेतु धनराशि की मांग न होने, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर, मांग कम होने आदि के कारण हुई। ₹ 33.01 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।				
2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ—				
01- सिविल—				
800- अन्य व्यय—				
03- उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा/ उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त सदस्यों को घरेलू सेवक भत्ता—				
मूल	0.01			
पुनर्वि०	68.48	68.49	43.01	-25.48
₹ 68.48 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि अवकाश प्राप्त विधिक अधिकारियों को सेवक भत्ता भुगतान के कारण हुई। ₹ 31.52 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ।				
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—				
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—				
200- अन्य कार्यक्रम—				
04- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण—				
मूल	5,40.68			
पुनर्वि०	6.40	5,47.08	5,49.49	+2.41
₹ 6.40 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 81.17 लाख की वृद्धि अधिकारियों/कार्मिकों के ग्रेड पे में वृद्धि होने, पुरानी अम्बेज्डर कार चालू स्थिति में न होने के कारण हुई। ₹ 74.77 लाख का अभ्यर्पण कुछ पदों के रिक्त रहने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत/बिना प्रावधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।				

- (v) ₹ 65,73.20 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 66,54.322 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा अनुदान के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (vi) ₹ 65,73.20 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 50,00.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (vii) बचत ( एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	clq fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2014- न्याय प्रशासन-

102- उच्च न्यायालय-

03- उच्च न्यायालय-

मूल	1,71,09.46	}	1,70,61.13	1,71,51.32	+90.19
पूरक	50,00.00				
पुनर्वि०	-50,48.33				

₹ 50,48.33 लाख की शुद्ध बचत में से, ₹ 54,60.66 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 4,12.33 लाख की वृद्धि मा० उच्च न्यायालय में वेब-सर्वर तथा अन्य कम्प्यूटर्स को उच्चकृत किये जाने, अतिरिक्त मांग के कारण हुई।

04- तेरहवें वित्त आयोग की

संस्तुतियों का क्रियान्वयन-

पूरक	31.00	}	4.46	..	-4.46
पुनर्वि०	-26.54				

₹ 26.54 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

12- अवशेषों का भुगतान-

मूल	16,36.91	}	1,27.19	..	-1,27.19
पुनर्वि०	-15,09.72				

₹ 15,09.72 लाख की कुल बचत में से, ₹ 10,97.39 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 4,12.33 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुई। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

- (viii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2014- न्याय प्रशासन-

800- अन्य व्यय-

05- विभागीय भवनों के अनुरक्षण

हेतु प्रावधान	15.00	69.67	+54.67
---------------	-------	-------	--------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

- (ix) ₹ 78,43.35 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 78,35.36 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- (x) ₹ 78,43.35 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 50,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (xi) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' k h " k z	d i y v u n k u	o k L r f o d 0 ; ;	v f / k d 0 ; ; \$
			c p r &
		½ y k [ k ₹ e s ½	

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	1,33,00.01	}			
पूरक	50,00.00		1,03,92.50	1,03,76.20	-16.30
पुनर्वि०	-79,07.51				

₹ 79,07.51 लाख की कुल बचत में से, ₹ 68,98.44 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ। प्रावधान में ₹ 10,09.07 लाख की कमी केन्द्रांश प्राप्त न होने, वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं

पर पूंजीगत परिव्यय-

800- अन्य व्यय-

03- न्यायालय भवनों के निर्माण

हेतु अधिग्रहीत भूमि का

प्रतिकर भुगतान-

मूल	15,00.00	}			
पुनर्वि०	-1,90.12		13,09.88	13,42.47	+32.59

₹ 1,90.12 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी रिहायशी भवन-

700- अन्य आवास-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	37,00.00	}			
पुनर्वि०	-6,83.41		30,16.59	30,16.59	..

₹ 6,83.41 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्याधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(xii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

½ yk[k ₹ ea ½

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

03- महाधिवक्ता/मुख्य स्थायी अधिवक्ता

के कार्यालय भवन का निर्माण-

मूल 8,14.00

16,92.24

16,92.24

..

पुनर्वि० 8,78.24

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 8,78.24 लाख की वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुई।

04- माननीय उच्च न्यायालय

में निर्माण-

मूल 83.00

2,14.28

1,90.26

-24.02

पुनर्वि० 1,31.28

₹ 1,31.28 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 1,62.14 लाख की वृद्धि बजट कम होने, लिफ्ट के लिये वेल का निर्माण, अतिरिक्त मांग के कारण हुई। ₹ 30.86 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 ) ।

i Hkkfjr &

(xiii) ₹ 13,56.45 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, ₹ 13,79.51 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं

था तथा अनुदान के अन्तर्गत त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।

(xiv) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dy fofu; kx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

½ yk[k ₹ ea ½

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

04- माननीय उच्च न्यायालय

में निर्माण-

मूल 18,07.85

4,28.34

4,51.40

+23.06

पुनर्वि० -13,79.51

₹ 13,79.51 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 ) ।

वृत्तगत व्यय का विवरण

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
2041- वाहन कर,				
2059- लोक निर्माण कार्य,				
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा				
3055- सड़क परिवहन				
<b>मूल</b>	<b>83,72,02</b>			
<b>पूरक</b>	<b>..</b>			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )		83,72,02	82,62,14	-1,09,88
<b>अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,</b>				
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय तथा				
5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय				
<b>मूल</b>	<b>47,90,99</b>			
<b>पूरक</b>	<b>..</b>			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )		47,90,99	47,69,43	-21,56

कुल

2011-12

2012-13

- (i) ₹ 1,09.88 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 89.88 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकती।



(ii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन

हुई:-

'kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &

¼ yk[k ₹ ea ½

2041- वाहन कर-

800- अन्य व्यय-

03- स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलेट

अधिष्ठान-

मूल 1,26.85

79.51

79.49

-0.02

पुनर्वि० -47.34

₹ 47.34 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2059- लोक निर्माण कार्य-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

03- अनावासीय भवनों की

मरम्मत तथा रख-रखाव-

मूल 30.00

22.85

12.85

-10.00

पुनर्वि० -7.15

₹ 7.15 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा

कल्याण कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

04- बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों

की बस में दुर्घटना हो जाने की

दशा में आर्थिक सहायता-

मूल 30.00

14.73

13.92

-0.81

पुनर्वि० -15.27

₹ 15.27 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 15.00 लाख की कमी बस यात्रियों की दुर्घटना कम होने, अधिकारियों/कार्मिकों का स्थान्तरण न होने तथा जल कर/जल अधिभार की मांग न होने, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एल0टी0सी0 के कारण हुई। ₹ 0.27 लाख का अभ्यर्पण दुर्घटना न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

i wthxr&  
nRrer&

(iii) बचत निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
80- सामान्य-			
800- अन्य व्यय-			
06- मोटरयान टेस्टिंग स्टेशन-			
मूल	1,43.00		
पुनर्वि०	-1,43.00	..	..
यह प्रावधान ट्रान्सपोर्ट नगर लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण से क्रय की गयी भूमि के पंजीकरण के लिए थी लेकिन पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,43.00 लाख की बचत सरकारी विभाग होने के कारण निःशुल्क पंजीकरण के फलस्वरूप हुई।			

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- कार्यालय भवन-			
051- निर्माण-			
03- सम्भागीय/उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय का निर्माण-			
मूल	6,46.99	7,69.43	7,69.43
पुनर्वि०	1,22.44		..
₹ 1,22.44 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,43.00 लाख की वृद्धि उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय निर्माण के लिए द्वितीय किश्त स्वीकृति हेतु बजट प्रावधान अपर्याप्त होने के कारण हुई। ₹ 20.56 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

vunqu I a[; k 44&lk; Mu foHkkx

ed[; 'kh"kl	diy vunqu	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		% g tkj ₹ ea %	
jktLo&			
3452- पर्यटन			
nRrer&			
मूल	20,75,18		
पूरक	..	20,75,18	15,97,74
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			-4,77,44
			..
i wthxr&			
5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
nRrer&			
मूल	66,69,02		
पूरक	..	66,69,02	42,03,84
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			-24,65,18
			..

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&  
nRrer&

- (i) ₹ 4,77.44 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	diy vunqu	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		% yk[k ₹ ea %	
3452- पर्यटन-			
80- सामान्य-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
03- अधिष्ठान-पर्यटन निदेशालय	4,58.93	3,43.18	-1,15.75

'kh"KZ	dy vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea½	

104- संवर्धन तथा प्रचार—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	30.00	..	-30.00
08- पर्यटन पुलिस बल का गठन	1,51.75	92.72	-59.03
09- शिल्पग्राम आगरा का वर्ष पर्यन्त संचालन	1,50.00	..	-1,50.00
800- अन्य व्यय—			
07- " डिस्कवर योर रूट्स " योजना	7.00	..	-7.00
97- वाह्य सहायतित योजनायें	50.00	..	-50.00
2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-2010 तथा 2010-11के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 1,10.00 लाख, ₹ 1,00.00 लाख, ₹ 1,00.00 लाख, ₹ 1,00.00 लाख तथा ₹ 1,00.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त था।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

i wthxr&  
nRrer&

(iii) ₹ 24,65.18 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(iv) बचत ( एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुईः—  
5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय—

01- पर्यटक अवसंरचना—			
800- अन्य व्यय—			
04- पर्यटन विकास हेतु जनपद कुशीनगर में सार्वजनिक सहभागिता से अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना—			
मूल	9,00.00	1,35.42	..
पुनर्वि०	-7,64.58		
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 7,64.58 लाख की कमी स्वीकृति अवमुक्त न होने के कारण हुई।			
80- सामान्य—			
104- संवर्धन तथा प्रचार—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—	39,76.78	16,84.22	-22,92.56
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।			

(v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

'kh"kl

diy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$  
cpr &

¼ yk[k #i ; ka ea ½

5452- पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय—

80- सामान्य—

104- संवर्धन तथा प्रचार—

03- पर्यटक आवास गृहों के

लिए भूमि की अध्याप्ति—

मूल 10,00.00

पुनर्वि० 7,64.58

17,64.58

17,64.58

..

प्रावधान मे पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 7,64.58 लाख की वृद्धि पब्लिक पार्टनरशिप द्वारा कुशीनगर में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की स्थापना के कारण हुई।



' kh" kZ

dly vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$  
cpr &

¼ yk[k ₹ es ½

103- वायु तथा जल प्रदूषण  
का निवारण-01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र  
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	2,00.00	}	2,50.00	..	-2,50.00
पूरक	50.00				

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

वृत्तवार्षिक 46वें वित्त वर्ष की प्रगति

वर्ष	अनुदान	अनुदान	अनुदान	अनुदान
2011-12	2012-13	2012-13	2012-13	2012-13
2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें, 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें तथा 2202- सामान्य शिक्षा				
मूल	8,27,21	8,27,21	6,59,53	-1,67,68
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )				1,66,70
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय				
मूल	7,50,00	7,50,00	..	7,50,00
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )				7,50,00

वित्त वर्ष 2012-13 के लिए

वृत्तवार्षिक

अनुदान

- (i) ₹ 1,67.68 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 1,66.70 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।



- (ii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
% yk[k ₹ ea %			

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-

800- अन्य व्यय-

03- उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

का गठन-

मूल	5,60.66	}	3,83.63	3,82.58	-1.05
पुनर्वि०	-1,77.03				

₹ 1,77.03 लाख की कुल बचत में से, ₹ 1,62.31 लाख के अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 14.72 लाख की कमी पदों के रिक्त रहने तथा व्यय न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

- (iii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-

091- संलग्न कार्यालय-

03- कार्यालय निरीक्षणालय-

मूल	1,93.93	}	2,07.19	2,07.27	+0.08
पुनर्वि०	13.26				

₹ 13.26 लाख के शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 14.72 लाख की वृद्धि बजट कम होने के कारण हुई। ₹ 1.46 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, दावे प्राप्त न होने तथा आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

i wthxr&

nRrer&

- (iv) बचत निम्न के अधीन हुई:-

4059- लोक निर्माण कार्य पर

पूँजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं-

मूल	7,50.00	}	..	..	..
पुनर्वि०	-7,50.00				

₹ 7,50.00 लाख केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण अभ्यर्पित किये गये।

वृत्तिका I अ; क 47 & i k f o f / k d f ' k { k k f o H k k x

वृत्तिका ; ' k h ' k z	वृत्तिका ; k ; k f o f u ; k s x	अनुपूर्वक 0 ; ; ; k	वृत्तिका 0 ; ; \$ c p r &
<i>g t k j ₹ e s 1/2</i>			
<b>j k t L o &amp;</b>			
2203- तकनीकी शिक्षा तथा			
2230- श्रम तथा रोजगार			
<b>n R r e r &amp;</b>			
मूल	3,48,63,64	3,51,08,76	3,16,13,49
पूरक	2,45,12		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			..
<b>i H k k f j r &amp;</b>			
मूल	1,02	1,02	..
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			..
<b>i w t h x r &amp;</b>			
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,			
4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा			
6202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिये कर्ज			
<b>n R r e r &amp;</b>			
मूल	1,80,68,62	2,02,94,88	1,49,47,20
पूरक	22,26,26		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			..
<b>f V l i f . k ; k a , o a V h d k ; &amp;</b>			
<b>j k t L o &amp;</b>			
<b>n R r e r &amp;</b>			

- (i) ₹ 34,95.27 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 34,95.27 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 2,45.12 लाख का अनुपूर्वक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

		द्वि	वृद्धि	वृद्धि	वृद्धि
		वृद्धि	वृद्धि	वृद्धि	वृद्धि
		वृद्धि	वृद्धि	वृद्धि	वृद्धि
2203- तकनीकी शिक्षा-					
103- तकनीकी विद्यालय-					
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें		24.00	2.60		-21.40
104- अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता-					
04- मुरलीधर गजानन्द बहुधन्धी संस्था, हाथरस-					
मूल	1,26.01				
पुनर्वि०	-79.74	46.27	46.27		..
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 79.74 लाख की कमी पदों के रिक्त रहने, शिक्षण शुल्क में वृद्धि तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुई।					
05- हंडिया बहुधन्धी संस्था, हंडिया-					
मूल	94.04				
पुनर्वि०	-51.30	42.74	42.73		-0.01
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 51.30 लाख की कमी पदों के रिक्त रहने, शिक्षण शुल्क में वृद्धि तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुई।					
06- चन्दौली बहुधन्धी संस्था, चन्दौली-					
मूल	86.37				
पुनर्वि०	-46.86	39.51	39.50		-0.01
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 46.86 लाख की कमी पदों के रिक्त रहने, शिक्षण शुल्क में वृद्धि तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुई।					
07- एम० पी० पालीटेक्निक, गोरखपुर-					
मूल	1,13.40				
पुनर्वि०	-42.87	70.53	70.38		-0.15
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 42.87 लाख की कमी पदों के रिक्त रहने, शिक्षण शुल्क में वृद्धि तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुई।					

' kh"KZ	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ ea ½	cpr &
10- गांधी पालीटेक्निक, मुजफ्फर नगर—			
मूल 88.37			
पुनर्वि० -14.20	74.17	74.17	..
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 14.20 लाख की कमी पदों के रिक्त रहने, शिक्षण शुल्क में वृद्धि तथा वास्तविक व्यय के आधार पर हुई।			
19- फिरोज गांधी बहुधन्धी संस्थान, रायबरेली—			
मूल 82.93			
पुनर्वि० 39.45	1,22.38	82.92	-39.46
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 39.45 लाख की वृद्धि धनराशि कम होने के कारण हुई।			
105- बहुशिल्प ( पालीटेक्निक ) विद्यालय—			
03- सामान्य पालीटेक्निक—			
मूल 1,04,38.73			
पूरक 13.24	1,04,35.25	96,17.34	-8,17.91
पुनर्वि० -16.72			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 16.72 लाख की कमी धनराशि अधिक होने के कारण हुई।			
06- राजकीय पालीटेक्निक, मऊ	56.01	45.65	-10.36
18- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में नवीन पालीटेक्निकों ( पुरुष/महिला ) की स्थापना—			
मूल 27.51			
पूरक 10.30	37.81	31.17	-6.64
112- इंजीनियरी/तकनीकी कालेज तथा संस्थान—			
17- प्रदेश में संचालित निजी क्षेत्र में चिकित्सीय, अभियंत्रण संस्थाओं में परास्नातक, स्नातक व डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा शिक्षा विभाग द्वारा संचालित व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी प्रवेश तथा फीस निर्धारण हेतु	34.10	16.12	-17.98
19- वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना	1,00.00	..	-1,00.00
20- अपीलीय प्राधिकरण	30.00	24.00	-6.00
21- इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना	1,20.01	..	-1,20.01
97- विश्व बैंक सहायतित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	20,70.02	35.00	-20,35.02

' kh" kZ	dy vupku	okLrfod 0; ; ¼ yk[k ₹ ea ½	vf/kd 0; ; \$ cpr &
800- अन्य व्यय—			
04- सावित्री बाई फूले बालिका कल्याण योजना	75.00	46.51	-28.49
2230- श्रम तथा रोजगार—			
03- प्रशिक्षण—			
003- शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	1,07.80	0.54	-1,07.26
101- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	67.00	..	-67.00
04- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नये व्यवसायिक प्रशिक्षण	49.69	9.37	-40.32
05- बुन्देलखण्ड क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना	3,50.08	52.19	-2,97.89
97- बाह्य सहायतित योजनायें	1,76.65	79.35	-97.30
800- अन्य व्यय—			
03- सावित्री बाई फूले बालिका शिक्षा सहायता योजना	6,00.00	63.67	-5,36.33
04- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की ई-कनेक्टिविटी उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।	50.00	..	-50.00
(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—			
2203- तकनीकी शिक्षा—			
104- अराजकीय तकनीकी कालेजों तथा संस्थानों को सहायता—			
08- इलाहाबाद पालीटेक्निक, इलाहाबाद	3,30.14	5,04.45	+1,74.31
15- हीवेट पालीटेक्निक, लखनऊ—			
मूल	1,28.05		
पुनर्वि०	19.83		
	1,47.88	1,47.88	..
प्रावधान में ₹ 19.83 लाख की वृद्धि वेतन एवं भत्तों में धनराशि कम होने के कारण हुई।			

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		okLrfod 0; ;	cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	
16- जहांगीराबाद बुलन्दशहर में बहुधन्धी संस्था की स्थापना—			
मूल 38.64			
पुनर्वि० 76.98	1,15.62	1,15.62	..
प्रावधान में ₹ 76.98 लाख की वृद्धि वेतन एवं भत्तों में धनराशि कम होने के कारण हुई।			
20- जवाहर लाल नेहरू पालीटेक्निक महमूदाबाद, सीतापुर—			
मूल 1,00.16			
पुनर्वि० 70.52	1,70.68	1,70.68	..
प्रावधान में ₹ 70.52 लाख की वृद्धि वेतन एवं भत्तों में धनराशि कम होने के कारण हुई।			
24- कानपुर गर्ल्स पालीटेक्निक, कानपुर—			
मूल 33.56			
पुनर्वि० 35.29	68.85	68.82	-0.03
प्रावधान में ₹ 35.29 लाख की वृद्धि वेतन एवं भत्तों में धनराशि कम होने के कारण हुई।			
25- मथुरा में महिला पालीटेक्निक की स्थापना—			
मूल 48.97			
पुनर्वि० 41.85	90.82	90.82	..
प्रावधान में ₹ 41.85 लाख की वृद्धि वेतन एवं भत्तों में धनराशि कम होने के कारण हुई।			
2230- श्रम तथा रोजगार—			
03- प्रशिक्षण—			
003- शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण—			
14- दस्तकार प्रशिक्षण योजना	6,24.37	6,91.61	+67.24
101- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान—			
03- अल्प संख्यक बाहुल्य विकास खण्डों एवं अन्य क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	5,09.86	5,77.46	+67.60
800- अन्य व्यय—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—			
पूरक 2,16.21	2,16.21	9,85.32	+7,69.11
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्यायाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।			

with  
 nRer&

- (v) ₹ 53,47.68 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्षण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vi) ₹ 53,47.68 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 22,26.26 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (vii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'k"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-				
02- तकनीकी शिक्षा-				
104- बहुशिल्प-				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-				
मूल	1,10,02.00	1,28,74.00	83,07.77	-45,66.23
पूरक	18,72.00			
50- राजकीय पालीटेक्निकों में विभिन्न निर्माण कार्य ( जिला योजना )		5,00.00	1,85.40	-3,14.60
57- राजकीय पालीटेक्निक में छात्रावासों का निर्माण, सुदृढीकरण तथा विस्तार		4,63.95	4,17.55	-46.40
60- अनुसूचित जाति बाहुल्य जनपदों में राजकीय पालीटेक्निकों की स्थापना-				
पूरक	54.26	54.26	..	-54.26
105- इंजीनियरिंग/ तकनीकी कालेज तथा संस्थान-				
03- मदनमोहन मालवीय इंजीनियरिंग कालेज गोरखपुर को सहायक अनुदान		20.00	12.45	-7.55
07- बुन्देलखण्ड इंजीनियरिंग कालेज, झाँसी को अनुदान		90.00	45.00	-45.00

( 200 )

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ ea ½	cpr &
4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय—			
203- रोजगार—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	4,00.00	3,01.58	-98.42
03- अल्प संख्यक बाहुल्य विकास खण्डों एवं अन्य क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	9,00.00	8,10.00	-90.00
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 ) ।			

(viii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय—			
203- रोजगार—			
97- वाह्य सहायतित योजनायें	..	17.48	+17.48

बिना बजट प्रावधान के ₹ 17.48 लाख के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।



वृत्तिका 1 अ; क 48 वृत्तिका 1 अ; द दय; क.क फोहकx

ए; 'kh"z

दय वृत्तिका

कलरफोद 0; ;

वफ/कद 0; ; \$

; k

cpr &

फोफु; कx

॥ g tkj ₹ ea ॥

jktLo&

2049- ब्याज अदायगियां,

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हितलाभ,

2075- विविध सामान्य सेवायें,

2202- सामान्य शिक्षा,

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों तथा अन्य पिछड़े

वर्गों का कल्याण,

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा

2250- अन्य सामाजिक सेवायें

nRrer&

मूल 6,18,82,41 ]

6,89,65,50

6,75,96,53

-13,68,97

पूरक 70,83,09 ]

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i Hkkfj r&

मूल 2,05 ]

2,05

1,70

-35

पूरक .. ]

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i wthx r&

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति

पर पूंजीगत परिव्यय तथा

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल 5,24,80,68 ]

5,24,80,68

1,51,44,95

-3,73,35,73

पूरक .. ]

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVli f.k; ka , oa Vhcdk; &  
jktLo&  
nRrer&

- (i) ₹ 6,75,96.53 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 1,16.66 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 14,85.63 लाख ( ₹ 13,68.97 लाख + ₹ 1,16.66 लाख ) की अन्तिम बचत के विरुद्ध, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (iii) ₹ 14,85.63 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 70,83.09 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- (iv) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- अल्प संख्यक कल्याण

निदेशालय	1,19.96	94.72	-25.24
----------	---------	-------	--------

04- मण्डलीय तथा जिला कार्यालय-

मूल	7,00.03	9,09.54	7,89.90	-1,19.64
पूरक	2,09.51			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2005-06, 2006-07, 2007-08 तथा 2009-10 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 16.23 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

06- रजिस्ट्रार/निरीक्षक अरबी

फारसी मदरसा उत्तर प्रदेश,

इलाहाबाद-

मूल	46.07	44.30	26.56	-17.74
पुनर्वि०	-1.77			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2003-04 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 0.38 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1.77 लाख की कमी अधिकारियों तथा कार्मिकों की नियुक्ति न होने के कारण हुई।

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		½ yk[k ₹ e½	cpr &
105- विशेष जांच आयोग-			
04- अल्प संख्यक आयोग			
को अनुदान	1,32.52	1,06.32	-26.20
2071- पेंशन तथा अन्य सेवा			
निवृत्ति हितलाभ -			
01- सिविल-			
109- राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षण			
संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन-			
03- पेंशन आदि का भुगतान	1,90.00	1,31.88	-58.12
2202- सामान्य शिक्षा-			
01- प्रारम्भिक शिक्षा-			
800- अन्य व्यय-			
11- सावित्री बाई फूले बालिका			
शिक्षा सहायता योजना-			
मूल 10,00.00			
पूरक 25,00.00	10,00.00	3,52.66	-6,47.34
पुनर्वि० -25,00.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 25,00.00 लाख की कमी बजट प्रावधान अधिक होने के कारण हुई।			
80- सामान्य-			
800- अन्य व्यय-			
03- मान्यता प्राप्त अरबी फारसी			
मदरसों में लघु औद्योगिक			
प्रशिक्षण संस्थानों की			
स्थापना	3,02.40	2,43.62	-58.78
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित			
जनजातियों तथा अन्य पिछड़े			
वर्गों का कल्याण-			
80- सामान्य-			
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य			
उपक्रमों को सहायता-			
03- अल्पसंख्यकों का कल्याण-			
मूल 46.15			
	47.38	33.65	-13.73
पूरक 1.23			

'kh"kl	dly vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			% yk[k ₹ e% %
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—			
02- समाज कल्याण—			
800- अन्य व्यय—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र			
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—			
मूल	25,00.01		
		4,47.09	66.25
पुनर्वि०	-20,52.92		-3,80.84
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 20,52.92 लाख की कमी बजट प्रावधान अधिक होने के कारण हुई।			
2250- अन्य सामाजिक सेवायें—			
102- धार्मिक तथा पूर्त अक्षय निधि			
अधिनियमों का प्रशासन—			
03- अधिष्ठान	5,16.69	5,11.16	-5.53
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 2.67 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।			
(v) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ—			
2202- सामान्य शिक्षा—			
01- प्रारम्भिक शिक्षा—			
800- अन्य व्यय—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र			
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—			
मूल	50,00.00		
		70,52.92	67,49.70
पुनर्वि०	20,52.92		-3,03.22
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 3.48 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 20,52.92 लाख की वृद्धि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।			

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		% yk[k ₹ e%½	
10- सौ नये आलिया स्तर के स्थाई मान्यता प्राप्त अरबी फारसी मदरसों को अनुदान—			
मूल 26,29.03	36,29.03	41,16.31	+4,87.28
पूरक 10,00.00			
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—			
80- सामान्य—			
800- अन्य व्यय—			
03- अल्प संख्यकों का कल्याण—			
मूल 1,34,18.01	1,79,90.36	1,79,54.25	-36.11
पूरक 20,72.35			
पुनर्वि० 25,00.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 25,00.00 लाख की वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के कारण हुई।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i wthxr&  
nRrer&

(vi) ₹ 3,73,35.73 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) बचत ( एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई—

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा  
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—

01- सामान्य शिक्षा—

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र  
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

14,00.00

1,27.11

-12,72.89

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &amp;

¼ yk[k ₹ e½

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण  
पर पूंजीगत परिव्यय—

02- समाज कल्याण—

800- अन्य व्यय—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल 5,08,43.12

5,05,57.76

1,44,94.92

-3,60,62.84

पुनर्वि० -2,85.36

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,85.36 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने की प्रत्याशा के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

(viii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा  
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय—

01- सामान्य शिक्षा—

800- अन्य व्यय—

03- मौलाना मुहम्मद अली जौहर

शोध संस्थान की स्थापना—

पुनर्वि०

2,85.36

2,85.36

2,85.36

..

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 2,85.36 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वृत्तिका 49, का केंद्र, केंद्र के फंड

वर्ष	मूल	पूरक	वृत्तिका 49	केंद्र के फंड	केंद्र के फंड
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण					
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )	35,20,40,27	4,95,77,30	40,16,17,57	33,80,06,69	-6,36,10,88
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )					5,47,18,13
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय					
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि	10	..	10	..	-10
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि					..
4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय					
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि	3,00,00	..	3,00,00	75,41	-2,24,59
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि					..

वृत्तिका 49, का केंद्र के फंड

वृत्तिका 49

वृत्तिका 49

- ₹ 33,80,06.69 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 6,49.58 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- ₹ 6,42,60.46 लाख ( ₹ 6,36,10.88 लाख + ₹ 6,49.58 लाख ) की अन्तिम बचत के विरुद्ध, मात्र ₹ 5,47,18.13 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 6,42,60.46 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 4,95,77.30 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iv) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिव्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाज कल्याण-

102- बाल कल्याण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	9,87,76.68	9,45,58,.89	8,64,52.91	-81,05.98
पूरक	4,94,29.45			
पुनर्वि०	-5,36,47.24			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2003-04, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2010-2011 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 5,30.30 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 5,36,47.24 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, आदर्श आचार संहिता लागू होने तथा वास्तविक आवश्यकता के आधार पर हुआ।

05- किशोर न्याय निधि 25.00 0.05 -24.95  
वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 0.04 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

09- बाल कल्याण कोर्ट

बोर्ड की स्थापना 84.73 75.64 -9.09

14- समन्वित बाल विकास

योजना-

मूल	62,44.86	54,86.96	54,71.49	-15.47
पुनर्वि०	-7,57.90			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 0.81 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 7,57.90 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त रहने, आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण हुआ।

15- उत्तर प्रदेश बाल अधिकार

संरक्षण आयोग 2,64.24 .. -2,64.24

103- महिला कल्याण-

05- उत्तर प्रदेश महिला निधि 50.00 .. -50.00

06- महिला संरक्षण एवं उत्पीड़न

निवारण प्रकोष्ठ 30.00 .. -30.00

09- विधवाओं से विवाह करने पर

दम्पत्ति को पुरस्कार 60.00 31.50 -28.50



'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ e½	cpr &
11- अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अधीन अतिरिक्त उद्धार संगठनों की स्थापना	1,10.11	87.17	-22.94
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 0.15 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
18- विभिन्न विभागीय संस्थाओं से मुक्त किये एवं अन्तर्वासियों के पुनर्वासन के लिय राज्य सहायता	10.00	4.00	-6.00
20- उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग को अनुदान	2,62.49	1,93.25	-69.24
24- स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से वृद्ध महिला आश्रमों की स्थापना	5,95.19	2,97.60	-2,97.59
107- स्वेच्छा संगठनों को सहायता—			
03- श्रमजीवी महिला आवासों के निर्माण के लिए स्वैच्छिक संगठनों/ संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुदान में राज्य सरकार का सहयोग	5.00	..	-5.00
190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता—			
07- राज्य समाज कल्याण सलाहकार परिषद् के अधीन "महिला आश्रय सदन " की स्थापना—			
मूल 22.50	1,70.35	38.20	-1,32.15
पूरक 1,47.85			
800- अन्य व्यय—			
04- निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान	75.00	63.07	-11.93

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

(v) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kl	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाज कल्याण-

102- बाल कल्याण-

07- पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत

समन्वित बाल विकास परियोजनाओं

पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने

वाला पोषाहार ( के0 50/रा0 50 )-

मूल 17,05,01.00

पुनर्वि० -2,73.84

17,02,27.16

17,07,79.62

+5,52.46

वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 0.65 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

₹ 2,73.84 लाख का अभ्यर्पण द्वितीय किश्त अवमुक्त न होने के कारण हुआ।

08- परिवीक्षा सेवा क्षेत्र-

मूल 13,62.20

पुनर्वि० 2.50

13,64.70

13,84.09

+19.39

वास्तविक व्यय में वर्ष 2007-08 तथा 2010-11 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 57.60 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 2.50 लाख की वृद्धि संस्थाओं के संचालन हेतु किराये का भुगतान के कारण हुई।

107- स्वेच्छा संगठनों को सहायता-

05- स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं

को सहायता

0.45

31.67

+31.22

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

i wthxr&amp;

nRrer&amp;

(vi) ₹ 2,24.59 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

पर पूंजीगत परिव्यय-

02- समाज कल्याण-

103- महिला कल्याण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

3,00.00

75.40

-2,24.60

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।



(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dlq vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	
2059- लोक निर्माण कार्य-			
80- सामान्य-			
053- रखरखाव तथा मरम्मत-			
03- मंडल/जनपद/तहसीलों			
के अनावासीय भवनों के			
अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य	4,54.60	3,99.15	-55.45
2216- आवास-			
01- सरकारी रिहायशी भवन-			
700- अन्य आवास-			
03- मंडल/जनपद/तहसीलों			
के आवासीय भवनों के			
अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य	5,00.00	4,27.45	-72.55

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

i Hkkfj r&

(iii) ₹ 12.78 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 10.78 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(iv) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dlq fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	
2053- जिला प्रशासन-			
093- जिला स्थापनाएं-			
03- कलेक्टरी स्थापना-			
मूल	15.00		
पुनर्वि०	-10.78	4.22	4.22
			..

₹ 10.78 लाख का अभ्यर्पण के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

i wthxr&

nRrer&

(v) ₹ 4,21.02 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			% yk[k ₹ ea ½
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- कार्यालय भवन-			
051- निर्माण-			
47- कलेक्ट्रेटों एवं तहसीलों के जर्जर अनावासीय भवनों का पुनर्निर्माण	1,15.00	75.00	-40.00
800- अन्य व्यय-			
22- मंडल/जनपद/तहसीलों के अनावासीय भवनों में लघु निर्माण सम्बन्धी कार्य	1,50.00	1,21.13	-28.87
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- सरकारी रिहायशी भवन-			
106- साधारण पूल आवास-			
03- आवासीय भवन	1,75.00	1,50.00	-25.00
07- प्रदेश के मंडल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-			
मूल	17,50.00		
पुनर्वि०	-1,06.74		
	16,43.26	16,43.25	-0.01

प्रावधान में ₹ 1,06.74 लाख की कमी परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

(vii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
01- कार्यालय भवन-			
800- अन्य व्यय-			
21- प्रदेश के मंडल/जनपद/तहसीलों के आवासीय भवनों के चालू कार्यों एवं भूमि क्रय हेतु-			
मूल	35,00.00		
पुनर्वि०	1,06.74		
	36,06.74	36,06.74	..

प्रावधान में ₹ 1,06.74 लाख की वृद्धि मुख्यतः आयुक्त कार्यालय, अलीगढ़ के निर्माण कार्य में निरन्तरता बनाये रखने के कारण हुई।

वृत्तिका 1 अ; क 51 & जक्तलो फोहकx ¼ नशो फोि फर; का ds I ECU/k ea jkgr ½

वृत्तिका 'क'क	वृत्तिका	कलरफोड 0; ;	वृत्तिका 0; ; \$
			कप्र &
		¼ g tkj ₹ ea ½	
<b>जक्तलो &amp;</b>			
2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें,			
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा			
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
<b>नररर &amp;</b>			
मूल	8,39,58,70	21,45,00,70	17,47,63,18
पूरक	13,05,42,00		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			..
<b>i w th x r &amp;</b>			
4250- अन्य सामाजिक सेवाओं			
पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>नररर &amp;</b>			
मूल	10,00,00	10,00,00	66,56
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			..

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

जक्तलो &

नररर &

- (i) वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2005-06, 2006-07, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में उच्चतम लेखे के समाशोधन के ₹ 3,04.68 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 4,00,42.20 लाख ( ₹ 3,97,37.52 लाख + ₹ 3,04.68 लाख ) की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (iii) ₹ 4,00,42.20 लाख के अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 13,05,42.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iv) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

		dy vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	'kh"kl			cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½	
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-				
05- आपदा राहत निधि-				
800- अन्य व्यय-				
03- आपदा राहत निधि				
से व्यय-				
मूल	4,04,66.00	] 10,05,35.50	6,32,32.97	-3,73,02.53
पूरक	6,00,69.50			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2005-06, 2006-07, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 1,45.76 लाख की धनराशि सम्मिलित है।				
80- सामान्य-				
102- विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक				
विनाश, आकस्मिक योजनाओं				
का प्रबन्ध-				
03- स्टेट डिजास्टर रिस्पान्स फण्ड				
को अन्तरण		2,50.00	..	-2,50.00
04- डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर रिस्पान्स				
फण्ड को अन्तरण		2,50.00	..	-2,50.00
05- स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फण्ड				
को अन्तरण		2,50.00	..	-2,50.00
06- डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन				
फण्ड को अन्तरण		2,50.00	..	-2,50.00
800- अन्य व्यय-				
06- उत्तर प्रदेश आपदा				
प्रबन्ध प्राधिकरण-				
मूल	11,68.60	] 11,44.60	5,15.75	-6,28.85
पुनर्वि०	-24.00			
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 24.00 लाख की कमी आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण राहत आयुक्त संगठन में नियुक्ति न होने के कारण हुई।				
07- जिला आपदा प्रबन्ध				
प्राधिकरण		3,12.90	23.34	-2,89.56
08- डिजास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोग्राम				
( यू० एन० डी० पी० पोषित )-				
पूरक	1,50.00	1,50.00	12.00	-1,38.00

'kh"z	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		% yk[k ₹ ea %	cpr &
09- फेकल्टी निर्माण	5,00.00	..	-5,00.00
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।			
(v) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-			
2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-			
090- सचिवालय-			
03- दैवी आपदा सम्बन्धी अधिष्ठान-			
मूल	41.19		
पुनर्वि०	24.00		
	65.19	53.58	-11.61
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 24.00 लाख की वृद्धि आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति द्वारा पदों के भरे जाने के कारण हुई।			
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-			
80- सामान्य-			
800- अन्य व्यय-			
05- दैवी आपदा से मृत व्यक्तियों के आश्रितों/परिवार को अतिरिक्त सहायता	0.01	1,42.21	+1,42.20
वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 तथा 2010-11 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 1,42.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।			

i wthxr&amp;

nRrer&amp;

(vi) ₹ 9,33.44 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4250- अन्य सामाजिक सेवाओं पर

पूंजीगत परिव्यय-

101- प्राकृतिक आपदाएं-

05- स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन

फण्ड से व्यय

 5,00.00 | 66.56 | -4,33.44 |

06- डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मिटिगेशन

फण्ड से व्यय

 5,00.00 | .. | -5,00.00 |

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।



vupku l a; k 52- jktLo foHkkx ¼ jktLo ifj"kn- rFkk vU; 0; ; ½

ef; 'kh"kz	dy vupku ; k fofu; kx	okLrfod 0; ; ; k	vf/kd 0; ; \$ cpr &
¼ g tkj ₹ ea ½			
<b>jktLo&amp;</b>			
2029- भू-राजस्व,			
2049- ब्याज अदायगियां,			
2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें,			
2059- लोक निर्माण कार्य,			
2075- विविध सामान्य सेवायें,			
2216- आवास,			
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण तथा			
3454- जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
<b>nRrer&amp;</b>			
मूल	16,59,14,61		
पूरक	51,37,07		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )		17,10,51,68	16,40,62,18
			-69,89,50
<b>i Hkkfjr&amp;</b>			
मूल	18,18		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )		18,78	12,08
			-6,70
<b>i wthxr&amp;</b>			
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय,			
4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय तथा			
6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण			
<b>nRrer&amp;</b>			
मूल	5,18,45		
पूरक	13,25,34		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि		18,43,79	16,71,92
			-1,71,87
मूल	10,51		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि		10,51	..
			-10,51
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			..

fVli f.k; ka , oa Vhcdk; &  
jktLo&  
nRrer&

- (i) ₹ 16,40,62.18 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 4,47.74 लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 74,37.24 लाख (₹ 69,89.50 लाख+₹ 4,47.74 लाख) की अन्तिम बचत के विरुद्ध, मात्र ₹ 16.85 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।
- (iii) ₹ 74,37.24 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 51,37.07 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iv) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्याधिव्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	clj vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	% yk[k ₹es %		cpr &
2029- भू-राजस्व-			
103- भू-अभिलेख-			
05- कृषि गणना	77.72	60.41	-17.31
800- अन्य व्यय-			
04- भूमि व्यवस्था ( लैण्ड रिफार्स )			
आयुक्त	1,00.52	77.68	-22.84
05- अवशेषों का भुगतान-			
पूरक	27,50.00		
पुनर्वि०	13,22.53		
	40,72.53	11,18.36	-29,54.17

वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹0.31 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 13,22.53 लाख की वृद्धि छठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर 40% वेतन अवशेष के भुगतान हेतु मांग के कारण हुई।

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-

099- राजस्व परिषद्-

03- राजस्व परिषद्-

मूल 17,95.41

19,02.91

16,34.57

-2,68.34

पूरक 1,07.50

वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 6.54 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

'kh"KZ	dly vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
	% yk[k ₹es %		
3454- जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी—			
02- सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी—			
110- राज्य विवरणिका तथा सांख्यिकीय संस्मरण—			
03- जिला विवरणियों (गजेटियर्स) का पुनरीक्षण	1,04.76	88.93	-15.83
वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 22.76 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

(v) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2029- भू-राजस्व—			
103- भू-अभिलेख—			
04- जिला व्यय	7,82,30.96	7,99,06.64	+16,75.68
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 1,02.40 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
2075- विविध सामान्य सेवायें—			
101- पुनर्गृहीत जागीरों, भूमि क्षेत्र आदि के एवज में पेंशन—			
03- एवज में पेंशन	0.45	18.01	+17.56
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 18.01 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—			
60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—			
110- अन्य बीमा योजनायें—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	40,00.00	40,03.14	+3.14
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 3.14 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

i Hkkfj r&

(vi) ₹ 6.70 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 0.26 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी।

(vii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl	dy fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			% yk[k ₹es ½
2029- भू-राजस्व-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
03- भूमि अध्याप्ति-सामान्य			
राजस्व व्यय	5.00	..	-5.00
2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 5.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग प्रत्येक वर्ष में अप्रयुक्त था।			
101- संग्रहण प्रभार-			
03- भू-राजस्व ( माल गुजारी ) तकावी			
नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय			
धनराशियों का संग्रहण प्रभार	10,50	0.11	-10.39
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।			

(viii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2049- ब्याज अदायगियां-			
01- आन्तरिक ऋण पर ब्याज-			
101- बाजार कर्जों पर ब्याज-			
03- प्रतिकर बन्धों तथा स्टोक			
प्रमाण पत्रों पर ब्याज-			
मूल	0.10	..	+8.14
पुनर्वि०	-0.10		
₹ 0.10 लाख का अभ्यर्पण जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुआ।			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 5.27 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

2075- विविध सामान्य सेवायें-

800- अन्य व्यय-			
11- न्यायालय के आज्ञाप्ति के			
समाधान के सम्बन्ध में			
भुगतान	0.01	2.61	+2.60
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बिना विनियोग के व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।			

i wthxr&

nRrer&

(ix) ₹ 1,71.87 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

- (x) ₹ 1,71.87 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 13,25.34 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- (xi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dgy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			% yk[k ₹ea ½
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
60- अन्य भवन-			
051- निर्माण-			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-			
मूल	5,00.00		
पूरक	6,73.19		
		11,73.19	10,01.67
			-1,71.52

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

#### i Hkkfjr&

- (xii) ₹ 10.51 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (xiii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	dgy fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			% yk[k #i; ka ea ½
6003- राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण-			
106- प्रतिकर तथा अन्य बन्ध पत्र-			
03- ब्याज वाले बन्ध पत्र	5.51	..	-5.51
04- बिना ब्याज वाले बन्ध पत्र	5.00	..	-5.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।



( iii ) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'khi'kZ	diy vupku	okLrfod 0; ;	vrf/kd 0; ; \$	cpr &
				$\frac{1}{2} yk[k \#i ; ka ea \frac{1}{2}$
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-				
800- अन्य व्यय-				
08- महान विभूतियों के जन्मदिन पर राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सद्भाव कार्यक्रमों का आयोजन-				
मूल	24.85			
पुनर्वि०	-10.18			
₹ 10.18 लाख का अभ्यर्पण जनपदों में धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।		14.67	14.62	-0.05
09- जिला एकीकरण समितियों पर व्यय-				
मूल	18.00			
पुनर्वि०	-5.98			
₹ 5.98 लाख का अभ्यर्पण जनपदों में धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।		12.02	12.16	+0.14
वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 0.14 लाख की धनराशि सम्मिलित है।				
14- राज्य एकीकरण परिषद् के अध्यक्ष को सुविधायें-				
मूल	12.95			
पुनर्वि०	-6.33			
₹ 6.33 लाख का अभ्यर्पण अध्यक्ष द्वारा मांग न किये जाने तथा वास्तविक व्यय के कारण हुआ।		6.62	6.62	..

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

वृत्तिका I अ; क 54 & यकद फुलक क फुलक ( व/क" Bku 1/2

वृत्तिका; 'क"कZ	दृग् वृत्तिका ;क फुलक;कSX	कलरुफुद 0;;	व/कद 0;; \$ cpr &
		¼ gtkj ₹ esa ½	
jkTkLo& 2059- लोक निर्माण कार्य			
nRrer&			
मूल	12,19,34,89	12,19,34,89	9,80,81,18
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			..
i Hkkfjr&			
मूल	4,00	4,00	66
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			..

fVli f.k; ka , oa Vhdk; &

jkTkLo&  
nRrer&

- (i) ₹ 2,38,53.71 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'क"कZ	दृग् वृत्तिका	कलरुफुद 0;;	व/कद 0;; \$ cpr &
		¼ yk[k ₹ esa ½	
2059- लोक निर्माण कार्य-			
80- सामान्य-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
05- कार्य प्रभारित कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान हेतु-			
मूल	1,45,00.00	1,19,19.00	1,18,27.87
पुनर्वि०	-25,81.00		

प्रावधान में ₹ 25,81.00 लाख की कुल कमी में से, प्रावधान में ₹ 3,61.00 लाख की कमी कार्य प्रभारित कर्मचारियों के विनियमित किये जाने के कारण तथा ₹ 20.00 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 22,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।



' kh" kZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr & ½ yk[k ₹ ea ½
97- बाह्य सहायतित योजनायें	46.15	16.13	-30.02
003- प्रशिक्षण—			
03- प्रशिक्षु ( संशोधन ) अधिनियम 1973 के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग में स्नातकों तथा डिप्लोमा प्राप्त अभ्यर्थियों की प्रशिक्षण—योजना	50.00	37.64	-12.36
800- अन्य व्यय—			
05- लोक निर्माण विभाग में आवश्यकता से अधिक (सरप्लस) कर्मचारियों का अधिष्ठान व्यय	0.02	-14.06	-14.08
07- अधिष्ठान व्यय का अनुपातिक विवरण	..	-3,06,68.45	-3,06,68.45
ऋणात्मक व्यय प्रोराटा समायोजन के कारण है।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

2059- लोक निर्माण कार्य—

80- सामान्य—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

04- कार्यकारी—

मूल	9,99,85.21	}	10,25,81.21	10,96,42.80	+70,61.59
पुनर्वि०	25,96.00				

प्रावधान में ₹ 25,96.00 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 4,36.00 लाख की वृद्धि तथा ₹ 60.00 लाख की कमी कार्य प्रभारित कर्मचारियों के विनियमितीकरण के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 20.00 लाख की वृद्धि अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 22,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

वृत्तगत व्यय के विवरण के अनुसार 1/2

वर्ष	वृत्तगत व्यय	अनुदान संख्या	व्यय	अनुदान संख्या	व्यय
2059- लोक निर्माण कार्य तथा					
2216- आवास					
मूल	36,89,00		36,89,00	39,36,66	+2,47,66
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि					..
4059- लोक निर्माण कार्य पर					
पूंजीगत परिव्यय तथा					
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय					
मूल	2,65,37		2,65,37	2,44,75	-20,62
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि					..
4059- लोक निर्माण कार्य पर					
पूंजीगत परिव्यय तथा					
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय					
मूल	50,92,00		50,92,00	1,05,46,88	+54,54,88
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि					..
मूल	1,53,63		1,53,63	1,39,87	-13,76
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि					..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

(i) ₹ 39,36.66 लाख के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 3,57.88 लाख की धनराशि सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।

(ii) ₹ 1,10.22 लाख ( ₹ 3,57.88 लाख – ₹ 2,47.66 लाख 1/2 की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(iii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
			% yk[k ₹ ea ½
2059- लोक निर्माण कार्य-			
60- अन्य भवन-			
800- अन्य व्यय-			
03- निर्माण-राज्य विधान मण्डल	10.00	..	-10.00
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।			

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

2059- लोक निर्माण कार्य-			
80- सामान्य-			
053- रखरखाव तथा मरम्मत-			
06- सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, (सामान्य एवं विशेष मरम्मत)	18,78.42	20,14.91	+1,36.49
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,83.17 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
19- प्रदेश के सर्किट हाउस एवं निरीक्षण गृहों में स्थापित जनरेटर के संचालन हेतु डीजल की व्यवस्था	9.00	12.28	+3.28
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1.12 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
2216- आवास-			
01- सरकारी रिहायशी भवन-			
700- अन्य आवास-			
05- सामान्य एवं विशेष मरम्मत	17,76.58	18,94.90	+1,18.32
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।			

i Hkkfjr&

(v) ₹ 20.62 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

i wthxr&

nRrer&

(vi) ₹ 1,05,46.88 लाख के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 2,97.89 लाख की धनराशि के सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।

(vii) व्यय दत्तमत प्रावधान से ₹ 51,56,98,830 ( ₹ 54,54,87,559 - ₹ 2,97,88,729 ) अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।

(viii) व्ययाधिक्य ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) निम्न के अधीन हुआ :-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
½ yk[k ₹ ea ½			
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय—			
60- अन्य भवन—			
799- उचन्त—			
03- भण्डार उचन्त	..	37,57.74	+37,57.74
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। टिप्पणी संख्या ( xii ) में उचन्त लेन-देन के व्यौरे को जोड़ा गया है।			
04- विविध कार्य अग्रिम	..	35,12.37	+35,12.37
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। टिप्पणी संख्या ( xii ) में उचन्त लेन-देन के व्यौरे को जोड़ा गया है।			
80- सामान्य—			
051- निर्माण—			
06- प्रमुख अभियन्ता कार्यालय परिसर में जनरेटर की स्थापना	1,88.00	3,16.29	+1,28.29
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 28.75 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
10- प्रदेश के निरीक्षण गृहों के जीर्णोद्धार का कार्य	30.00	33.00	+3.00
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 3.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
23- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिकारी हास्टल/ट्रांजिट हास्टल का निर्माण ( चालू कार्य )—			
मूल	4,50.00		
पुनर्वि०	1,52.81		
		6,02.81	5,50.99
			-51.82
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 50.27 लाख की धनराशि सम्मिलित है। प्रावधान में ₹ 1,52.81 लाख की कुल वृद्धि कार्य के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने तथा बजट कम होने के कारण हुई। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।			

(ix) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय—			
80- सामान्य—			
051- निर्माण—			
06- निर्माण-लोक निर्माण	4,02.00	1,99.32	-2,02.68
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 18.12 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½
80- सामान्य-			
051- निर्माण-			
05- लोक सेवा आयोग परिसर, इलाहाबाद में प्रथम-श्रेणी के 48 आवासों का निर्माण	1,25.00	..	-1,25.00
07- प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण	4,25.00	..	-4,25.00
22- राज्य के विभिन्न जनपदों में अधिकारी हास्टल/ट्रांजिट हास्टल का निर्माण-			
मूल	5,25.00		
पुनर्वि०	-1,52.81		
	3,72.19	31.90	-3,40.29
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 2.90 लाख की धनराशि सम्मिलित है। प्रावधान में ₹ 1,52.81 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-

01- सरकारी रिहायशी भवन-

106- साधारण पूल आवास-

03- निर्माण-लोक निर्माण

	16,64.99	14,96.53	-1,68.46
--	----------	----------	----------

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,36.05 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

700- अन्य आवास-

05- निर्माण-अन्य

	7,62.00	1,61.02	-6,00.98
--	---------	---------	----------

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 14.64 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

i Hkkfjr&

(x) ₹ 13.76 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(xi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"KZ	dy fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
			¼ yk[k ₹ ea ½
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-			
700- अन्य आवास-			
05- निर्माण-अन्य	33.00	25.75	-7.25

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

(xii) *mplr yu&nu %*

अनुदान के व्यय में उचन्त के अधीन दर्ज किये गये ₹ 72.70 करोड़ सम्मिलित हैं। उचन्त लेन-देन का स्वरूप और उनकी लेखा प्रणाली की व्याख्या अनुदान संख्या 94- सिंचाई विभाग ( निर्माण कार्य ) के अधीन दी गई है।

2011-2012 के दौरान किये गये लेन-देन का विश्लेषण तथा आदि और अन्त शेषों का ब्योरा नीचे दिया गया है :-

mplr 'kh"kl \*\*4059&ykd fueklk dk; L ij i thxr ifj0; ; \*\* ds vlr xr  
o"kl 2011-2012 ds nkjku fd; s x; s yu&nu dk foj.k

'kh"kl	1 vi fy 2011 dks vkfn 'k\$ ( ukes + tek & )	ukea	tek	fuoy	31 epl 2012 dk vlr 'k\$ ( ukes + tek & )
<i>% yk[k ₹ ea %</i>					
उचन्त स्टाक	-4,01.58	37,57.74	34,70.24	2,87.50	-1,14.08
कार्यशाला उचन्त	+4,89.93	..	..	..	+4,89.93
विविध निर्माण कार्य पेशगियां	+79,81.78	35,12.37	50,80.74	-15,68.37	+64,13.41
<b>; ksx</b>	<b>+80,70.13</b>	<b>72,70.11</b>	<b>85,50.98</b>	<b>-12,80.87</b>	<b>+67,89.26</b>

वृत्तिका I अ; क 56 & यकद फुएकक फोहकक ¼ fo' क'क {क= दक; डे ½

एक; 'क'क	दय वृत्तिका	ओलरफोड 0;;	वफ/कड 0;; \$ cpr &
	¼ gtlj ₹ ea ½		
i wthxr &			
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय			
nRrer &			
मूल	2,20,00,00		
पूरक	..	2,20,00,00	1,08,67,93
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			-1,11,32,07
			..

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

i wthxr &

nRrer &

- (i) ₹ 1,11,32.07 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) बचत निम्न के अधीन हुई :-

'क'क	दय वृत्तिका	ओलरफोड 0;;	वफ/कड 0;; \$ cpr &
¼ yk[k #lk; ka ea ½			
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय—			
60- अन्य—			
800- अन्य व्यय—			
03- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	1,12,50.00	80,45.47	-32,04.53
04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	32,50.00	28,22.46	-4,27.54
11- पूर्वांचल क्षेत्र	37,50.00	..	-37,50.00
12- बुन्देलखण्ड क्षेत्र	37,50.00	..	-37,50.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

वृत्तिका I अ; क 57&यकद फुएकक फोहकx ¼ I पkj I क/कु&I रq ½

वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
3054- सड़क तथा सेतु				
मूल	15,00,00	15,00,00	15,69,03	+69,03
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..
5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय				
मूल	12,62,42,01	14,19,33,46	11,09,09,58	-3,10,23,88
पूरक	1,56,91,45			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

- (i) ₹ 15,69.03 लाख के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,42.64 लाख की धनराशि सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में मुख्य शीर्ष 2059- लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।
- (ii) ₹ 73.61 लाख ( ₹ 1,42.64 लाख – ₹ 69.03 लाख ½ की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (iii) व्ययाधिक्य (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत छोटा बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुआ :-

वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका	वृत्तिका
3054- सड़क तथा सेतु-			
04- जिला तथा अन्य सड़कें-			
800- अन्य व्यय-			
03- नावों के पुल और नौघाट	7,00.00	7,71.18	+71.18
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 70.11 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।



i w t h x r &

n R r e r &

- (iv) ₹ 11,09,09.58 लाख के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,00,82.69 लाख की धनराशि सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) में मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।
- (v) ₹ 4,11,06.57 लाख ( ₹ 1,00,82.69 लाख + ₹ 3,10,23.88 लाख ½ की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vi) ₹ 4,11,06.57 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 1,56,91.45 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (vii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) निम्न के अधीन हुई :-

' k h " k z

d y v u n k u o k L r f o d 0 ; ;

v f / k d 0 ; ; \$

c p r &

¼ y k [ k ₹ e r ½

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर

पूजीगत परिव्यय-

04- जिला तथा अन्य सड़कें-

101- सेतु-

04- सामान्य सेतु निर्माण

(राज्य सेक्टर) (01-04-97

के बाद के कार्य)-

मूल 4,55,00.00

5,03,50.61

3,42,70.20

-1,60,80.41

पूरक 48,50.61

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 31,15.47 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

34- नाबार्ड पोषित आर0 आई0 डी0

एफ0 के अन्तर्गत स्वीकृत सेतुओं

के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था-

मूल 2,20,00.00

2,03,21.80

81,11.15

-1,22,10.65

पुनर्वि0 -16,78.20

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 7,37.38 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 16,78.20 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

37- जनपद बहराईच में घाघरा नदी

पर चहलारी घाट पर सेतु निर्माण

(विश्वबैंक पोषित एस0 आर0 पी0

2 के अवशेष कार्य)-

मूल 11,30.01

8,97.70

7,69.99

-1,27.71

पुनर्वि0 -2,32.31

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 2,32.31 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 2,32.31 लाख की कमी वर्ष के दौरान वर्ष अधिक होने से कार्य का निष्पादन न होने के कारण हुई।

' kh"kl dy vuqku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$  
cpr &  
¼ yk[k ₹ ea ½

97- बाह्य सहाययित योजनायें—  
पुनर्वि० 2,32.31 2,32.31 .. -2,32.31

प्रावधान में ₹ 2,32.31 लाख की वृद्धि कार्य पूर्ण किये जाने के कारण हुई। प्रावधान में की गई वृद्धि की धनराशि का अप्रयुक्त पड़े रहना व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक है।

05- अन्तरराज्यीय या आर्थिक  
महत्व की सड़कें —

101- सेतु—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र  
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

16,12.00 3,30.00 -12,82.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(vii) व्यायाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर  
पूँजीगत परिव्यय—

04- जिला तथा अन्य सड़कें—

101- सेतु—

36- प्रदेश के विभिन्न श्रेणी के  
मार्गों पर नये सेतुओं का  
निर्माण (नाबार्ड पोषित)—

मूल 1,00,00.00

पुनर्वि० 16,78.20

1,16,78.20 1,27,80.24 +11,02.04

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 11,61.84 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 16,78.20 लाख की वृद्धि नाबार्ड द्वारा अनुमोदित ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।



- (ii) व्ययाधिक्य ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-

' kh"kl	dlj vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	
3054- सड़क तथा सेतु—			
04- जिला तथा अन्य सड़कें—			
337- सड़क निर्माण कार्य—			
03- अनुरक्षण तथा मरम्मत	3,01,25.00	3,34,30.75	+33,05.75
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 30,39.16 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
04- राज्य सड़क निधि के			
अन्तर्गत सड़कों का			
अनुरक्षण	7,64,00.00	7,78,06.54	+14,06.54
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 70,73.32 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
800- अन्य व्यय—			
10- तेरहवें वित्त आयोग की			
संस्तुतियों का क्रियान्वयन	6,30,00.00	6,89,28.22	+59,28.22
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 62,66.20 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
80- सामान्य—			
800- अन्य व्यय—			
07- अनुरक्षण तथा मरम्मत	4,00.01	4,39.89	+39.88
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 39.99 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i Hkkfj r&

- (iii) ₹ 5.00 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।  
(iv) बचत निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl	dlj fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	
3054- सड़क तथा सेतु—			
80- सामान्य—			
800- अन्य व्यय—			
04- न्यायालय की आज्ञापतियों			
का भुगतान	5.00	..	-5.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(v) उत्तर प्रदेश सड़क तथा सेतु निधि से किया गया व्यय :-

यह निधि राज्य में सड़कों और संचार साधनों के विकास पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए बनायी गयी थी। यह निधि मोटर गाड़ियों पर करों से होने वाली आय से बनी है जिसे "अनुदान संख्या 43- परिवहन विभाग" के नामे डाल कर इस निधि में जमा किया जाता है। सड़कों और संचार साधनों पर वास्तविक व्यय को इन अनुदानों में की गयी धन व्यवस्था के मुकाबले पहले मुख्य शीर्ष "3054-सड़क तथा सेतु" तथा "3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन" "अनुदान संख्या 2- आवास विभाग" तथा "अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ( पंचायती राज )" के नामे डाला जाता है तथा बाद में वर्ष के लेखे बन्द होने से पहले उक्त निधि में अन्तरित कर दिया जाता है।

उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के लिये धन जुटाने के लिए सरकार 21 जुलाई 1956 के बाद यातायात के लिए खोले गये ऐसे स्थायी पुलों से पथ करों की वसूली करती है जो कि राज्य लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण और प्रबन्ध के अधीन है। इनकी प्राप्तियों का मुख्य शीर्ष "1054-सड़क तथा सेतु" में जमा किया जाता है और 1 अप्रैल 1959 से इसके बराबर राशि को इस अनुदान ( मुख्य शीर्ष 3054- सड़क तथा सेतु ) के नामे डालते हुए उपरोक्त निधि में अन्तरित किया जाता है। पुलों पर वास्तविक व्यय को जिसे इस निधि से पूरा करने का निर्णय किया जाता है, शुरु में इस अनुदान के अधीन पुस्तांकित किया जाता है और बाद में उस वर्ष के लेखे बन्द करने से पहले इस निधि में अन्तरित कर दिया जाता है।

वर्ष के दौरान निधि में न ही कोई धनराशि जमा की गई और न ही निधि से कोई व्यय किया गया।

31 मार्च 2012 को निधि में रूपये 9,98.41 करोड़ जमा शेष था।

(vi) केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता :-

मोटर स्पिड पर उत्पाद एवं आयात शुल्क में वृद्धि से वसूल किया गया अतिरिक्त राजस्व भारत सरकार द्वारा बनायी गयी केन्द्रीय सड़क निधि में जमा किया जाता है, इस निधि में से राज्यों के सड़क विकास की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित योजनाओं पर व्यय के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में प्राप्त धनराशि को भारत सरकार से प्राप्त कर अनुदानों के रूप में राज्य सरकार के लेखे में जमा किया जाता है और साथ ही साथ इसके बराबर राशि को इस अनुदान ( अनुदान संख्या 58-लोक निर्माण विभाग ( संचार साधन-सड़कें ) के नामे डालते हुए निक्षेप लेखा " केन्द्रीय सड़क निधि से आर्थिक सहायता " में जमा किया जाता है।

सड़क विकास योजनाओं पर वास्तविक व्यय को शुरु में इस अनुदान के अधीन पुस्तांकित किया जाता है और बाद में इसे जमा लेखे में अन्तरित कर दिया जाता है।

31 मार्च 2012 को निधि में जमा शेष रूपये 81.08 करोड़ था।

वर्ष के दौरान जमा लेखे में लेन-देन का ब्यौरा वित्त लेखे 2011-12 के विवरण संख्या 18 में दिया गया है।

i wthxr&amp;

nRrer&amp;

- (vii) ₹ 44,62,04,27,770 के वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन ₹ 33,68,23,703 की धनराशि सम्मिलित है, जिसके लिए अनुदान संख्या 54-लोक निर्माण विभाग ( अधिष्ठान ) में मुख्य शीर्ष 2059-लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्रावधान है।
- (viii) व्यय दत्तमत प्रावधान से ₹ 10,34,97,59,067 { ₹ 10,68,65,82,770 – ₹ 33,68,23,703 } अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।
- (ix) ₹ 10,34,97.59 लाख के अन्तिम व्ययाधिक्य को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 5,75,95.43 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।
- (x) व्ययाधिक्य ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-

'kh"kl	dly vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
% yk[k ₹ ea ½			
5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-			
03- राज्य राजमार्ग-			
799- उचन्त-			
03- भण्डार उचन्त	..	9,71,91.75	+9,71,91.75
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। टिप्पणी संख्या ( xiv ) में उचन्त लेन-देन के व्यौरे को जोड़ा गया है।			
04- विविध कार्य अग्रिम	..	7,91,41.75	+7,91,41.75
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। टिप्पणी संख्या ( xiv ) में उचन्त लेन-देन के व्यौरे को जोड़ा गया है।			
04- जिला तथा अन्य सड़कें-			
337- सड़क निर्माण कार्य-			
64- नाबार्ड वित्त पोषित आर0 आई0 डी0 एफ0 योजना के अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के चालू कार्यो हेतु एक मुश्त व्यवस्था (जिला योजना)-			
मूल	2,80,00.00	3,20,00.00	2,88,77.64
पुनर्वि0	40,00.00		
			-31,22.36

प्रावधान में ₹ 40,00.00 लाख की वृद्धि नाबार्ड द्वारा अनुमोदित ग्रामीण सड़कों को जोड़ने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने के कारण हुई।

'kh"kl	clg vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	
77- मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण /पुनर्निर्माण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था— मूल 5,00.00	}	19,00.00	19,07.58
पुनर्वि० 14,00.00			+7.58
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1,73.42 लाख की धनराशि सम्मिलित है। प्रावधान में ₹ 14,00.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
79- तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाले मार्गों का चौड़ीकरण/सुदृढीकरणके चालू कार्य		20,00.00	20,06.66
81- सीतापुर बहराइच मार्ग पर घाघरा नदी के ऊपर चतकारी घाट सेतु का पहुंच मार्ग, गाइड बंध तथा सुरक्षात्मक कार्य (एस० आर० पी०—2 के अवशेष कार्य )		44,00.00	48,40.00
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 4,40.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(xi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय—			
02- महत्वपूर्ण तथा सीमा सड़के—			
337- सड़क निर्माण कार्य—			
03- तेरहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत राज्य विशिष्ट अनुदान	62,50.00	..	-62,50.00
03- राज्य राजमार्ग—			
337- सड़क निर्माण कार्य—			
03- राज्य राज मार्गों का निर्माण कार्य	2,20,00.00	1,97,58.37	-22,41.63

' kh"kl	clg vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	
13- एक मुश्त व्यवस्था	78,00.00	59,67.84	-18,32.16
800- अन्य व्यय—			
03- उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण—			
मूल 2,90,00.00	3,30,00.00	2,74,99.33	-55,00.67
पूरक 40,00.00			
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 24,99.94 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
04- जिला तथा अन्य सड़कें—			
337- सड़क निर्माण कार्य—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	70,00.00	79.53	-69,20.47
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 7.23 लाख की धनराशि सम्मिलित है।			
04- अपर गंगा कैनल के दाएं तट पर एक्सप्रेस वे के किनारे सर्विस रोड निर्माण के लिए भूमि अध्याप्ति	1,20,00.00	..	-1,20,00.00
06- इन्डों नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग के भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था	10,00.00	..	-10,00.00
07- जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड टप्पल में स्थित जहारी कस्बे के बाईपास का निर्माण—			
पूरक 5,00.00	5,00.00	..	-5,00.00
13- एक मुश्त व्यवस्था—			
मूल 3,45,84.00	4,74,84.00	4,28,27.73	-46,56.27
पूरक 1,35,00.00			
पुनर्वि0 -6,00.00			
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 37.03 लाख की धनराशि सम्मिलित है। प्रावधान में ₹ 6,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
14- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण सम्पर्क मार्गों तथा सेतुओं के नये कार्यो हेतु एकमुश्त व्यवस्था ( नाबार्ड पोषित ) ( जिला योजना )	10,00.00	2,46.16	-7,53.84



' kh"kl	clq vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		¼ yk[k ₹ ea ½	cpr &
57- राज्य सड़क निधि के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण/सुदृढीकरण—			
मूल 6,50,00.00	9,50,00.00	7,65,77.30	-1,84,22.70
पूरक 3,00,00.00			
66- कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सम्पर्क मार्गों /लघु सेतुओं के नये निर्माण कार्यों हेतु एक मुश्त व्यवस्था (नाबार्ड पोषित) (जिला योजना)—			
मूल 1,20,00.00	80,00.00	72,01.74	-7,98.26
पुनर्वि० -40,00.00			
प्रावधान में ₹ 40,00.00 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
67- मार्गों के सुधार हेतु एक मुश्त व्यवस्था—			
मूल 2,00.01	1,00.01	70.94	-29.07
पुनर्वि० -1,00.00			
वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 6.45 लाख की धनराशि सम्मिलित है। प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
75- एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बाईपास के निर्माण के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था —			
मूल 35,00.00	75,00.00	66,75.97	-8,24.03
पूरक 40,00.00			
78- तहसील मुख्यालय को जिला मुख्यालय से जाड़ने वाले मार्गों का चौड़ीकरण /सुदृढीकरण—			
मूल 10,00.00	3,00.00	3,62.17	+62.17
पुनर्वि० -7,00.00			
प्रावधान में ₹ 7,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

' kh"kl	dlq vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
		¼ yk[k ₹ ea ½	
80- मान्यवर श्री कांशीराम जी शहरी गरीब आवास योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के निर्माण /पुनर्निर्माण के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था— मूल 10,00.00 पूरक 5,95.43	15,95.43	13,02.24	-2,93.19
82- प्रदेश के रोड नेटवर्क के डाटा कनेक्शन का कार्य (एस0 आर0 पी0—2 के अवशेष कार्य ) वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 3.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है।	3,70.00	32.99	-3,37.01
83- गौरा बादशाहपुर बाईपास का निर्माण कार्य (एस0 आर0 पी0—2 के अवशेष कार्य )	10,00.00	..	-10,00.00
05- अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की सड़कें —			
337- सड़क निर्माण कार्य—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 2,00.00 लाख की धनराशि सम्मिलित है।	29,50.00	22,00.00	-7,50.00
80- सामान्य—			
004- अनुसंधान—			
04- अनुसंधान संस्थान तथा क्वालिटी प्रमोशन सेल की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण/उच्चीकरण	2,00.00	..	-2,00.00
800- अन्य व्यय—			
05- सूचना प्रौद्योगिकी के प्रबन्धन एवं नियोजन के कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था	1,85.00	12.90	-1,72.10

वास्तविक व्यय में प्रोराटा समायोजन के ₹ 1.17 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्याधिव्य/बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i Hkkfjr&

(xii) ₹ 2,08.51 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(xiii) बचत निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl	clj fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr &
	% yk[k ₹ ea %		
5054- सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय—			
80- सामान्य—			
800- अन्य व्यय—			
03- अन्य व्यय	5,50.00	3,41.49	-2,08.51
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।			

(xiv) mpLr yu&nu %

अनुदान के व्यय में उचन्त के अधीन दर्ज किये गये ₹ 17,63.34 करोड़ सम्मिलित हैं। उचन्त लेन—देन का स्वरूप और उनकी लेखा प्रणाली की व्याख्या अनुदान संख्या 94- सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अधीन दी गई है।

2011-2012 के दौरान किये गये लेन—देन का विश्लेषण तथा आदि और अन्त शेषों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

mpLr 'kh"kl \*\*5054&l Melka rFk l rjvka ij i wthxr ifj0; ; \*\* ds vLrxr  
o"kl 2011-2012 ds nkjku fd; s x; s yu&nu dk foj .k

'kh"kl	1 vi dy 2011 dks vkfn 'k"kl (ukes + tek & )	ukes	tek	fuoy	31 ekpl 2012 dk vLr 'k"kl (ukes + tek & )
	% yk[k ₹ ea %				
उचन्त स्टाक	+67,99.66	9,71,91.75	9,51,26.04	+20,65.71	+88,65.37
विविध निर्माण कार्य पेशगियां	+78,39.70	7,91,41.75	8,08,15.15	-16,73.40	+61,66.30
कार्यशाला उचन्त	-2,44.75*	..	..	..	-2,44.75*
; kx	<b>+1,43,94.61</b>	<b>17,63,33.50</b>	<b>17,59,41.19</b>	<b>+3,92.31</b>	<b>+1,47,86.92</b>

\* ऋणात्मक राशि की राज्य सरकार के साथ जांच की जा रही है।

वृत्तिका I अ; क 59 & ykd fuelk k foHkkx ½ kT; I Ei fRr funs kky; ½

ए; 'kh"z

dy vृत्तिका okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$  
cpr &

¼ gtkj ₹ esa ½

**jktLo&**

- 2013- मंत्रि परिषद्,  
2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें,  
2059- लोक निर्माण कार्य,  
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,  
2215- जलपूर्ति तथा सफाई तथा  
2216- आवास

**nRrer&**

मूल	94,83,98	]	1,16,47,17	1,15,37,62	-1,09,55
पूरक	21,63,19				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )

96

**i wthxr&**

- 4059- लोक निर्माण कार्य पर  
पूंजीगत परिव्यय तथा  
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय

**nRrer&**

मूल	89,18,70	]	1,11,68,36	1,08,70,27	-2,98,09
पूरक	22,49,66				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

**jkTKLo&**

**nRrer&**

- (i) ₹ 1,15,37.62 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04 तथा 2009-10 में उचन्त लेखे के समाशोधन के ₹ 0.48 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं। ₹ 1,10.03 लाख (₹ 1,09.55 लाख + ₹ 0.48 लाख) की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 0.96 लाख की धनराशि अभ्यर्पित की गयी। ।
- (ii) ₹ 1,10.03 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 21,63.19 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

		द्वि वृत्त	वर्ष 0 ; ;	वर्ष 0 ; ; \$	
					cpr &
					₹ एवं
2013- मंत्रि परिषद्-					
800- अन्य व्यय-					
03- मंत्रियों, राज्यमंत्रियों तथा उप मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय-					
मूल	11,60.00	}	10,80.40	10,57.69	-22.71
पुनर्वि०	-79.60				
वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 0.43 लाख की धनराशि सम्मिलित है।					
प्रावधान में ₹ 79.60 लाख की शुद्ध कमी में से, प्रावधान में ₹ 80.00 लाख की वृद्धि बजट कम होने के कारण थी। प्रावधान में ₹ 1,59.60 लाख की कमी प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण हुई।					
04- मंत्री आवासों की साज-					
सज्जा एवं अनुरक्षण-					
मूल	2,35.00	}	1,82.04	1,82.04	..
पुनर्वि०	-52.96				
₹ 52.96 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 52.00 लाख की कमी तथा ₹ 0.96 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुआ।					
2059- लोक निर्माण कार्य-					
01- कार्यालय भवन-					
053- रखरखाव तथा मरम्मत-					
04- विधान भवन तथा परिसर में स्थित अन्य भवन-					
मूल	5,36.00	}	8,40.21	8,40.13	-0.08
पूरक	3,91.70				
पुनर्वि०	-87.49				
प्रावधान में ₹ 87.49 लाख की शुद्ध कमी में से, प्रावधान में ₹ 30.37 लाख की वृद्धि बजट कम होने के कारण थी। प्रावधान में ₹ 1,17.86 लाख की कमी प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण हुई।					
05- लाल बहादुर शास्त्री भवन-					
मूल	1,07.47	}	1,85.96	1,82.06	-3.90
पूरक	95.04				
पुनर्वि०	-16.55				
प्रावधान में ₹ 16.55 लाख की कमी मुख्यतः धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुई।					

' kh" kZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr &amp;

¼ yk[k ₹ ea ½

07- योजना भवन व उससे  
सम्बद्ध परिसर में स्थित  
भवन—

मूल	70.98	}
पूरक	67.18	
पुनर्वि०	-8.84	

1,29.32

1,29.32

..

प्रावधान में ₹ 8.84 लाख की कमी मुख्यतः धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुई।

09- जवाहर भवन एवं इन्दिरा

भवन परिसर—

मूल	5,98.50	}
पूरक	7,38.88	
पुनर्वि०	-1,42.06	

11,95.32

11,92.74

-2.58

प्रावधान में ₹ 1,42.06 लाख की कमी मुख्यतः धनराशि का उपयोग न होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

2052- सचिवालय—सामान्य सेवायें—

090- सचिवालय—

03- राज्य सम्पत्ति विभाग—

मूल	28,37.68	}
पुनर्वि०	3,16.17	

31,53.85

31,37.75

-16.10

वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04 के उच्चत लेखे के समाशोधन के ₹ 0.04 लाख की धनराशि सम्मिलित है।

प्रावधान में ₹ 3,16.17 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 3,18.17 लाख की वृद्धि प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 2.00 लाख की कमी के कारण सचित नहीं किये गये हैं।

2059- लोक निर्माण कार्य—

60- अन्य भवन—

053- रखरखाव तथा मरम्मत—

03- लखनऊ स्थित अतिथि गृहों

के लिए व्यवस्था—

मूल	2,04.76	}
पूरक	20.00	
पुनर्वि०	62.28	

2,87.04

2,86.74

-0.30

प्रावधान में ₹ 62.28 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 79.10 लाख की वृद्धि बजट उपलब्ध न होने के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 16.82 लाख की कमी प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i wthxr&amp;

nRrer&amp;

- (v) ₹ 2,98.09 लाख की अन्तिम बचत में से , कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vi) ₹ 2,98.09 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 22,49.66 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।
- (vii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr &
				% yk[k ₹ ea %
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय-				
01- सरकारी रिहायशी भवन-				
700- अन्य आवास-				
05- निर्माण-अन्य-				
मूल	43,68.70			
पूरक	22,49.66	62,34.73	59,43.76	-2,90.97
पुनर्वि०	-3,83.63			
प्रावधान में ₹ 3,83.63 लाख की कमी मुख्यतः प्रस्ताव उपलब्ध न होने के कारण हुई।				
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।				

- (viii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

4059- लोक निर्माण कार्य पर				
पूंजीगत परिव्यय-				
01- कार्यालय भवन-				
051- निर्माण-				
04- सचिवालय भवन-				
मूल	26,09.11			
पुनर्वि०	1,77.23	27,86.34	27,79.22	-7.12
प्रावधान में ₹ 1,77.23 लाख की वृद्धि बजट कम होने के कारण हुई।				
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।				
80- सामान्य-				
051- निर्माण-				
03- अनावासीय भवनों के जीर्णोद्धार				
एवं जल वितरण कार्य हेतु				
एकमुश्त व्यवस्था -				
मूल	25.00			
पुनर्वि०	2,06.40	2,31.40	2,31.40	..
प्रावधान में ₹ 2,06.40 लाख की वृद्धि बजट कम होने के कारण हुई।				

vupku l a[; k 60 &ou foHkkx

ed[; 'kh"kl dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$  
; k ; k cpr&  
fofu; ksx  
%gtkj ₹ e#

jktLo&

- 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,  
2406- वानिकी तथा वन्य जीव,  
2407- बागान,  
2415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा एवं  
3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज  
संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन

nRrer&

मूल	3,55,13,40	]	3,58,24,04	3,53,37,13	-4,86,91
पूरक	3,10,64				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि					

i Hkkfjr&

मूल	13,70	]	13,70	3,48	-10,22
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि					

i wthxr&

- 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत  
परिव्यय,  
4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय,  
4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर  
पूंजीगत परिव्यय,  
4407- बागानों पर पूंजीगत परिव्यय एवं  
4415- कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर  
पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	1,22,37,38	]	1,26,57,59	1,21,52,85	-5,04,74
पूरक	4,20,21				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि					



fVli f. k; ka , oa VhdK; &  
jktLo&  
nRrer&

- (i) ₹ 4,86.91 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।  
(ii) ₹ 4,86.91 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 3,10.64 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

i Hkkfjr&

- (iii) ₹ 10.22 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।  
(iv) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl dly fofu; ks okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$  
cpr&

½ yk[k ₹ e#

2406- वानिकी तथा वन्य जीव-

01- वानिकी-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- अधिष्ठान 13.70 3.48 -10.22

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। (जून 2012)।

i thxr&

nRrer&

- (v) ₹ 5,04.74 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।  
(vi) ₹ 5,04.74 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 4,20.21 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।  
(vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित मुख्यतः) निम्न के अधीन हुई:-

' kh"kl dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$  
½ yk[k ₹ e# cpr&

4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर

पूंजीगत परिव्यय-

01- वानिकी-

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें-

मूल 2,87.05

1,83.85 1,41.14 -42.71

पुनर्वि0 -1,03.20

पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 1,03.20 लाख की कमी सम्पूर्ण वन सुरक्षा योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि की सीमा तक व्यय किये जाने के कारण हुई ।

' kh"KZ dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$  
cpr&

¼ yk[k ₹ e#

08- अवध वन प्रभाग के अन्तर्गत कुकरैल रेंज  
में औषधीय पौधों की प्रयोगशाला की स्थापना  
तथा औषधीय पौधों को उगाना ( नाबार्ड पोषित)–  
पूरक 37.00 37.00 .. -37.00

09- अवध वन प्रभाग के अन्तर्गत कुकरैल रेंज  
में औषधीय पौधों की प्रयोगशाला की स्थापना  
तथा औषधीय पौधों को उगाना( नाबार्ड पोषित)  
(सी0सी0एल0 प्रणाली)–  
पूरक 1,63.00 1,63.00 .. -1,63.00

02- पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव–

110- वन्य जीव–

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें–

मूल 5,14.30

पुनर्वि0 95.20

6,09.50

3,96.49

-2,13.01

पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 95.20 लाख की वृद्धि सम्पूर्ण वन सुरक्षा योजना के

अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि जारी करने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(viii) व्याधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:–

4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर

पूँजीगत परिव्यय–

01- वानिकी–

102- सामाजिक तथा फार्म वानिकी–

16- वृहद वनों का सुन्दरीकरण–

पुनर्वि0 8.00

8.00

8.00

..

प्रावधान में की गई ₹ 8.00 लाख की वृद्धि भारत सरकार द्वारा अवनत वनों का पुनरुद्धार

एवं पुनरोत्पादन हेतु वनों की गुणवत्ता में सुधार योजना के अन्तर्गत हुई।

vunpku I a; k 62 &foRr foHkkx %vf/ko"Kz HkRrs rFkk i d ku½

ed; ; 'kh"Kz

dy vunpku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

; k

cpr&

fofu; ksx

%gtkj ₹ e#

jktLo&

2049- ब्याज अदायगियां,

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ एवं

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

nRrer&

मूल 1,06,34,41,46

1,06,34,41,47

1,10,89,87,05

+4,55,45,58

पूरक 1

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i Hkkfjr&

मूल 16,51,39

16,51,39

28,15,32

+11,63,93

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

i thxr&

6075- विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज

nRrer&

मूल 1,50,00,00

1,50,00,00

75,17,00

-74,83,00

पूरक ..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)

74,83,00

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹1,10,89,87.05 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष2001-02,2002-02,2003-04,2004-05,2005-06, 2007-08,2008-09,2009-10 और 2010-11 में उचन्त लेखे समाशोधन के ₹ 17.33लाख की धनराशि सम्मिलित है।
- (ii) व्यय दत्तमत प्रावधान से ₹ 4,55,28,24,351; ( ₹ 4,55,45,57,806-₹ 17,33,455) अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियमानुकूलन अपेक्षित है।
- (iii) ₹ 4,55,28.24 लाख के अन्तिम व्ययाधिक्य को देखते हुये अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 0.01 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

(iv) व्ययाधिकत(अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यत : निम्न के अधीन हुआ:-

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
% yk[k ₹ e#			
2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ-			
01- सिविल-			
101- अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते-			
03- अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते	32,20,30.00	35,52,84.89	+3,32,54.89
102- पेंशन का राशिकृत मूल्य-			
03- पेंशन का राशि मूल्य	8,25,07.00	8,68,44.82	+43,37.82
103- अनुकम्पा भत्ता-			
03- अनुकम्पा भत्ता	44.68	4,98.85	+4,54.17
104- उपादान-			
03- उपादान	9,69,59.00	12,32,80.04	+2,63,21.04
109- राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन-			
05- राज्य विश्व विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन	78,52.00	91,06.93	+12,54.93
06- अशासकीय बहुउद्देशीय संस्थाओं के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को पेंशन	7,63.00	17,17.27	+9,54.27
08- राज्याधीन कृषि विश्वविद्यालयों एवं इलाहाबाद कृषि संस्थान के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति सुविधाएं	10,54.00	17,02.63	+6,48.63
10- सहायता प्राप्त अशासकीय जूनियर हाईस्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति सुविधाएं	57,16.00	1,02,00.85	+44,84.85
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिकत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।			
200- अन्य पेंशन-			
04- उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति सुविधाएं	6,88.00	7,00.68	+12.68

'kh"kZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
			% yk[k ₹ e#
800- अन्य व्यय—			
04- राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों एवं राज्य सरकार के अधीन सेवानिवृत्ति अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता	41,90.00	1,74,10.87	+1,32,20.87
10- उ0प्र0 राज्य पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सरकार को देय राशि	5,00,00.00	6,46,93.00	+1,46,93.00
(v) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-			
2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ—			
01- सिविल—			
101- अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते—			
04- जल निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की राजकीय सेवा के लिए अंशदान	10,00.00	..	-10,00.00
05- अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों की अधिवर्षिता पेंशन	40,24.00	..	-40,24.00
102- पेंशन का राशिकृत मूल्य—			
05- अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के पेंशन का राशिमूल्य	6,63.00	..	-6,63.00
104- उपादान—			
05- अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों का उपादान	3,99.00	..	-3,99.00
105- परिवार पेंशन—			
05- अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों की परिवार पेंशन—			
मूल	16,91.00		
पुनर्वि0	-4,99.99		
	11,91.01	..	-11,91.01
पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 4,99.99 लाख की कमी वास्तविक व्यय के कारण हुई।			

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
		¼ yk[k ₹ e#	
109- राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन—			
04- सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति सुविधाएं	6,78,97.00	4,54,76.13	-2,24,20.87
09- पं० दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान मथुरा के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन	82.00	..	-82.00
11- भातखण्डे संगीत संस्थान (सम-विश्वविद्यालय) लखनऊ	10.00	..	-10.00
111- विधायकों को पेंशन—			
03- विधायकों को पेंशन-राज्य विधानमण्डल के सदस्य	23,70.00	20,81.00	-2,89.00
115- छुट्टी नकदीकरण हितलाभ—			
05- अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों के अवकाश का नकदीकरण	2,45.00	19.83	-2,25.17
117- निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम के लिये सरकारी अंशदान—			
03- राज्य सरकार का अंशदान	1,44,00.02	3.44	-1,43,96.58
800- अन्य व्यय—			
03- उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों को घरेलू सेवक भत्ता	3,00.00	..	-3,00.00
06- अखिल भारतीय सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारियों व उनके परिवार के आश्रित सदस्यों का चिकित्सा उपचार	1,00.00	..	-1,00.00
08- अशक्तता पेंशन भोगियों हेतु नियत परिचर भत्ता	10.00	..	-10.00
09- सेवानिवृत्ति हित लाभों के विलम्ब से अदायगी पर देय ब्याज	92.70	..	-92.70



(ix) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"KZ	dy fofu; ksx okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		cpr&
	$\frac{1}{2}$ yk[k ₹ e#	

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ-

01- सिविल-

106- उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन प्रभार-

03- पेंशन तथा उपादान के अंशदान

1,50.00	..	-1,50.00
---------	----	----------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012 )।

i thxr&  
nrRer&

(x) बचत निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	dy vupku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		cpr&
	$\frac{1}{2}$ yk[k ₹ e#	

6075- विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज-

800- अन्य ऋण-

03- रूग्ण निगमों आदि को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना हेतु कर्ज-

मूल	1,50,00.00	}	75,17.00	75,17.00	..
पुनर्वि०	-74,83.00				

₹ 74,83.00 लाख का समर्पण विभागों से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति के परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किया गया ।



vupku l a ; k 63 & foRr foHkkx

¼dk's'kkxkj rFkk ys[kk i z kkl u½

ed[ ; 'kh"kl

clg vupku

okLrfod 0 ; ;

vf/kd 0 ; ; \$

cpr&

½gtlj ₹ e½

jktLo&

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन

nRrer&

मूल	1,58,29,76	}	1,59,29,76	1,22,75,53	-36,54,23
पूरक	1,00,00				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012)

37,00,80

i wthxr&

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय तथा

4070- अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	15,09,92	}	15,09,92	8,67,09	-6,42,83
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012)

6,42,83

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹1,22,75.53 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02,2002-03,2004-05,2007-08, 2008-09,2009-10 और 2010-11 में उचन्त लेखे के समाशोधन ₹ 18.61लाख की धनराशि सम्मिलित है। ₹ 36,72.84 लाख (₹ 36,54.23 लाख+₹ 18.61लाख ) की अन्तिम बचत में से, ₹ 37,00.80 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था एवं व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (ii) ₹ 36,72.84लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 1,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(iii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

½ yk[k ₹ e#

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

003- प्रशिक्षण-

03- वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान-

मूल	4,19.63	}	3,15.46	3,20.35	+4.89
पुनर्वि०	-1,04.17				

वास्तविक व्यय में ₹ 4.89 लाख वर्ष 2002-03,2008-09 और 2010-11 उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

₹ 1,04.17 लाख का समर्पण आर्थिक मितव्ययिता,वास्तविक आधार पर भुगतान और पद रिक्तता के कारण किया गया।

097- खजाना स्थापना -

03- मुख्य -

मूल	1,50,19.07	}	1,15,46.08	1,15,87.57	+41.49
पुनर्वि०	-34,72.99				

प्रावधान में ₹ 34,72.99 लाख की कुल बचत में से, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 15.25 लाख की कमी व्यय की कम मांग के कारण और ₹ 34,57.74 लाख का समर्पण आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।

वास्तविक व्यय में ₹ 13.35 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2004-05,2007-08 और 2009-10 के उचन्त लेखे के समाशोधन सम्मिलित हैं।

800- अन्य व्यय-

04- मिशन मोड परियोजना-

पूरक	1,00.00	}	..	..	..
पुनर्वि०	-1,00.00				

₹ 1,00.00 लाख का समर्पण भारत सरकार द्वारा मिशन मोड परियोजना की स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"KZ	clgy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
		¼ yk[k ₹ e#	

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

097- खजाना स्थापना -

04- कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण-

मूल	7.00	}	15.77	15.76	-0.01
पुनर्वि०	8.77				

प्रावधान में ₹ 8.77 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 9.00 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं और ₹ 0.23 लाख का समर्पण मुख्यतया एन0आई0सी0 द्वारा प्रोग्रामर/ जूनियर कार्यक्रम की सेवाओं में आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ। उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012)।

i thxr&

nRrer&

(v) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

051- निर्माण-

03- प्रदेश के विभिन्न कोषागारों / उपकोषागारों में विविध

निर्माण / नवीनीकरण कार्य-

मूल	11,46.43	}	5,54.68	5,54.68	..
पुनर्वि०	-5,91.76				

₹ 5,91.76 लाख का समर्पण भारत के निर्वाचन आयोग की चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण हुआ।

04- मण्डलीय कार्यालयों के भवन निर्माण-

मूल	67.41	}	53.33	53.33	..
पुनर्वि०	-14.08				

₹ 14.08 लाख का समर्पण भारत के निर्वाचन आयोग की चुनाव आचार संहिता लागू होने के कारण हुआ।

(270)

' kh"KZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$  
cpr&

¼ yk[k ₹ e#

60- अन्य भवन-

051- निर्माण-

04- वित्तीय प्रबंध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान  
विभिन्न निर्माण/नवीनीकरण कार्य-

मूल	2,96.08	}	2,59.08	2,59.08	..
पुनर्वि०	-37.00				

₹ 37.00 लाख का समर्पण कार्य पूर्ण न होने के कारण हुआ।

वृत्तगत व्यय का विवरण 2011-12 के लिए

विवरण: 'क' श्रेणी के व्यय वृत्तगत व्यय के लिए; व्यय/वर्ष; \$  
प्रति

वर्ष के लिए

विवरण

2013- मंत्रि परिषद्,  
2047- अन्य राजकोषीय सेवायें,  
2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें,  
2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन,  
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,  
2075- विविध-सामान्य सेवायें,  
2425- सहकारिता एवं  
3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

विवरण

मूल	1,47,37,27	]	1,48,37,27	1,42,68,63	-5,68,64
पूरक	1,00,00				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012)					4,28,15

विवरण

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

विवरण

मूल	4,00	]	4,00	2,31	-1,69
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012)					1,69

विवरण

विवरण

विवरण

- (i) ₹1,42,68.63 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05, 2005-06,2006-07 और 2010-11 उच्चत लेखे समाशोधन के ₹ 9.09लाख की धनराशि सम्मिलित है। ₹ 5,77.73 लाख (₹ 5,68.64 लाख+₹ 9.09 लाख ) की अन्तिम बचत में से,केवल ₹ 4,28.15 लाख के अभ्यर्पण का आकलन किया जा सका।
- (ii) ₹ 5,77.73 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 1,00.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"l	dy vupku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		cpr&
	% yk[k ₹ e#	

2013- मंत्रि परिषद-

105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान-

03- वित्त मंत्री द्वारा विवेकाधीन

अनुदान	10.00	5.00	-5.00
--------	-------	------	-------

2047- अन्य राजकोषीय सेवायें-

103- अल्प बचतों की अभिवृद्धि-

03- राज्य अल्प बचत संगठन-

मूल	18,95.81			
पूरक	1,00.00	17,81.00	17,80.58	
पुनर्वि०	-2,14.81			-0.42

वास्तविक व्यय में ₹ 0.93 लाख वर्ष 2001-02,2003-04,2004-05,2005-06 और 2010-11 के उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

₹ 2,14.81 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः पदों के रिक्त होने, समय से परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने, आर्थिक मितव्ययिता तथा स्टेशनरी की खरीदारी कम होने के कारण हुआ।

2052- सचिवालय-सामान्य सेवायें-

090- सचिवालय-

03- वित्त विभाग के अनुभागों

का कम्प्यूटरीकरण	14.00	7.42	-6.58
------------------	-------	------	-------

091- संलग्न कार्यालय-

03- वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय-

मूल	1,28.78			
पुनर्वि०	-20.37	1,08.41	1,08.43	+0.02

₹ 20.37 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।

04- डाइरेक्ट्रेट आफ फिस्कल प्लानिंग

एण्ड रिसोर्सेज-

मूल	1,85.93			
पुनर्वि०	-45.33	1,40.60	1,40.81	+0.21

वास्तविक व्यय में ₹ 0.21 लाख वर्ष 2004-05 के उच्चत लेखे के समाशोधन सम्मिलित हैं।

₹ 45.33 लाख का अभ्यर्पण पद रिक्तता के कारण हुआ।

' kh" kZ

dly vuṅku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&amp;

¼ yk[k ₹ e#

05- अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो-

मूल 1,11.26

86.35

86.05

-0.30

पुनर्वि० -24.91

वास्तविक व्यय में ₹ 0.28 लाख वर्ष 2006-07 के उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।  
₹ 24.91 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता के कारण हुआ।

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

095- लेखा तथा खजाना निदेशालय-

03- आन्तरिक लेखा परीक्षा निदेशालय-

मूल 2,47.57

1,95.03

1,99.58

+4.55

पुनर्वि० -52.54

वास्तविक व्यय में ₹ 4.63 लाख वर्ष 2002-03 के उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।  
₹ 52.54 लाख का अभ्यर्पण कर्मचारियों/अधिकारियों के वास्तविक भुगतान के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय-

03- पेंशन निदेशालय

5,17.96

4,32.86

-85.10

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-

105- विशेष जांच आयोग-

03- राज्य आयोग और समितियां

1,21.41

82.60

-38.81

वास्तविक व्यय में ₹ 0.82 लाख वर्ष 2001-02 के उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।  
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं  
( जून 2012 )।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन-

098- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा-

03- अधिष्ठान व्यय-

मूल 42,85.94

44,48.94

44,39.78

-9.16

पुनर्वि० 1,63.00

वास्तविक व्यय में ₹ 2.09 लाख वर्ष 2001-02 और 2002-03 के उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

₹ 1,63.00 लाख की वृद्धि के कोई विशेष कारण नहीं दिये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं  
( जून 2012 )।

वृत्तिका I अंक 66 & फोर फोहकx 1/1 केरिगद चेकx

ed; 'kh"lz	dy vupku ; k fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr&
<i>1/1gtkj ₹ e#</i>			
jktLo&			
2049- ब्याज अदायगियां तथा			
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
nRrer&			
मूल	2,47,51		
		2,53,23	2,50,39
			-2,84
पूरक	5,72		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012)			
			2,84
i Hkkfjr&			
मूल	1,55,84,35		
		1,55,84,35	1,51,29,20
			-4,55,15
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012)			
			4,50,01

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

i Hkkfjr&

(i) ₹ 4,55.15 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 4,50.01 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी ।

(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"lz

dy fofu; kx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&

*1/1 yk[k ₹ e#*

2049- ब्याज अदायगियां-

03- अल्प बचतों , भविष्य निधियों

आदि पर ब्याज-

108- बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज-

03- कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना

पर ब्याज-

मूल

1,55,84.34

1,51,34.34

1,51,29.20

-5.14

पुनर्वि०

-4,50.00

₹ 4,50.00 लाख का समर्पण कर्मचारियों के वेतन से अभिदानों की प्राप्ति में कमी और भुगतान के पूर्वानुमान के कारण हुआ ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012 )।





(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	dgY vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

1/2 yk[k ₹ e#
---------------

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

102- विधान परिषद्-

03- विधान परिषद्	12,55.63	11,41.84	-1,13.79
------------------	----------	----------	----------

वास्तविक व्यय में ₹ 9.24 लाख वर्ष 2001-02, और 2002-03 के उच्च लेखों के समाशोधन सम्मिलित हैं।

103- विधान मण्डल सचिवालय-

03- विधान परिषद् सचिवालय	14,68.11	12,14.00	-2,54.11
--------------------------	----------	----------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012)।

i Hkkfjr&amp;

(iii) ₹ 26.10 की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित करने के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(iv) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	dgY fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

1/2 yk[k ₹ e#
---------------

2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विधान मंडल-

02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-

102- विधान परिषद्-

03- विधान परिषद्	53.69	27.59	-26.10
------------------	-------	-------	--------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012)।

i wthxr&amp;

nRrer&amp;

(v) ₹ 14.00 की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित करने के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	dgY vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

1/2 yk[k ₹ e#
---------------

6075- विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज-

800- अन्य व्यय-

03- संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में विधान परिषद् सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा हेतु गठित रिवाल्विंग फण्ड हेतु व्याज रहित ऋण

10.00	..	-10.00
-------	----	--------

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012)।

वृत्तगत व्यय; 68 & वृत्तगत व्यय; 68

वर्ष; 'क/क	वृत्तगत व्यय; 68	वृत्तगत व्यय; 68	वृत्तगत व्यय; 68	वृत्तगत व्यय; 68
2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल, 2059- लोक निर्माण कार्य और 2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण				
मूल	75,93,60	76,44,19	65,94,87	-10,49,32
पूरक	50,59			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..
मूल	71,89	71,89	45,05	-26,84
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..
मूल	1,20,35	1,28,13	1,16,06	-12,07
पूरक	7,78			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

वृत्तगत व्यय; 68 & वृत्तगत व्यय; 68

वृत्तगत व्यय; 68

वृत्तगत व्यय; 68

- ₹ 10,49.32 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित करने के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- ₹ 10,49.32 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 50.59 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

		dy vuqku okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	
	'kh"kl			cpr&
		¼ yk[k ₹ e#		
2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-				
02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-				
101- विधान सभा-				
03- विधान सभा-				
मूल	50,45.10	50,47.19	42,62.05	-7,85.14
पूरक	2.09			
103- विधान मंडल सचिवालय-				
03- विधान सभा सचिवालय-				
मूल	25,21.47	25,69.97	23,00.46	-2,69.51
पूरक	48.50			

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

2059- लोक निर्माण कार्य-				
80- सामान्य-				
053- रखरखाव तथा मरम्मत-				
03- विधान सभा सचिवालय के अनावासीय भवनों की मरम्मत		0.02	5.36	+5.34

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012)।

i Hkkfj r&

(v) ₹ 26.84 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित करने के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई:-

		dy fofu; ks okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	
	'kh"kl			cpr&
		¼ yk[k ₹ e#		
2011- संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-				
02- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल-				
101- विधान सभा-				
03- विधान सभा-		71.89	45.05	-26.84

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012)।

in thx r &

n R r e r &

(vii) ₹ 12.07 लाख की कुल बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित करने के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(viii) ₹ 12.07 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए अगस्त 2011 में प्राप्त ₹ 7.78 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ix) बचत निम्न के अधीन हुई:-

' kh " k z	d i y v u n k u	o k L r f o d 0 ; ;	v f / k d 0 ; ; \$
	% y k [ k ₹ e #		c p r &
7610- सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि-			
201- भवन निर्माण अग्रिम-			
03- राज्य विधान सभा के सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों को आवास हेतु ऋण	6.00	..	-6.00
202- मोटर वाहन का क़य करने के लिये अग्रिम-			
03- राज्य विधान सभा के सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों को वाहनों की खरीद के लिए ऋण	6.00	..	-6.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012)।

वृत्तिका 1 अंक 70 & फोकस, आर्किटेक्चरल फोकस

एक; 'क'क

द्वय वृत्तिका कलरफोड 0; ;

वर्ष/कड 0; ; \$  
cpr&

1/गती ₹ ए

जक्तल&

2810- नयी और नवीकृत ऊर्जा तथा

3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

nRrer&

मूल	53,38,37	}	53,38,37	51,61,74	-1,76,63
पूरक	..				

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

fVli .kh@Vhdk&

जक्तल&

nRrer&

₹ 1,76.63 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पित करने के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकती।

vunqu l a; k 71 & f'k{kk foHkkx %i kFkfed f'k{kk½

ed; 'kh"lz

dy vunqu okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$  
cpr&

%gtkj ₹ e½

jktLo&

2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ,

2202- सामान्य शिक्षा तथा

2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें

nRrer&

मूल 1,88,80,99,84

1,96,78,39,78 1,87,90,40,00

-8,87,99,78

पूरक 7,97,39,94

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)

7,17,85,10

fVli f.k; ka , oa VhdK; &

jktLo&

nRrer&

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 1,87,90,40.00 लाख में वर्ष 2001-02,2002-03,2004-05,2005-06, 2006-07,2007-08,2008-09 ,2009-10 और 2010-11के उचन्त लेखे समाशोधन के ₹ 33,32.38 लाख की धनराशि सम्मिलित है । ₹ 9,21,32.16 लाख ( ₹ 8,87,99.78 लाख+₹ 33,32.38 लाख ) की अन्तिम बचत में से, केवल ₹ 7,17,85.10 लाख का अभ्यर्पण प्रत्याशित किया जा सका ।
- (ii) ₹ 9,21,32.16 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 7,97,39.94 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।
- (iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यत : निम्न के अधीन हुई:-

'kh"lz

dy vunqu okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$  
cpr&

%yk[k ₹ e½

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- निदेशालय अधिष्ठान-

मूल 31,87.03

10,49.67 11,28.90

+79.23

पुनर्वि0 -21,37.36

वास्तविक व्यय में ₹ 7.82 लाख वर्ष 2001-02,2004-05 और 2010-11 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित है ।

₹ 21,37.36 लाख की कुल बचत में से, पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 21,37.34 लाख की कमी अल्प बचत के कारण तथा ₹ 0.02 लाख के समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

' kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$  
cpr&

¼ yk[k ₹ e½

053- भवनों का अनुरक्षण—

04- प्राइमरी तथा जू0 हा0 स्कूलों के भवनों के रख रखाव हेतु  
एकमुश्त प्रावधान—

मूल	5,00.00	}			
पुनर्वि0	-5,00.00			..	..

प्रावधान में ₹ 5,00.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

101- राजकीय प्राथमिक विद्यालय—

03- राजकीय प्राथमिक विद्यालय	23,48.40	20,19.40	-3,29.00
------------------------------	----------	----------	----------

वास्तविक व्यय में ₹ 7.39 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2006-07,2008-09 और 2010-11 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित है ।

102- अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों  
को सहायता—14- सहायता प्राप्त उ0मा0 विद्यालयों से  
संबद्ध प्राइमरी प्रभाग को सहायक

अनुदान	50,07.09	42,21.46	-7,85.63
--------	----------	----------	----------

वास्तविक व्यय में ₹ 1.00 लाख वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित है ।

24- सामान्य वर्ग के बालकों को निःशुल्क

पाठ्य पुस्तकों का वितरण	22,04.40	18,34.18	-3,70.22
-------------------------	----------	----------	----------

27- सामान्य वर्ग के कक्षा 6 से 8 तक के  
बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों

का वितरण	18,56.80	18,11.75	-45.05
----------	----------	----------	--------

वास्तविक व्यय में ₹ 3.05 लाख वर्ष 2009-10 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित है ।

105- अनौपचारिक शिक्षा—

11- साक्षर भारत मिशन—2012—

पूरक	1,23.45	}			
पुनर्वि0	-26.85			96.60	26.85

₹ 26.85 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं  
( जून 2012) ।



(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:-

'kl"K

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&amp;

yk[k ₹ e#

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- बेसिक शिक्षा का लेखा संगठन-

मूल 0.22

21,37.56 16,43.62

-4,93.94

पुनर्वि० 21,37.34

पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 21,37.34 लाख की वृद्धि देयताओं के कारण हुई।

102- अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों

को सहायता-

15- गैर सरकारी मा० विद्यालयों को संबद्ध

प्राइमरी कक्षाओं हेतु सहायक अनुदान

( बालक)-

मूल 65,59.55

81,73.55 77,18.25

-4,55.30

पुनर्वि० 16,14.00

पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 16,14.00 लाख की वृद्धि कम बजट प्रावधान के कारण हुई।

104- निरीक्षण -

03- क्षेत्रीय निरीक्षण कर्मचारी वर्ग (पुरुष)-

मूल 63,62.12

68,62.12 70,52.81

+1,90.69

पुनर्वि० 5,00.00

वास्तविक व्यय में ₹ 18.03 लाख वर्ष 2001-02,2002-03 और 2004-05 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि छठे वेतन आयोग के अनुसार कर्मचारियों के वेतन भुगतान लम्बित होने के कारण हुई।

109- छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन-

04- प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 तक के

बच्चों को पन्द्रह रुपये प्रतिमाह की दर

से 3 वर्ष के लिये योग्यता

छात्रवृत्ति (जिला योजना)

0.01 52.78

+52.77

वास्तविक व्यय में ₹ 2.93 लाख वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित है।

'kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$  
cpr&

¼ yk[k ₹ e½

800- अन्य व्यय—

03- गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की  
सामूहिक बीमा योजना में राज्य सरकार  
का अंशदान—

मूल	44.97	}	48.62	1,78.98	+1,30.36
पुनर्वि०	3.65				

पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 3.65 लाख की वृद्धि के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- अवशेषों का भुगतान 21,72,05.60 21,82,14.58 +10,08.98

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

04- 'सभी के लिए शिक्षा' की विश्व बैंक  
परियोजना के अन्तर्गत सचिवालय  
स्तर पर बजट कार्य तथा अन्य  
योजनाओं के अनुश्रवण हेतु कोषक  
की स्थापना 6.81 8,86.71 +8,79.90  
वास्तविक व्यय में ₹ 0.09 लाख वर्ष 2001-02 के उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं  
( जून 2012)।

व्यय का विवरण: 72 & फंडों का व्यय; फंडों का

वर्ष; 'क'क	द्वि-व्यय	अनुमानित व्यय; ;	वर्ष/कद 0; ; \$
	; क		cpr&
	फंडों का		
		₹	₹
<b>जिला</b>			
2013- मंत्रि परिषद,			
2071- पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति			
हित लाभ,			
2202- सामान्य शिक्षा,			
2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें तथा			
2205- कला एवं संस्कृति			
<b>निरंतर</b>			
मूल	66,21,01,36		
पूरक	6,18,69,66		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)		72,39,71,02	66,56,83,82
			-5,82,87,20
			4,39,67,91
<b>अप्रत्याशित</b>			
मूल	2,70		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)		2,70	50
			-2,20
			2,20
<b>अप्रत्याशित</b>			
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा			
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>निरंतर</b>			
मूल	1,19,79,84		
पूरक	42,02,50		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)		1,61,82,34	33,96,22
			-1,27,86,12
			14,05
<b>अप्रत्याशित</b>			
<b>जिला</b>			
<b>निरंतर</b>			
(i) वास्तविक व्यय ₹ 66,56,83.82 लाख में वर्ष 2001-02,2002-03,2003-04,2004-05,2005-06, 2006-07,2007-08 2008-09,2009-10 और 2010-11 के उच्चतम समाशोधन ₹ 34,42.53 लाख सम्मिलित हैं। अन्तिम बचत ₹ 6,17,29.73 लाख (₹ 5,82,87.20 लाख + ₹ 34,42.53 लाख) में से केवल ₹ 4,39,67.91 लाख का अभ्यर्पण प्रत्याशित किया जा सका।			
(ii) ₹ 6,17,29.73 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया			



'kh"z	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
		okLrfod 0; ;	cpr&
		okLrfod 0; ;	cpr&
		okLrfod 0; ;	cpr&
108- परीक्षाएं—			
04- माध्यमिक शिक्षा परिषद् के क्षेत्रीय कार्यालय—			
मूल	28,73.22	25,40.57	25,41.11
पुनर्वि०	-3,32.65		
₹ 3,32.65 लाख का अभ्यर्पण जिलों से अल्प बचत के एकत्र होने के कारण किया गया।			+0.54
05- पत्राचार शिक्षा संस्थान—			
मूल	3,62.93	1,95.58	1,95.59
पुनर्वि०	-1,67.35		
₹ 1,67.35 लाख का अभ्यर्पण जिलों से अल्प बचत के एकत्र होने के कारण किया गया।			+0.01
109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें		12,24.00	76.03
वास्तविक व्यय में ₹ 70.00 लाख वर्ष 2009-10 उचन्त लेखे समाशोधन से सम्बंधित है।			-11,47.97
03- बालक एवं बालिका—			
मूल	4,70,52.89	4,09,45.44	4,18,63.28
पुनर्वि०	-61,07.45		
₹ 61,07.45 लाख का अभ्यर्पण जिलों से अल्प बचत के एकत्र होने के कारण किया गया। वास्तविक व्यय में ₹ 9.87 लाख वर्ष 2001-02,2002-03,2005-06,2009-10 और 2010-11 उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बंधित है।			+9,17.84
04- सन्त रविदास नगर एवं अम्बेडकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, हरेवली, बिजनौर का प्रान्तीयकरण		52.58	46.67
			-5.91
26- असेवित क्षेत्रों में ब्लाक स्तर पर राजकीय हाईस्कूल (बालक/बालिका)की स्थापना तथा राजकीय कन्या जू० हाई स्कूल (बालक/बालिका)का हाईस्कूल स्तर			

'kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
	% yk/k ₹ e#		
	cpr&		
110- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता—			
03- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान (बालक)—			
मूल	47,86,80.88		
पूरक	-3,30,45.23		
	44,56,35.65	41,12,78.10	-3,43,57.55
वास्तविक व्यय ₹ 29,79.16 लाख में वर्ष 2001-02,2002-03,2004-05,2005-06,2006-07,2007-08, 2008-09,2009-10 और 2010-11 उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।			
₹ 3,30,45.23 लाख की कुल बचत में से,पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 25,05.51 लाख की कमी पद रिक्तता और माननीय हाई कोर्ट के आदेश द्वारा कुछ जिलों में वेतन रोके जाने के कारण और ₹ 3,05,39.72 लाख का समर्पण जिलों में अल्प बचतों के एकत्रित होने के कारण किया गया।			
05- सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों का शैक्षिक भ्रमण—			
मूल	5.00		
पुनर्वि०	-5.00		
		..	..
₹ 5.00 लाख का अभ्यर्पण जिलों से अल्प बचत के एकत्र होने के कारण किया गया।			
08- अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विषय विशेषज्ञों को मानदेय के भुगतान हेतु व्यवस्था —			
मूल	50.00		
पुनर्वि०	-50.00		
		..	..
₹ 50.00 लाख का अभ्यर्पण जिलों से अल्प बचत के एकत्र होने के कारण किया गया।			
800- अन्य व्यय—			
15- राज्य मुक्त विद्यालय परिषद्	20.00	..	-20.00
18- सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा मदद योजना—			
मूल	2,18,00.00		
पूरक	6,09,34.00		
	8,27,34.00	7,39,71.27	-87,62.73
वास्तविक व्यय में ₹ 2,34.97 लाख वर्ष 2010-11 उचन्त लेखे समाशोधन से सम्बंधित है।			









(vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	cpr&
% yk[k ₹ e#				
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-				
01- सामान्य शिक्षा-				
202- माध्यमिक शिक्षा-				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-				
मूल	98,00.00	1,37,04.33	13,00.00	-1,24,04.33
पूरक	39,04.33			
05- राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का भवन निर्माण,विस्तार,विद्युतीकरण एवं भूमि/ भवन क्रय (जिला योजना)		5,00.00	4,45.00	-55.00
13- राजकीय माध्यमिक विद्यालय बालक/बालिका-				
मूल	50.00	47.00	38.00	-9.00
पुनर्वि0	-3.00			
₹ 3.00 लाख का अभ्यर्पण एकत्रित अल्प बचत प्राप्त होने के कारण किया गया।				
16- वर्तमान जिला राजकीय पुस्तकालय-				
मूल	10.50	..	..	..
पुनर्वि0	-10.50			
₹ 10.50 लाख का अभ्यर्पण एकत्रित अल्प बचत प्राप्त होने के कारण किया गया।				
20- राज्यमुक्त विद्यालय परिषद्-				
पूरक	98.17	98.17	..	-98.17
23- उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल-				
मूल	13,00.00	15,00.00	12,96.59	-2,03.41
पूरक	2,00.00			
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं/नहीं हैं।				

वृत्तिका I अ; क 73 & फ'क{क फोहकx 1/मPp फ'क{क1/2

ed; 'kh"z		dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$	
		; k		cpr&	
		fofu; ks			
			1/gtkj ₹ e1/2		
jktLo&					
2013- मंत्रि परिषद,					
2202- सामान्य शिक्षा तथा					
2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें					
nRrer&					
मूल	20,74,17,17	}	21,15,19,91	13,69,43,83	-7,45,76,08
पूरक	41,02,74				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)					7,51,18,08
i Hkkfj r&					
मूल	1,00	}	1,00	..	-1,00
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)					1,00
i thxr&					
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा					
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय					
nRrer&					
मूल	71,50,04	}	71,50,04	52,22,45	-19,27,59
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च 2012)					19,67,59
fVli f. k; ka , oa Vhdk; &					
jktLo&					
nRrer&					

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 13,69,43.83 लाख में वर्ष 2001-02,2002-03,2008-09,2009-10, और 2010-11 के उचन्त लेखे ₹ 6,31.49 लाख समाशोधन के सम्मिलित हैं। अन्तिम बचत ₹ 7,52,07.57 लाख (₹ 7,45,76.08 लाख + ₹ 6,31.49 लाख) में से केवल ₹ 7,51,18.08 लाख ही अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित किये जा सके।
- (ii) ₹ 7,52,07.57 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 41,02.74 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"lk dty vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$  
cpr&

vyk[k ₹ e#

2202- सामान्य शिक्षा-

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-

102- विश्वविद्यालयों को सहायता-

06- विश्वविद्यालयों में आन लाइन शिक्षा संचालित किया जाना-

मूल	2,00.00	}	1,98.54	..	-1,98.54
पुनर्वि०	-1.46				
₹ 1.46 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।					

32- इन्टर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल हेतु अनुदान-

मूल	10.00	}	5.00	5.00	..
पुनर्वि०	-5.00				
₹ 5.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।					

42- सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में उपलब्ध हस्तलिखित पाण्डुलिपियों के प्रकाशन हेतु अनुदान-

मूल	25.00	}	..	..	..
पुनर्वि०	-25.00				
₹ 25.00 लाख का अभ्यर्पण विश्वविद्यालय से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ ।					

49- सेण्टर फार एक्सीलेंस की स्थापना -

मूल	7,50.00	}	6,07.35	6,07.35	..
पुनर्वि०	-1,42.65				
₹ 1,42.65 लाख का अभ्यर्पण विश्वविद्यालय से समुचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ ।					

'kh"lz dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$  
cpr&

kyk[k ₹ e%

103- राजकीय कालेज तथा संस्थान—

06- राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना —

मूल	8,76.55	}	6,50.26	6,49.43	-0.83
पुनर्वि०	-2,26.29				

वास्तविक व्यय में ₹ 0.83 लाख वर्ष 2010-11के उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित हैं।

₹ 2,26.29 लाख की प्रत्याशित बचत में से ₹ 2,07.29 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः

पद रिक्तता के कारण और ₹ 19.00 लाख की प्रावधान में कमी आवश्यकता न होने के कारण हुई।

104- अराजकीय कालेजों और  
संस्थानों को सहायता—

06- प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों  
में सेमिनार तथा सिम्पोजियम—

मूल	16.50	}	7.00	7.00	..
पुनर्वि०	-9.50				

₹ 9.50 लाख का अभ्यर्पण स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण हुआ।

800- अन्य व्यय—

05- अवशेषों का भुगतान—

मूल	8,00,66.20	}	53,46.79	22,58.85	-30,87.94
पुनर्वि०	-7,47,19.41				

वास्तविक व्यय में ₹ 49.24 लाख वर्ष 2001-02 और 2009-10 के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

₹ 7,47,19.41 लाख की प्रत्याशित बचत में से, ₹ 7,43,19.41 लाख का अभ्यर्पण तथा प्रावधान में ₹ 4,00.00 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण हुई।

08- प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सम्मेलनों  
सेमिनारों में भाग लेने के लिए

अनुदान—

मूल	5.00	}	..	..	..
पुनर्वि०	-5.00				

₹ 5.00 लाख का अभ्यर्पण आवश्यकता न होने के कारण हुआ।

'kh"lz

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$  
cpr&

kyk[k ₹ e%

2204- खेलकूद तथा युवा सेवायें—

102- विद्यार्थियों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम—

03- छात्र कल्याण निधि से पोषित कार्यक्रमों के लिए अनुदान—

मूल	20.00	}	..	..	..
पुनर्वि०	-20.00		..	..	..

₹ 20.00 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं( जून 2012)।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ:—

2202- सामान्य शिक्षा—

03- विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा—

102- विश्वविद्यालयों को सहायता—

01- केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	0.02	}	..	1,98.54	+1,98.54
पुनर्वि०	-0.02		..	..	..

₹ 0.02 लाख की सांकेतिक अनुदान अभ्यर्पित की गई थी ।

03- इलाहाबाद विश्व विद्यालय—

मूल	0.01	}	..	37.84	+37.84
पुनर्वि०	-0.01		..	..	..

₹ 0.01 लाख की सांकेतिक अनुदान अभ्यर्पित की गई थी ।

12- काशी विद्यापीठ—

मूल	4,07.42	}	14,70.56	14,87.78	+17.22
पूरक	10,63.15		..	..	..
पुनर्वि०	-0.01		..	..	..

₹ 0.01 लाख की सांकेतिक अनुदान अभ्यर्पित की गई थी ।

'kh"lz dgy vuqku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$  
cpr&  
kyk[k ₹ e%

103- राजकीय कालेज तथा संस्थान—

03- राजकीय महाविद्यालय —

मूल	1,31,19.40	]	1,32,57.66	1,32,53.07	-4.59
पुनर्वि०	1,38.26				

वास्तविक व्यय में ₹ 4.12 लाख वर्ष 2001-02 और 2010-11के उचन्त लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

प्रावधान में ₹ 1,38.26 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 2,61.74 लाख का अभ्यर्पण अतिरिक्त अनुदान की स्वीकृति और ₹ 4,00.00 लाख की वृद्धि छठे वेतन आयोग द्वारा पुनरीक्षित वेतन पर व्यय के कारण हुई।

04- राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन तथा नये संकायों एवं विषयों का समावेश—

मूल	5,79.00	]	5,88.64	5,88.64	..
पुनर्वि०	9.64				

प्रावधान में ₹ 9.64 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 19.00 लाख की वृद्धि अतिरिक्त आवश्यकता और ₹ 9.36 लाख का अभ्यर्पण महाविद्यालयों से मांग प्राप्त न होने और आवश्यकतानुसार व्यय होने के कारण हुआ।

104- अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता—

03- गैर सरकारी महाविद्यालयों को

सहायता (पुरुष—महिलायें)	10,20,06.45	10,56,26.95	+36,20.50
-------------------------	-------------	-------------	-----------

वास्तविक व्यय में ₹ 5,59.70 लाख वर्ष 2001-02, 2002-03, 2008-09 और 2010-11के उचन्त लेखे के समाशोधन से सम्बन्धित हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य/प्रावधान के बिना व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012)।







vupku l a[; k 75 &f'k{k foHkkx %j kT; 'k{k d vud akku , oa i f'k{k. k i fj "kn½

ed[; 'kh"z diy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; \$ cpr&

%gtkj ₹ e½

jktLo&

2202- सामान्य शिक्षा

nRrer&

मूल	96,07,25	}	1,03,97,25	68,07,36	-35,89,89
पूरक	7,90,00				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च, 2012)					34,97,96

i thxr&

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा  
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल	10,04	}	10,04	..	-10,04
पूरक	..				
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि (मार्च, 2012)					10,03

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 68,07.36 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02,2007-08,2008-09 और 2010-11 के उचन्त लेखे समाशोधन के ₹ 9.79 लाख की धनराशि सम्मिलित है। ₹ 35,99.68 लाख (₹ 35,89.89 लाख+₹ 9.79 लाख ) की अन्तिम बचत में से, केवल ₹ 34,97.96 लाख की धनराशि ही अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित की जा सकी।
- (ii) ₹ 35,99.68 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुये, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 7,90.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&
		% yk[k ₹ e%	

2202- सामान्य शिक्षा-

80- सामान्य-

003- प्रशिक्षण-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	76,71.11	}			
पूरक	7,90.00		48,86.98	49,20.44	+33.46
पुनर्वि०	-35,74.13				

वास्तविक व्यय में ₹ 3.04 लाख वर्ष 2001-02,2007-08,2008-09 और 2010-11 के उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित हैं।

₹ 35,74.13 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 1,13.29 लाख की की कमी वास्तविक आवश्यकता के कारण और ₹ 34,60.84 लाख का समर्पण भारत सरकार द्वारा योजना को टी०एस०पी०,जनरल एस०सी०पी० में विभाजित किये जाने के कारण हुआ।

07- परिषद् का विज्ञान तथा गणित विभाग

राज्य विभाग शिक्षा संस्थान

इलाहाबाद	1,16.74	97.22	-19.52
----------	---------	-------	--------

004- अनुसंधान-

03- परिषद् का मनोविज्ञान तथा शैक्षिक निदेशन

विभाग तथा मनोविज्ञान शाखा

इलाहाबाद	2,37.56	2,28.23	-9.33
----------	---------	---------	-------

वास्तविक व्यय में ₹ 0.32 लाख वर्ष 2010-11 के उच्चत लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

800- अन्य व्यय-

05- राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान,

उत्तर प्रदेश लखनऊ के कार्मिकों

के वेतनादि एवं अन्य मदों हेतु

व्यवस्था	2,66.79	2,04.06	-62.73
----------	---------	---------	--------

वास्तविक व्यय में ₹ 0.31 लाख वर्ष 2010-11 के उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं

(जून 2012) ।

(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

'kh"kl

dy vuqku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$

cpr&amp;

¼ yk[k ₹ e½

2202- सामान्य शिक्षा-

80- सामान्य-

003- प्रशिक्षण-

05- परिषद का अंग्रेजी विभाग/आंग्ल भाषा

शिक्षण संस्थान इलाहाबाद

72.62

76.78

+4.16

वास्तविक व्यय में ₹ 4.73 लाख वर्ष 2010-11 के उच्चत लेखे समाशोधन के सम्मिलित है।

08- परिषद का दृश्य श्रव्य

शिक्षा अनुभाग शिक्षा

प्रसार कार्यालय, इलाहाबाद-

मूल

28.85

40.85

40.59

-0.26

पुनर्वि०

12.00

₹ 12.00 लाख की वृद्धि अतिरिक्त आवश्यकता के कारण हुई।

15- गैर सरकारी शारीरिक प्रशिक्षण संस्थाओं

को सहायता-

मूल

32.15

82.14

81.54

-0.60

पुनर्वि०

49.99

पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 49.99 लाख की वृद्धि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय योजना डाइट का एस०टी०पी०

और सामान्य एस०टी०पी० में विभाजन के कारण हुई।

800- अन्य व्यय-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल

1,08.61

1,16.79

1,13.62

-3.17

पुनर्वि०

8.18

₹ 8.18 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान में ₹ 21.50 लाख की

वृद्धि केन्द्रीय योजना डाइट को एस०टी०पी० और जनरल एस०सी०पी० में विभाजन के कारण हुई और

₹ 13.32 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं

(जून 2012)।

in the

in the

(v) ₹ 10.04 लाख की अन्तिम बचत में से ₹ 10.03 लाख की ही धनराशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई –

'kh"kZ	dy vuqku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$
			cpr&

% yk[k ₹ e

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा  
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–

01- सामान्य शिक्षा–

201- प्रारम्भिक शिक्षा–

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र  
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–

मूल	10.03	..	..	..
पुनर्वि०	-10.03			

₹ 10.03 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

vunqu l d; k 76 & Je fohkx ( Je dY; k.k )

e[; 'kh"kl	dY vunqu ; k fofu; ks	okLrfod 0; ;
jktLo&		¼ gtkj ₹ es ½
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य एवं		
2230- श्रम तथा रोजगार		
nRrer&		
मूल	1,79,13,48	5,38,01,28
पूरक	3,58,87,80	
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )		
i Hkkfj r&		
मूल	10	10
पूरक	..	..
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )		
fVli f. k; ka , oa VhdK; &		
jktLo&		
nRrer&		
(i) ₹ 3,56,82.29 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 3,56,00.59 लाख की धनराशि अभ्यर्पण लिए प्रत्याशित की जा सकी ।		
(ii) ₹ 3,56,82.29 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 3,58,87.80 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ ।		
(iii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के		
'kh"kl	dY vunqu	okLrfod 0; ;

¼ yk[k ₹ es ½

2230- श्रम तथा रोजगार—

01- श्रम—

101- औद्योगिक संबंध—

05- औद्योगिक प्रबन्ध तन्त्र का

सुदृढीकरण तथा विकेन्द्रीकरण

समितियों. सम्मेलनों तथा

आयोगों का संयोजन—

मूल 33.77

पुनर्वि0 -23.02

10.75

10.75

₹ 23.02 लाख की कुल बचत में से, ₹ 7.39 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः अध्यक्ष एवं सदस्यों देयक प्राप्त न होने, वास्तविक व्यय के उपरान्त बचत आदि के कारण हुआ। प्रावधान में पुनर्नि ₹ 15.63 लाख की कमी आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा अभ्यर्पण करने के कारण हुआ

' kh"kl

dly vupku

okLrfod 0; ;

¼ yk[k ₹ eg ½

111- श्रमिक के लिये सामाजिक सुरक्षा—

03- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण निधि से व्यय—

पूरक 1,77,00.00

पुनर्वि० -1,77,00.00

₹ 1,77,00.00 लाख का अभ्यर्पण बोर्ड द्वारा संचालित योजनाओं में व्यय के लिये क्षेत्रीय अधि द्वारा अतिरिक्त मांग न होने के कारण हुआ ।

797- आरक्षित निधिओं तथा जमा लेखो को/से अन्तरण—

03- उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण

कर्मकार कल्याण—

पूरक 1,77,00.00

पुनर्वि० -1,77,00.00

₹ 1,77,00.00 लाख का अभ्यर्पण इसलिये किया गया क्यों कि उपरोक्त आरक्षित निधि में ध- अन्तरण की आवश्यकता नहीं थी ।

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—

01- शहरी स्वास्थ्य सेवायें—एलोपैथी—

102- कर्मचारी राज्य बीमा योजना—

05- चिकित्सालय—

मूल 48,53.24

48,65.75

48,57.42

पुनर्वि० 12.51

₹ 12.51 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 6.95 लाख का अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये : प्रावधान में ₹ 21.91 की वृद्धि अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान के कारण हुई । प्रावधान में ₹ 2.45 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं

02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें—अन्य चिकित्सा पद्धतियां—

102- होम्योपैथी—

03- कर्मचारी राज्य बीमा योजना—

मूल 1,09.82

1,08.58

1,19.46

पुनर्वि० -1.24

₹ 1.24 लाख का अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

' kh"kl

dly vupku

okLrfod 0; ;

¼ yk[k ₹ e ½

2230- श्रम तथा रोजगार—

01- श्रम—

800- अन्य व्यय—

04- अवशेषों का भुगतान—

पुनर्वि०

25.95

25.95

31.31

₹ 25.95 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 29.11 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय की प्रावधान कम होने, वाहनों का रख-रखाव, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा दावे की कारण हुआ। ₹ 3.16 लाख का अभ्यर्पण उप श्रमायुक्त, आगरा द्वारा वेतन शीर्ष से अवशेष 4 का आहरण के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून



vf/kd 0; ; \$  
cpr &

-3,56,82,29

3,56,00,59

-10

10

के

: अधीन हुई:-

vf/kd 0; ; +  
cpr -

..

द्वारा यात्रा भत्ता

नियोग द्वारा

|

vf/kd 0; ; +  
cpr -

..

कारियों

..

नराशि के

-8.33

गये हैं ।

।

+10.88

vf/kd 0; ; +  
cpr -

+5.36

धनराशि में  
प्रतिपूर्ति के  
10% धनराशि

2012)।

व्यय का विवरण ( लक्ष्मण )

वर्ष	मूल	पूरक	वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )	व्यय	अभ्यर्पण	व्यय का अभाव
2230- श्रम तथा रोजगार	47,18,04	..	वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )	47,18,04	46,58,30	-59,74
4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	26,25	..	वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )	26,25	35,23	+8,98

विवरण

- (i) ₹ 59.74 लाख की अंतिम बचत में से, ₹ 79.30 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था ।
- (ii) बचत ( एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत व्याधिव्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

वर्ष	मूल	पूरक	वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )	व्यय	अभ्यर्पण	व्यय का अभाव
2230- श्रम तथा रोजगार—						
02- रोजगार सेवायें—						
800- अन्य व्यय—						
05- विकलांगों को रोजगार सहायता देने हेतु रोजगार कार्यालय में विशिष्ट रोजगार कोष्ठक का गठन—	2,23.58	-34.62	वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )	1,88.96	1,88.21	-0.75

₹ 34.62 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 14.72 लाख का अभ्यर्पण व्यय के बाद बचत, मांग न होना आदि के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 19.90 लाख की कमी प्रशिक्षण हेतु यात्रा और अन्य मदों में बचत होने के कारण हुई ।

(iii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-

' kh"kl

diy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2230- श्रम तथा रोजगार—

02- रोजगार सेवायें—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

03- रोजगार निदेशालय—

मूल	6,69.39				
पुनर्वि०	-11.75		6,57.64	6,64.78	+7.14

₹ 11.75 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 3.03 लाख का अभ्यर्पण व्यय के बाद बचत के कारण हुआ।

प्रावधान में ₹ 9.00 लाख की कमी प्रशिक्षण हेतु यात्रा और अन्य मदों में बचत होने के कारण हुई।

प्रावधान में ₹ 0.28 लाख की वृद्धि निदेशालय में वाहन बदलने के लिये धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्ष के अंतर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं ( जून 2012)।

i wthxr&

nRrer&

(iv) ₹ 35.23 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के उच्चत लेखे के समाशोधन के

₹ 9.00 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

(v) ₹ 0.02 लाख ( ₹ 9.00 लाख - ₹ 8.98 लाख) की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 0.02 लाख की धनराशि

अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी।

(vi) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय—

203- रोजगार—

31- रोजगार निदेशालय

	3.00	12.00	+9.00
--	------	-------	-------

₹ 12.00 लाख के वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 के उच्चत लेखे के समाशोधन के

₹ 9.00 लाख की धनराशि सम्मिलित हैं।

vunpku l a; k 78 & l fpoky; iz kkl u foHkkx

ef; 'kh"kl

dy vunpku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$  
cpr &

¼ gtkj ₹ ea ½

jktLo&

- 2013- मंत्रि परिषद,  
2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें,  
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,  
2075- विविध सामान्य सेवायें,  
2220- सूचना तथा प्रचार,  
2251- सचिवालय-सामाजिक सेवायें तथा  
3451- सचिवालय-आर्थिक सेवायें

nRrer&

मूल 4,34,33,35  
पूरक ..

4,34,33,35 3,56,79,33 -77,54,02  
14,88,33

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )

i wthxr&

- 4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

nRrer&

मूल 4,65,00  
पूरक ..

4,65,00 4,12,73 -52,27  
..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) ₹ 77,54.02 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 14,88.33 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी ।

- (ii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl

dy vunpku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +  
cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2013- मंत्रि परिषद-

101- मंत्रियों और उपमंत्रियों का वेतन-

03- मंत्रिगण, उपमंत्रिगण तथा सभा सचिव	83.48	64.40	-19.08
04- भारत सरकार को देय आय कर की धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी	25.00	10.71	-14.29

' kh"KZ dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; + cpr -

¼ yk[k ₹ e ½

102- आतिथ्य और अन्य भत्ते—				
03- मंत्रियों और उपमंत्रियों के भत्ते—				
मूल	5,00.40			
पुनर्वि०	-1,17.00	3,83.40	2,66.31	-1,17.09
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 1,17.00 लाख की कमी कम व्यय होने के कारण हुई।				
105- मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान—				
03- मुख्यमंत्री द्वारा विवेकाधीन अनुदान		40,00.00	19,57.38	-20,42.62
800- अन्य व्यय—				
03- मंत्रियों और उपमंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय—				
मूल	2,15.00			
पुनर्वि०	-41.03	1,73.97	55.01	-1,18.96
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 41.03 लाख की कमी टेलीफोन में कम व्यय होने के कारण हुई।				
2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें—				
090- सचिवालय—				
05- संसदीय कार्य विभाग		18.30	5.83	-12.47
07- सचिवालय का आधुनिकीकरण		10,00.00	7,39.49	-2,60.51
11- ई-गवर्नेंस योजना के अन्तर्गत सचिवालय में कम्प्यूटर, लैपटाप एवं अन्य सहवर्ती उपकरणों का क्रय		1,00.00	61.76	-38.24
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—				
003- प्रशिक्षण—				
04- सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंध संस्थान—				
मूल	2,65.74			
पुनर्वि०	-63.56	2,02.18	2,02.18	..
₹ 63.56 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः वास्तविक व्यय, आर्थिक मितव्ययिता, पदों के रिक्त होने आदि के कारण हुआ।				
2075- विविध सामान्य सेवायें—				
104- विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल में पेंशन तथा पुरस्कार—				
03- विशेष पारितोषिक—				
मूल	5.00			
पुनर्वि०	-5.00	..	..	..
₹ 5.00 लाख का अभ्यर्पण व्यय न होने के कारण हुआ।				





'kh"KZ

dgy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk/k ₹ e ½

2251- सचिवालय-सामाजिक सेवायें-

090- सचिवालय-

03- सचिवालय-

मूल	62,28.01			
पुनर्वि०	25.00	62,53.01	50,11.67	-12,41.34

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 25.00 लाख की वृद्धि मानदेय की दरों में बढ़ोत्तरी तथा दैनिक समाचार पत्र सुविधा देने की अनुमति के कारण हुई ।

04- कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग		1,08.50	12.80	-95.70
---------------------------------	--	---------	-------	--------

3451- सचिवालय-आर्थिक सेवायें-

090- सचिवालय-

03- सचिवालय-

मूल	65,83.75			
पुनर्वि०	-14,94.77	50,88.98	50,90.50	+1.52

₹ 14,94.77 लाख की कुल बचत में से, ₹ 14,19.77 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः आर्थिक मितव्ययिता, रिक्त पदों में पदोन्नति तथा भर्ती न होने, वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ। प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा ₹ 75.00 लाख की कमी पदों के रिक्त होने के कारण हुई ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

2013- मंत्रि परिषद-

104- मनोरंजन तथा सत्कार खर्च-

03- मनोरंजन तथा सत्कार खर्च-

मूल	2,10.00			
पुनर्वि०	87.00	2,97.00	2,85.27	-11.73

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा की गयी ₹ 87.00 लाख की वृद्धि अधिक व्यय होने के कारण हुई ।

2052- सचिवालय&amp;सामान्य सेवायें-

090- सचिवालय-

04- सचिवालय प्रलेखीकरण केन्द्र एवं

पुस्तकालय का विकास एवं विस्तार-

मूल	20.00			
पुनर्वि०	8.00	28.00	24.52	-3.48

प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा की गयी ₹ 8.00 लाख की वृद्धि अधिक व्यय होने के कारण हुई ।



' kh"kZ

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +  
cpr -

¼ yk[k ₹ e½

2220- सूचना तथा प्रचार—

60- अन्य—

800- अन्य व्यय—

03- राजकीय उत्सवों के सम्बन्ध में व्यय—

मूल	55.00			
पुनर्वि०	30.00	85.00	84.94	-0.06
प्रावधान में पुनर्विनियोग द्वारा की गयी ₹ 30.00 लाख की वृद्धि अधिक व्यय होने के कारण हुई ।				

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i wthxr&amp;

nRrer&amp;

(iv) ₹ 52.27 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(v) बचत निम्न के अधीन हुई :-

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय—

80- सामान्य—

800- अन्य व्यय—

04- सचिवालय में सी०सी०टी०वी० /

सर्विलांस कैमरा एवं सहवर्ती

उपकरणों की स्थापना

4,65.00

4,12.73

-52.27

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।





(iv) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-

'kh"KZ

dgy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[[k ₹ eg ½

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों  
तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण -

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण -

277- शिक्षा-

05- पिछड़ी जातियों के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों

को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता

6,52,03.96

6,52,48.35

+44.39

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाज कल्याण-

101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-

06- मानसिक मन्दित विकलांगजन हेतु

आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र-

पुनर्वि0

1,02.39

1,02.39

73.37

-29.02

प्रावधान में ₹ 1,02.39 लाख की वृद्धि तीन जिलों में नवनिर्मित मानसिक मन्दित केन्द्र के संचालन के कारण हुई।

14- विभिन्न श्रेणी के विकलांगों के लिए राजकीय

विद्यालयों/ छात्रावासों का संचालन-

मूल

6,92.18

पूरक

2,51.00

11,52.89

10,63.86

-89.03

पुनर्वि0

2,09.71

प्रावधान में ₹ 2,09.71 लाख की वृद्धि लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ में नये छात्रावासों का निर्माण, होम गार्ड, वाहन

चालक तथा क्लीनर को मजदूरी का भुगतान तथा विभागीय विद्यालय में नियुक्त शिक्षकों को भुगतान के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i wthxr&amp;

nRrre&amp;

(v) ₹ 13,82.03 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) ₹ 13,82.03 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 20,72.49 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।

(vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य

पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

03- पिछड़े वर्गों का कल्याण -

190- सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-

03- उत्तर प्रदेश पिछड़ी जाति वित्त एवं

विकास निगम के अंशकों का क्रय

1,00.00

..

-1,00.00

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0 ; ;	vf/kd 0 ; ; + cpr -
		¼ yk[[k ₹ e9 ½	
277- शिक्षा—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें	12,12.96	..	-12,12.96
4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय —			
02- समाज कल्याण—			
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण—			
01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—			
पूरक	20,00.00		
पुनर्वि०	-20,00.00	..	..
प्रावधान में ₹ 20,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुई।			
6235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिये कर्ज—			
02- समाज कल्याण—			
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण—			
03- शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के पुनर्वासन हेतु दुकान निर्माण योजना	72.30	63.53	-8.77
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।			
(viii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-			
4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय —			
02- समाज कल्याण—			
101- विकलांग व्यक्तियों का कल्याण—			
19- डा० शकुन्तला मिश्रा उत्तर प्रदेश विकलांग विश्वविद्यालय—			
मूल	63,00.00		
पुनर्वि०	20,00.00	83,00.00	82,39.70
प्रावधान में ₹ 20,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी वृद्धि मई, 2012 तक विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिये हुई।			
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।			





व्यय का विवरण : 80 & 1 के अंतर्गत व्यय : क.क फंडों  
 1 के अंतर्गत व्यय : क.क , आ वृद्धि पर व्यय ; का अंतर्गत व्यय : क.क 1/2

वर्ष : '11/12

व्यय का विवरण : 80 ; ;

वर्ष/कद 0 ; ; \$  
 cpr &

1/2 गति ₹ 1/2

जक्तल

2013- मंत्रि परिषद,

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों  
 तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

नरर

मूल	33,94,05,28
पूरक	61,76,15

34,55,81,43      33,25,75,42      -1,30,06,01

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

ित्तर

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य  
 पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

नरर

मूल	2,00,00
पूरक	..

2,00,00      1,77,00      -23,00

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

विवरण : का , आ वृद्धि ; &

जक्तल

नरर

- वास्तविक व्यय ₹ 33,25,75.42 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10 रफक 2010-2011 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 7,17.57 लाख सम्मिलित हैं।  
 ₹ 1,37,23.58 लाख ( ₹ 1,30,06.01 लाख + ₹ 7,17.57 लाख) की अंतिम बचत के विरुद्ध, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित नहीं की जा सकी ।
- ₹ 1,37,23.58 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 61,76.15 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

(iii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh" kZ

dgy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +  
cpr -

¼ yk[k ₹ e½

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- मंडलीय कार्यालयों का अधिष्ठान 4,99.98 4,33.08 -66.90  
वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 तथा 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 1.96 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

102- आर्थिक विकास-

03- औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों हेतु

निजी उद्यम प्रोत्साहन योजना 68.17 58.49 -9.68

277- शिक्षा-

05- अनुसूचित जातियों के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा के फलस्वरूप घाटे की प्रतिपूर्ति हेतु अशासकीय विद्यालयों को अनुदान

20.00 .. -20.00

06- चिकित्सा, अभियंत्रण तथा टेक्नालोजी विषय में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तक व उपकरण क्रय हेतु अनावर्ती सहायता

25.00 .. -25.00

09- ज्योतिवाराव फूले राजकीय स्वच्छकार

आश्रम पद्धति विद्यालय 11,18.31 9,40.89 -1,77.42  
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2008-09 तथा 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 16.32 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

15- औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को आर्थिक सहायता

70.50 .. -70.50

20- मैला उठाने, चमड़ा उतारने जैसे व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के दशमपूर्व कक्षाओं (कक्षा 1 से 10 तक) अध्ययनरत विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

5,00.00 84.24 -4,15.76

793- अनुसूचित जातियों की घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-

04- सचिवालय स्तरीय अधिष्ठान 34.88 21.64 -13.24

800- अन्य व्यय-

07- अनुसूचित जाति तथा जन जाति आयोग

3,06.62

1,77.04

-1,29.58

'kh"kz	dly vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
¼ yk[k ₹ eg ½			
80- सामान्य-			
102- स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान-			
03- डा0 अम्बेडकर जन्म शताब्दी फाउन्डेशन की स्थापना	14.80	4.74	-10.06
800- अन्य व्यय-			
03- शैक्षिक कार्यक्रम वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2006-07 तथा 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 18.15 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।	11,47.65	8,76.19	-2,71.46
04- पूर्व दशम कक्षाओं में पढ़ने वाले विमुक्त जातियों के अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति/ अनावर्ती सहायता (कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों के लिये)	4,55.00	..	-4,55.00
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-			
01- पुनर्वास-			
800- अन्य व्यय-			
03- कश्मीर से आये विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु सहायता	27.81	12.40	-15.41
02- समाज कल्याण-			
104- वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण-			
03- वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों के लिये आवासीय गृह	24.04	18.23	-5.81
04- भिक्षावृत्ति का निवारण वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 4.40 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।	3,31.20	2,47.12	-84.08
105- नशाबंदी-			
03- अधिष्ठान	67.36	53.61	-13.75
04- मण्डलीय कार्यालय	2,44.83	2,16.63	-28.20
107- स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-			
03- मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं एवं संगठनों को प्राविधि शिक्षण देने के लिये अनुदान	8,47.79	6,90.48	-1,57.31

' kh" kZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +  
cpr -

¼ yk[k ₹ e ½

200- अन्य कार्यक्रम—

03- आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों (सामान्य)

के गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले  
परिवारों के पूर्व दशम् ( कक्षा 1 से 10 तक )

छात्रों को छात्रवृत्ति	1,76,64.00	1,42,51.24	-34,12.76
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 से सम्बन्धित ₹ 95.11 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।			

05- सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे

के परिवारों के युवक/युवतियों के

लिये पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण	1,08.00	53.79	-54.21
------------------------------	---------	-------	--------

06- सामान्य वर्ग के गरीबी रेखा के नीचे

के परिवारों की पुत्रियों की शादी एवं

इलाज हेतु आर्थिक सहायता—

मूल	37,50.00		
पुनर्वि०	-10.00	37,40.00	31,01.74
			-6,38.26

प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2008-09 से सम्बन्धित ₹ 77.53 लाख उचन्त लेखे के

समाशोधन के सम्मिलित है।

08- आई०ए०एस०/पी०सी०एस० मुख्य

परीक्षा हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण	55.00	43.95	-11.05
--------------------------------------	-------	-------	--------

09- समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित

योजनाओं का कम्प्यूटरीकरण	2,00.00	1,01.53	-98.47
--------------------------	---------	---------	--------

10- मानवाधिकार हनन के प्रकरणों

में आर्थिक सहायता	50.00	..	-50.00
-------------------	-------	----	--------

800- अन्य व्यय—

03- आवासीय संस्थानों के पूर्णकालिक

चिकित्सकों की व्यवस्था	17.52	3.14	-14.38
------------------------	-------	------	--------

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—

102- समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन—

03- वृद्धावस्था / किसान पेंशन	1,15,72.12	90,88.89	-24,83.23
-------------------------------	------------	----------	-----------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।



(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

' kh" kZ

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों  
तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- मुख्यालय अधिष्ठान-

मूल 8,37.55

पुनर्वि0 10.00

8,47.55 8,58.88

+11.33

प्रावधान में ₹ 10.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल किये जाने के कारण अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई। वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05, 2006-07 तथा 2009-10 से सम्बन्धित ₹ 34.68 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

277- शिक्षा-

07- विभाग द्वारा सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति

के वर्तमान पुस्तकालयों छात्रावासों और पाठशालाओं

का सुधार एवं विस्तार (जिला योजना)

63,19.68 81,83.01

+18,63.33

वास्तविक व्यय में वर्ष 2003-04 तथा 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 18.89 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

13- अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों के लिए

राज्य सेवाओं हेतु पूर्व परीक्षा-प्रशिक्षण

केन्द्र की स्थापना

78.39 95.11

+16.72

793- अनुसूचित जातियों की घटक योजना

के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-

03- मण्डल/जनपद/विकास खंड स्तर

पर शासकीय स्टाफ की व्यवस्था

37,22.10 39,79.91

+2,57.81

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2009-10 तथा 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 1,04.25 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

05- आर्थिक उत्थान

1,50.02 1,85.11

+35.09

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 से सम्बन्धित ₹ 45.03 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।





' kh"kz

dly vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +  
cpr -

¼ yk[k ₹ e ½

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाज कल्याण-

107- स्वैच्छिक संगठनों को सहायता-

05- समाज कल्याण के विभिन्न कार्यों में

लगे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	1.00	29.80	+28.80
---------------------------------	------	-------	--------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 29.80 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

200- अन्य कार्यक्रम-

07- आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त अन्य वर्गों (सामान्य)

के निर्धन अभिभावकों के आश्रित छात्रों को दशमोत्तर

छात्रवृत्ति एवं प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति	2,78,04.96	2,78,30.70	+25.74
--	------------	------------	--------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2008-09 से सम्बन्धित ₹ 25.77 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

i thxr&amp;

nRrer&amp;

(v) ₹ 23.00 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई :-

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य

पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

277- शिक्षा-

03- मान्यता प्राप्त अनुसूचित जाति

बाहुल्य प्राथमिक विद्यालयों को

एकमुश्त सहायता	2,00.00	1,77.00	-23.00
----------------	---------	---------	--------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

vunpku l d; k 81 & l ekt dY; k.k foHkx ¼ tutkfr dY; k.k ½

e[; 'kh"KZ	dY; vunpku ; k fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &	
¼ gtkj ₹ ea ½				
<b>jktLo&amp;</b>				
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,				
2202- सामान्य शिक्षा,				
2215- जल पूर्ति तथा सफाई,				
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण,				
2230- श्रम तथा रोजगार,				
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,				
2401- फसल कृषि कर्म,				
2402- मृदा तथा जल संरक्षण,				
2403- पशु पालन,				
2405- मछली पालन,				
2425- सहकारिता,				
2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,				
2702- लघु सिंचाई तथा				
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग				
<b>nRrer&amp;</b>				
मूल	39,34,08	69,94,08	36,29,77	-33,64,31
पूरक	30,60,00			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )				25,76,98
<b>i Hkkfj r&amp;</b>				
मूल	10	10	..	-10
पूरक	..			
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..
<b>i wthxr&amp;</b>				
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,				
4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,				
4406- वानिकी तथा वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय,				

'kh"kl	dy vupku ; k fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
¼ gtlj ₹ e½			
4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,			
4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय तथा			
6425- सहकारिता के लिये कर्ज			
nRrer&			
मूल	39,68,09		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )	39,68,09	8,13,03	-31,55,06
			31,55,06

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 36,29.77 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02 तथा 2002-03 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 15.84 लाख सम्मिलित है।
- (ii) ₹ 33,80.15 लाख ( ₹ 33,64.31 लाख + ₹ 15.84 लाख) की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 25,76.98 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।
- (iii) ₹ 33,80.15 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 30,60.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (iv) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
--------	----------	--------------	-----------------------

¼ yk[k ₹ e½

2202- सामान्य शिक्षा-

01- प्रारम्भिक शिक्षा-

796- जनजाति क्षेत्र उप योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

पूरक	8,00.00	8,00.00	2,23.86	-5,76.14
------	---------	---------	---------	----------

2215- जल पूर्ति तथा सफाई-

01- जलापूर्ति-

796- जनजाति क्षेत्र उप योजना-

03- जनजातियों के लिए जलापूर्ति कार्यक्रम-

मूल	2,75.00			
पुनर्वि०	-2,06.25	68.75	68.75	..

₹ 2,06.25 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश न मिलने के कारण हुआ।



' kh"kl	clg vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	cpr -
		¼ yk[k ₹ eg ½		
09- अनुसूचित जनजातियों के लिये राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय—				
मूल	4,45.77			
पुनर्वि०	-16.66	4,29.11	3,62.71	-66.40
₹ 16.66 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के कारण हुआ ।				
10- अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु बुक बैंक योजना के अन्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों हेतु अनुदान—				
मूल	10.00			
पुनर्वि०	-7.24	2.76	2.76	..
₹ 7.24 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के कारण हुआ ।				
11- अनुसूचित जन जातियों के कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति एवं अनावर्ती सहायता—				
मूल	6,33.00			
पुनर्वि०	-3.00	6,30.00	4,66.90	-1,63.10
₹ 3.00 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक आवश्यकता के कारण हुई बचत के कारण हुआ ।				
12- अनुसूचित जनजाति के छात्राओं हेतु यूनीफार्म एवं बाइसकिल अनुदान—				
मूल	50.00			
पुनर्वि०	-29.03	20.97	19.40	-1.57
₹ 29.03 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के कारण हुआ ।				
15- अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता—				
मूल	11.00			
पुनर्वि०	-5.12	5.88	4.75	-1.13
₹ 5.12 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के कारण हुआ ।				
2230- श्रम तथा रोजगार—				
03- प्रशिक्षण—				
796- जनजाति क्षेत्र उप योजना—				
03- अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना—				
मूल	41.13			
पुनर्वि०	-41.13	..	0.02	+0.02
₹ 41.13 लाख का अभ्यर्पण पदों का सृजन न होने के कारण हुआ । वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 से सम्बन्धित ₹ 0.02 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है ।				





' kh"kl	clgy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
18- अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवार की बालिकाओं के विवाह एवं गम्भीर बीमारी के इलाज हेतु अनुदान	50.00	74.80	+24.80

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i wthxr&

nRrer&

(vi) बचत निम्न के अधीन हुई :-

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य

पिछड़े वर्गों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-

02- अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-

796- जनजाति क्षेत्र उप योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल

37,45.06

पुनर्वि०

-31,45.06

6,00.00

6,00.00

..

₹ 31,45.06 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश न मिलने के कारण हुआ ।



वृत्तवार्षिक 2012-13 का वार्षिक लेखा

विवरण	वृत्तवार्षिक 2012-13	वृत्तवार्षिक 2011-12	वृत्तवार्षिक 2010-11	वृत्तवार्षिक 2009-10
2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें				
मूल	29,86,38	29,86,38	25,92,06	-3,94,32
पूरक	..	..	..	..
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )				4,06,49
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय				
मूल	2,92,81	2,92,81	2,99,66	+6,85
पूरक	..	..	..	..
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )				5,85
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय				
मूल	13,00,00	13,00,00	13,00,00	..
पूरक	..	..	..	..
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि				..

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 25,92.06 लाख में उच्चत लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2008-09 तथा 2009-10 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 13.57 लाख सम्मिलित हैं। ₹ 4,07.89 लाख ( ₹ 3,94.32 लाख + ₹ 13.57 लाख) की अंतिम बचत के विरुद्ध, मात्र ₹ 4,06.49 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी ।



(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl	dyj vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ;	+ cpr -
---------	-----------	--------------	------------	---------

¼ yk/k ₹ es ½

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-

104- सतर्कता-

04- सतर्कता निदेशालय-

मूल	27,95.17	}	24,10.89	24,16.68	+5.79
पुनर्वि०	-3,84.28				

₹ 3,84.28 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः बिल प्राप्त न होने, पदों के रिक्त होने इत्यादि के कारण हुआ ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 से सम्बन्धित

₹ 5.75 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i Hkkfjr&

(iii) व्यय प्रभारित विनियोग से ₹ 6,84,875 अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियामानुकूलन आपेक्षित है ।

(iv) ₹ 6.85 लाख की अन्तिम व्ययाधिक्य को देखते हुए, ₹ 5.85 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था ।

(v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

' kh"kl	dyj fofu; ksx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ;	+ cpr -
---------	---------------	--------------	------------	---------

¼ yk/k ₹ es ½

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें-

104- सतर्कता-

05- लोक आयुक्त संगठन-

मूल	2,92.81	}	2,86.96	2,99.66	+12.70
पुनर्वि०	-5.85				

₹ 5.85 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः आर्थिक मितव्ययिता, जिप्सी वाहन खरीदने के पश्चात शेष धनराशि के अप्रयुक्त रहने इत्यादि के कारण हुआ ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

vunqu l a[; k 83 &l ekt dY; k.k foHkkx  
¼vuq ifpr tkfr; ka ds fy; s fo'kS'k

e[; 'kh"kl

dy vunqu

okLrfod 0; ;

¼ gtlj ₹ ea ½

jktLo&amp;

- 2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,  
2202- सामान्य शिक्षा,  
2203- तकनीकी शिक्षा,  
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य,  
2215- जल पूर्ति तथा सफाई,  
2217- शहरी विकास,  
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों  
तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण,  
2230- श्रम तथा रोजगार,  
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण,  
2401- फसल कृषि कर्म,  
2403- पशु पालन,  
2404- डेरी विकास,  
2405- मछली पालन,  
2425- सहकारिता,  
2501- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम,  
2505- ग्राम रोजगार,  
2506- भूमि सुधार,  
2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम,  
2702- लघु सिंचाई,  
2810- अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत तथा  
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग

nrer&amp;

मूल

61,63,02,69

पूरक

5,77,77,00

67,40,79,69

59,48,34,06

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )

i thxr&amp;

- 4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा  
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय,  
4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य  
पर पूंजीगत परिव्यय,

ef; 'kh"lz

dy vunku

okLrfod 0; ;

¼ gtlj ₹ ea ½

- 4215- जल पूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित  
 जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों  
 के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4406- वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4575- अन्य विशेष क्षेत्र के कार्यक्रमों  
 पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,  
 4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 5054- सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय,  
 6225- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा  
 अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कर्ज एवं  
 6425- सहकारिता के लिये कर्ज

nRrer&

मूल	35,59,18,82	}	48,72,18,88	44,56,73,19
पूरक	13,13,00,06			

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 59,48,34.06 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2003-04, 2008 2009-10 तथा 2010-11 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 7,10.00 लाख सम्मिलित है ।
- (ii) ₹ 7,99,55.63 लाख ( ₹ 7,92,45.63 लाख + ₹ 7,10.00 लाख) की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 7,76,27.54 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी ।
- (iii) ₹ 7,99,55.63 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 5,77,77.00 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।

- (iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न  
' kh"kl dy vupku okLrfod 0; ;

¼ yk[k ₹ ea ½

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- प्रान्तीय रक्षक दल का सशक्तीकरण—

मूल	2,00.00		
पुनर्वि०	-1,26.20	73.80	73.80

₹ 1,26.20 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2202- सामान्य शिक्षा—

01- प्रारम्भिक शिक्षा—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	11,15,95.00		
पुनर्वि०	-2,85,04.70	8,30,90.30	4,27,95.92

₹ 2,85,04.70 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं। वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 36.37 लाख उचन्त लेखे के सम्मिलित है।

02- माध्यामिक शिक्षा—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- सावित्रीबाई फूले बालिका

शिक्षा मदद योजना—

मूल	1,05,60.00		
पूरक	1,97,77.00	2,46,00.17	2,27,17.24
पुनर्वि०	-57,36.83		

₹ 57,36.83 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं। वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 44.92 लाख उचन्त लेखे के सम्मिलित है।

2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य—

02- शहरी स्वास्थ्य सेवायें—अन्य चिकित्सा पद्धतियां—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- राजकीय आयुर्वेदिक/

यूनानी चिकित्सालय—

मूल	97.48		
पुनर्वि०	-97.48	..	..

₹ 97.48 लाख का अभ्यर्पण पदों का सृजन न होने के कारण हुआ ।

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

¼ yk/k ₹ es ½

04- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- राजकीय आयुर्वेदिक /

यूनानी चिकित्सालय-

मूल 2,94.20 ]

पुनर्वि० -2,94.20 ] .. ..

₹ 2,94.20 लाख का अभ्यर्पण पदों का सृजन न होने के कारण हुआ ।

04- अस्पताल और औषधालय-

मूल 5,93.57 ]

पुनर्वि० -2,66.14 ] 3,27.43 3,27.43

₹ 2,66.14 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

05- चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- शिक्षा-

मूल 59,10.88 ]

पुनर्वि० -18,40.54 ] 40,70.34 40,60.07

₹ 18,40.54 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

2217- शहरी विकास-

04- गंदी बस्तियों का विकास-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

05- इन्टीग्रेटेड हाउसिंग एण्ड स्लम डेवलपमेन्ट

प्रोग्राम (के० 80 / रा० 20-के०+रा०)-

मूल 2,48,76.06 ]

पुनर्वि० -30,63.77 ] 2,18,12.29 2,18,12.29

₹ 30,63.77 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 13,60.48 लाख की कमी आवश्यकता के कारण हुई। ₹ 17,03.29 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

05- अन्य शहरी विकास योजनायें-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- जे०एन०एन०यू०आर०एम० का उपघटक,

बेसिक सर्विसेज फार अरबन पूअर

(के० 50 / रा० 50-के०+रा०)-

मूल 3,33,08.00 ]

पुनर्वि० -31,43.07 ] 3,01,64.93 2,88,48.29

₹ 31,43.07 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।

' kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

¼ yk/k ₹ er ½

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों  
तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

05- छत्रपति साहू जी महाराज शोध

एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ-

मूल 1,16.00 ]

पुनर्वि० -23.37 ]

92.63

92.82

₹ 23.37 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 0.20 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के

07- अनुसूचित जाति के छात्रावासों के निर्माणार्थ

स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान-

मूल 30.00 ]

पुनर्वि० -30.00 ]

..

..

₹ 30.00 लाख का अभ्यर्पण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।

08- अनुसूचित जाति/जनजातियों

के लिए राज्य सेवाओं हेतु

परीक्षा पूर्व, प्रशिक्षण केन्द्र-

मूल 2,90.05 ]

पुनर्वि० -1,01.31 ]

1,88.74

1,87.52

₹ 1,01.31 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

09- राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम

पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-

मूल 5,00.00 ]

पुनर्वि० -3,34.28 ]

1,65.72

1,64.74

₹ 3,34.28 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

11- अनुसूचित जाति के कक्षा 9 व 10

में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति

एवं अनावर्ती सहायता-

मूल 4,00.00 ]

पुनर्वि० -4,00.00 ]

..

..

₹ 4,00.00 लाख का अभ्यर्पण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।

12- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय-

मूल 76,01.50 ]

पुनर्वि० -20,58.05 ]

55,43.45

55,16.18



₹ 20,58.05 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

¼ yk[k ₹ es ½

13- विभिन्न वर्गों की छात्रवृत्ति योजनाओं

का अनुश्रवण एवं कम्प्यूटरीकरण-

मूल	2,50.00		
पुनर्वि०	-1,28.38	1,21.62	1,21.10

₹ 1,28.38 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- कोल जाति के लिए विशेष

उत्थान कार्यक्रम-

मूल	6,79.50		
पुनर्वि०	-6,79.50	..	..

₹ 6,79.50 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2230- श्रम तथा रोजगार-

02- रोजगार सेवायें-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु

शिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्र-

मूल	1,46.25		
पुनर्वि०	-1,08.26	37.99	37.78

₹ 1,08.26 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

03- प्रशिक्षण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- आई०टी०आई० अलीगंज, लखनऊ में प्रादेशिक

स्टाफ प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र-

मूल	96.55		
पुनर्वि०	-93.76	2.79	2.78

₹ 93.76 लाख का अभ्यर्पण मांग प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ।

04- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण

संस्थानों की स्थापना-

मूल	10,32.56		
पुनर्वि०	-1,53.56	8,79.00	8,74.63

₹ 1,53.56 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में

अल्पकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण-

मूल	86.87		
पुनर्वि०	-69.24	17.63	17.63

₹ 69.24 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

¼ yk/k ₹ ee ½

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

02- समाज कल्याण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

07- छात्र/छात्राओं को परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण-

मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	-12.84	87.16	87.16

₹ 12.84 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

04- वृद्धावस्था/किसान पेंशन (राज्य सेक्टर)-

मूल	4,40,00.00		
पुनर्वि०	-1,51,50.23	2,88,49.77	1,05,44.09

₹ 1,51,50.23 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 13,00.00 लाख की क आवश्यकता के कारण हुई। ₹ 1,38,50.23 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2401- फसल कृषि कर्म-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-

मूल	37,77.50		
पुनर्वि०	-9,26.54	28,50.96	28,07.98

₹ 9,26.54 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

04- गन्ना विकास योजना (जिला योजना)-

मूल	1,40.00		
पुनर्वि०	-74.22	65.78	55.95

₹ 74.22 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

07- औद्योगिक विकास कार्यक्रम-

मूल	3,00.00		
पुनर्वि०	-1,50.43	1,49.57	1,48.84

₹ 1,50.43 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2403- पशु पालन-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- पशुरोग अनुसंधान तथा निदान और

सेवाओं का विस्तार (जिला योजना)-

मूल	12,00.00		
पुनर्वि०	-1,57.72	10,42.28	10,42.34

₹ 1,57.72 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"KZ

dly vupku

okLrfod 0; ;

¼ yk[k ₹ e¼ ½

- 06- अनुसूचित जातियों के लिए  
बैंकयार्ड पोल्ट्री कार्यक्रम—
- |          |          |         |         |
|----------|----------|---------|---------|
| मूल      | 4,00.00  |         |         |
| पुनर्वि० | -1,00.01 | 2,99.99 | 2,99.99 |
- ₹ 1,00.01 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
- 10- सूकर प्रक्षेत्रों की स्थापना, विकास,  
सुदृढीकरण तथा प्रजनन सुविधा  
उपलब्ध कराना (जिला योजना)—
- |          |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|
| मूल      | 1,36.00 |         |         |
| पुनर्वि० | -20.00  | 1,16.00 | 1,16.07 |
- ₹ 20.00 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
- 2404- डेरी विकास—
- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—
- 04- दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी  
निवेश सुविधा (जिला योजना)—
- |          |         |         |         |
|----------|---------|---------|---------|
| मूल      | 2,00.00 |         |         |
| पुनर्वि० | -59.73  | 1,40.27 | 1,37.48 |
- ₹ 59.73 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
- 05- कृषकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम—
- |          |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|
| मूल      | 50.00 |       |       |
| पुनर्वि० | -6.70 | 43.30 | 41.08 |
- ₹ 6.70 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
- 2501- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम—
- 02- सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम—
- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—
- 01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र  
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—
- |          |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|
| मूल      | 27.00 |       |       |
| पुनर्वि० | -9.55 | 17.45 | 17.45 |
- ₹ 9.55 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
- 2506- भूमि सुधार—
- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—
- 01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र  
द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—
- |          |       |      |      |
|----------|-------|------|------|
| मूल      | 10.00 |      |      |
| पुनर्वि० | -8.79 | 1.21 | 1.22 |
- ₹ 8.79 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

¼ yk/k ₹ er ½

2515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	49,77.50		
पुनर्वि०	-46,20.09	3,57.41	3,54.60

₹ 46,20.09 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 13,00.00 लाख की कमी आवश्यकता के कारण हुई। ₹ 32,89.02 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कार नहीं किये गये हैं।

03- ग्रामीण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत

स्वच्छ शौचालयों का निर्माण—

मूल	43,37.04		
पुनर्वि०	-8,23.74	35,13.30	35,29.86

₹ 8,23.74 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं। वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित ₹ 27.97 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के

2851- ग्राम तथा लघु उद्योग—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

12- एरी रेशम विकास योजना

(जिला योजना)—

मूल	35.00		
पुनर्वि०	-6.79	28.21	28.23

₹ 6.79 लाख की अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (₹

(v) व्ययाधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न

2202- सामान्य शिक्षा—

80- सामान्य—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

.. 24,26.73

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

¼ yk/k ₹ es ½

2215- जल पूर्ति तथा सफाई—

01- जलपूर्ति —

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- ग्रामीण पेयजल योजना 1,75,00.00 2,34,58.41

2217- शहरी विकास—

04- गंदी बस्तियों का विकास—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	5.00		
पुनर्वि०	10,61.71	10,66.71	10,61.71

₹ 10,61.71 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 10,61.72 लाख की वृद्धि केन्द्रीय वित्त योजना वास्तविक लाभार्थियों को लाभ देने के कारण हुआ। ₹ 0.01 लाख के अभ्यर्पण किये जाने कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों

तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण—

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	6,56,29.27		
पुनर्वि०	-60,59.57	5,95,69.70	9,21,54.35

₹ 60,59.57 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 2,74.98 लाख की कमी आवश्यकता के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 6,40.00 लाख की वृद्धि योजना के प्रचार के लिए की आवश्यकता के कारण हुई। ₹ 64,24.59 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 7.96 लाख उचन्त लेखे के सम्मिलित है।

10- अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं

के छात्रावासों का संचालन—

मूल	8,04.33		
पुनर्वि०	-4,01.96	4,02.37	8,99.89

₹ 4,01.96 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 15.65 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के



' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

¼ yk/k ₹ es ½

2230- श्रम तथा रोजगार—

02- रोजगार सेवायें—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें

12,45.00

25,61.64

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण—

02- समाज कल्याण—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल 9,78,00.00

पुनर्वि० -4.34

9,77,95.66

11,53,66.60

₹ 4.34 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2008-09 से सम्बन्धित ₹ 16.05 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के

03- नेत्रहीन, मूकबधिर तथा शारीरिक रूप से

विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण पोषण

हेतु अनुदान (जिला योजना)—

मूल 35,00.00

पुनर्वि० -0.03

34,99.97

35,02.41

₹ 0.03 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2008-09 से सम्बन्धित ₹ 11.20 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

05- उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री महामाया

गरीब आर्थिक मदद योजना—

मूल 5,40,00.00

पूरक 60,00.00

6,06,59.91

6,07,03.20

पुनर्वि० 6,59.91

₹ 6,59.91 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 6,60.00 लाख की वृद्धि के लिये धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई। ₹ 0.09 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 तथा 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 43.82 लाख उचन्त लेखे के सम्मिलित है।



' kh"lz

dy vupku

okLrfod 0; ;

¼ yk/k ₹ es ½

2501- ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम—

05- बंजर भूमि विकास—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	14.88		
पुनर्वि०	-3.99	10.89	24.22

₹ 3.99 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2702- लघु सिंचाई—

80- सामान्य—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

04- पठारी क्षेत्रों की लघु सिंचाई योजना

(जिला योजना)—

मूल	1,00.00		
पुनर्वि०	-0.50	99.50	1,08.14

₹ 0.50 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

2810- अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत—

02- सौर—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- नान कन्वेंशनल एनर्जी डेवलपमेन्ट

एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त उर्जा

स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन—

मूल	9,23.63		
पुनर्वि०	18,33.18	27,56.81	27,56.81

₹ 18,33.18 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 19,04.81 लाख की वृद्धि केन्द्रीय वित्तीय योजना द्वारा क्रियान्वित किये जाने के कारण हुई।

₹ 71.63 लाख के अभ्यर्पण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/व्ययाधिक्य/बिना प्रावधान के व्यय किये जाने के नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i wthxr&amp;

nrRrer&amp;

(vi) वास्तविक व्यय ₹ 44,56,73.19 लाख में उच्चतम लेखे के समाशोधन के वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 5,19,80.00 लाख सम्मिलित है।

(vii) ₹ 9,35,25.69 लाख ( ₹ 4,15,45.69 लाख + ₹ 5,19,80.00 लाख) की अंतिम बचत में से, ₹ 3,63,35.25 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।

(viii) ₹ 9,35,25.69 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 13,13,00.06 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ ।

(ix) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kl"kl dy vupku okLrfod 0; ;

¼ yk[k ₹ ea ½

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा  
संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

02- सामान्य शिक्षा-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- अम्बेडकर ग्रामों में स्थित प्राथमिक  
विद्यालयों का सुदृढीकरण-

मूल	87,88.00	]	20,11.81	11,68.63
पुनर्वि०	-67,76.19			

₹ 67,76.19 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 15,00.00 लाख की पुनर्दि  
की गयी कमी वास्तविक खर्च के बाद हुई बचत के कारण हुई ।

₹ 52,76.19 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।  
वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 1.12 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के त

02- तकनीकी शिक्षा-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

05- अनुसूचित जाति बाहुल्य जनपदों में  
राजकीय पॉलिटैक्निकों की स्थापना -

मूल	2,54.26	]	..	..
पुनर्वि०	-2,54.26			

₹ 2,54.26 लाख के अभ्यर्पण उचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

03- खेलकूद तथा युवा सेवा-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- अनुसूचित जाति के युवाओं के लिये  
ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण-

मूल	2,00.00	]	..	7.80
पुनर्वि०	-2,00.00			

₹ 2,00.00 लाख का अभ्यर्पण उचित प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण हुआ ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 7.80 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के त



' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

¼ yk/lk ₹ es ½

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

पर पूंजीगत परिव्यय—

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

05- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सा0स्वा0 केन्द्रों

व उप केन्द्रों में जल सम्पूर्ति विद्युतीकरण

सुधार विस्तार एवं नवीनीकरण—

मूल 1,00.00

पुनर्वि0 -1,00.00

₹ 1,00.00 लाख की कुल बचत में से, प्रावधान में ₹ 99.90 लाख की कमी किये जाने के विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं। ₹ 0.10 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आध

03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

04- राजकीय एलोपैथिक मेडिकल

कालेज, कन्नौज—

मूल 2,45.01

पुनर्वि0 -2,45.01

₹ 2,45.01 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

05- राजकीय एलोपैथिक मेडिकल

कालेज, उरई, जालौन—

मूल 2,45.01

पुनर्वि0 -2,45.01

₹ 2,45.01 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

06- पैरा मेडिकल कालेज, झांसी—

मूल 65,00.01

पुनर्वि0 -65,00.01

₹ 65,00.01 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

07- राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, सहारनपुर—

मूल 50,00.01

पुनर्वि0 -50,00.01

₹ 50,00.01 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

08- राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर—

मूल 46,00.00

पुनर्वि0 -10,49.65

35,50.35

18,23.42

₹ 10,49.65 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

¼ yk/k ₹ es ½

4215- जलपूर्ति तथा सफाई  
पर पूंजीगत परिव्यय—

01- जलपूर्ति —

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में

हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन—

मूल	30,00.00	}	20,00.00	19,00.76
पुनर्वि०	-10,00.00			

₹ 10,00.00 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

4217- शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय—

60- अन्य शहरी विकास योजनायें—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

04- मा० कांशीरामजी शहरी दलित

बाहुल्य बस्ती समग्र आवास योजना—

पूरक	2,35,00.00	}	1,39,99.19	1,39,99.19
पुनर्वि०	-95,00.81			

₹ 95,00.81 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 10,00.81 लाख के अभ्यर्पण किये जा विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं तथा प्रावधान में ₹ 85,00.00 लाख की कमी के का किये गये हैं ।

4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों

का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय—

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र

द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—

मूल	19,50.00	}	9,79.14	9,79.14
पुनर्वि०	-9,70.86			

₹ 9,70.86 लाख का अभ्यर्पण केन्द्रांश न मिलने के कारण हुआ ।

03- उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं

विकास निगम लि० में पूंजी निवेश—

मूल	31,81.38	}	65.00	65.00
पुनर्वि०	-31,16.38			

₹ 31,16.38 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

¼ yk/k ₹ es ½

05- राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों

का कक्षा 12 तक उच्चीकरण-

मूल	4,00.00	}		
पुनर्वि०	-4,00.00			..

₹ 4,00.00 लाख का अभ्यर्पण उचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

08- स्वैच्छिक संस्थाओं/विश्वविद्यालय/विद्यालय

परिसर में अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं

हेतु छात्रावास-

मूल	1,00.00	}		
पुनर्वि०	-1,00.00			..

₹ 1,00.00 लाख का अभ्यर्पण उचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

09- कोचिंग केन्द्र भवन का निर्माण-

मूल	2,00.00	}		
पुनर्वि०	-2,00.00			..

₹ 2,00.00 लाख का अभ्यर्पण उचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

10- अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के

लिये एकीकृत विकास योजना-

मूल	7,50.00	}		
पुनर्वि०	-4,99.74			2,50.26

₹ 4,99.74 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः उचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

80- सामान्य-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- कोल जाति के लिये

विशेष उत्थान कार्यक्रम-

मूल	3,55.00	}		
पुनर्वि०	-3,55.00			..

₹ 3,55.00 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः उचित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

04- राज० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान-

मूल	24,00.00	}		
पुनर्वि०	-10,12.04			13,87.96

₹ 10,12.04 लाख के अभ्यर्पण के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं ।



' kh"lz

dy vupku

okLrfod 0; ;

¼ yk/k ₹ es ½

- 07- पूर्व से संचालित 14 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में से अवशेष संस्थानों के भवन निर्माण—
- |          |          |         |         |
|----------|----------|---------|---------|
| मूल      | 8,00.00  |         |         |
| पुनर्वि० | -2,21.04 | 5,78.96 | 5,78.96 |
- ₹ 2,21.04 लाख के अभ्यर्पण के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
- 4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—
- 02- पिछड़े क्षेत्र—
- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—
- 03- पूर्वांचल की विशेष योजनायें—
- |          |            |          |          |
|----------|------------|----------|----------|
| मूल      | 1,41,00.00 |          |          |
| पुनर्वि० | -41,24.17  | 99,75.83 | 94,67.31 |
- ₹ 41,24.17 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, ₹ 13,28.89 लाख के अभ्यर्पण किये जा प्रावधान में ₹ 27,95.28 लाख की कमी किये जाने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
- 04- बुन्देलखण्ड की विशेष योजनायें—
- |          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| मूल      | 39,00.00 |          |          |
| पुनर्वि० | -7,77.04 | 31,22.96 | 27,68.02 |
- ₹ 7,77.04 लाख के अभ्यर्पण के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
- 4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—
- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—
- 06- लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत ग्राउण्ड वाटर चार्जिंग चेक डेमों का निर्माण (जिला योजना)—
- |          |          |         |         |
|----------|----------|---------|---------|
| मूल      | 12,32.00 |         |         |
| पुनर्वि० | -3,32.83 | 8,99.17 | 8,26.99 |
- ₹ 3,32.83 लाख के अभ्यर्पण के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।
- 5054- सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—
- 04- जिला तथा अन्य सड़कें—
- 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—
- 03- वर्ष 1995-96, 1997-98, 2002-03 तथा अप्रैल, 03 से अगस्त, 2003 तक के मध्य चयनित असंतुप्त अम्बेडकर ग्रामों के सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था—
- |          |             |         |         |
|----------|-------------|---------|---------|
| मूल      | 7,50,00.00  |         |         |
| पुनर्वि० | -7,47,81.61 | 2,18.39 | 2,18.39 |
- ₹ 7,47,81.61 लाख की कुल प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 7,46,81.90 लाख की व्यय के उपरान्त बचत के कारण हुई। ₹ 99.71 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष

नहीं किये गये हैं ।

' kh"KZ

dly vupku

okLrfod 0; ;

¼ yk/k ₹ ea ½

06- डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत  
कृषि विपणन के लिये मार्गों/लघु सेतुओं का पुर्ननिर्माण/  
चौड़ीकरण/जीणोंद्वार/उच्चीकरण-

मूल	40,00.00		
पुनर्वि0	-2,91.09	37,08.91	34,32.91

₹ 2,91.09 लाख के अभ्यर्पण के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

6225- अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा  
अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये कर्ज-

01- अनुसूचित जातियों का कल्याण-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- धोबी समाज के व्यक्तियों को व्याज रहित ऋण-

मूल	4,12.00		
पुनर्वि0	-1,54.50	2,57.50	2,57.50

₹ 1,54.50 लाख के अभ्यर्पण के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/व्ययाधिक्य के कोई कारण सूचित नहीं किये गये

(x) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ :-

4210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

पर पूंजीगत परिव्यय-

02- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

04- नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का

भवन निर्माण (जिला योजना)-

मूल	6,00.00		
पुनर्वि0	99.90	6,99.90	6,21.43

प्रावधान में ₹ 99.90 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी वृद्धि भवन के अवशेष कार्य को f के अन्दर पूर्ण करने के लिये हुई।

03- चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

03- राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल

कालेज की स्थापना		13,69.44	30,96.37
------------------	--	----------	----------

4250- अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-

05- राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

के अवशेष निर्माण		21,33.80	21,58.80
------------------	--	----------	----------

वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 से सम्बन्धित ₹ 25.00 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के



' kh"KZ

dy vupku

okLrfod 0; ;

¼ yk/k ₹ es ½

4515- अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

98- अम्बेडकर ग्राम विकास योजना—

मूल	8,00,00.00	}	14,81,45.18	14,90,31.99
पूरक	6,88,00.00			
पुनर्वि०	-6,54.82			

₹ 6,54.82 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।  
वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 3,75.00 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- चौधरी चरण सिंह नलकूप

परियोजना (नाबार्ड पोषित)—

मूल	0.01	}	..	86.04
पुनर्वि०	-0.01			

₹ 0.01 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

4801- बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय—

06- ग्रामीण विद्युतीकरण—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

03- डा० अम्बेडकर ग्राम सभा विकास

योजनान्तर्गत ग्रामों के विद्युतीकरण/

सुदृढीकरण कार्यों हेतु उत्तर प्रदेश

विद्युत निगम को अंशपूंजी—

मूल	1,20,00.00	}	2,80,00.00	2,80,00.00
पूरक	60,00.00			
पुनर्वि०	1,00,00.00			

प्रावधान में ₹ 1,00,00.00 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की गयी वृद्धि भवन के अवशेष कार्य समय के अन्दर पूर्ण करने के लिये हुई।

' kh"lz

dy vupku

okLrfod 0; ;

¼ yk/k ₹ es ½

5054- सड़को तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय—

04- जिला तथा अन्य सड़कें—

789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना—

05- डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास

योजनान्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं में  
कृषि विपणन के लिये नये सम्पर्क मार्गों  
के निर्माण हेतु एकमुश्त व्यवस्था—

मूल	10,00.00	}	8,74,53.31	8,71,64.91
पूरक	1,00,00.00			
पुनर्वि०	7,64,53.31			

₹ 7,64,53.31 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 10,23.87 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के को कारण सूचित नहीं किये गये हैं। प्रावधान में ₹ 7,74,77.18 लाख के पुनर्विनियोग द्वारा की डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम सभाओं में नये सम्पर्क : निर्माण हेतु धनराशि की मांग होने के कारण हुआ ।

98- अम्बेडकर ग्राम विकास योजना—

मूल	8,20.00	}	8,12.13	8,20.00
पुनर्वि०	-7.87			

₹ 7.87 लाख के अभ्यर्पण किये जाने के कोई कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/व्ययाधिक्य/बिना प्रावधान के व्यय किये जाने के नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

?kVd ; kstuk½

vf/kd 0; ; \$  
cpr &

-7,92,45,63

7,76,27,54

vf/kd 0; ; \$  
cpr &

-4,15,45,69

3,63,35,25

3-09,

¶



के अधीन हुई:-  
vf/kd 0; ; +  
cpr -

..

-4,02,94.38  
₹।  
के समाशोधन

-18,82.93

के समाशोधन

..

vf/kd 0; ; +  
cpr -

..

..

-10.27

..

। वास्तविक  
ण सूचित

-13,16.64

vf/kd 0; ; +  
cpr -

+0.19

सम्मिलित है।

..

-1.22

-0.98

..

-27.27



vf/kd 0; ; +  
cpr -

-0.52

..

-0.21

-0.01

-4.37

..

vf/kd 0; ; +  
cpr -

..

-1,83,05.68  
मी वास्तविक  
गरण सूचित

-42.98

-9.83

-0.73

+0.06



vf/kd 0; ; +  
cpr -

..

+0.07

-2.79

-2.22

..

+0.01



vf/kd 0; ; +  
cpr -

-2.81

1 वास्तविक  
रण सूचित

+16.56

सम्मिलित है।

+0.02

जून 2012)।

के अधीन हुआ:-

+24,26.73

vf/kd 0; ; +  
cpr -

+59,58.41

-5.00

के अन्तर्गत  
के कोई विशेष

+3,25,84.65

वास्तविक  
ये धनराशि  
कारण सूचित

: समाशोधन

+4,97.52

सम्मिलित है।

vf/kd 0; ; +  
cpr -

+13,16.64

+1,75,70.94

सम्मिलित है।

+2,44

सम्मिलित है।

+43.29

गोजना के प्रचार  
कोई विशेष

के समाशोधन



vf/kd 0; ; +  
cpr -

+13.33

+8.64

ना के ..

कारण सूचित

मात्र

vf/kd 0; ; +  
cpr -

-8,43.18  
नियोग द्वारा

सम्मिलित है।

..

+7.80

सम्मिलित है।





vf/kd 0; ; +  
cpr -

कोई ..  
तर पर हुआ।

..

..

..

..

-17,26.93

vf/kd 0; ; +  
cpr -

-99.24

ने के कोई  
रण सूचित नहीं

..

..

..

vf/kd 0; ; +  
cpr -

..

..

..

..

..

vf/kd 0; ; +  
cpr -

..

-5,08.52  
ने तथा

-3,54.94

-72.18

..

कमी वास्तविक  
ष कारण सूचित



vf/kd 0; ; +  
cpr -

-2,76.00

..

हैं (जून 2012)।

-78.47  
नेर्धारित समय

+17,26.93

+25.00  
सम्मिलित है।



vf/kd 0; ; +  
cpr -

+8,86.81

के सम्मिलित है।

+86.04

..

को निर्धारित



vf/kd 0; ; +  
cpr -

-2,88.40

ई विशेष  
गयी वृद्धि  
मागों के

+7.87

कारण सूचित

vunqu l a; k 84 & l kekU; i z' kkl u foHkkx

ef; ' kh"kl

dy vunqu

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; \$  
cpr &

¼ gtlj ₹ ea ½

jktLo&

2053- जिला प्रशासन,

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें,

2075- विविध सामान्य सेवायें तथा

2250- अन्य सामाजिक सेवायें

nRrer&

मूल	1,96,56,65
पूरक	2,54

1,96,59,19

1,50,33,15

-46,26,04

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )

44,45,66

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

jktLo&

nRrer&

- वास्तविक व्यय ₹ 1,50,33.15 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02 तथा 2010-11 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 2.64 लाख सम्मिलित हैं।  
₹ 46,28.68 लाख ( ₹ 46,26.04 लाख + ₹ 2.64 लाख) की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 44,45.66 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी ।
- ₹ 46,28.68 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 2.54 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ ।
- बचत (एक अन्य शीर्ष के अन्तर्गत अल्प व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl

dy vunqu

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +  
cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2070- अन्य प्रशासनिक सेवायें—

800- अन्य व्यय—

04- उ0 प्र0 नागरिक परिषद्—

मूल	11.53
पुनर्वि0	-6.88

4.65

5.63

+0.98

₹ 6.88 लाख का अभ्यर्पण उ0 प्र0 नागरिक परिषद् के माननीय अध्यक्ष को मानदेय से वेतन का भुगतान करने के कारण हुआ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 से सम्बन्धित ₹ 0.80 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

' kh"lz

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +  
cpr -

¼ yk/k ₹ ea ½

05- जनगणना कार्य-2011-

मूल	1,94,85.40	}	1,50,47.77	1,48,72.60	-1,75.17
पूरक	0.01				
पुनर्वि०	-44,37.64				

₹ 44,37.64 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक मांग के अनुसार जनपदों से मांग प्राप्त न होने के कारण हुआ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 1.84 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

वृत्तव्युत्पत्ति; क 85 & लक्ष्मण मं लेखक

वृत्तव्युत्पत्ति; 'क'क	वृत्तव्युत्पत्ति	वृत्तव्युत्पत्ति 0; ;	वृत्तव्युत्पत्ति 0; ; \$
			cpr &
			¼ गतक ₹ २१ ½
वृत्तव्युत्पत्ति			
3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें			
वृत्तव्युत्पत्ति			
मूल	4,43,28		
पूरक	..	4,43,28	4,12,59
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )			-30,69
			32,79

वृत्तव्युत्पत्ति; क, ०० वृत्तव्युत्पत्ति; &

वृत्तव्युत्पत्ति  
वृत्तव्युत्पत्ति

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 4,12.59 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2008-09 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 2.11 लाख सम्मिलित हैं।  
₹ 32.80 लाख ( ₹ 30.69 लाख + ₹ 2.11 लाख) की अंतिम बचत के विरुद्ध, मात्र ₹ 32.79 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी ।

- (ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

वृत्तव्युत्पत्ति; 'क'क	वृत्तव्युत्पत्ति	वृत्तव्युत्पत्ति 0; ;	वृत्तव्युत्पत्ति 0; ; +
			cpr -
			¼ गतक ₹ २१ ½
3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-			
800- अन्य व्यय-			
04- सार्वजनिक उद्यम विभाग(आडिट प्रकोष्ठ)-			
मूल	14.18		
पुनर्वि०	-7.64	6.54	7.92
₹ 7.64 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता तथा आडिट सेल में रिक्त पदों पर तैनाती न होने इत्यादि के कारण हुआ।			+1.38
वास्तविक व्यय में वर्ष 2008-09 से सम्बन्धित ₹ 1.38 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।			



' kh"kl

dgy vupku

okLrfod 0; ;

103- प्रेस सूचना सेवायें—

¼ yk[k ₹ eg ½

03- प्रेस सूचना सेवायें कार्यक्रम—

मूल	53.04		
पुनर्वि०	-33.20	19.84	19.83

₹ 33.20 लाख का अभ्यर्पण अप्रयुक्त टेलिप्रिन्टर सेवाओं के उन्मूलन के कारण हुआ ।

800- अन्य व्यय—

07- फिल्म विकास निधि की स्थापना—

मूल	50.00		
पुनर्वि०	-50.00	..	..

₹ 50.00 लाख का अभ्यर्पण परिपक्व प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुआ ।

08- मा० कांशीराम जन्म स्मृति समारोह—

मूल	4,00.00		
पुनर्वि०	-2,83.25	1,16.75	1,16.75

₹ 2,83.25 लाख का अभ्यर्पण माननीय कांशीराम जन स्मृति समारोह आयोजित न होने के उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

2220- सूचना तथा प्रचार—

60- अन्य—

102- सूचना केन्द्र—

03- सूचना केन्द्र का अधिष्ठान—

मूल	3,36.92		
पुनर्वि०	-0.16	3,36.76	3,50.80

₹ 0.16 लाख की शुद्ध बचत में से, प्रावधान में ₹ 6.83 लाख की वृद्धि बजट में कमी, महंगा में वृद्धि, चिकित्सा दावे के प्रतिपूर्ति इत्यादि के कारण हुई। ₹ 6.99 लाख का अभ्यर्पण आर् कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा उपभोग न होने, कम्प्यूटर क्रय प्रक्रिया का अपूर्ण हो आयोजन न होने के कारण हुआ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 तथा 2005-06 से सम्बन्धित ₹ 0.49 लाख उचन्त लेखे के के सम्मिलित है।

106- क्षेत्र प्रचार—

03- अधिष्ठान—

मूल	13,44.36		
पुनर्वि०	-7.84	13,36.52	13,60.43

₹ 7.84 लाख की शुद्ध बचत में से, प्रावधान में ₹ 16.02 लाख की वृद्धि बजट में कमी, महंगा में वृद्धि, चिकित्सा दावे के प्रतिपूर्ति तथा वर्तमान वर्ष में देय अवशेष विद्युत प्रभार के भुगता ₹ 23.86 लाख का अभ्यर्पण आर्थिक मितव्ययिता, स्थानान्तरण न होने, विद्युत बिल प्राप्त न द्वारा एल०टी०सी० उपभोग न होने, कम्प्यूटर अनुरक्षण के कारण हुआ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 से सम्बन्धि

₹ 3.81 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

' kh"KZ

dgy vupku

okLrfod 0; ;

¼ yk[[k ₹ e# ½

110- प्रकाशन-

03- अधिष्ठान

मूल	14,40.49		
पुनर्वि०	5,82.91	20,23.40	20,23.39

₹ 5,82.91 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 9.70 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः आर्थिक मितव्ययि प्रकाशन भण्डार से बिल प्राप्त न होने, प्रशिक्षण का आयोजन न होने के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 7.39 लाख की कमी रिक्त पदों में भर्ती न होने के कारण हुई। प्रावधान में ₹ की कमी किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (ज



vf/kd 0; ; \$  
cpr &

-61,14,40

5,32,30

3, 2003-04,

5,32.30 लाख

धीन हुई :-

vf/kd 0; ; +  
cpr -

-56,18.13

प्रकाशन के

इत्यादि के

; अवकाश यात्रा

रण हुआ।

; समाशोधन

vf/kd 0; ; +  
cpr -

-0.01

..

..

कारण हुआ।

+14.04

ई भत्ता की दरों  
र्थक मितव्ययिता,  
ाना, प्रशिक्षण का

समाशोधन

+23.91

आई भत्ता की दरों  
न में कारण हुई।  
होने, कर्मचारियों

त



vf/kd 0; ; +  
cpr -

-0.01

ता, डाक टिकट,

₹ 6,00.00 लाख

मून 2012)।

वृत्तवार्षिक 2011-12 के लिए वित्त बजट का सारांश

विवरण	वित्त बजट 2011-12	वित्त बजट 2010-11	परिवर्तन
<b>विविध सामान्य सेवायें तथा सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b>			
मूल	43,17,82	43,17,82	34,85,39
पूरक	..	..	-8,32,43
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )			8,05,26
<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
मूल	10	10	8
पूरक	..	..	-2
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )			10
<b>सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
मूल	1,02,90	1,02,90	75,94
पूरक	..	..	-26,96
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )			25,86

विवरण

विवरण

विवरण

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 34,85.39 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2010-11 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 2.11 लाख सम्मिलित हैं।  
₹ 8,34.54 लाख ( ₹ 8,32.43 लाख + ₹ 2.11 लाख) की अंतिम बचत के विरुद्ध, मात्र ₹ 8,05.26 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।



(ii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl

dly vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ e ½

2075- विविध सामान्य सेवायें-

104- विशिष्ट सेवाओं के प्रतिफल

में पेंशन तथा पुरस्कार-

06- उत्तर प्रदेश के निवासी द्वितीय विश्वयुद्ध

के भूतपूर्व सैनिक एवं उनकी विधवाओं

को पेंशन-

मूल 29,90.00 ]

पुनर्वि० -5,68.51 ]

24,21.49

21,12.04

-3,09.45

₹ 5,68.51 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के कारण हुआ ।

10- कारगिल युद्ध से पूर्व शहीद हुए

सैनिकों की पत्नियों को सहायता-

मूल 1,06.03 ]

पुनर्वि० -65.53 ]

40.50

36.50

-4.00

₹ 65.53 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के कारण हुआ ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012) ।

(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा

कल्याण कार्यक्रम-

200- अन्य कार्यक्रम-

03- सैनिक कल्याण एवं

पुनर्वास निदेशालय-

मूल 11,37.30 ]

पुनर्वि० -1,67.98 ]

9,69.32

12,55.99

+2,86.67

₹ 1,67.98 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के कारण हुआ ।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2002-03 तथा 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 1.65 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012) ।

i Hkkfjr&amp;

(iv) ₹ 0.02 लाख की अंतिम बचत में से ₹ 0.10 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के

त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था ।

i wthxr&amp;

nRrer&amp;

(v) ₹ 26.96 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 25.86 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित

की जा सकी ।





(vi) बचत निम्न के अधीन हुई :-

'kh"kz

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +  
cpr -

¼ yk[k ₹ e½

4235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

पर पूंजीगत परिव्यय-

60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा

कल्याण कार्यक्रम-

800- अन्य व्यय-

09- जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों के

भवन एवं विश्राम गृह का निर्माण-

मूल 80.00

पुनर्वि0 -25.86

54.14

54.14

..

₹ 25.86 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के कारण हुआ ।

वृत्तिका I अंक 88 & I अंकित फॉर फॉर ¼ फंक्शन; ½

वृत्तिका 'क'क	वृत्तिका	अंकित 0; ;	वृत्तिका 0; ; \$
		¼ गतक ₹ ए ½	cpr &
2052- सचिवालय & सामान्य सेवायें			
मूल	4,93,36		
पूरक	..	4,93,36	4,63,71
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			-29,65
वृत्तिका क, ओ, वृत्तिका &			..
वृत्तिका			
वृत्तिका			

(i) ₹ 29.65 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(ii) बचत निम्न के अधीन हुई :-

वृत्तिका 'क'क	वृत्तिका	अंकित 0; ;	वृत्तिका 0; ; +
		¼ गतक ₹ ए ½	cpr -
2052- सचिवालय & सामान्य सेवायें—			
091- संलग्न कार्यालय &			
03- संस्थागत वित्त निदेशालय	3,34.42	3,10.73	-23.69

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।



वृत्तिका I अंक 89 & I अंकित फॉर फॉर  
 ¼ ऑफ.कट; द्वा ½

वर्ष; 'क'क	द्व वृत्तिका ; क फोफु; क्स	ऑलरफोद 0; ; ¼ गतलु ₹ ए ½	वर्ष/कद 0; ; \$ cpr &
<b>जक्तलु&amp;</b>			
2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर,			
2049- ब्याज अदायगियों,			
2052- सचिवालय&सामान्य सेवायें,			
2059- लोक निर्माण कार्य तथा			
2216- आवास			
<b>नररर&amp;</b>			
मूल	4,32,59,57		
पूरक	12,86,31		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )		4,45,45,88	4,42,39,83
			-3,06,05
			2,85,35
<b>i हकफ्र&amp;</b>			
मूल	88,17,57		
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )		88,17,57	88,07,00
			-10,57
			7,41
<b>i थ्र&amp;</b>			
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>नररर&amp;</b>			
मूल	7,32,58		
पूरक	1,62,30		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )		8,94,88	8,48,40
			-46,48
			41,95

fVli f. k; ka , oa Vhdk; &

जक्तलु&

नररर&

- वास्तविक व्यय ₹ 4,42,39.83 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2003-04, 2004-05 तथा 2010-11 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 30.47 लाख सम्मिलित हैं।
- ₹ 3,36.52 लाख ( ₹ 3,06.05 लाख + ₹ 30.47 लाख) की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 2,85.35 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।
- ₹ 3,36.52 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 12,86.31 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ।



(iv) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'kh"KZ	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; +	
			cpr -	
				¼ yk/k ₹ es ½

2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर—

800- अन्य व्यय—

05- व्यवस्थापन आयोग का अधिष्ठान—

मूल	55.85			
पुनर्वि०	-45.29	10.56	10.56	..
₹ 45.29 लाख का अभ्यर्पण पदों के रिक्त होने के कारण हुआ ।				

06- वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण

संस्थान लखनऊ—

मूल	2,53.02			
पुनर्वि०	5.15	2,58.17	2,47.76	-10.41
₹ 5.15 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 14.61 लाख की वृद्धि व्यापार कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ के वेतन खर्च में बढ़ोत्तरी के कारण हुई।				
₹ 9.46 लाख का अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।				

07- उ० प्र० पंजीकृत व्यापारियों के लिये

जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना—

मूल	4,50.00			
पुनर्वि०	-1,12.01	3,37.99	3,37.99	..
₹ 1,12.01 लाख की कुल बचत में से, ₹ 4.01 लाख अभ्यर्पण किये जाने के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं। प्रावधान में ₹ 1,08.00 लाख की कमी मुख्यतः आर्थिक मितव्ययिता, स्थानान्तरण न होने के कारण हुई।				
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।				

(v) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर—

800- अन्य व्यय—

04- वाणिज्य कर अधिकरण का अधिष्ठान—

मूल	12,72,96			
पुनर्वि०	-14,16	12,58,80	12,65,05	+6,25
₹ 14.16 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।				
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 तथा 2004-05 से सम्बन्धित ₹ 6.77 लाख उच्चत लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।				



i Hkkfjr&

(vi) ₹ 10.57 लाख की अंतिम बचत में से, मात्र ₹ 7.41 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी ।

(vii) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl

dy fofu; kx

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ ee ½

2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर-

800- अन्य व्यय-

03- वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-

मूल 10.00

पुनर्वि० -6.84

3.16

..

-3.16

₹ 6.84 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i wthxr&

nRrer&

(viii) ₹ 46.48 लाख की अन्तिम बचत में से, मात्र ₹ 41.95 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित की जा सकी ।

(ix) ₹ 46.48 लाख की अंतिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 1,62.30 लाख का अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुआ ।

(x) बचत निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl

dy vupku

okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ ee ½

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

80- सामान्य-

800- अन्य व्यय-

05- मिशन मोड प्रोजेक्ट के अन्तर्गत

वाणिज्य कर विभाग का कम्प्यूटराइजेशन-

मूल 1,54.54

पूरक 12.00

पुनर्वि० -41.95

1,24.59

1,20.06

-4.53

₹ 41.95 लाख का अभ्यर्पण वास्तविक व्यय के आधार पर हुआ ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।



वृत्तिका 1 अ; क 90 & 1 अफकर फोरर फोहकx  
वेकजातु रफक क्तहदज½

ए; 'क"कz द्य वृत्तिका ओलरफद 0; ; वफ/कद 0; ; \$  
cpr &

½ गतक ₹ ए ½

jktLo&

2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर

अन्य कर तथा शुल्क

nRrer&

मूल

77,22,57

77,22,57

69,95,08

-7,27,49

पूरक

..

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )

7,33,42

fVli .kh , oa Vhdk&

jktLo&

nRrer&

(i) वास्तविक व्यय ₹ 69,95.08 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2009-10 तथा 2010-11 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 6.07 लाख सम्मिलित हैं।

₹ 7,33.56 लाख ( ₹ 7,27.49 लाख + ₹ 6.07 लाख) की अंतिम बचत के विरुद्ध, मात्र ₹ 7,33.42 लाख की धनराशि अभ्यर्पण के लिये प्रत्याशित की जा सकी।

(ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित)मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

'क"कz

द्य वृत्तिका ओलरफद 0; ;

वफ/कद 0; ; +

cpr -

½ यक/क ₹ ए ½

2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर

अन्य कर तथा शुल्क—

101- संग्रहण प्रभार—मनोरंजन कर—

04- छविगृहों के निर्माण

की प्रोत्साहन योजना—

मूल

60,00.00

पुनर्वि०

-8,33.72

51,66.28

51,66.28

..

प्रावधान में ₹ 1,12.65 लाख की कमी अपेक्षित मल्टीप्लेक्स न खुलने के कारण हुई।

₹ 7,21.07 लाख का अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।



(iii) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

' kh"kl

dqy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ ee ½

2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर

अन्य कर तथा शुल्क—

101- संग्रहण प्रभार—मनोरंजन कर—

03- मनोरंजन कर से सम्बन्धित अधिष्ठान—

मूल	17,22.57			
पुनर्वि०	1,00.30	18,22.87	18,28.79	+5.92

₹ 1,00.30 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 1,12.65 लाख की वृद्धि अधिकारियों/कार्मिकों के ए०सी०पी० बिलों के भुगतान तथा कम बजट होने के कारण हुई।

₹ 12.35 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2005-06, 2009-10 तथा 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 6.07 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

व्यय का विवरण 2011-12 एवं 2012-13 के लिए  
 1/4 वर्ष के लिए, या अर्धवार्षिक

वर्ष	मूल	पूरक	कुल व्यय	अनुदान
<b>2011-12</b>				
2030- स्टाम्प पंजीकरण तथा				
2059- लोक निर्माण कार्य				
<b>वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )</b>				
मूल	1,38,47,69		1,40,41,94	1,49,65,55
पूरक	1,94,25			+9,23,61
<b>वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )</b>				<b>3,95,87</b>
<b>2012-13</b>				
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय				
<b>वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )</b>				
मूल	4		4	..
पूरक	..			-4
<b>वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )</b>				<b>4</b>
<b>2011-12</b>				
4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय				
<b>वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )</b>				
मूल	3,48,11		3,48,11	2,52,18
पूरक	..			-95,93
<b>वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि ( मार्च 2012 )</b>				<b>95,93</b>

**विवरण**

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 1,49,65,55,297 में उच्चतम लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2004-05 तथा 2005-06 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 1,75,610 सम्मिलित है। व्यय दत्तमत प्रावधान से ₹ 9,21,85,687 (₹ 9,23,61,297 - ₹ 1,75,610) से अधिक हुआ, अधिक व्यय का नियामानुकूलन अपेक्षित है।
- (ii) ₹ 9,21.86 लाख की अंतिम व्ययाधिक्य को देखते हुए, ₹ 3,95.87 लाख का अभ्यर्पण न्यायसंगत नहीं था तथा व्यय के त्रुटिपूर्ण अनुमान का द्योतक था।
- (iii) ₹ 9,21.86 लाख की अंतिम व्ययाधिक्य को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 1,94.25 लाख का अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त सिद्ध हुआ।



(iv) व्ययाधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-  
 'kh"kl dy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +  
 cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2030- स्टाम्प पंजीकरण-

01- स्टाम्प न्यायिकेतर-

101- स्टाम्पों की लागत-

03- अदालती स्टाम्प 3,00.00 4,10.63 +1,10.63

102- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय-

03- अदालती स्टाम्प 4,20.00 5,96.50 +1,76.50

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02, 2004-05 तथा 2005-06 से सम्बन्धित ₹ 0.62 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

02- स्टाम्प-गैर-न्यायिकेतर-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- जिला व्यय-

पुनर्वि० 2,74.50 2,74.50 .. -2,74.50

₹ 2,74.50 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 2,89.50 लाख की वृद्धि वेतन आदि में व्यय करने के लिये अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के लिये हुई। प्रावधान में ₹ 15.00 लाख की कमी जनपदों द्वारा मांग प्राप्त न होने के कारण हुई।

प्रावधान में हुई वृद्धि अप्रयुक्त रहना व्यय के गलत अनुमान का द्योतक था।

101- स्टाम्पों की लागत-

03- गैर अदालती स्टाम्प 45,00.00 45,66.18 +66.18

102- स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय-

03- गैर अदालती स्टाम्प 20,00.00 28,37.45 +8,37.45

वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 से सम्बन्धित ₹ 0.34 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।

800- अन्य व्यय-

03- निवेश प्रमाण-पत्र पर देय

स्टाम्प शुल्क का उत्तर

प्रदेश अधिवक्ता कल्याण

निधि समिति को संक्रमण

50.00 1,03.19 +53.19

03- पंजीकरण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

04- जिला व्यय-

मूल 44,62.41

पूरक 67.16

पुनर्वि० -1,24.01

44,05.56 45,85.57 +1,80.01

₹ 1,24.01 लाख का अभ्यर्पण जिलों से मांग न होने, कार्यदायी एजेन्सी द्वारा एक्शन प्लान न बनाने, कम प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा जिलों से प्राप्त बचत के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(v) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl

dy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk/k ₹ ea ½

2030- स्टाम्प पंजीकरण-

02- स्टाम्प न्यायिकेतर-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- अधिष्ठान-

मूल	78.17			
पुनर्वि०	-3,20.70	-2,42.53	60.46	+3,02.99

₹ 3,20.70 लाख की प्रत्याशित शुद्ध बचत में से, ₹ 47.30 लाख का अभ्यर्पण मांग न होने, स्टाम्प की कम बिक्री इत्यादि के कारण हुआ। प्रावधान में ₹ 16.10 लाख की वृद्धि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ब्याज का भुगतान के लिये अतिरिक्त धनराशि आवश्यकता के कारण हुई। प्रावधान में ₹ 2,89.50 लाख की कमी वेतन व मंहगाई भत्ता इत्यादि में वास्तविक व्यय के कारण हुई।

03- पंजीकरण-

001- निदेशन तथा प्रशासन-

03- मुख्यालय-

मूल	18,95.43			
पूरक	1,27.09	18,12.99	16,67.63	-1,45.36
पुनर्वि०	-2,09.53			

₹ 2,09.53 लाख का अभ्यर्पण मुख्यतः जिलों से मांग प्राप्त न होने, जिलों द्वारा किश्तों में धनराशि का अभ्यर्पण, जिलों द्वारा व्यय न करने तथा अनुपयोगी वाहनों के कारण हुआ।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i thxr&amp;

nRrer&amp;

(v) बचत निम्न के अधीन हुई :-

4059- लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-

01- कार्यालय भवन-

800- अन्य व्यय-

03- स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग

के कार्यालय भवनों के निर्माण

हेतु एकमुश्त व्यवस्था-

मूल	3,48.11			
पुनर्वि०	-95.93	2,52.18	2,52.18	..

₹ 95.93 लाख का अभ्यर्पण कार्यदायी एजेन्सी द्वारा प्रथम किश्त का उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने के कारण द्वितीय किश्त जारी न हो पाने के कारण हुआ।



vupku l a; k 92 & l dfr foHkx

ef; 'kh"z	dy vupku ; k fofu; ks	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
		¼ g tkj ₹ ea ½	
<b>jktLo&amp;</b>			
2205- कला एवं संस्कृति			
<b>nRrer&amp;</b>			
मूल	34,33,35	34,33,35	30,22,13
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			-4,11,22
<b>i Hkkfjr&amp;</b>			
मूल	5	5	..
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			-5
<b>i wthxr&amp;</b>			
4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>nRrer&amp;</b>			
मूल	33,35,35	33,35,35	3,07,24
पूरक	..		
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			-30,28,11

fVli f. k; ka , oa Vhd; &

jktLo&

nRrer&

- (i) वास्तविक व्यय ₹ 30,22.13 लाख में उचन्त लेखे के समाशोधन के वर्ष 2001-02, 2003-04, 2005-06 तथा 2010-11 से सम्बन्धित धनराशि ₹ 27.85 लाख सम्मिलित हैं।
- (ii) ₹ 4,39.07 लाख ( ₹ 4,11.22 लाख + ₹ 27.85 लाख) की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(iii) बचत ( अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित ) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

' kh"kl dgy vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +  
cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2205- कला एवं संस्कृति-				
101- ललित कला शिक्षा-				
09- कथक केन्द्र, लखनऊ के विकास के लिये अनुदान	36.88	29.25		-7.63
17- अयोध्या शोध संस्थान को अनुदान	3,01.78	2,21.33		-80.45
20- कथक नृत्य संस्थान, लखनऊ	99.84	84.58		-15.26
103- पुरातत्व विज्ञान-				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-				
मूल	1,12.22			
पुनर्वि०	-4.02	1,08.20	96.05	-12.15
प्रावधान में ₹ 4.02 लाख की कमी वास्तविक व्यय के उपरान्त बचत के कारण हुई।				
104- अभिलेखागार-				
01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-				
पुनर्वि०	10.00	10.00	..	-10.00
प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की वृद्धि अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई।				
प्रावधान में हुई वृद्धि अप्रयुक्त रहना व्यय के गलत अनुमान का द्योतक था।				
03- राज्य अभिलेख	3,94.20	3,32.97		-61.23
वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 से सम्बन्धित ₹ 0.16 लाख उचन्त लेखे के समाशोधन के सम्मिलित है।				
800- अन्य व्यय-				
11- कला एवं संस्कृति की शिक्षा, लोक परम्पराओं का वीडियो अभिलेखीकरण, योग्य छात्रों एवं वृद्ध कलाकारों को आर्थिक सहायता योजना-				
मूल	20.00			
पुनर्वि०	-10.00	10.00	..	-10.00
प्रावधान में ₹ 10.00 लाख की कमी वास्तविक व्यय के उपरान्त बचत के कारण हुई।				
12- अवशेषों का भुगतान-				
मूल	1,04.11			
पुनर्वि०	-21.00	83.11	33.36	-49.75
प्रावधान में ₹ 21.00 लाख की कमी वास्तविक व्यय के उपरान्त बचत के कारण हुई।				
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।				

(iv) व्ययाधिक्य निम्न के अधीन हुआ :-

' kh"kl

dgy vupku okLrfod 0; ;

vf/kd 0; ; +

cpr -

¼ yk[k ₹ ea ½

2205- कला एवं संस्कृति-

103- पुरातत्व विज्ञान-

03- पुरातत्व निदेशालय-

मूल

3,86.46

पुनर्वि०

21.00

4,07.46

3,96.75

-10.71

प्रावधान में ₹ 21.00 लाख की वृद्धि अधिकारियों/कार्मिकों के ए०सी०पी० अवशेषों के भुगतान के लिये अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के कारण हुई ।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i wthxr&amp;

nrer&amp;

(v) ₹ 30,28.11 लाख की अंतिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(vi) बचत मुख्यतः निम्न के अधीन हुई :-

4202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा

संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-

04- कला तथा संस्कृति-

106- संग्रहालय-

04- तेरहवें वित्त आयोग की

संस्तुतियों का क्रियान्वयन

25,00.00

..

-25,00.00

09- महापुरुषों की मूर्तियों

का निर्माण

25.00

1.85

-23.15

800- अन्य व्यय-

16- अयोध्या, फैजाबाद में अन्तर्राष्ट्रीय

रामलीला संकुल की स्थापना

5,00.00

..

-5,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।



वृत्तगत विकास परियोजनाओं का वार्षिक व्यय का विवरण

वर्ष: 2018-19  
 विवरण: वृत्तगत विकास परियोजनाओं का वार्षिक व्यय का विवरण  
 अनुसूची क्र. 1  
 अनुसूची क्र. 1

विवरण

2700- मुख्य सिंचाई,

2701- मध्यम सिंचाई,

2702- लघु सिंचाई तथा

2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल विकास

परिचय

मूल	20,95,84,82	}
पूरक	..	

20,95,84,82	15,91,49,66	-5,04,35,16
-------------	-------------	-------------

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

विवरण

4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,

4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय,

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय तथा

4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

परिचय

मूल	33,06,65,02	}
पूरक	11,31,52	

33,17,96,54	25,83,10,90	-7,34,85,64
-------------	-------------	-------------

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

विवरण

मूल	30,00,00	}
पूरक	..	

30,00,00	5,28,36	-24,71,64
----------	---------	-----------

वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि

..

विवरण

विवरण

विवरण

(i) ₹ 5,04,35.16 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

( ii ) बचत(अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित)मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"kl	diy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
%yk[k ₹ e#			
2700- मुख्य सिंचाई-			
14- राजघाट नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	52.50	39.29	-13.21
80- सामान्य-			
800- अन्य व्यय-			
03- ब्याज	2,18,85.28	1,77,26.56	-41,58.72
04- जल उपभोक्ता समितियां	1,00.00	86.63	-13.37
05- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन	2,19,16.96	14,73.04	-2,04,43.92
2701- मध्यम सिंचाई-			
05- घाघर व गरई नहरें (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	1,42.24	1,03.69	-38.55
06- बेलन नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	99.27	75.20	-24.07
07- केन नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	1,88.33	1,21.24	-67.09
09- तुमरिया योजना (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	46.23	40.44	-5.79
10- चन्द्रप्रभा नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	33.16	20.17	-12.99
13- बानगंगा नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	44.51	39.27	-5.24
16- ललितपुर नहर (वाणिज्यिक)-			
101- रख-रखाव और मरम्मत-			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	28.05	17.88	-10.17

' kh"lZ	dy vupku	okLrfod 0; ; lyk[k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
17- गुरसराय नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख–रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख–रखाव व्यय	35.96	24.91	-11.05
20- जामिनी नहरें (वाणिज्यिक)–			
101- रख–रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख–रखाव व्यय	58.10	38.35	-19.75
21- कर्मनाशा नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख–रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख–रखाव व्यय	82.10	53.61	-28.49
22- पीली बॉध व नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख–रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख–रखाव व्यय	1,89.65	1,60.00	-29.65
24- मेजा नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख–रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख–रखाव व्यय	1,77.71	1,23.11	-54.60
25- टाण्डा पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख–रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख–रखाव व्यय	1,15.29	80.31	-34.98
27- भूपौली पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख–रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख–रखाव व्यय	81.36	65.94	-15.42
30- क्वानों पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख–रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख–रखाव व्यय	1,31.25	1,10.69	-20.56
34- सोम पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख–रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख–रखाव व्यय	39.59	32.10	-7.49
36- अन्य सिंचाई योजनायें (वाणिज्यिक)–			
101- रख–रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख–रखाव व्यय	2,17.04	1,86.57	-30.47
50- डुमरियागंज पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख–रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख–रखाव व्यय	52.40	44.61	-7.79
53- अयोध्या पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख–रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख–रखाव व्यय	26.91	21.09	-5.82

' kh"kl	dy vupku	okLrfod 0; ; lyk[k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
54- बेवर फीडर सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	16.16	9.34	-6.82
59- मौदहा बॉध/नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	30.01	22.34	-7.67
80- सामान्य–			
800- अन्य व्यय–			
03- ब्याज	2,99,59.48	58,44.90	-2,41,14.58
2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत कमशः ₹ 2,31,62.40 लाख (प्रावधान का 77 प्रतिशत), ₹ 2,39,60.41 लाख (प्रावधान का 79 प्रतिशत) तथा ₹ 2,57,83.54 लाख (प्रावधान का 85 प्रतिशत) बचत थी।			
12- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन	1,05,02.29	2.72	-1,04,99.57
2702- लघु सिंचाई–			
01- सतही जल–			
800- अन्य व्यय–			
03- ब्याज	40,37.00	13,39.38	-26,97.62
2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत कमशः ₹ 32,60.03 लाख (प्रावधान का 81 प्रतिशत), ₹ 32,44.35 लाख (प्रावधान का 80 प्रतिशत) तथा ₹ 18,22.82 लाख (प्रावधान का 45 प्रतिशत) बचत थी।			
80- सामान्य–			
800- अन्य व्यय–			
03- तेरहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों का कार्यान्वयन	16,80.75	..	-16,80.75
2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास–			
03- जल निकास–			
103- सिविल निर्माण–			
04- सोडिक ड्रेनों का अनुरक्षण	9,83.58	7,18.08	-2,65.50
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।			
(iii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआः–			
2700- मुख्य सिंचाई–			
04- अपर गंगा नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	9,81.94	9,95.18	+13.24



' kh"lZ	dy vupku	okLrfod 0; ; lyk/k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
08- शारदा नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	10,76.56	10,79.26	+2.70
09- शारदा सहायक (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	17,51.82	17,66.21	+14.39
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।			
80- सामान्य–			
799- उचन्त–			
03- भण्डार उचन्त	..	20,57.13	+20,57.13
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या ( iv ) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।			
04- विविध कार्य अग्रिम	..	17,44.16	+17,44.16
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या ( iv ) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।			
2701- मध्यम सिंचाई–			
28- नरायन पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	1,90.93	2,06.69	+15.76
48- उर्मिल बाँध/नहरें (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	9.51	11.93	+2.42
66- अन्य कालोनी (वाणिज्यिक)–			
101- रख-रखाव और मरम्मत–			
03- अन्य रख-रखाव व्यय	14.23	23.01	+8.78
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।			
80- सामान्य–			
799- उचन्त–			
03- भण्डार उचन्त	..	5,82.85	+5,82.85
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या ( iv ) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।			
04- विविध कार्य अग्रिम	..	5,47.70	+5,47.70
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या ( iv ) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।			

' kh"lz dly vuqku okLrfod vf/kd 0; ; \$  
0; ; cpr &

kyk[k ₹ e#

800- अन्य व्यय—

05- प्रमुख अभियन्ता की रक्षित धनराशि 1,00.00 1,10.83 +10.83  
उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

2702- लघु सिंचाई—

02- सतही जल—

800- अन्य व्यय—

03- ब्याज 40,37.00 1,26,01.87 +85,64.87  
2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान भी, इस शीर्ष के अन्तर्गत क्रमशः व्यय प्रावधान  
(₹ 40,37.00 लाख) से ₹ 26,37.00 लाख, प्रावधान (₹ 40,37.00 लाख) से ₹ 1,16,40.43 लाख  
तथा प्रावधान (₹ 40,37.00 लाख) से ₹ 76,03.43 लाख अधिक था।

03- रख-रखाव—

103- नलकूप—

03- अन्य रख-रखाव व्यय 5,78,00.00 5,78,06.59 +6.59  
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

80- सामान्य—

799- उचन्त—

03- भण्डार उचन्त .. 4,04.05 +4,04.05  
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-  
देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या ( iv ) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

04- विविध कार्य अग्रमि .. 30.85 +30.85  
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-  
देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या ( iv ) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

2711- बाढ नियंत्रण तथा जल निकास—

03- जल निकास—

103- सिविल निर्माण-कार्य—

03- सिविल निर्माण-कार्य 6,53.40 6,62.52 +9.12

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बिना प्रावधान के व्यय के कारण सूचित नहीं किये  
गये हैं (जून 2012)।

## (iv) mpllr yu&amp;nu:-

लघु शीर्ष "उचन्त" अन्तिम लेखा शीर्ष नहीं हैं। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अन्तिम रूप से लेखे में दर्ज किये जाने से पूर्व जहाँ और अदायगियां या मूल्य के समायोजन आवश्यक होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अन्तर्गत होते हैं। तदनुसार, इस शीर्ष के अन्तर्गत जो लेन-देन अन्तिम शीर्ष में समायोजित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाये जाते हैं। उचन्त के तीन उप प्रभाग होते हैं, अर्थात् (1)स्टाक, (2)विविध निर्माण कार्य पेशगियां और (3)वर्कशाप उचन्त।

उचन्त लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

(1) स्टोक:- इस शीर्ष में उस सामग्री का मूल्य नामें डाला जाता है जो स्टोक के लिए प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण - कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नामें शेष दिखलायेगा जो स्टोक में रखी गयी सामग्री के खाता मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बन्धित असमायोजित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

(2) विविध निर्माण कार्य-पेशगियां:-इस शीर्ष में उधार में बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्य पर प्राप्त जमाराशियों से अधिक व्यय, बट्टे खाते में न डाली गयी नकद या सामग्री की हानि,सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियों आदि के लिए नामें राशियां होती हैं। अतः इस शीर्ष के अन्तर्गत नामें शेष वसूली योग्य राशि का सूचक है।

(3) वर्कशाप उचन्त- विभागीय वर्कशापों में किये गये कार्यो या अन्य कार्य प्रचालनों के प्रभार उनकी वसूली या उसके समायोजन हो जाने तक इस शीर्ष में नामें डाले जाते हैं।

2011-2012 के लेन-देन का विश्लेषण और आदि शेष तथा अन्त शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-III में दिया गया है।

(4) लोक निर्माण विभाग की स्थापना, औजार और संयंत्र के प्रभारों का यथानुपात वितरण:- अन्य सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों आदि के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा किये कार्य के लिए विभाग के सकल प्रभारों से स्थापना, औजार और संयंत्र प्रभारों के लिये प्रतिशत वसूलियां काट ली जाती हैं और निवल प्रभार सम्बन्धित मुख्य लेखा शीर्षों में ऐसे प्रत्येक शीर्ष के विशेष स्थापनाओं (यदि कोई हो ) द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यो पर होने वाले परिव्यय को छोड़कर वास्तविक निर्माण कार्य परिव्यय के अनुपात में वितरित कर दिये जाते हैं।

निदेशन एवं प्रशासन और मशीनरी एवं उपस्कर प्रभारों की समीक्षा परिशिष्ट -IV में दी गयी है।

in the  
nature

- (v) ₹ 7,34,85.64 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (vi) ₹ 7,34,85.64 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए, अगस्त 2011 में प्राप्त किया गया ₹ 11,31.52 लाख का अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ।
- (vii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्यायाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"z	diy vupku	okLrfod 0; ; %y/[k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-			
04- टिहरी परियोजना (वाणिज्यिक)-			
050- भूमि-			
10- नहरें	4,00.00	2,63.46	-1,36.54
051- निर्माण-			
07- बैराज	2,20.00	1,55.58	-64.42
10- नहरें			
मूल	85,72.14		
पुनर्वि0	2,78.50		
	88,50.64	9,80.68	-78,69.96
<p>प्रावधान में ₹ 2,78.50 लाख की शुद्ध वृद्धि में से, ₹ 2,96.11 लाख की वृद्धि कार्य को शीघ्र पूरा कराने के लिए हुई तथा प्रावधान में ₹ 17.61 लाख की कमी के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।</p>			
05- लोवर गंगा नहर (वाणिज्यिक)-			
050- भूमि-			
10- नहरें	2,00.00	98.28	-1,01.72
051- निर्माण-			
10- नहरें	23,63.79	16,39.85	-7,23.94
12- वितरण प्रणाली	2,43.24	1,41.35	-1,01.89
06- पूर्वी यमुना नहर (वाणिज्यिक)-			
050- भूमि-			
10- नहरें	1,00.00	..	-1,00.00
051- निर्माण-			
10- नहरें	11,90.14	5,91.22	-5,98.92
07- आगरा नहर (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	13,06.37	11,51.81	-1,54.56

' kh"lZ	dy vupku	okLrfod 0; ; lyk/k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
12- वितरण प्रणाली	3,87.63	3,47.16	-40.47
08- शारदा सहायक (वाणिज्यिक)-			
050- भूमि-			
10- नहरें-			
मूल	4,00.00		
पुनर्वि०	-3,00.15	99.85	.. -99.85
प्रावधान में ₹ 3,00.15 लाख की कमी मांग कम होने के कारण हुई।			
051- निर्माण-			
07- बैराज	1,80.00	81.44	-98.56
10- नहरें-			
पूरक	7,17.48	7,17.48	6,18.12 -99.36
11- शाखायें-			
मूल	56,34.32		
पुनर्वि०	-6,74.59	49,59.73	28,99.88 -20,59.85
प्रावधान में ₹ 6,74.59 लाख की कमी पुनरीक्षित परियोजना शासन से अस्वीकृत होने के कारण हुई।			
09- शारदा सहायक (वाणिज्यिक)-			
050- भूमि-			
10- नहरें-			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि०	3,00.15	13,00.15	7,08.91 -5,91.24
प्रावधान में ₹ 3,00.15 लाख की वृद्धि न्यायालय की आज्ञापतियों का भुगतान करने के कारण हुई।			
051- निर्माण-			
08- बियर-			
मूल	14,31.00		
पुनर्वि०	-3,06.75	11,24.25	8,95.79 -2,28.46
प्रावधान में ₹ 3,06.75 लाख की कमी कार्य पूर्ण होने के कारण हुई।			
09- भवन-			
मूल	35,74.00		
पुनर्वि०	-6,85.95	28,88.05	17,99.70 -10,88.35
प्रावधान में ₹ 6,85.95 लाख की कमी के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			

' kh"lZ	dy vupku	okLrfod 0; ; lyk[k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
10- नहरें	1,06,24.49	41,90.07	-64,34.42
11- गण्डक एवं नरायनी नहर परियोजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें–			
मूल	60,00.00		
पुनर्वि०	-17,65.33	42,34.67	..
प्रावधान में ₹ 17,65.33 लाख की कमी स्वीकृति जारी न होने के कारण हुई।			
11- शाखायें	2,20.00	..	-2,20.00
13- मध्य गंगा नहर (वाणिज्यिक)–			
050- भूमि–			
10- नहरें–			
मूल	5,00.00		
पुनर्वि०	-2,99.53	2,00.47	29.93
प्रावधान में ₹ 2,99.53 लाख की कमी मांग कम होने के कारण हुई।			
051- निर्माण–			
07- बैराज–			
मूल	3,65.80		
पुनर्वि०	-2,00.00	1,65.80	1,15.80
प्रावधान में ₹ 2,00.00 लाख की कमी स्वीकृति जारी न होने के कारण हुई।			
14- राजघाट नहर परियोजना (वाणिज्यिक)–			
050- भूमि–			
10- नहरें	2,00.00	..	-2,00.00
16- टिहरी परियोजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें	10,20.00	6,14.15	-4,05.85
17- सरयू नहर परियोजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
12- वितरण प्रणाली	1,00.00	4.11	-95.89
18- बाणसागर बांध परियोजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें	2,75,00.00	2,46,56.71	-28,43.29

' kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ; %yk[k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
12- वितरण प्रणाली-			
मूल	17,96.28		
पूरक	37.25		
19- पूर्वी गंगा नहर परियोजना (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	18,33.53	2,13.12	-16,20.41
20- कनहर सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	15,15.24	..	-15,15.24
21- अर्जुन सहायक परियोजना (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	88,00.00	4,44.25	-83,55.75
22- मध्यमगंगा नहर परियोजना-द्वितीय चरण (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	1,50,00.00	1,27,84.01	-22,15.99
23- बदायूं सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	2,75,00.00	2,36,94.88	-38,05.12
27- उठारी बांध परियोजना (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	60,00.00	14,99.77	-45,00.23
28- जमरार बांध परियोजना (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें			
मूल	47,27.00		
पुनर्वि0	-8,97.25		
प्रावधान में ₹ 8,97.25 लाख की कमी के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
28- जमरार बांध परियोजना (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	25,32.93	7,31.04	-18,01.89
29- रतौली बियर बांध (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	6,86.00	61.81	-6,24.19
30- क्योलारी बांध परियोजना (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	4,78.00	75.00	-4,03.00

' kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; \$ cpr &
<i>lyk[k ₹ e#</i>			
32- बाढ़ सहायतित योजनायें (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
97- बाढ़ सहायतित योजनाये	53,07.00	14,06.98	-39,00.02
80- सामान्य–			
052- मशीनरी तथा उपस्कर–			
07- नहरें / शाखा / राजवाहें / आल्पिका (राज्य वित्त पोषित)–			
मूल	10,00.00		
पुनर्वि०	-1,56.93		
	8,43.07	7,44.95	-98.12
प्रावधान में ₹ 1,56.93 लाख की कमी के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–			
07- केन नहर (वाणिज्यिक)–			
050- भूमि–			
10- नहरें	1,00.00	50.52	-49.48
051- निर्माण–			
10- नहरें	4,53.00	2,77.57	-1,75.43
08- दोहरीघाट पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें	14,12.01	50.24	-13,61.77
19- धसान नहर (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें	5,00.00	..	-5,00.00
20- जामिनी नहरें (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
05- बौध–			
मूल	58,00.00		
पुनर्वि०	-31,14.23		
	26,85.77	..	-26,85.77
प्रावधान में ₹ 31,14.23 लाख की कमी परियोजना का स्थानान्तरण नाबार्ड के अधीन होने के कारण हुई।			
21- कर्मनाशा नहर की योजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें	3,24.00	..	-3,24.00



( 384 )

' kh"lZ	dy vupku	okLrfod 0; ; lyk[k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
25- टाण्डा पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	3,14.00	..	-3,14.00
26- टोन्स पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
050- भूमि-			
10- नहरें	1,00.00	..	-1,00.00
051- निर्माण-			
10- नहरें	1,57.80	1,08.50	-49.30
28- नरायनपुर पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
050- भूमि-			
10- नहरें			
मूल	1,00.00		
पुनर्वि0	-90.53		
	9.47	..	-9.47
प्रावधान में ₹ 90.53 लाख की कमी के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।			
051- निर्माण-			
10- नहरें	3,67.88	..	-3,67.88
29- जमानिया पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	1,69.00	73.78	-95.22
33- देवकली पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
050- भूमि-			
10- नहरें	1,00.00	..	-1,00.00
34- सोन पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
050- भूमि-			
10- नहरें	1,00.00	7.08	-92.92
41- चिल्लीमल पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	4,98.00	4,38.18	-59.82
42- औगासी पम्प नहर (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	1,00.00	..	-1,00.00
46- सजनम बाँध/नहर (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
10- नहरें	6,96.00	..	-6,96.00

' kh"lZ dy vupku okLrfod vf/kd 0; ; \$  
0; ; cpr &

kyk[k ₹ e#

60- पड़ुंज बाँध परियोजना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें 18,70.00 11,52.29 -7,17.71

67- पथरई बाँध नहर प्रणाली (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	5,62.00	60.41	..	-60.41
पुनर्वि०	-5,01.59			

प्रावधान में ₹ 5,01.59 लाख की कमी परियोजना की स्वीकृति न होने के कारण हुई।

78- लहचूरा बाँध (वाणिज्यिक)–

050- भूमि–

10- नहरें 40.00 .. -40.00

79- उमरहट पम्प नहर (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें 25,00.00 1,96.99 -23,03.01

80- सामान्य–

005- सर्वेक्षण तथा अनुसंधान–

10- नहरें 10,00.00 4,96.62 -5,03.38

052- मशीनरी तथा उपस्कर–

03- नवीन सम्पूर्ति 3,00.00 2,26.05 -73.95

05- गाड़ी भाड़ा 50.34 3.00 -47.34

81- पहाड़ी बांध परियोजना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें 45,00.00 26,56.18 -18,43.82

82- विराट सागर बांध परियोजना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	6,44.00	44.00	..	-44.00
पुनर्वि०	-6,00.00			

प्रावधान में ₹ 6,00.00 लाख की कमी स्वीकृति जारी न होने के कारण हुई।

' kh"lZ dy vupku okLrfod vf/kd 0; ; \$  
0; ; cpr &

lyk[k ₹ e#

85- सिंचाई विभाग के विभिन्न निरीक्षण भवनों  
का पुनरोद्धार एव विस्तार (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

09- भवन–

मूल	23,62.00	}	20,65.89	2,13.93	-18,51.96
पुनर्वि०	-2,96.11				

प्रावधान में ₹ 2,96.11 लाख की कमी मांग न होने के कारण हुई।

4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–

101- सतही जल–

03- उठाऊ सिंचाई 16,85.32 11,04.96 -5,80.36

04- प्रस्यावतन योजनायें–

मूल	7,90.35	}	13,10.17	2,21.56	-10,88.61
पुनर्वि०	5,19.82				

प्रावधान में ₹ 5,19.82 लाख की कमी के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

102- भू-जल–

03- नलकूप योजनायें 3,13,48.37 2,92,55.06 -20,93.31

800- अन्य व्यय–

03- मशीनरी तथा उपस्कर 92.00 43.99 -48.01

4711- बाढ़-नियंत्रण परियोजनाओं पर  
पूंजीगत परिव्यय–

01- बाढ़ नियंत्रण–

052- मशीनरी तथा उपस्कर–

05- गाड़ी भाड़ा 25.00 19.22 -5.78

103- सिविल निर्माण कार्य–

01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा

पुरोनिधानित योजनायें 4,00,00.00 1,59,61.38 -2,40,38.62

03- सीमान्त बांध के लिए एकमुश्त व्यवस्था  
(राज्य सेक्टर)–

मूल	10,01.84	}	9,65.64	2,16.98	-7,48.66
पुनर्वि०	-36.20				

₹ 36.20 लाख की शुद्ध प्रत्याशित बचत में से, प्रावधान में ₹ 1,11.05 लाख की कमी तथा प्रावधान में ₹ 74.85 लाख की वृद्धि के कोई विशेष कारण सूचित नहीं किये गये हैं।

' kh"lz	dy vupku	okLrfod 0; ; lyk/k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
08- तट बंधों का निर्माण	1,00.00	78.00	-22.00
23- नदी में सुधार व कटाव निरोधक योजनायें (नाबार्ड पोषित)	2,37,59.00	1,56,60.46	-80,98.54
25- सर्वेक्षण एवं अनुसन्धान	1,00.00	83.05	-16.95
03- जल निकास-			
103- सिविल निर्माण कार्य-			
03- जल निकास योजनायें (राज्य सेक्टर)-			
मूल	14,15.36		
पुनर्वि0	25.00		
	14,40.36	8,13.24	-6,27.12
प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की वृद्धि वास्तविक आवश्यकता के कारण हुई। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/सम्पूर्ण प्रावधान के अपुयक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।			

(viii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:-

4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-			
04- टिहरी परियोजना (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
12- वितरण प्रणाली-			
मूल	0.20		
पूरक	3,76.77		
पुनर्वि0	19,33.84		
	23,10.81	14,09.55	-9,01.26
प्रावधान में ₹ 19,33.84 लाख की वृद्धि कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के कारण हुई।			
14- राजघाट नहर परियोजना (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
11- शाखायें-			
मूल	50.00		
पुनर्वि0	1,00.00		
	1,50.00	1,49.98	-0.02
प्रावधान में ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि कार्यों को शीघ्र पूरा कराने के कारण हुई।			
15- रामगंगा बाँध परियोजना (वाणिज्यिक)-			
051- निर्माण-			
05- बांध एवं उससे सम्बद्ध कार्य	0.02	46.16	+46.14

' kh"lZ dly vuqku okLrfod vf/kd 0; ; \$  
0; ; cpr &

lyk[k ₹ e#

19- पूर्वी गंगा नहर परियोजना (वाणिज्यिक)–

050- भूमि

10- नहरें–

मूल	2,00.00	}	4,99.53	3,83.17	-1,16.36
पुनर्वि०	2,99.53				

प्रावधान में ₹ 2,99.53 लाख की वृद्धि न्यायालय की आज्ञापतियों का भुगतान करने के कारण हुई।

051- निर्माण–

11- शाखायें

मूल	3,95.12	}	8,56.04	5,47.17	-3,08.87
पुनर्वि०	4,60.92				

प्रावधान में ₹ 4,60.92 लाख की वृद्धि परियोजना को पूर्ण करने के कारण हुई।

24- कंचौदा बांध परियोजना (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें

1,05,00.00	1,15,07.51	+10,07.51
------------	------------	-----------

31- पूर्ण योजनाओं के अवशेष भू-प्रतिकर  
भुगतान (वाणिज्यिक)–

050- भूमि–

10- नहरें

0.01	1,22.83	+1,22.82
------	---------	----------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य/बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं  
(जून 2012)।

80- सामान्य–

799- उचन्त–

03- भण्डार उचन्त	..	1,09,93.38	+1,09,93.38
------------------	----	------------	-------------

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-  
देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या ( xi ) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

04- विविध कार्य अग्रिम	..	1,24,24.45	+1,24,24.45
------------------------	----	------------	-------------

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-  
देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या ( xi ) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

' kh"lZ	dy vupku	okLrfod 0; ; lyk[k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
97- राज्य वित्त पोषित सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें			
पूरक	0.01	6,37.14	4,84.24
पुनर्वि०	6,37.13		
प्रावधान में ₹ 6,37.13 लाख की वृद्धि परियोजना के लिए निधि की वास्तविक आवश्यकता होने के कारण हुई।			
4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–			
07- केन नहर (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
12- वितरण प्रणाली–			
मूल	0.02	1,56.95	1,61.42
पुनर्वि०	1,56.93		
प्रावधान में ₹ 1,56.93 लाख की वृद्धि कम बजट होने के कारण हुई।			
27- भूपौली पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
10- नहरें		10,00.01	10,11.04
33- देवकली पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
051- निर्माण–			
12- वितरण प्रणाली		41.00	69.41
55- ज्ञानपुर पम्प नहर (वाणिज्यिक)–			
050- भूमि–			
10- नहरें–			
मूल	50.00	1,40.53	1,40.08
पुनर्वि०	90.53		
प्रावधान में ₹ 90.53 लाख की वृद्धि न्यायालय की आज्ञापतियों का भुगतान करने के कारण हुई।			
051- निर्माण–			
10- नहरें–			
मूल	2,66.00	11,63.25	11,62.26
पुनर्वि०	8,97.25		
प्रावधान में ₹ 8,97.25 लाख की वृद्धि न्यायालय की आज्ञापतियों का भुगतान करने के कारण हुई।			

' kh"lZ dy vuqku okLrfod vf/kd 0; ; \$  
0; ; cpr &

lyk/k ₹ e#

78- लहचूरा बांध (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	1.00	}	23,66.33	23,66.25	-0.08
पुनर्वि०	23,65.33				

प्रावधान में ₹ 23,65.33 लाख की वृद्धि कार्य को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के कारण हुई। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

80- सामान्य–

799- उचन्त–

03- भण्डार उचन्त .. 30,74.14 +30,74.14

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या ( xi ) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

04- विविध कार्य अग्रिम .. 23,04.41 +23,04.41

बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या ( xi ) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।

83- जनपद फ़ैजाबाद में विभिन्न घाटों  
का निर्माण (वाणिज्यिक)–

051- निर्माण–

10- नहरें–

मूल	0.04	}	1,83.04	1,83.00	-0.04
पुनर्वि०	1,83.00				

प्रावधान में ₹ 1,83.00 लाख की वृद्धि न्यायालय द्वारा धनराशि का भुगतान करने के कारण हुई।

84- पूर्ण योजनाओं के विभिन्न निरीक्षण  
भवनों का पुनरोद्धार एवं विस्तार  
(वाणिज्यिक)–

050- भूमि–

10- नहरें–

मूल	0.01	}	7,05.48	2,93.79	-4,11.69
पुनर्वि०	7,05.47				

प्रावधान में ₹ 7,05.47 लाख की वृद्धि भूमि की प्रतिपूर्ति के भुगतान करने के कारण हुई। उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

' kh"lZ	dy vupku	okLrfod 0; ; lyk/k ₹ e#	vf/kd 0; ; \$ cpr &
4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—			
80- सामान्य—			
799- उचन्त—			
03- भण्डार	..	2,27,96.63	+2,27,96.63
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या ( xi ) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।			
04- विविध कार्य अग्रिम	..	25,65.51	+25,65.51
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या ( xi ) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।			
4711- बाढ-नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय—			
01- बाढ नियंत्रण—			
103- सिविल निर्माण कार्य—			
06- नदी में सुधार तथा कटाव निरोधक योजनायें—			
मूल	18,23.80		
पुनर्वि०	3,97.00	22,20.80	19,67.60
प्रावधान में ₹ 3,97.00 लाख की वृद्धि न्यायालय की आज्ञापतियों का भुगतान करने के कारण हुई।			
09- कटाव निरोधक योजनायें—			
मूल	3,00.00		
पुनर्वि०	5,74.74	8,74.74	4,94.39
प्रावधान में ₹ 5,74.74 लाख की कुल वृद्धि में से, प्रावधान में ₹ 25.00 लाख की वृद्धि योजना के अधीन निधि की आवश्यकता होने के कारण तथा प्रावधान में ₹ 5,49.74 लाख की वृद्धि न्यायालय की आज्ञापतियों का भुगतान करने के कारण हुई।			
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।			
03- जल निकास—			
799- उचन्त—			
03- भण्डार उचन्त	..	95,89.86	+95,89.86
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या ( xi ) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।			
04- विविध कार्य अग्रिम	..	5,71.64	+5,71.64
बिना बजट आवंटन के इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन-देन किया जाना अनियमित है। उचन्त लेन-देन के ब्यौरे टिप्पणी संख्या ( xi ) के अन्तर्गत दर्शाये गये हैं।			



i Hkkfjr&

(ix) ₹ 24,71.64 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(x) बचत निम्न के अधीन हुई:—

'kh"kl	dlqy fofu; kx	okLrfod	vf/kd 0; ; \$
		0; ;	cpr &
		1/2k[k ₹ e#	

4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—

33- सिंचाई विभाग की विभिन्न नहर/बॉध परियोजनाओं के अनुबन्ध से अन्तर्ग्रस्त देय डिक्लीटल राशियों का भुगतान—

051- निर्माण—

10- नहरें	30,00.00	5,28.36	-24,71.64
-----------	----------	---------	-----------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गये हैं (जून 2012)।

(xi) उचन्त के अन्तर्गत रुपये 6,43.20 करोड़ का व्यय सम्मिलित है।

उचन्त लेन-देन की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया अनुदान के राजस्व प्रभाग में दर्शायी गयी है।

2011-12 के अन्तर्गत आदि शेष और अन्त शेष के साथ लेन-देन का विश्लेषण परिशिष्ट v में दिया गया है।

vunpku l d; k 95& fl pkbz foHkkx %vf/k"Bku½

ed; ; 'kh"lz	dy vunpku ; k fofu; kx	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
%gtkj ₹ e½			
jktLo&			
2700- मुख्य सिंचाई तथा			
2701- मध्यम सिंचाई			
nRrer&			
मूल	20,14,25,67		
पूरक	..	20,14,25,67	19,96,22,95
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			-18,02,72
i Hkkfjr&			..
मूल	50,00		
पूरक	..	50,00	2,81
वर्ष की अवधि में अभ्यर्पित राशि			-47,19
fvli f.k; ka , oa Vhd; &			..
jktLo&			
nRrer&			

- (i) ₹ 18,02.72 लाख अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) बचत (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत व्ययाधिक्य द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित) मुख्यतः निम्न के अधीन हुई:-

'kh"lz	dy vunpku	okLrfod 0; ;	vf/kd 0; ; + cpr -
%ykJk ₹ e½			
2700- मुख्य सिंचाई-			
32- वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना (द्वितीय चरण)(वाणिज्यिक)-			
800- अन्य व्यय-			
97- वाह्य सहायतित परियोजनाए	3,62.12	2,92.48	-69.64
2701- मध्यम सिंचाई-			
02- मध्यम सिंचाई -वाणिज्यिक-			
001- निदेशन तथा प्रशासन-			
03- निदेशन	1,64,70.62	1,55,33.76	-9,36.86
04- कार्यकारी अधिष्ठान	17,98,70.07	17,86,77.74	-11,92.33

'kh"KZ dly vupku okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +  
cpr -

lyk/k ₹ e#

08- उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन एवं नियामक आयोग—				
मूल	6,95.12	}	1,19.25	37.52
पुनर्वि०	-5,75.87			

प्रावधान में ₹ 5,75.87 लाख की कमी उत्तर प्रदेश राज्य जल प्रबन्धन एवं नियामक आयोग की मांग न होने के कारण हुई।

10- सिंचाई अभियांत्रिकी के अधीन टोल फ़ी काल सेन्टर		27.60	2.24	-25.36
---	--	-------	------	--------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

(iii) व्ययाधिक्य मुख्यतः निम्न के अधीन हुआ:—

2701- मध्यम सिंचाई—

02- मध्यम सिंचाई —वाणिज्यिक—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

05- कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के  
कार्यप्रभारितों / दैनिक वेतन भोगियों  
एवं कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु  
एकमुश्त व्यवस्था)—

मूल	40,00.00	}	45,75.87	50,79.22	+5,03.35
पुनर्वि०	5,75.87				

प्रावधान में ₹ 5,75.87 लाख की वृद्धि अवशेषों का भुगतान करने के कारण हुई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम व्ययाधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

i Hkkfjr&

(iv) ₹ 47.19 लाख की अन्तिम बचत में से, कोई भी धनराशि अभ्यर्पण के लिए प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(v) बचत निम्न के अधीन हुई:—

'kh"KZ dly fofu; ksx okLrfod 0; ; vf/kd 0; ; +  
cpr -

lyk/k ₹ e#

2701- मध्यम सिंचाई—

02- मध्यम सिंचाई —वाणिज्यिक—

001- निदेशन तथा प्रशासन—

04- कार्यकारी अधिष्ठान		50.00	2.81	-47.19
------------------------	--	-------	------	--------

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जून 2012)।

## i j f ' k " V - I

( सन्दर्भ: विनियोग लेखे का सारांश पृष्ठ 19 )

आकस्मिकता निधि से वर्ष 2011-12 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों में से किये गये व्यय, जिनकी वर्ष के अन्त तक निधि में आपूर्ति नहीं की गई, के ब्यौरे:-

दृ ल अ; क	vupku dh l a; k rFkk uke	ed; ys[kk 'kh"Kz	vfxæ l s 0; ; dh jkf'k	vfxæ dh Lohdfr dh frffk
			<i>Ygtlj ₹ e#h</i>	
1	26- गृह विभाग (पुलिस )	2055- पुलिस	2,18,95,90	जनवरी, 2012
2	30-गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	2053-जिला प्रशासन	2,01	अगस्त, 2011
3	41-निर्वाचन विभाग	2015-निर्वाचन	90,65,72	जनवरी, 2012
; ksx			<b>3,09,63,63</b>	

## i f j f ' k " V &amp; II

( सन्दर्भ – सारणी पृष्ठ 19 )

वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हें व्यय में से कटौती करके लेखाओं में समायोजित किया गया है, अनुदान वार विवरण :-

dæ l d[; k	vunku ; k fofu; ks dh l d[; k vkj uke	vk; &0; ; d vupku	okLrfod vkdM\$	vk; &0; ; d vupku dh nyuk ea okLrfod vkdM\$ vf/kd \$ de &
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
% g t k j ₹ ea %				
1.	2- आवास विभाग पूँजीगत- दत्तमत	..	37,90,14	+37,90,14
2.	3- उद्योग विभाग ( लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन ) पूँजीगत- दत्तमत	..	2,49,03	+2,49,03
3.	9- ऊर्जा विभाग पूँजीगत- दत्तमत	1,62,00,00	..	-1,62,00,00
4.	10- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ( औद्योगिक एवं रेशम विकास ) पूँजीगत- दत्तमत	2,10,00	27,09,27	+24,99,27
5.	11- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ( कृषि ) पूँजीगत- दत्तमत	3,52,37,50	2,03,42,36	-1,48,95,14
6.	13- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ( ग्राम्य विकास ) राजस्व- दत्तमत पूँजीगत- दत्तमत	..	12,86,61	+12,86,61
7.	18- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग ( सहकारिता ) पूँजीगत- दत्तमत	..	44,66,07	+44,66,07

dæ l a; k	vupku ; k fofu; ksx dh l a; k vkj uke	vk; &0; ; d vupku	okLrfod vkdM\$	vk; &0; ; d vupku dh nyuk ea okLrfod vkdM\$ vf/kd \$ de &
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>g tkj ₹ ea ½</i>				
8.	21- खाद्य तथा रसद विभाग पूँजीगत— दत्तमत प्रभारित	92,24,08,58 80,00,00	76,60,99,48 34,62,99	-15,63,09,10 -45,37,01
9.	22- खेल विभाग पूँजीगत— दत्तमत	..	2,98,77	+2,98,77
10.	23- गन्ना विकास विभाग ( गन्ना ) पूँजीगत— दत्तमत	..	3,55,27	+3,55,27
11.	24- गन्ना विकास विभाग ( चीनी उद्योग ) राजस्व— दत्तमत	41,00,00	..	-41,00,00
12.	25- गृह विभाग ( कारागार ) राजस्व— दत्तमत	4,00	4,00	..
13.	26- गृह विभाग ( पुलिस ) राजस्व— दत्तमत पूँजीगत— दत्तमत	1,00,00 12,65,65	.. 1,11	-1,00,00 -12,64,54
14.	32- चिकित्सा विभाग ( एलोपैथी चिकित्सा ) पूँजीगत— दत्तमत	..	14,97,67	+14,97,67
15.	37- नगर विकास विभाग पूँजीगत— दत्तमत	1,66,00,00	1,45,18,26	-20,81,74

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>₹</i>				
16.	38- नागरिक उड्डयन विभाग पूँजीगत— दत्तमत	..	92,08	+92,08
17.	39- भाषा विभाग राजस्व— दत्तमत	40,00	..	-40,00
18.	40- नियोजन विभाग पूँजीगत— दत्तमत	..	97,72	+97,72
19.	42- न्याय विभाग पूँजीगत— दत्तमत	..	3,37,40	+3,37,40
20.	44- पर्यटन विभाग पूँजीगत— दत्तमत	58,75	2,10,32	+1,51,57
21.	51- राजस्व विभाग ( दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत ) राजस्व— दत्तमत पूँजीगत— दत्तमत	4,04,66,00 10,00,00	6,32,32,97 ..	+2,27,66,97 -10,00,00
22.	55- लोक निर्माण विभाग ( भवन ) पूँजीगत— दत्तमत	..	85,52,98	+85,52,98
23.	56- लोक निर्माण विभाग ( विशेष क्षेत्र कार्यक्रम ) पूँजीगत— दत्तमत	..	13,80,66	+13,80,66
24.	58- लोक निर्माण विभाग ( संचार साधन—सड़कें ) पूँजीगत— दत्तमत	1,72,00,01	19,29,62,27	+17,57,62,26

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<i>₹ g tkj ₹ ea ½</i>				
25.	60- वन विभाग पूँजीगत— दत्तमत	..	-30,00	-30,00
26.	63- वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्तों तथा पेंशनें) पूँजीगत— दत्तमत	..	1,70	+1,70
27.	73- शिक्षा विभाग ( उच्च शिक्षा ) राजस्व— दत्तमत पूँजीगत— दत्तमत	20,00 ..	.. 50,00	-20,00 +50,00
28.	83- समाज कल्याण विभाग ( अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना ) पूँजीगत— दत्तमत	..	1,12,02,25	+1,12,02,25
29.	94- सिंचाई विभाग ( निर्माण कार्य ) राजस्व— दत्तमत पूँजीगत— दत्तमत	.. ..	55,81,88 5,85,17,41	+55,81,88 +5,85,17,41



dæ l æ; k	vunku ; k fofu; ksx dh l æ; k vkj uke	vk; &0; ; d vupku	okLrfod vk dM\$	vk; &0; ; d vupku dh nyuk ea okLrfod vk dM\$ vf/kd \$ de &
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

*½ g tkj ₹ ea ½*

; ksx&

j kTkLo&

nRrer	4,47,30,00	7,01,05,46	+2,53,75,46
-------	------------	------------	-------------

i Hkkfj r	..	..	..
-----------	----	----	----

i wthxr&

nRrer	1,01,01,80,49	1,09,61,29,52	+8,59,49,03
-------	---------------	---------------	-------------

i Hkkfj r	80,00,00	34,62,99	-45,37,01
-----------	----------	----------	-----------

egk; ksx&

j kTkLo&	4,47,30,00	7,01,05,46	+2,53,75,46
----------	------------	------------	-------------

i wthxr&	1,01,81,80,49	1,09,95,92,51	+8,14,12,02
----------	---------------	---------------	-------------

## i f j f ' k " V III

[ सन्दर्भ: टिप्पणी (iv) पृष्ठ 378 ]

mpLr yu&amp;nu&amp; vupku l a ; k 94-fl pkbz foHkkx% fuekZ k ½jktLo i Hkkx

'kh"kl	1 vi sy 2011 dks vkfn 'kšk (ukes+) (tek+)	ukes	tek	fuoy	31 ekpl2012 dks vLr 'kšk (ukes+) (tek-)
<i>¼ yk[k ₹ ea ½</i>					
2700-मुख्य सिंचाई—					
उचन्त स्टाक	+2,42.14	20,57.13	21,79.79	-1,22.66	+1,19.48
विविध निर्माण					
कार्य अग्रिम	+12,78.56	17,44.16	17,85.73	-41.57	+12,36.99
; kx	+15,20.70	38,01.29	39,65.52	-1,64.23	+13,56.47
2701-मध्यम सिंचाई—					
उचन्त स्टाक	+48,16.80	5,82.85	6,59.43	-76.58	+47,40.22
विविध निर्माण					
कार्य अग्रिम	-25,78.24	5,47.70	5,20.26	+27.44	-25,50.80
कार्यशाला उचन्त	+18,07.32	..	..	..	+18,07.32
; kx	+40,45.88	11,30.55	11,79.69	-49.14	+39,96.74
2702-लघु सिंचाई—					
उचन्त स्टाक	+9,38.15	4,04.05	3,96.16	+7.89	+9,46.04
विविध निर्माण					
कार्य अग्रिम	+50,92.58	30.85	40.52	-9.67	+50,82.91
कार्यशाला उचन्त	-1,77.26	..	..	..	-1,77.26
; kx	+58,53.47	4,34.90	4,36.68	-1.78	+58,51.69

## i f j ' k " V IV

[ सन्दर्भ : टिप्पणी (iv) पृष्ठ 378 ]

funs' ku , oa i z kkl u vkj e' khujh , oa mi Ldj l a = i Hkkj 2011-2012

1	2	3		5		7	
		vunku	okLrfod vkadM\$	vunku	okLrfod vkadM\$	vunku	okLrfod vkadM\$
1.	2700- मुख्य सिंचाई— दत्तमत	5,09,73	3,00,56	..	..	..	..
2.	2701- मध्यम सिंचाई— दत्तमत प्रभारित	27,98,00 50	24,41,33 3	20,10,64 50	19,93,30 3	13 ..	13 ..
3.	2702- लघु सिंचाई— दत्तमत	7,26,01	7,72,29	..	..	3	3
4.	2711- बाढ़ नियंत्रण तथा जल निकास— दत्तमत	76,37	73,55	..	..	..	..
5.	4700- मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय— दत्तमत प्रभारित	19,94,98 30,00	13,67,85 5,28	.. ..	.. ..	10,00 ..	7,45 ..
6.	4701- मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय— दत्तमत	2,88,83	1,91,18	..	..	4,00	2,79

fl pkb&amp;

½ yk[k ₹ ea ½



1	2	3		4		5		6		7		8	
		vuqku	okLrfod vkdM\$	vuqku	okLrfod vkdM\$	vuqku	okLrfod vkdM\$	vuqku	okLrfod vkdM\$	vuqku	okLrfod vkdM\$	vuqku	okLrfod vkdM\$
¼ yk[k ₹ ea ½													
14.	2216- आवास—												
	दत्तमत	41,56	42,56	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	प्रभारित	45	44	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
15.	3054- सड़क तथा सेतु—												
	दत्तमत	17,19,95	18,27,41	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	प्रभारित	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
16.	4059- लोक निर्माण कार्यो पर पूंजीगत परिव्यय—												
	दत्तमत	72,15	1,38,16	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	प्रभारित	1,21	1,14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
17.	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय—												
	दत्तमत	90,46	76,01	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	प्रभारित	33	26	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
18.	4575- अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय—												
	दत्तमत	2,20,00	1,08,68	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
19.	5054- सड़क तथा सेतु पर पूंजीगत परिव्यय—												
	दत्तमत	48,12,71	55,71,14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	प्रभारित	5,50	3,41	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
; kx	nRrer	1,57,16,07	1,50,27,79	32,28,45	32,79,58	14,91	10,91						
	i Hkkfjr	40,29	12,58	54	4	..	..						

fvli . kh	ctV es ; Fkk i vkkupkfur	okLrfod vkdM\$
1. निदेशन एवं प्रशासन व्यय की सिंचाई निर्माण-कार्यों के लिये निर्माण कार्य परिव्यय से प्रतिशतता मद (1) से (8)	27	32
2. निदेशन एवं प्रशासन व्यय की लोक निर्माण-कार्यों के लिये निर्माण कार्य परिव्यय से प्रतिशतता मद (9) से (19)	15	15
3. निदेशन एवं प्रशासन व्यय की राज्य के सभी निर्माण-कार्यों के लिये निर्माण कार्य परिव्यय से प्रतिशतता मद (1) से (19)	20	22

वर्ष 2008-09 तथा उसके बाद के वर्षों के लिए निदेशन एवं प्रशासन प्रभारों की सिंचाई और  
और लोक निर्माण-कार्यों के लिए निर्माण कार्य परिव्यय की प्रतिशतता की तुलना नीचे दिखायी गयी है:-

	o"kl	fuekzk dk; l ifj0; ; iz kkl u iHkkj	fun\$ ku , oa	ifr'krnk
	% yk[k ₹ es %			
सिंचाई निर्माण कार्य मद (1) से (8)	2008-09	44,88,25	13,19,85	29
	2009-10	41,01,20	15,50,38	38
	2010-11	45,93,88	17,48,30	38
	2011-12	61,76,15	19,93,33	32
लोक निर्माण कार्य मद (9) से (19)	2008-09	84,75,26	4,69,43	6
	2009-10	78,14,12	4,42,75	6
	2010-11	70,83,86	10,23,96	14
	2011-12	88,64,22	12,86,29	15

## i f j f ' k " V v

[ सन्दर्भ: टिप्पणी ( xi ) पृष्ठ 392 ]

m p l r y u &amp; n u &amp; v u n k u l a [ ; k 9 4 - f l p k b l f o H k k x % f u e k l k d k ; l 1 / 2 i n t h x r i H k k x

' k h " k l	1 v i s y 2 0 1 1 d k s v k f n ' k s k ( u k e s + ) ( t e k + )	u k e s	t e k	f u o y	3 1 e k p l 2 0 1 2 d k s v l r ' k s k ( u k e s + ) ( t e k - )
<i>1/2 y k [ k ₹ e s 1/2</i>					
4225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय—					
उचन्त स्टाक	+69.46	..	..	..	+69.46
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+43.37	..	..	..	+43.37
<b>; k s x</b>	<b>+1,12.83</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>..</b>	<b>+1,12.83</b>
4700- मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—					
उचन्त स्टाक	+35,63.57	1,09,93.38	1,08,69.34	+1,24.04	+36,87.61
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+4,80.39	1,24,24.45	71,93.91	+52,30.54	+57,10.93
<b>; k s x</b>	<b>+40,43.96</b>	<b>2,34,17.83</b>	<b>1,80,63.25</b>	<b>+53,54.58</b>	<b>+93,98.54</b>
4701- मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय—					
उचन्त स्टाक	+1,25,64.39	30,74.14	24,00.62	-2,33.97	+1,25,64.39
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+66,37.20	23,04.41	24,46.13	-1,41.72	+64,95.48
कार्यशाला उचन्त	+2,38.08	..	..	..	+2,38.08
<b>; k s x</b>	<b>+1,94,39.67</b>	<b>53,78.55</b>	<b>48,46.75</b>	<b>+5,31.80</b>	<b>+1,99,71.47</b>

## i f j f ' k " V v

' kh" kZ	1 vi sy 2011 dks vkfn ' k'sk ( ukes+ ) ( tek + )	ukes	tek	fuoy	31 ekpl2012 dks vlR ' k'sk ( ukes+ ) ( tek - )
<i>¼ yk[k ₹ ea ½</i>					
4702- लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय— उचन्त स्टाक विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+1,24,34.91	2,27,96.63	2,28,25.18	-28.55	1,24,06.36
कार्यशाला उचन्त	-17,87.70	..	..	..	-17,87.70
<b>; ksx</b>	<b>+46,50.67</b>	<b>2,53,62.14</b>	<b>2,53,08.43</b>	<b>+53.71</b>	<b>+47,04.38</b>
4711- बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय— उचन्त स्टाक विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+39,22.47	95,89.86	97,03.82	-1,13.96	+38,08.51
कार्यशाला उचन्त	+0.59	..	..	..	+0.59
<b>; ksx</b>	<b>+61,25.65</b>	<b>1,01,61.50</b>	<b>1,02,95.49</b>	<b>-1,33.99</b>	<b>+59,91.66</b>